



केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

मार्गदर्शिका 2022

मुख्य संपादक

कप्तान (भारतीय नौ सेना) शिखर चंद्रा, डायरेक्टर (पालिसी)

संपादक मंडल

सूबेदार मेजर (आनरेरी कैप्टेन) बी गीता राव, सेवानिवृत्त

सूबेदार मेजर (आनरेरी लेफ्टीनेंट) नरेश कुमार, सेवानिवृत्त

हवलदार बाबूलाल, सेवानिवृत्त

अनुराग, पी ओ लोजिस्टिक (एफ एंड ए)

हिन्दी अनुवाद

निर्देशक

ब्रिगेडियर रवि (अ० प्रा०)

निदेशक

निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश

अनुवाद टीम

सूबेदार मेजर (आनरेरी) हरी राम यादव

सूबेदार राजीव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त

श्री फ्रांसिस मैसी, सहायक समीक्षा अधिकारी

श्रीमती शिखा अब्रोल, आशुलिपिक

श्रीमती लालिमा सिंह, अपर निजी सचिव

सुश्री सुचिता पाण्डेय, सहायक लेखाकार

Shri B Anand
Secretary



सत्यमेव जयते



Department of Ex-Servicemen Welfare
New Delhi – 110011

30 Aug 22

संदेश

केंद्रीय सैनिक बोर्ड 1951 में अपनी स्थापना के बाद से ताकत से ताकतवर होता गया है। तेजी से बढ़ती हुई सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या, देश के विभिन्न हिस्सों में सेवानिवृत्त सैनिकों की अलग अलग उभरती जरूरतों और आवश्यकताओं के बावजूद पुनर्वास और कल्याण की दिशा में अपने अथक प्रयास से केंद्रीय सैनिक बोर्ड कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित कर रहा है

केंद्रीय सैनिक बोर्ड 35 लाख पूर्व सैनिकों (विधवाओं सहित) के कल्याण के लिए 14 योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड सिंगल रेडी रेकनर/ मार्गदर्शिका प्रकाशित करने की इस अच्छी परंपरा को जारी रखे हुए है, जो पूर्व सैनिकों और उनके निकट संबंधियों के लिए बहुत मददगार होगी।

इस बेहतरीन " मार्गदर्शिका 2022" को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार करने के लिए मैं सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड और उनकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

Dr Pudi Hari Prasad
Joint Secretary



Department of Ex-Servicemen Welfare
New Delhi – 110011

30 Aug 22



संदेश

"मार्गदर्शिका 2022" युद्ध-विधवाओं, विकलांग सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं की सूचना और जागरूकता प्रदान करने वाला एक एकीकृत दस्तावेज है।

इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य लगभग 35 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों (विधवाओं सहित) तथा प्रतिवर्ष लगभग 60,000 हजार सेवानिवृत्त हो रहे सैनिकों को आसान कनेक्टिविटी और हितधारक प्रतिक्रिया प्रदान करना और नवीनतम योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है।

मुझे यकीन है कि यह संस्करण सेवानिवृत्त सैनिक समुदाय को केंद्रीय सैनिक बोर्ड, तीनों सेवाओं और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के सेवानिवृत्त सैनिकों के विभागों द्वारा प्रदान की जा रही कल्याणकारी योजनाओं और लाभों के बारे में शिक्षित और जानकारी प्रदान करेगा। सभी स्तरों और स्थानों पर सैनिक विश्राम गृहों और महत्वपूर्ण अधिकारियों के संपर्क विवरण संचार और सहयोग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

मुझे विश्वास है कि यह मार्गदर्शिका संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अन्य सभी संबद्ध संगठनों और लोगों में राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के अथक प्रयासों को बढ़ाने में अतिरिक्त मील का काम करेगी।

Commodore HP Singh
Secretary



Kendriya Sainik Board
New Delhi – 110066

30 Aug 22



प्राक्कथन

केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के एस बी) भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है, जिसमें समावेशी, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से युद्ध विधवाओं, विकलांग सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए नीतियों और योजनाओं का निर्माण करने वाले प्रमुख लोग शामिल हैं। सेवानिवृत्त सैनिकों के सभी वर्गों को अवसर प्रदान करने, वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नेतृत्व में केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रावधानों और योजनाओं को लागू करता है।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैनिक बोर्डों के केन्द्रों को समन्वित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे यह देश के बढ़ते संगठनों में से एक बन सके। हमने समुदाय-आधारित प्रक्रिया को अपनाया है जो सेवानिवृत्त सैनिकों की पहुंच और नई योजनाओं में भागीदारी के लिए स्थानीय, संदर्भ-विशिष्ट बाधाओं को सफलतापूर्वक संबोधित करते हैं। संगठन की वास्तविकताओं से निपटने में हमारी टीम और विषय विशेषज्ञों का प्रत्यक्ष अनुभव हमें इस बात के लिए सक्षम बनाता है कि सेवानिवृत्त सैनिकों सहित सभी हितधारक इन चुनौतियों और अवसरों की पहचान और प्रतिक्रिया कैसे करते हैं।

मार्गदर्शिका 2022 पिछले संस्करण में जारी किए गए सभी चार संस्करणों के अद्यतन संस्करणों का एक समन्वित रूप है, जो विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपयोगकर्ता के अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से सभी सुविधाओं और पहलुओं में ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि सूक्ष्म विवरणों को रेखांकित करने वाली सामग्री का सावधानीपूर्वक और मेहनती संकलन सभी उपयोगकर्ताओं को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन और संदर्भ प्रदान करेगा। हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों की भलाई की रक्षा के लिए, मैं सुधार की दिशा में रचनात्मक सुझावों की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

अनुक्रमाणिका

<u>अध्याय</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	सैनिक बोर्ड का संगठन	01
	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	01
	सैनिक बोर्ड संगठनों पर संक्षिप्त विवरण	01
	केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के एस बी)	01
	राज्य और जिला स्तर पर सैनिक कल्याण का संगठन	04
	राज्य और जिला सैनिक बोर्ड का स्टाफिंग मानदंड	10
	पूर्व सैनिकों की परिभाषा	14
	पूर्व सैनिकों का परिचय पत्र	17
	परिशिष्ट 'ए' केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सदस्यों की सूची	19
	परिशिष्ट 'बी' पूर्व सैनिकों और विधवाओं की जनगणना 30 अप्रैल २०२२	21
	परिशिष्ट 'सी' मान्यता प्राप्त जिला सैनिक बोर्डों के साथ जिलों का मानचित्रण	23
2.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए एफ एफ डी एफ)	39
	निधि की उत्पत्ति और उद्देश्य	39
	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का प्रबंधन	40
	योगदान कैसे करें	40
3.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष द्वारा वित्तपोषित कल्याणकारी योजनाएं	41
	कल्याणकारी योजनाएं एक नजर में	41
	सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए सामान्य निर्देश	42
	गरीबी अनुदान	48
	शिक्षा अनुदान	51
	विकलांग बाल अनुदान	55
	विवाह अनुदान	57
	चिकित्सा उपचार अनुदान	59
	अनाथ अनुदान	62
	व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान	64

<u>अध्याय</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
	गंभीर रोग अनुदान	66
	गतिशीलता उपकरण अनुदान	69
	गृह कर्ज पर ब्याज में छूट	71
	परिशिष्ट 'डी' - गरीबी का प्रमाण पत्र	76
	परिशिष्ट 'ई' - 100% विकलांग बच्चे के लिए जीवन प्रमाण पत्र	76
	परिशिष्ट 'एफ' - सेवानिवृत्त सैनिक की अनाथ बेटी के लिए अविवाहित और जीवन प्रमाण पत्र	78
	परिशिष्ट 'जी' - सेवानिवृत्त सैनिक के अनाथ पुत्र के लिए अविवाहित और जीवन प्रमाण पत्र	79
	परिशिष्ट 'एच' - जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाणपत्र - गृह ऋण अनुदान पर ब्याज सब्सिडी	80
4.	सशस्त्र सेना इंडा दिवस कोष से संस्थागत अनुदान	82
	किरकी और मोहाली में लकवाग्रस्त पुनर्वास केंद्रों (पी आर सी) को अनुदान	82
	चेशायर होम्स / राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर को अनुदान	84
	युद्ध स्मारक छात्रावासों को अनुदान (डब्ल्यू एम एच)	84
	अखिल भारतीय गोरखा ई एस एम एसोसिएशन, देहरादून को वित्तीय अनुदान	85
	सैनिक विश्राम गृहों (एस आर एच एस) के निर्माण के लिए केंद्रीय हिस्सा जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)	86
5.	प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पी एम एस एस)	87
	सामान्य जानकारी	87
	आवेदन कैसे करें	88
	प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना का नवीनीकरण	91
	परिशिष्ट 'जे' - सेवानिवृत्त सैनिक / सेवानिवृत्त सैनिक तटरक्षक प्रमाणपत्र की नमूना प्रति	92
6.	केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध लाभ/रियायतें	94
	युद्ध विधवाओं को रेल यात्रा रियायतें	94
	विशेष नेत्रहीन पेंशन	95

<u>अध्याय</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
	भारत सरकार द्वारा नामित मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में रक्षा मंत्रालय कोटा की आरक्षित सीटें	96
	आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा बी ए (एच आर एम) में सेवानिवृत्त सैनिकों को स्नातक प्रमाणपत्र	100
	श्री सीमेंट द्वारा देश की रक्षा में मारे गए रक्षा कर्मियों के निकटतम संबंधी को घर के निर्माण के लिए सीमेंट का प्रावधान	101
7.	शिकायत निवारण तंत्र	102
8.	भारतीय सेना द्वारा विस्तारित रियायतें और लाभ	103
9.	भारतीय नौसेना द्वारा विस्तारित रियायतें और लाभ	119
10.	भारतीय वायु सेना द्वारा विस्तारित रियायतें और लाभ	124
11.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कल्याणकारी उपाय और योजनाएं	127
	परिशिष्ट 'के' - आंध्र प्रदेश	128
	परिशिष्ट 'एल' - अरुणाचल प्रदेश	137
	परिशिष्ट 'एम' - असम	139
	परिशिष्ट 'एन' - बिहार	150
	परिशिष्ट 'ओ' - छत्तीसगढ़	156
	परिशिष्ट 'पी' - दिल्ली	167
	परिशिष्ट 'क्यू' - गोवा	172
	परिशिष्ट 'आर' - गुजरात	177
	परिशिष्ट 'एस' - हरियाणा	191
	परिशिष्ट 'टी' - हिमाचल प्रदेश	207
	परिशिष्ट 'यू' - झारखण्ड	218
	परिशिष्ट 'वी' - कर्नाटक	224
	परिशिष्ट 'डब्ल्यू' - केरल	233
	परिशिष्ट 'एक्स' - मध्य प्रदेश	242
	परिशिष्ट 'वाई' - महाराष्ट्र	253
	परिशिष्ट 'जेड' - मणिपुर	269

अध्याय**विषय****पृष्ठ संख्या**

परिशिष्ट 'एए' – मेघालय	272
परिशिष्ट 'एबी' - मिजोरम	275
परिशिष्ट 'एसी' - नागालैंड	282
परिशिष्ट 'एडी' - ओडिशा	287
परिशिष्ट 'एई' - पंजाब	292
परिशिष्ट 'एएफ' - राजस्थान	308
परिशिष्ट 'एजी' - सिक्किम	313
परिशिष्ट 'एएच' - तमिलनाडु	318
परिशिष्ट 'एजे' - तेलंगाना	328
परिशिष्ट 'एके' - त्रिपुरा	334
परिशिष्ट 'एएल' - उत्तराखंड	338
परिशिष्ट 'एएम' - उत्तर प्रदेश	353
परिशिष्ट 'एएन' - पश्चिम बंगाल	370
परिशिष्ट 'एपी' - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	377
परिशिष्ट 'एक्यू' – चंडीगढ़	380
परिशिष्ट 'एआर' - जम्मू और कश्मीर	384
परिशिष्ट 'एएस' – लद्दाख	392
परिशिष्ट 'एटी' – पुडुचेरी	397

अध्याय 1

सैनिक बोर्ड संगठन

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. लगभग तीन दशकों के बीच चले दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश भारतीय सेना की मुख्यधारा मुख्य रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों के पुत्र जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1919 में, ब्रिटिश सरकार ने, 07 सितंबर 1919 के अपने संकल्प द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए जिला सैनिक, नाविक और एयरमेन बोर्डों की स्थापना की। भारतीय सैनिकों के बोर्ड ने सरकार को सलाह दी कि जिला सैनिक, नाविक और एयरमेन बोर्ड सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण से संबंधित मामले, पेंशन देना तथा उसमें उत्पन्न हुई विसंगतियों का निवारण करना, जंगी इमाम पुरस्कार और सेवारत, डिस्चार्ज और मृत भारतीय सैनिकों, गैर-लड़ाकों और उनके आश्रितों के अन्य हित, जिसमें सैनिकों के परिजनों का नामांकन शामिल है।

2. द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरंत बाद, सेना से विमुद्रीकृत सैनिकों की मदद के लिए, केंद्रीय रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई। 1947-48 के जम्मू-कश्मीर ऑपरेशंस के बाद, युद्ध विकलांगों, युद्ध घायलों और युद्ध विधवाओं के पुनर्वास की अपरिहार्य आवश्यकता को विभिन्न स्तरों और मंचों पर महसूस किया गया था। नतीजतन, एडजुटेंट जनरल, सेना मुख्यालय में एक छोटा सेल कमीशन किया गया था। नौसेना और वायु सेना के सूक्ष्म आकार और आवश्यकता को देखते हुए इस तरह के किसी संगठन की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी। और इसीलिए तीनों सेनाओं के किसी एकीकृत संगठन का निर्माण नहीं किया गया। बहु-आयामी तकनीकी प्रगति के साथ, नौसेना और वायु सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी सराहनीय भूमिका निभायी। जिससे मार्च 1951 में भारतीय सैनिक, नाविक और एयरमेन बोर्ड का निर्माण किया गया।

3. 1965 और 1971 के युद्धों के बाद, युद्ध-विधवाओं और युद्ध-विकलांगों के पुनर्वास, पुनर्वास और कल्याण की आवश्यकता में कई गुना वृद्धि हुई। 1975 में बोर्ड को केंद्र में केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के एस बी) के रूप में नया नाम दिया गया। वर्तमान में के एस बी सचिवालय रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है (भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1, संख्या 10(02)/आई/डी (रिजर्व)/2007 दिनांक 29 जनवरी 2009)।

सैनिक बोर्ड संगठनों पर संक्षिप्त


4. सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह महसूस किया गया है कि प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ मुख्य रूप से राज्य केंद्रित हैं और जिला स्तर पर समाधान होना है। वर्तमान समय में 34 राज्य सैनिक बोर्ड (आर एस बी) और 407 जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) स्थापित किए गए हैं।

5. **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (के एस बी)** केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (के एस बी) केंद्र में शीर्ष निकाय है, जो सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए नीतियां तैयार करता है। 45 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में करते हैं और सदस्यों में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल, अन्य केंद्रीय / राज्य सरकार के एम एस ओ एस के अलावा तीनों सेवा प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी / जे सी ओ सदस्य शामिल हैं। राजपत्र के अनुसार केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सदस्यों की सूची **परिशिष्ट 'ए'** में दी गई है।

6. केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार होती है जहां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाने वाली सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए नीतियां, दिशानिर्देश और योजनाएं प्रख्यापित की जाती हैं। राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्री को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है और उनके विभाग के सचिव राज्य सैनिक बोर्ड के काम की देखरेख करते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड पर सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण करते हैं, जिनमें से कुछ एक से अधिक राजस्व जिलों को कवर करते हैं। जिला कलेक्टर जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।

7. अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। 12 विशेष श्रेणी के राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 75:25 है जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा आते हैं।

8. **संगठनात्मक चार्ट** केंद्र, राज्य और जिला / जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच संगठनात्मक अंतर्संबंधों को निम्नलिखित चार्ट में रेखांकित किया गया है: -



9. **केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय** केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय का नेतृत्व सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का सचिव ब्रिगेडियर / भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंक का एक सेवारत अधिकारी होता है जो कि बारी बारी नियुक्त किया जाता है। सचिवालय के सात खंड हैं, अर्थात्। नीति, कल्याण, प्रशासन और समन्वय, लेखा, स्वचालन, पी एम एस एस और शिकायत अनुभाग। इनकी अध्यक्षता 6 सेवारत सशस्त्र बल और एक आई डी ए एस अधिकारी करते हैं, जिन्हें निदेशक / संयुक्त निदेशक के रूप में जाना जाता है। पता निम्नवत है -

10. **कर्तव्यों का चार्टर** केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय के कर्तव्यों का चार्टर इस प्रकार है: -

(अ) निम्नलिखित का समन्वय करें: -

- (i) केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वार्षिक बैठक।
- (ii) राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक / सचिव की बैठक।
- (iii) सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए वार्षिक प्रबंधन समिति की बैठक।
- (iv) सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के कार्यकारी समिति की आवधिक बैठकें।
- (v) सी एस आर कॉन्क्लेव।

(ब) संबंधित एजेंसियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(स) सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय, राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति निर्देशों का प्रसार।

(द) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सैनिक कल्याण विभागों की निगरानी और मार्गदर्शन करना जो कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड / रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश में काम कर रहे हैं।

(य) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सैनिक कल्याण विभागों और जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की स्थापना और रखरखाव लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान करना।

(र) राज्य के मुख्य सचिव के तहत राज्य चयन समिति द्वारा बुलाई गई राज्य सैनिक बोर्ड निदेशकों / जिला सैनिक बोर्ड के लिए चयन साक्षात्कार में एक पेनलिस्ट के रूप में भाग लेना।

(ल) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सैनिक कल्याण विभाग का वार्षिक निरीक्षण करना और राज्य सरकार तथा रक्षा मंत्रालय को कार्यप्रणाली की रिपोर्ट अग्रेषित करना।

(व) राज्यों में राज्य सैनिक बोर्ड और समामेलित निधि की बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेना।

(श) सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए एफ एफ डी एफ) का प्रशासन।

(ष) सेवानिवृत्त सैनिकों / और मृतक सैनिक परिवारों के कल्याण से संबंधित समस्याओं का प्रबंधन।

(स) रक्षा मंत्रालय कोटे के तहत मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों के आवंटन के लिए योजना को क्रियान्वित करना।

(ह) राष्ट्रीय राजधानी में स्थित केंद्र सरकार के विभागों से सशस्त्र बलों के 'झंडा दिवस संग्रह' का आयोजन और संचालन।

- (क्ष) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशों में भारतीय मिशनों में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संचालन के लिए पोस्टर और प्रचार सामग्री प्रदान करना।
- (त्र) रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का निष्पादन।
- (ज्ञ) युद्ध विधवाओं और सेवानिवृत्त सैनिकों को रेल यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए विशेष मामलों में आई-कार्ड जारी करना।
- (अअ) सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के माध्यम से गरीबी अनुदानों की प्रक्रिया।
- (अब) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का संचालन करना।
- (अस) पैराप्लाजिक रिहैबिलिटेशन सेन्टर किर्की और मोहाली, 36 युद्ध स्मारक छात्रावास, चेशर होम और विभिन्न संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसके उचित निपटान की निगरानी/सुनिश्चित करने के लिए दौरा करना।
- (अद) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा समामेलित निधि के निवेश के संबंध में सलाह जारी करना।
- (अय) जिला सैनिक बोर्ड के कामकाज और प्रभावशीलता की जांच करने के लिए ऐच्छिक दौरा करना।
- (अर) सेंट्रल सैनिक रेस्ट हाउस, नरैना, दिल्ली के कामकाज का प्रबंधन करना।
- (अल) सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए स्वचालन और संबद्ध प्रशिक्षण। मौजूदा नियमों के अनुसार केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल का उन्नयन/रख रखाव करना। ।

राज्यों और जिलों में सैनिक कल्याण संगठन

11. राज्य स्तर पर सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए राज्य सरकार के मंत्रालयों में से सैनिक कल्याण और पुनर्वास एक मंत्रालय है। संबंधित विभाग के सचिव सैनिक कल्याण विभाग (डी एस डब्ल्यू) के काम की देखरेख करते हैं। डी एस डब्ल्यू जिला सैनिक बोर्ड पर सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है, जिनमें से कुछ एक से अधिक राजस्व जिलों को कवर करते हैं। राज्यपाल / उपराज्यपाल, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और कलेक्टर जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
12. जिला सैनिक बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन जिलों में स्थापित किए जाते हैं जहां सेवानिवृत्त सैनिकों की आबादी, सेवारत और दिवंगत सेवा कर्मियों के परिवार 7,500 और अधिक हैं। हालांकि दूरस्थ / पहाड़ी क्षेत्रों के जिलों में, 7,500 सेवानिवृत्त सैनिकों की न्यूनतम जनसंख्या मानदंड को डी एस डब्ल्यू, रक्षा मंत्रालय द्वारा माफ किया जा सकता है।

13. राज्य सैनिक बोर्डों का संरचना

- (अ) अध्यक्ष राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
- (ब) उपाध्यक्ष सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव सचिव, ESW/ रक्षा मंत्रालय
- (स) सदस्य
- (i) प्रभारी राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण।
- (ii) जी ओ सी-इन-सी कमांड।
- (iii) एफ ओ सी-इन-सी कमांड।
- (iv) ए ओ सी-इन-सी कमांड।
- (v) विभागों के प्रमुख।
- (vi) स्थानीय फॉर्मेशन कमांडर।
- (vii) निदेशक, पुनर्वास क्षेत्र।
- (द) गैर-सरकारी सदस्य
- (i) चार सेवानिवृत्त सैनिक।
- (ii) दो प्रमुख नागरिक।
- (ए) सचिव सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड।

नोट: पुनर्वास महानिदेशक और सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं।

14. राज्य सैनिक बोर्ड की जिम्मेदारियां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सैनिक बोर्ड निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं: -

- (अ) राज्य में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के कार्यों का नियंत्रण और समन्वय तथा प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करना।
- (ब) निम्नलिखित के साथ संपर्क: -
- (i) राज्य के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य के उपक्रमों, उद्यमों और बैंकों में, मुख्य रूप से राज्य की आरक्षण नीति और भर्ती नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए रिक्तियों की तलाश करने के लिए।

- (ii) ऐसी रिक्तियों की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत्त सैनिक और दिवंगत सैनिकों की पत्नियां इसका उपयोग करें।
- (iii) केंद्र में प्रचलित नीति के अनुरूप राज्य में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षण पर एक नीति तैयार करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्त सैनिकों को उनकी आरक्षण नीति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए 100-पॉइंट रोस्टर में उनका उचित स्थान मिले।
- (iv) उपरोक्त सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधीनस्थ चयन बोर्ड में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करें।
- (स) सेवानिवृत्त सैनिकों और सशस्त्र बलों के सेवारत/ दिवंगत सैनिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के उपायों को बढ़ावा देना।
- (द) देश में सशस्त्र बलों के बारे में आम जनता में जानकारी का प्रसार करना और आम जनता के बीच सशस्त्र बलों में रुचि बढ़ाने के लिए अभिनव उपाय अपनाना।
- (य) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुसार राज्य में जिला सैनिक बोर्ड का प्रशासन करना। राज्य प्रशासन के साथ समन्वय समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करना कि उनके कर्मचारियों की रिक्तियों को समय पर भरा जाए।
- (र) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा उनके सचिवालय के माध्यम से सौंपे गए किसी भी कर्तव्य को पूरा करना।
- (ल) राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड द्वारा केंद्रीय शेयर (60% या 75% - जैसा लागू हो) का दावा करने के लिए भेजना।
- (व) सेवानिवृत्त सैनिकों, विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, आश्रितों और सेवारत रक्षा कर्मियों के परिवारों - पेंशनरों और गैर-पेंशनरों, सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों दोनों के लिए अद्यतन आंकड़ों को अपडेट रखना।
- (श) केंद्रीय सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट और रिटर्न समय पर भेजना सुनिश्चित करना।
- (ष) राज्यपाल/ उपराज्यपाल/ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वार्षिक 'राज्य सैनिक बोर्ड' और 'समामेलित विशेष निधि बैठकें' आयोजित करना। बैठक के दौरान कल्याणकारी और पुनर्वास उपायों, नई नीतियों को बनाने और लागू करने की समीक्षा करना।
- (स) निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों लिए उद्यम / रोजगार की गरानी करना ।
- (ह) स्व-रोजगार उद्यमों की योजना बनाने और वित्त पोषण में सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की सहायता करना।
- (क्ष) पूरे वर्ष संग्रह अभियान को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए लक्ष्य तय करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष समिति की बैठकें आयोजित करना। समामेलित

विशेष निधि का अनुरक्षण करना और इन निधियों की प्रबंध समिति के निर्णयों का अनुपालन करते हुए इन निधियों से राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना/ संस्थापित करना।

(त्र) सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए अतिरिक्त कल्याणकारी उपाय करना। मीडिया के माध्यम से विभाग द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी उपायों का व्यापक प्रचार करना।

(ज्ञ) विस्तारित की जा रही विभिन्न रियायतों का प्रचार करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों की रैलियों और पेंशन अदालतों का आयोजन करना और सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों द्वारा पेश की गई कार्यात्मक और अन्य समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना।

(अअ) संबंधित राज्यों में आयोजित किए जा रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के प्रशिक्षण पर पुनर्वास महानिदेशक / सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट करना और बदलते रुझानों के अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव के संबंध में सुझाव देना।

(अब) जिला सैनिक बोर्ड का वार्षिक निरीक्षण करना और डिप्टी कलेक्टर, मुख्य सचिव और सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(अस) राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड में वेतन भत्तों के लिए केंद्रीय हिस्से के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए केवल सेवानिवृत्त सैनिकों को ही पद स्थापित किया जाय। असैनिक कर्मचारियों का नियोजन केंद्रीय सैनिक बोर्ड / रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से किया जाना चाहिए।

(अद) जिला सैनिक बोर्ड / राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ ई-मेल कनेक्टिविटी स्थापित करना।

(अय) केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करना।

15. **सैनिक बोर्डों को वित्तीय सहायता-** रक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से सैनिक बोर्डों को विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को राज्य सैनिक बोर्ड / केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्थापना लागत के व्यय का 75% भुगतान करता है और अन्य को 60%।

16. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिव सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों सेवा से बाहर किए गये विकलांग कर्मियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण के लिए नीतियों पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सैनिक कल्याण विभाग को सलाह देना और निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड और जेड एस डब्ल्यू ओ से कार्यान्वयन की दिशा में सफलता दर रिपोर्ट मांगते हैं। कल्याणकारी योजनाओं पर परामर्श भी जारी किए जाते हैं, जिन्हें राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आवंटित धन और समामेलित विशेष निधियों से वित्तपोषित किया जाता है।

17. **जिला सैनिक बोर्डों की संरचना**

(अ) **अध्यक्ष** जिला कलेक्टर।

(ब) **उपाध्यक्ष** वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैनिक।

(स) **पदेन सदस्य** राज्य सरकार के विभागों के प्रमुख / भर्ती अधिकारी।

(द) गैर-सरकारी सदस्य दो सेवानिवृत्त सैनिक और चार प्रमुख नागरिक।

(य) सचिव जिला सैनिक कल्याण अधिकारी।

18. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारियां

(अ) देश में सशस्त्र बलों के बारे में आम जनता को जानकारी प्रसारित करना और नागरिक आबादी, सेवा कर्मियों सेवानिवृत्त सैनिकों के बीच सद्भावना की भावना को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना।

(ब) सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवारों के कल्याण की निगरानी करने के अलावा स्थानीय प्रशासन या रक्षा अधिकारियों के साथ मामलों का प्रतिनिधित्व करने में सहायता करना। प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड/ राज्य सैनिक बोर्ड में कार्यरत कल्याण समन्वयक, सैनिकों के परिवारों के साथ संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को सूचीबद्ध करने, जिला सैनिक बोर्ड/ राज्य सैनिक बोर्ड को इन पर इनपुट प्रदान करने, इनका समाधान करने और पुनर्वास और कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे सैनिक परिवार लाभ उठा सकते हैं।

(स) सशस्त्र बलों में सेवा की शर्तों के बारे में आम जनता को जानकारी देना ताकि भर्ती के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त भर्ती अधिकारियों से संपर्क करने में इच्छुक उम्मीदवारों की सहायता की जा सके।

(द) पेंशन का भुगतान करने वाले पेंशन भुगतान कार्यालयों / शाखा डाकघरों की पर्याप्त संख्या का लेखा-जोखा करना।

(य) विभिन्न सैन्य और नागरिक धर्मार्थ निधियों से राहत के लिए आवेदनों की जांच करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।

(र) सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को वित्तीय राहत प्रदान करना। केंद्रीय सैनिक बोर्ड से वित्तीय सहायता के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के मामलों की सिफारिश करना।

19. इसके अतिरिक्त, जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की कल्याणकारी जिम्मेदारियों में उन सभी पारंपरिक गतिविधियों को शामिल किया गया है जो इन कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से ही चल रही हैं: -

(अ) सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति/ रिलीज लाभ/ बकाया जैसी वित्तीय समस्याओं का निपटान; सेवानिवृत्त सैनिक लाभार्थियों और केंद्र / राज्य सरकारों या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आदि जैसे अन्य संगठनों के आश्रितों सहित अनुदान और वस्तु के रूप में सहायता करना।

(ब) सेवानिवृत्त सैनिक पेंशनरों / आश्रितों को पेंशन / अन्य राहत का सही और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिले में पेंशन वितरण अधिकारियों / एजेंसियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना।।

(स) भूमि और अन्य विवादों के निपटारे के लिए सहायता प्रदान रखना।

(द) सेवारत कर्मियों के ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के दौरान उनकी सुरक्षा / संरक्षा के संबंध में सेवारत कर्मियों के परिवारों की सहायता करना।

(य) राज्य सैनिक बोर्डों के मार्गदर्शन में जिले में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विश्राम गृह, वृद्धावस्था पेंशनभोगी गृह, जवान भवन/दुकानें, व्यावसायिक और अन्य प्रशिक्षण सुविधाएं, सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास जैसे कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना और बनाए रखना।

(र) सैन्य / सिविल अस्पतालों में चिकित्सा के लिए सहायता करना।

(ल) जिलों में सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों / आश्रितों के लिए कल्याण और रियायतों के अतिरिक्त स्रोतों को बढ़ाने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक एजेंसियों जैसे अन्य कल्याणकारी संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखना।

(व) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों और कार्रवाई में अक्षम लोगों के आश्रितों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके आश्रितों का एक अद्यतन रजिस्टर बनाए रखना।

(श) रक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत अदालती मामलों में केंद्रीय सैनिक बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधित्व करना।

(ष) सेवानिवृत्त सैनिकों और पारिवारिक पेंशनरों को ई सी एच एस के बारे में जानकारी प्रदान करना।

(स) सुनिश्चित करना कि निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा वार्षिक रूप से जिला सैनिक बोर्ड का विधिवत निरीक्षण किया जाता है।

20. सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं: -

(अ) निम्नलिखित के साथ निकट और प्रभावी संपर्क बनाए रखने के लिए: -

(i) स्थानीय केंद्रीय/ राज्य/ निजी औद्योगिक संगठन।

(ii) विशेष रूप से उन राज्यों में स्थानीय रोजगार कार्यालय जहां इसके पास सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए सह-प्रायोजक शक्तियाँ हैं।

(iii) सेवानिवृत्त सैनिकों के भूमि विवादों के निपटारे के लिए स्थानीय राजस्व प्राधिकरण।

(iv) लघु उद्योग स्थापित करने के इच्छुक सेवानिवृत्त सैनिकों की जिला उद्योग/ खंड विकास कार्यालय के माध्यम से सहायता करना।

(ब) सेवानिवृत्त सैनिकों को उनके स्वरोजगार के लिए सहकारी समितियों के गठन और स्थापना में सहायता करना।

(स) युद्ध में शहीद सैनिकों की पत्नियों, आश्रितों और युद्ध विकलांगों के साथ-साथ उन सभी लोगों के लिए पुनर्वास सहायता प्रदान करना, जो सेवा के दौरान सेवा कारणों से मारे गए / अक्षम हो गए थे।

(द) स्वरोजगार उद्यमों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और डी जी आर पुनर्वास योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में सेवानिवृत्त सैनिकों की सहायता करना।

21. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी निम्नलिखित क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: -

(अ) जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष के साथ सशस्त्र सेना इंडा दिवस आयोजित करना और इंडा दिवस के लिए अपने जिले में अधिकृत धन एकत्रित करने वाले उपायों को लागू करना।

(ब) एक निश्चित दिन पर हर महीने कम से कम एक बार सेवानिवृत्त सैनिकों की समस्याओं को हल करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष के साथ रैलियों/री-यूनियन, सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण बैठकों का आयोजन करना।

(स) सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार तलाशने या स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के तरीकों का पता लगाना।

(द) जिले के भीतर सशस्त्र बलों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए बुलाए जाने पर तीनों सेवाओं की सहायता करना। राष्ट्रीय आपदाओं में सशस्त्र बलों द्वारा प्रदान की जाने वाली भर्ती सूचनाओं और सहायता के लिए प्रचार करना। वीरता पुरस्कारों/अन्य अलंकरणों, सेवा कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की अधिसूचना का प्रचार-प्रसार करना।

22. **पहुंच से दूर सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कार्यक्रम** सेवानिवृत्त सैनिकों की चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से दूरस्थ / पहाड़ी / सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों के लिए / पहुंच से दूर सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ बातचीत, सामान्य रूप से भलाई का पता लगाना, पेंशन के मुद्दों और अन्य विशिष्ट समस्याओं के साथ-साथ सेवानिवृत्त सैनिकों /वीर नारियों का सम्मान शामिल है। "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के एक भाग के रूप में, 14 जुलाई 22 को हल्द्वानी, उत्तराखंड में पहुंच से दूर सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों ने भाग लिया। इसके अलावा, पिछले तीन महीनों में विभिन्न राज्यों में राज्य सैनिक बोर्ड (RSB) / राज्य प्रबंध समिति (SMC) की बैठकें आयोजित की गई हैं। सेवानिवृत्त सैनिकों की भलाई और सुरक्षा के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड का यह एक निरंतर प्रयास है।

23. **सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की जनगणना** सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए किए जा रहे कल्याणकारी उपायों की प्रभावोत्पादकता का पता लगाने की दिशा में इसकी वृद्धि का दायरा और अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं के अनुरूप सेवानिवृत्त सैनिकों के समेकित डेटा को द्विवार्षिक रूप से संकलित किया जाता है। 30 अप्रैल 2022 तक सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की जनगणना **परिशिष्ट 'बी'** के रूप में संलग्न है।

राज्य सैनिक बोर्ड तथा जिला सैनिक बोर्ड की कार्यालयी व्यवस्था मानदंड

24. कार्यालयी व्यवस्था मानदंडों के संबंध में 'उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) रिपोर्ट, 1984' की विभिन्न धाराओं / सिफारिशों को लागू करना राज्यों / संघ शासित प्रदेशों का दायित्व है, इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय सशस्त्र बलों का एक राष्ट्रीय चार्टर और नियम हैं। जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं और सशस्त्र बलों के लिए लागू हैं। इसलिए सेवारत सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों दोनों से जुड़ी सभी सुविधाओं की एकरूपता बनाए रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही राज्य सैनिक बोर्ड / जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना लागत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है (विशेष श्रेणी राज्यों में 75% तक और अन्य में 60%, राज्य सरकारों के साथ। / UT प्रशासन क्रमशः 25% और 40% योगदान करते हैं)।

25. **राज्य सैनिक बोर्ड की कार्यालयी व्यवस्था मानदंड**

(अ) राज्य सैनिक बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आवश्यक पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों की संख्या काम के बोझ के साथ-साथ जिला सैनिक बोर्डों की संख्या और सेवानिवृत्त सैनिकों, आश्रितों / परिवारों की आबादी के घनत्व पर निर्भर करती है।

(ब) राज्य सैनिक बोर्ड के लिए अनुशंसित मूल स्थापना इस प्रकार है: -

क्रमांक	नियुक्ति	निश्चित की गयी संख्या
(क)	निदेशक	01
(ख)	अधीक्षक	01
(ग)	कल्याण आयोजक	जैसा लागू हो (10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों, सेवारत / मृत सेवा कर्मियों के परिवारों पर 01, उन विभागों पर लागू होते हैं जिनके पास जिला सैनिक कल्याण कार्यालय और सैनिक कल्याण विभाग के रूप में दोहरा कार्य होता है)
(घ)	लेखाकार	01
(ङ)	क्लर्क-कम-टाइपिस्ट	03
(च)	पी ए	01
(छ)	दफ्तरी	01
(ज)	चपरासी	01
(झ)	चालक	01
(ट)	चौकीदार	01
(ठ)	सफाईकर्मि	01

(स) **अतिरिक्त पर्यवेक्षकों / अन्य कर्मचारियों के लिए मानदंड** अधिक संख्या वाले राज्य सैनिक बोर्ड के प्रशासन के लिए अतिरिक्त मैनिंग की सिफारिश की जाती है। उप-समिति निम्नलिखित अनुशंसा करती है:-

क्रमांक	नियुक्ति	निश्चित की गयी संख्या
अधिकारी (श्रेणी-1)		
(क)	संयुक्त निदेशक	01 (प्रत्येक 05 उप निदेशकों के लिए अधिकृत)
(ख)	उप निदेशक	01 (प्रति 05 जिला सैनिक कार्यालय, 25 जिला सैनिक कार्यालयों तक, जिन्हें डीएसडब्ल्यू को प्रशासित करना है। 25 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के अलावा 10 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पर 01 उप निदेशक)।

अराजपत्रित पद

(ग)	ऑडिटर	01 (प्रति विभाग, 5 से अधिक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय वाले प्रशासन के लिए लागू।)
(घ)	लेखाकार	01 (प्रति विभाग। 20 से अधिक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय वाले प्रशासन के लिए अतिरिक्त लेखाकार)
(ङ)	पी ए	01 संयुक्त निदेशक (कर्नल समकक्ष) के लिए, 01 निदेशक (ब्रिगेड/कर्नल समकक्ष) के लिए।
(च)	स्टेनो	01 (02 उप निदेशकों के लिए (लेफ्टिनेंट कर्नल समकक्ष)
(छ)	क्लर्क	प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड के लिए 1 अतिरिक्त लिपिक मूल प्रतिष्ठान में जोड़ा गया।
(ज)	चपरासी	निदेशक के लिए - 01 संयुक्त निदेशक के लिए - 01 प्रत्येक 15 अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए - 01
(झ)	चालक	प्रत्येक अतिरिक्त वाहन के लिए चालक 1

नोट – अधीक्षक / यू डी सी / एल डी सी / पी ए/ स्टेनो की सेवा शर्तें राज्य के मानदंडों के अनुसार होंगी।

(द) **विविध कर्मचारी (चौकीदार / सफाईकर्मी)** इन पदों को राज्य सैनिक बोर्ड के लिए निर्धारित मानक स्थापना के अनुसार एक-एक श्रेणी की दर से सृजित किए जाने हैं।

(य) **अतिरिक्त स्टाफ (मानदंडों के अतिरिक्त)** राज्य सैनिक बोर्ड के लिए किसी भी अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, यदि राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, तो केंद्र सरकार की स्पष्ट स्वीकृति अनिवार्य है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्थानीय मानदंडों / आरआर को लागू करने में कठोर होने की आवश्यकता नहीं है, यह देखते हुए कि ये आवश्यकताएं सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों या सेवानिवृत्त सैनिक संघों की मौखिक शिकायतों/अनुरोधों से उत्पन्न होती हैं।

26. **जिला सैनिक बोर्ड की कार्यालयी व्यवस्था मानदंड**

(अ) नए जिला सैनिक बोर्ड एक राज्य द्वारा ही स्थापित किए जा सकते हैं, यदि सेवानिवृत्त सैनिकों / सेवारत और मृत सेवा कर्मियों के परिवारों की जनसंख्या 7,500 से अधिक है। अन्य मामलों में, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

(ब) 7,500 से अधिक आबादी वाले जिला सैनिक बोर्ड की मानक स्थापना इस प्रकार है:-

<u>क्रमांक</u>	<u>नियुक्ति</u>	<u>निश्चित की गयी संख्या</u>
(क)	सचिव	01
(ख)	सहायक सचिव	01 (उन जिला सैनिक बोर्डों के लिए जहां पूर्व सैनिकों और परिवारों की आबादी 20,000 से अधिक है)।
(ग)	अधीक्षक/प्रधान लिपिक	01
(घ)	कल्याण आयोजक	01 (प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत/मृत कर्मियों के परिवारों के लिए एक)।
(ड)	लिपिक यू डी सी / एल डी सी	01
(च)	क्लर्क टाइपिस्ट	01
(छ)	लिपिक लेखा	01
(ज)	चपरासी	01
(झ)	चौकीदार	01
(ट)	चालक	01 (जहां स्वतंत्र परिवहन अधिकृत है)
(ठ)	सफाईकर्मी	01 (चतुर्थ श्रेणी के बदले, उप-समिति द्वारा अनुशंसित)

(स) 7,500 से कम ईएसएम आबादी वाले जिला सैनिक बोर्ड की मानक स्थापना

<u>क्रमांक</u>	<u>नियुक्ति</u>	<u>निश्चित की गयी संख्या</u>
(क)	सचिव	01
(ख)	अधीक्षक/ प्रधान लिपिक	01
(ग)	कल्याण आयोजक	01
(घ)	लिपिक यू डी सी / एल डी सी	01
(ड)	क्लर्क टाइपिस्ट	01
(च)	चालक	01 (जहां स्वतंत्र परिवहन अधिकृत है)
(छ)	सफाईकर्मी	01

(द) यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कर्मचारी, आर आर के अनुरूप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कहने पर उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, नई श्रेणियों के पदों के लिए (ऊपर निर्दिष्ट के अलावा) केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से केंद्र की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

(य) 20,000 से कम सेवानिवृत्त सैनिकों की आबादी वाले जिला सैनिक बोर्ड में सहायक सचिव के पदों के लिए भी केंद्र की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

27. अन्य आवश्यक मानदंड

(अ) 1984 के एच एल सी की सिफारिशों और 2013 के रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश, सैनिक बोर्डों में केवल सेवानिवृत्त सैनिकों की नियुक्ति पर प्रकाश डालते हैं। इसके बावजूद, कुछ राज्य बाद में राज्य सरकार के अधिकारियों और गैर- सेवानिवृत्त सैनिकों को शामिल करना जारी रखा है। सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों के बारे में बनी नीतियों और प्रक्रियाओं की कई जटिलताओं की समझ की कमी के कारण गैर सेवानिवृत्त लोग स्वयं को सक्षम नहीं बना पाते हैं। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर होने वाला खर्च (75/60%) पर व्यय की प्रतिपूर्ति, जिसे "केंद्रीय शेयर" भी कहा जाता है, केवल सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों तक सीमित होना चाहिए।

(ब) 1993 के डी एस डब्ल्यू के मानकीकरण पर उप-समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि इन पदों को भरने के लिए केवल उपयुक्त रैंक के पूर्व रक्षा अधिकारियों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उच्च स्तरीय समिति ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक को राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में विभागों के प्रमुखों के समान प्रशासनिक / वित्तीय शक्तियों की स्थिति वाले प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए। उन्हें विभाग के आयामों/जिम्मेदारियों के अनुरूप एक अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव की उपयुक्त पदेन स्थिति भी प्रदान की जानी चाहिए। निदेशक की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य के सैनिक कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा बनाई जाएगी। इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में सैनिक कल्याण विभाग को सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के निरीक्षण / दौरे की रिपोर्ट का उचित संज्ञान लेना चाहिए।

(स) राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक सहित अधिकारियों की नियुक्ति केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से की जानी चाहिए, जिनके नाम / विवरण सेवाओं की प्लेसमेंट एजेंसियों, राज्य सैनिक बोर्ड / राज्यों और पुनर्वास महानिदेशक से प्राप्त होते हैं। पुनर्वास महानिदेशक, ई सी एच एस और केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित चयन प्रक्रिया के दौरान सचिव ई एस डब्ल्यू और सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड या उनके प्रतिनिधियों को चयन समिति के सदस्यों के रूप में केंद्र के प्रतिनिधियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से वेतन निर्धारण के संदर्भ में अदालती मामलों से बचने के लिए नियुक्ति पत्र के साथ सेवा के 'नियम और शर्तें' जारी करना राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का कर्तव्य है। राज्य सैनिक बोर्ड / जिला सैनिक बोर्ड के निदेशकों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, टीए/डीए और अन्य मौद्रिक लाभों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा नियमों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा

28. **पृष्ठभूमि** 1965 के बाद पहली बार "भूतपूर्व सैनिक" (ई एस एम) शब्द को औपचारिक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण की नई नीति का लाभ विशेष रूप से योग्य कर्मियों को मिले। ई एस एम की परिभाषा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) द्वारा निर्धारित परिभाषा द्वारा शासित होती है और इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं।

29. **सशस्त्र बल** वर्तमान संदर्भ में, भारतीय संघ की सेना, नौसेना और वायु सेना और सशस्त्र बल/तत्कालीन रियासतों के गठन और ब्रिटिश प्रांत शामिल हैं, जो भारत गणराज्य के साथ एकीकृत/स्वीकार किए गए हैं, लेकिन सैनिकों / रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स (पी एम एफ) के आश्रितों को शामिल नहीं किया गया।

30. ई एस एम की परिभाषा को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: -

(अ) **जो 01 जुलाई 68 से पहले सेवामुक्त हुए थे** कोई भी व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाकू के रूप में या नहीं) में सेवा की हो और कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन के अलावा वहां से मुक्त किया गया हो।

(ब) **जो 01 जुलाई 68 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 79 से पहले सेवामुक्त किए गये हों** कोई भी व्यक्ति जिसने कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए संघ के सशस्त्र बलों में किसी भी पद पर (चाहे एक लड़ाकू के रूप में या नहीं) सेवा की हो। सत्यापन के बाद और कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा वहां से रिहा किया गया।

(स) **जो 01 जुलाई 79 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 87 से पहले सेवामुक्त किए गये हों** एक "भूतपूर्व सैनिक" का मतलब वह व्यक्ति है, जिसने सशस्त्र बलों में किसी भी रैंक (चाहे एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो। संघ, पूर्व भारतीय राज्यों के सशस्त्र बलों सहित, लेकिन असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना को छोड़कर, सत्यापन के बाद कम से कम छः महीने की निरंतर अवधि के लिए, और

(i) अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन के माध्यम से अन्यथा जारी किया गया है, या इस तरह की रिहाई के लिए रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है, या

(ii) जैसा कि पूर्वोक्त रूप से जारी या स्थानांतरित होने का हकदार बनने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि को पूरा करने के लिए छः महीने से अधिक समय तक सेवा नहीं की है, या

(iii) संघ के सशस्त्र बलों में पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद, अपने स्वयं के अनुरोध पर मुक्त किया गया है।

(द) **जो 01 जुलाई 87 को या उसके बाद सेवामुक्त किए गए** 'भूतपूर्व सैनिक' का मतलब वह व्यक्ति है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की है और

(i) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) जो विभाग में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से, अन्यथा अपने स्वयं के अनुरोध पर मुक्त किया गया है; या

(iv) जिसे अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा, सेवा शर्तों की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है, और एक उपदान दिया गया है, और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों की प्रादेशिक सेना शामिल हैं, अर्थात्: -

(अअ) निरंतर सन्निहित सेवा के लिए पेंशन धारक

(अब) सैन्य सेवा के कारण विकलांग व्यक्ति; तथा

(अस) वीरता पुरस्कार विजेता।

(य) सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित उपरोक्त परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि नई सुझाई गई परिभाषा में संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले कर्मियों की कुछ श्रेणियों को पूर्व सैनिकों के रूप में विचार करने के लिए बाहर रखा गया है, जबकि संशोधित में प्रादेशिक सेना कर्मियों की कुछ अतिरिक्त श्रेणियां परिभाषा में जोड़ी गई हैं। संशोधित परिभाषा वाली अधिसूचना 27 अक्टूबर 1986 को जारी की गई और 15 नवंबर 1986 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई। अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से नई परिभाषा प्रभावी है, लेकिन चूंकि कुछ श्रेणियों को पर्याप्त प्रचार के बिना बाहर रखा गया था, 27 अक्टूबर 1986 की पूर्व अधिसूचना का प्रभाव 27 मार्च 87 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा रोक दिया गया था जिसमें प्रभाव की तिथि 01 जुलाई 87 के रूप में निर्दिष्ट की गई थी। नतीजतन, कर्मियों की दो श्रेणियां, जिन्हें 'भूतपूर्व सैनिक' की पूर्व-संशोधित परिभाषा में शामिल किया गया था उनको 01 जुलाई 87 से भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाना बंद हो गया है, जैसा कि निम्नलिखित प्रावधान से देखा जाएगा: -

"कोई भी व्यक्ति जो मुक्त किया गया है: -

(i) संघ के सशस्त्र बलों में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वयं के अनुरोध पर

या

(ii) सत्यापन के बाद छः महीने की निरंतर अवधि के लिए सेवा करने के बाद, अन्यथा अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन के माध्यम से या इस तरह की मुक्त के लिए रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है; इस खंड के प्रयोजन के लिए एक भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

(र) 15 नवंबर 1986 से प्रादेशिक सेना के कर्मियों को भूतपूर्व सैनिकों के रूप में माना जाता है।

(ल) **जो 04 अक्टूबर 2012 को या उसके बाद जारी किए गए हों** एक भूतपूर्व सैनिक का मतलब वह व्यक्ति है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की है, और

(i) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से कार्यमुक्त हो गया है या सेवामुक्त हो गया है चाहे उसके अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद कार्यमुक्त किया जा रहा हो; या

- (ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा के आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई हो; या
- (iii) जिनको सेना में सैनिकों की कमी करने के लिए सेवा से किसे मुक्त किया गया है; या
- (iv) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है, अन्यथा उसके स्वयं के अनुरोध पर, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अक्षमता के कारण छुटी दे दी गई है और उसे एक उपदान दिया गया है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कर्मी शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा के लिए पेंशन धारक या अर्हक सेवा को बीच में छोड़ने पर; या
- (v) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना की डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किए गए हैं या सैन्य सेवा के दौरान ऐसी परिस्थितियों के कारण चिकित्सीय आधार पर जिन्हें मेडिकल या अक्षमता पेंशन प्रदान की गयी हो; या
- (vi) कार्मिक, जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छः महीने से अधिक के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- (vii) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता; या
- (viii) ऐसे रिक्त जिन्हें चिकित्सा के आधार पर बोर्ड से बाहर कर दिया गया या कार्यमुक्त कर दिया गया और उन्हें चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान कर दी गई।

31. **शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारी** डी ओ पी टी अधिसूचना दिनांक 13 फरवरी 2020 के अनुसार, कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन के अलावा अन्य सेवा की प्रारंभिक शर्तों को पूरा करने के बाद सेवा से जारी शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारी (एस एस सी ओ) और जिन्हें ग्रेच्युटी दी गई है, वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए पात्र होंगे।

सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र

32. सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों को पहचान पत्र संबंधित जिला सैनिक बोर्ड / जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं, जहां सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद रहना चाहते हैं (जो उनके डिस्चार्ज दस्तावेज़ (दस्तावेजों) में दर्ज किया गया है। इसके लिए, सभी सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को पंजीकरण और पहचान पत्र जारी करने के लिए संबंधित जिला सैनिक बोर्ड / जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पास जाना आवश्यक है। जिला सैनिक बोर्ड / जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त के दस्तावेजों / विवरणों की जांच के बाद, सेवानिवृत्त सैनिक 'आवेदन पत्र' जमा करेंगे, जिसके बाद सेवानिवृत्त सैनिक / आश्रित को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर उपलब्ध लिंक <https://www.ksb.gov.in/issuing-identity-card.htm> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

33. सेवानिवृत्त सैनिकों के परिचय पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास कार्यालय/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी केवल डिस्चार्ज बुक में दर्शाए गए जिले के सेवानिवृत्त सैनिक के परिचय पत्र बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे और दूसरे जिले के सेवानिवृत्त सैनिक का परिचय पत्र बनाने के लिए उस जनपद के जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास कार्यालय/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अनिवार्य होगा: -

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद एक नए जिले में स्थानांतरित हो जाता है (भले ही नया जिला उसी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में स्थित हो),

(ब) सेवानिवृत्त सैनिक डिस्चार्ज बुक में दर्शाए गए जिले में अपना नामांकन नहीं करवाता/ जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास कार्यालय/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आई-कार्ड प्राप्त नहीं करता और एक अलग जिले में बस जाता है।

34. सेवानिवृत्त होने वाले का दायित्व है कि वह अपनी डिस्चार्ज बुक में सही पता दर्ज करे। सही जिला सैनिक बोर्ड की पहचान में सुविधा के लिए (विशेष रूप से उन लोगों के मामले में जिनके सेवानिवृत्ति के समय जिला सैनिक बोर्ड अंकित नहीं होता है), 407 मान्यता प्राप्त जिला सैनिक बोर्ड के साथ मौजूदा 757 जिलों की मैपिंग परिशिष्ट 'सी' पर दी गई है। एक सेवानिवृत्त सैनिक जिसके जिले में कोई जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास कार्यालय/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नहीं है, को सलाह दी जाती है कि वह सही जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास कार्यालय/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का चयन करने के लिए परिशिष्ट 'सी' देखें।

35. सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र भारत सरकार/ रक्षा मंत्रालय एस आर ओ 7 ई दिनांक 13 अप्रैल 1993 के अनुसार सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के तहत शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक शर्त है।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सदस्यों की सूची

1. **अध्यक्ष** माननीय रक्षा मंत्री
2. **उपाध्यक्ष** माननीय रक्षा राज्य मंत्री
3. **सदस्य**
 - (अ) आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
 - (ब) अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
 - (स) असम के माननीय मुख्यमंत्री
 - (द) बिहार के माननीय मुख्यमंत्री
 - (य) छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री
 - (र) दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री
 - (ल) गोवा के माननीय मुख्यमंत्री
 - (व) गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री
 - (श) हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री
 - (ष) हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
 - (स) झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री
 - (ह) कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री
 - (क्ष) केरल के माननीय मुख्यमंत्री
 - (त्र) मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
 - (ज्ञ) महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अअ) मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अब) मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अस) मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अद) नागालैंड के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अय) उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अर) पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अर) राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अल) सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अव) तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अश) तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अष) त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अस) उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अह) उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अक्ष) पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अत्र) पुडुचेरी (केन्द्र शासित) के माननीय मुख्यमंत्री
 - (अज्ञ) माननीय उपराज्यपाल, जम्मू और कश्मीर (केन्द्र शासित)
 - (अअअ) माननीय उपराज्यपाल, लद्दाख (केन्द्र शासित)

- (अअब) एक संसद सदस्य (राज्यसभा)
- (अअस) दो संसद सदस्य (लोकसभा)
- (अअद) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
- (अअय) वायु सेना प्रमुख
- (अअर) नौसेना प्रमुख
- (अअल) थल सेनाध्यक्ष
- (अअव) सचिव, गृह मंत्रालय
- (अअश) सचिव, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय
- (अअष) सचिव (ई एस डब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय
- (अअस)सेना से एक सेवानिवृत्त अधिकारी
- (अअह) वायु सेना से एक सेवानिवृत्त अधिकारी
- (अअक्ष)नौसेना से एक सेवानिवृत्त अधिकारी
- (अअत्र) एक जूनियर कमीशन अफसर (सेवानिवृत्त)

4. **सचिव** सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड

परिशिष्ट बी
(संदर्भ पैरा 23)

सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की गणना : 30 अप्रैल 22

क्रमांक	राज्य सैनिक बोर्ड	सेवानिवृत्त सैनिक				दिवंगत सैनिकों की पत्नियां			
		थल सेना	नौसेना	वायु सेना	योग	थल सेना	नौसेना	वायु सेना	योग
1.	आंध्र प्रदेश	59466	6290	6950	72706	22648	822	1253	24723
2.	अरुणाचल प्रदेश	623	-	-	623	38	-	-	38
3.	असम	35581	804	2582	39151	7486	57	516	8059
4.	बिहार	95819	16846	13566	126231	10022	736	520	11278
5.	छत्तीसगढ़	6625	320	376	7321	1385	34	72	1491
6.	दिल्ली	46015	5598	10265	61878	10379	1037	2130	13546
7.	गोवा	1265	1016	230	2511	237	145	54	436
8.	गुजरात	26678	915	4838	32431	4178	91	553	4822
9.	हरियाणा	146674	8551	11054	166279	44147	3560	2581	50288
10.	हिमाचल प्रदेश	118031	4221	2514	124766	37722	495	365	38582
11.	जम्मू और कश्मीर	71227	722	814	72763	21177	53	191	21421
12.	झारखंड	24097	1577	2423	28097	4050	216	196	4462
13.	कर्नाटक	75182	2905	11640	89727	24772	652	2316	27740
14.	केरल	142436	14251	23427	180146	56915	2705	8185	67805
15.	मध्य प्रदेश	51372	1498	2027	54897	10931	224	404	11559
16.	महाराष्ट्र	166881	1533	12772	194986	60480	1604	2335	64419
17.	मणिपुर	9009	100	55	9164	1301	5	6	1312
18.	मेघालय	2700	57	81	2837	1328	33	46	1407
19.	मिजोरम	4650	40	35	4725	2187	17	14	2218
20.	नागालैंड	2882	34	24	2940	920	-	3	923
21.	उड़ीसा	37871	3516	7014	48401	4321	129	312	4762

22.	पंजाब	306832	7678	12702	327212	71343	2141	3061	76545
23.	राजस्थान	188704	5930	8641	203275	55622	719	1321	57662
24.	सिक्किम	1015	48	8	1071	418	3	1	422
25.	तमिलनाडु	112262	4056	11568	127886	58176	997	3258	62431
26.	त्रिपुरा	2160	42	108	2310	644	17	27	688
27.	तेलंगाना	21569	1436	7652	30657	5928	269	1243	7440
28.	उत्तराखंड	130179	3296	3024	136541	46488	385	421	47254
29.	उत्तर प्रदेश	333669	26108	44585	404362	58080	3519	6718	68317
30.	पश्चिम बंगाल	77668	5560	13861	97079	9907	516	1500	11923
31.	अंडमान निकोबार (UT)	716	177	85	978	155	17	4	176
32.	चंडीगढ़(UT)	6625	389	2581	9595	1822	70	663	2555
33.	पुडुचेरी UT)	1263	103	391	1757	468	16	54	538
34.	लद्दाख (UT)	5574	33	10	5617	858	2	0	860
योग		2313320	125650	217903	2670920	636533	21286	40323	698102

जिला सैनिक बोर्डों के साथ सम्बद्ध जिले

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला सैनिक बोर्ड का नाम	सम्बद्ध जिले
1.	आंध्र प्रदेश	जिला सैनिक बोर्ड, अनंतपुरमु	अनंतपुरमु, श्री सत्य साई
		जिला सैनिक बोर्ड, चित्तूर	चित्तूर, तिरुपति
		जिला सैनिक बोर्ड, पूर्व गोदावरी	पूर्व गोदावरी, काकीनाडा, कोनासीमा
		जिला सैनिक बोर्ड, गुंटूर	गुंटूर, बापटला, पालनाडु
		जिला सैनिक बोर्ड, कडपा	वाईएसआर कडपा, अन्नमय्या
		जिला सैनिक बोर्ड, कृष्णा	कृष्णा, एनटीआर, विजयवाड़ा
		जिला सैनिक बोर्ड, कुरनूल	कुरनूल, नांदयाल
		जिला सैनिक बोर्ड, एस पी एस नेल्लोर	एस पी एस नेल्लोर
		जिला सैनिक बोर्ड, प्रकाशम	प्रकाशम
		जिला सैनिक बोर्ड, श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम
		जिला सैनिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली, अल्लूरी सीताराम राजू
		जिला सैनिक बोर्ड, विजयनगरम	विजयनगरम, पार्वतीपुरम मन्यम्
		जिला सैनिक बोर्ड, पश्चिम गोदावरी	पश्चिम गोदावरी, एलुरु
2.	अरूणाचल प्रदेश	कोई जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नहीं है। राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की भूमिका में होते हैं।	
3.	असम	जिला सैनिक बोर्ड, सिलचर	कछार
		जिला सैनिक बोर्ड, करीमगंज	करीमगंज
		जिला सैनिक बोर्ड, हैलाकांडी	हैलाकांडी
		कल्याण अधिकारी हाफलोंग	एनसी हिल्स (दिमा हासो)
		जिला सैनिक बोर्ड, दिफू	कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग
		जिला सैनिक बोर्ड, नागांव	नागांव, मोरीगांव और होजई
		जिला सैनिक बोर्ड, जोरहाट	जोरहाट, माजुली
		जिला सैनिक बोर्ड, गोलाघाट	गोलाघाट
		जिला सैनिक बोर्ड, सिवसागर	शिवसागर, चराइदेव
		जिला सैनिक बोर्ड, डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़
		कल्याण अधिकारी, डिब्रूगढ़	तिनसुकिया

		जिला सैनिक, बोर्ड लखीमपुर	लखीमपुर
		कल्याण अधिकारी, लखीमपुर	धेमाजी
		जिला सैनिक बोर्ड, सोनितपुर	सोनितपुर
		कल्याण अधिकारी, सोनितपुर	बिश्वनाथ
		जिला सैनिक बोर्ड, डारंग	डारंग
		कल्याण अधिकारी, उदलगुड़ी	उदलगुड़ी
		जिला सैनिक बोर्ड, कामरूप (एम)	कामरूप (एम)
		जिला सैनिक बोर्ड, कामरूप (आर)	कामरूप (आर), नलबाड़ी, तामुलपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, बारपेटा	बारपेटा, बजाली
		कल्याण अधिकारी, कामरूप कामरूप (एम), बारपेटा, कामरूप (आर)	बस्का
		जिला सैनिक बोर्ड, कोकराझार	कोकराझार
		जिला सैनिक बोर्ड, बोंगईगांव	बोंगईगांव, चिरांग
		जिला सैनिक बोर्ड, गोलपाड़ा	गोलपारा
		जिला सैनिक बोर्ड, धुबरी	धुबरी, दक्षिण सलमारा-मंचचर
4.	बिहार	जिला सैनिक बोर्ड, पटना	पटना, नालंदा
		जिला सैनिक बोर्ड, भोजपुर	भोजपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, गया	गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद तथा अरवल
		जिला सैनिक बोर्ड, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी
		जिला सैनिक बोर्ड, छपरा	छपरा
		जिला सैनिक बोर्ड, मुंगेर	मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय तथा शेखपुरा
		जिला सैनिक बोर्ड, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, मोतिहारी	पूर्व चंपारण तथा पश्चिम चंपारण
		जिला सैनिक बोर्ड, भागलपुर	भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, बांका तथा अररिया
		जिला सैनिक बोर्ड, सिवान	सिवान तथा गोपालगंज
		जिला सैनिक बोर्ड, बक्सर	बक्सर
		जिला सैनिक बोर्ड, वैशाली	वैशाली
		जिला सैनिक बोर्ड, रोहतास	रोहतास तथा कैमूर

5.	छत्तीसगढ़	जिला सैनिक बोर्ड, रायपुर	धमतरी, महासमुंद, बलोदा बाज़ार और गरियाबंद
		जिला सैनिक बोर्ड, बिलासपुर	कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली और गोरे-ला-पेंडा-मार्वार्थी
		जिला सैनिक बोर्ड, दुर्ग	कबीरधरन, बालोद और बेमेतरा
		जिला सैनिक बोर्ड, जशपुर	जशपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, राजनंदगांव	राजनंदगांव
		जिला सैनिक बोर्ड, जगदलपुर	कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर
		जिला सैनिक बोर्ड, अंबिकापुर सरगुजा	सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, कैकुंठपुर (कोरिया)	कोरिया
		जिला सैनिक बोर्ड, रायगढ़	रायगढ़
		जिला सैनिक बोर्ड, कांकेर	कांकेर
6.	दिल्ली	कोई जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नहीं है। राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की भूमिका में होते हैं।	
7.	गोवा	कोई जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नहीं है। राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की भूमिका में होते हैं।	
8.	गुजरात	जिला सैनिक बोर्ड, अहमदाबाद	अहमदाबाद और गांधीनगर
		जिला सैनिक बोर्ड, वडोदरा	वडोदरा, खेड़ा, आनंद और छोटा उदेपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, सूरत	सूरत, वलसाड, डांग, भरूच, नवसारी, नर्मदा (राजपीपला) और तापी (व्यारा)
		जिला सैनिक बोर्ड, जामनगर	जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, देव भूमि द्वारका (खंभलिया) और गिरसोमनाथ (वेरावल)
		जिला सैनिक बोर्ड, राजकोट	राजकोट, सुरेंद्रनगर, भावनगर, मरेली, मोरबी और बोटाड
		जिला सैनिक बोर्ड, हिम्मत नगर (साबरकांठ)	साबरकांठा और अरावली (मोडासा)
		जिला सैनिक बोर्ड, कच्छ-भुज	कच्छ (भुज)
		जिला सैनिक बोर्ड, महेसाणा	महेसाणा, बनासकांठा (पालनपुर) और पाटन
		जिला सैनिक बोर्ड, पंचमहल (गोधरा)	पंचमहल, दाहोद और महीसागर

9.	हरियाणा	जिला सैनिक बोर्ड, अंबाला	अंबाला
		जिला सैनिक बोर्ड, भिवानी	भिवानी
		जिला सैनिक बोर्ड, चरखी दादरी	चरखी दादरी
		जिला सैनिक बोर्ड, फरीदाबाद	फरीदाबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, फतेहाबाद	फतेहाबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, गुरुग्राम	गुरुग्राम तथा मेवात
		जिला सैनिक बोर्ड, हिसार	हिसार
		जिला सैनिक बोर्ड, झज्जर	झज्जर
		जिला सैनिक बोर्ड, जींद	जींद
		जिला सैनिक बोर्ड, करनाल	करनाल
		जिला सैनिक बोर्ड, कैथल	कैथल
		जिला सैनिक बोर्ड, कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र
		जिला सैनिक बोर्ड, नारनौल	नारनौल
		जिला सैनिक बोर्ड, पानीपत	पानीपत
		जिला सैनिक बोर्ड, पलवल	पलवल
		जिला सैनिक बोर्ड, पंचकुला	पंचकुला
		जिला सैनिक बोर्ड, रेवाड़ी	रेवाड़ी
		जिला सैनिक बोर्ड, रोहतक	रोहतक
		जिला सैनिक बोर्ड, सोनीपत	सोनीपत
		जिला सैनिक बोर्ड, सिरसा	सिरसा
जिला सैनिक बोर्ड, यमुना नगर	यमुना नगर		
10.	हिमाचल प्रदेश	जिला सैनिक बोर्ड, बिलासपुर	बिलासपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, चंबा	चंबा
		जिला सैनिक बोर्ड, हमीरपुर	हमीरपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, कांगड़ा	कांगड़ा
		जिला सैनिक बोर्ड, कुल्लू	कुल्लू और किन्नौर
		जिला सैनिक बोर्ड, मंडी	मंडी
		जिला सैनिक बोर्ड, सोलन	सोलन
		जिला सैनिक बोर्ड, सिरमौर	सिरमौर
		जिला सैनिक बोर्ड, शिमला और किन्नौर	शिमला और किन्नौर
		जिला सैनिक बोर्ड, ऊना	ऊना

11.	जम्मू और कश्मीर (केन्द्र शासित)	जिला सैनिक बोर्ड , सांबा	सांबा
		जिला सैनिक बोर्ड, कठुआ	कठुआ
		जिला सैनिक बोर्ड, उधमपुर	उधमपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, रियासी	रियासी
		जिला सैनिक बोर्ड , राजौरी	राजौरी
		जिला सैनिक बोर्ड, पूंछ	पूंछ
		जिला सैनिक बोर्ड, कुपवाड़ा	कुपवाड़ा
		जिला सैनिक बोर्ड, डोडा	डोडा, किश्तवाड़ तथा रामबन
		जिला सैनिक बोर्ड, बारामूला	बारामूला और बांदीपुरा
		जिला सैनिक बोर्ड, श्रीनगर	श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, अनन्तनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां
जिला सैनिक बोर्ड, जम्मू	जम्मू जिले की निम्नलिखित तहसीलें: जम्मू उत्तर, जम्मू दक्षिण, जम्मू पश्चिम, जम्मू पूर्व बहू, भलवाल , नगरोटा, डंसल, मंडल, मरह तथा बिश्राह		
जिला सैनिक बोर्ड, आर एस पुरा	जम्मू जिले की निम्नलिखित तहसीलें: आर एस पुरा , अरनिया व सुचेतगढ़		
जिला सैनिक बोर्ड , अखनूर	जम्मू जिले की निम्नलिखित तहसीलें : अखनूर, मारिया मैड्रियन, खरह बल्ली, जौरियन, परगवाल, चौकी चौरा तथा खौर		
12.	झारखंड	जिला सैनिक बोर्ड, रांची	रांची, खूंटी, पलामू, लातेहार और गरहा
		जिला सैनिक बोर्ड, दुमका	दुमका, देवघर, साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा और जामताड़ा
		जिला सैनिक बोर्ड, चाईबासा	पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसौना
		जिला सैनिक बोर्ड, हजारीबाग	हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़
		जिला सैनिक बोर्ड, गुमला	गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा
		जिला सैनिक बोर्ड, मेदिनी नगर	मेदिनी नगर

13.	कर्नाटक	जिला सैनिक बोर्ड, बेंगलुरु (शहरी)	बेंगलुरु शहरी
		जिला सैनिक बोर्ड, बेंगलुरु (ग्रामीण)	बेंगलुरु ग्रामीण, चिक्काबल्लापुर, तुमकुरु, रामनगर और कोलारा
		जिला सैनिक बोर्ड, बेलगावी	बेलगावी
		जिला सैनिक बोर्ड, विजयपुरा	विजयपुरा
		जिला सैनिक बोर्ड, धारवाड़	धारवाड़, हावेरी, बल्लारी गदग
		जिला सैनिक बोर्ड, कलबुरगी	कलबुरगी, रायचुर, बीदर और यादगिरी
		जिला सैनिक बोर्ड, उत्तर कन्नडा	उत्तर कन्नडा
		जिला सैनिक बोर्ड, मंगलुरु	दक्षिण कन्नडा, उडुपी
		जिला सैनिक बोर्ड, मदिकेरी	कोडागु
		जिला सैनिक बोर्ड, मैसूर	मैसूर, मांड्या, चामराज नगर
		जिला सैनिक बोर्ड, शिवमोगा	शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा दावणगेरे
		जिला सैनिक बोर्ड, बागलकोट	बागलकोट तथा कोप्पल
		जिला सैनिक बोर्ड, हसन	हसन तथा चिक्कामगलुरु
		14.	केरल
जिला सैनिक बोर्ड, कोल्लम	कोल्लम		
जिला सैनिक बोर्ड, पथानामथिट्टा	पथानामथिट्टा		
जिला सैनिक बोर्ड, अलपुझा	अलपुझा		
जिला सैनिक बोर्ड, कोट्टायम	कोट्टायम		
जिला सैनिक बोर्ड, इडुक्की	इडुक्की		
जिला सैनिक बोर्ड, एर्नाकुलम	एर्नाकुलम		
जिला सैनिक बोर्ड, त्रिशूर	त्रिशूर		
जिला सैनिक बोर्ड, पलक्कड़	पलक्कड़		
जिला सैनिक बोर्ड, मलप्पुरम	मलप्पुरम		
जिला सैनिक बोर्ड, कोझिकोड	कोझिकोड		
जिला सैनिक बोर्ड, वायनाड	वायनाड		
जिला सैनिक बोर्ड, कन्नूर	कन्नूर		
जिला सैनिक बोर्ड, कासरगोड	कासरगोड		

15.	मध्य प्रदेश	जिला सैनिक बोर्ड , बेतुल	बेतुल
		जिला सैनिक बोर्ड , भिंड	भिंड
		जिला सैनिक बोर्ड , भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा
		जिला सैनिक बोर्ड, छतरपुर	छतरपुर तथा पन्ना
		जिला सैनिक बोर्ड, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
		जिला सैनिक बोर्ड, कटनी	दमोह तथा कटनी
		जिला सैनिक बोर्ड , खंडवा	खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर बड़वानी
		जिला सैनिक बोर्ड, ग्वालियर	ग्वालियर तथा दतिया
		जिला सैनिक बोर्ड, गुना	गुना, शिवपुरी तथा अशोक नगर
		जिला सैनिक बोर्ड, होशंगाबाद	होशंगाबाद, तहसील बुधनी जिला सीहोर और हरदा
		जिला सैनिक बोर्ड , इंदौर	इंदौर, देवास तथा धार
		जिला सैनिक बोर्ड, जबलपुर	जबलपुर तथा मंडला
		जिला सैनिक बोर्ड, मन्दसौर	मन्दसौर तथा नीमच
		जिला सैनिक बोर्ड, मुरैना	मुरैना तथा सियोपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, नरसिंहपुर	नरसिंहपुर तथा तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, रतलाम	रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, रीवा	रीवा
		जिला सैनिक बोर्ड, सतना	सतना
		जिला सैनिक बोर्ड, सागर	सागर और तहसील बेगमगंज जिला रायसेन
		जिला सैनिक बोर्ड, सिवनी	सिवनी तथा बालाघाट
जिला सैनिक बोर्ड, शाहडोल	शाहडोल, उमरिया, डिंडोरी तथा अनूपपुर		
जिला सैनिक बोर्ड, सीधी	सीधी तथा सिंगरौली		
जिला सैनिक बोर्ड, टीकमगढ़	टीकमगढ़		
जिला सैनिक बोर्ड, उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर और राजगढ़ और आगर मालवा		
16.	महाराष्ट्र	जिला सैनिक बोर्ड, मुंबई शहर	मुंबई शहर
		जिला सैनिक बोर्ड, मुंबई उपनगरीय	मुंबई उप
		जिला सैनिक बोर्ड, थाइन	थाणे - पालघर
		जिला सैनिक बोर्ड, सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग

	जिला सैनिक बोर्ड, रायगढ़ - अलीबाग	रायगढ़
	जिला सैनिक बोर्ड, रत्नागिरि	रत्नागिरि
	जिला सैनिक बोर्ड, पुणे	पुणे
	जिला सैनिक बोर्ड, सतारा	सतारा
	जिला सैनिक बोर्ड, सांगली	सांगली
	जिला सैनिक बोर्ड, कोल्हापुर	कोल्हापुर
	जिला सैनिक बोर्ड, सोलापुर	सोलापुर
	जिला सैनिक बोर्ड, नासिक	नासिक, पी सी टी सी नासिक
	जिला सैनिक बोर्ड, अहमदनगर	अहमदनगर
	जिला सैनिक बोर्ड, धुले	धुले
	जिला सैनिक बोर्ड, नंदुरबार	नंदुरबाद
	जिला सैनिक बोर्ड, जलगांव	जलगांव
	जिला सैनिक बोर्ड, नागपुर	नागपुर
	जिला सैनिक बोर्ड, भंडारा गोंदिया	भंडारा गोंदिया
	जिला सैनिक बोर्ड, चंद्रपुर	चंद्रपुर
	जिला सैनिक बोर्ड, गढ चिरौली	गढ चिरौली
	जिला सैनिक बोर्ड, औरंगाबाद	औरंगाबाद
	जिला सैनिक बोर्ड, जालना	जालना
	जिला सैनिक बोर्ड, लातूर	लातूर
	जिला सैनिक बोर्ड, बीड	बीड
	जिला सैनिक बोर्ड, उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
	जिला सैनिक बोर्ड, परभनी नांदेड़	परभनी नांदेड़
	जिला सैनिक बोर्ड, अमरावती	अमरावती
	जिला सैनिक बोर्ड, अकोला	अकोला
	जिला सैनिक बोर्ड, बुलढाणा	बुलढाणा
	जिला सैनिक बोर्ड, यवतमाल	यवतमाल
	जिला सैनिक बोर्ड, वर्धा	वर्धा
	जिला सैनिक बोर्ड, वाशिम	वाशिम
	जिला सैनिक बोर्ड, हिंगोली	हिंगोली

17.	मणिपुर	जिला सैनिक बोर्ड, चुराचांदपुर	चुराचांदपुर
		राज्य सैनिक बोर्ड मणिपुर	बिष्णुपुर, थोबल, इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, सेनापति, उखरूल चंदेल, तामेन-ग्लोंग, जिरिबाम, कांगपोकपी, कार्किंग, टेंग्रापाल कामजोंग, नोनी फेरज़वाल
18.	मेघालय	जिला सैनिक बोर्ड, शिलांग	पूर्वी खासी हिल्स जिला शिलांग, पश्चिम खासी हिल्स जिला नोंगस्टोइन, दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिला मौकिरवाट, पूर्व पश्चिम खासी हिल्स जिला मैरांग, री-भोई जिला नोंगपोह, पश्चिम जयंतिया हिल्स, जोवाई तथा पूर्व जयंतिया हिल्स जिला खिलिहरित
		जिला सैनिक बोर्ड, तुरा	पश्चिम गारो हिल्स जिला तुरा, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिला अम्पाती, उत्तर गारो हिल्स जिला रेसुबेलपारा, पूर्वी गारो हिल्स जिला विलियम नगर, दक्षिण गारो हिल्स जिला बाघमारा
19.	मिजोरम	जिला सैनिक बोर्ड, आइजोल	आइजो, सेरछिप, ममित, सैतुअल
		जिला सैनिक बोर्ड, लुंगलेई	लुंगलेई, सियाहा, हन्नाथियाल, लॉंगतलाई
		जिला सैनिक बोर्ड, चम्फाई	चम्फाई, ख्वाजावी
		जिला सैनिक बोर्ड, कोलासिब	कोलासिब
20.	नगालैंड	जिला सैनिक बोर्ड, मोकोकचुंग	मोकोकचुंग, तुएनसां, लोंगलेंग, नोक्लाक
		जिला सैनिक बोर्ड, दीमापुर	दीमापुर, पेरेन, मोन
		जिला सैनिक बोर्ड, कोहिमा	कोहिमा, फेक तथा किफायर
		जिला सैनिक बोर्ड, वोखा	वोखा
		जिला सैनिक बोर्ड, जुन्हेबोटो	जुन्हेबोटो
21.	ओडिशा	जिला सैनिक बोर्ड, कटक	कटक, जगतसिंहपुर, जयपुर, केन्द्रपाडा, खुर्दा, नयागढ़द पुरी
		जिला सैनिक बोर्ड, गंजम	गंजम तथा गजपति
		जिला सैनिक बोर्ड, बालासोर	बालासोर, भद्रक और मयूरभंज
		जिला सैनिक बोर्ड, ढेंकनाल	अंगुल तथा ढेंकनाल
		जिला सैनिक बोर्ड, क्योँझर	क्योँझर
		जिला सैनिक बोर्ड, संबलपुर	संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, देवगढ़, बलांगीर, सुबामापुर, सुंदरगढ़
		जिला सैनिक बोर्ड, कालाहांडी	कालाहांडी, बौध, नबरंग पुर, नुआपाड़ा, कंधमाल
		जिला सैनिक बोर्ड, कोरापुट	कोरापुट, रायगढ़, मलकानगिरी

22.	पंजाब	जिला सैनिक बोर्ड, अमृतसर	अमृतसर
		जिला सैनिक बोर्ड, बठिंडा	बठिंडा
		जिला सैनिक बोर्ड, फरीदकोट	फरीदकोट
		जिला सैनिक बोर्ड, फिरोजपुर	फिरोजपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, गुरदासपुर	गुरदासपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, होशियारपुर	होशियारपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, जालंधर	जालंधर
		जिला सैनिक बोर्ड, कपूरथला	कपूरथला
		जिला सैनिक बोर्ड, लुधियाना	लुधियाना
		जिला सैनिक बोर्ड, पटियाला	पटियाला
		जिला सैनिक बोर्ड, रूपनगर	रूपनगर
		जिला सैनिक बोर्ड, संगरूर	संगरूर तथा मलेरकोटला
		जिला सैनिक बोर्ड, श्री मुक्तसर साहिब	श्री मुक्तसर साहिब
		जिला सैनिक बोर्ड, एस बी एस नगर	एस बी एस नगर
		जिला सैनिक बोर्ड, मनसा	मनसा
		जिला सैनिक बोर्ड, मोगा	मोगा
		जिला सैनिक बोर्ड, फतेहगढ़ साहब	फतेहगढ़ साहब
		जिला सैनिक बोर्ड, मोहाली	मोहाली
		जिला सैनिक बोर्ड, बरनाला	बरनाला
		जिला सैनिक बोर्ड, तरनतारन	तरन तारन
जिला सैनिक बोर्ड, पठानकोट	पठानकोट		
जिला सैनिक बोर्ड, फाजिल्का	फाजिल्का		
23.	राजस्थान	जिला सैनिक बोर्ड, अजमेर	अजमेर
		जिला सैनिक बोर्ड, अलवर	अलवर जिले की निम्न तहसीलें: अलवर, कोटकसिम, तिज़ारा, थंगाज़ी, कथुमर, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, गोविंदगढ़ मालाखेर

जिला सैनिक बोर्ड, बहरोड़	अलवर जिले की निम्न तहसीलें: बहरोड़, बानसूर, नीमराना और मुंडवार
जिला सैनिक बोर्ड, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़
जिला सैनिक बोर्ड, बाड़मेर	बाड़मेर
जिला सैनिक बोर्ड, भरतपुर	भरतपुर तथा धौलपुर
जिला सैनिक बोर्ड, बीकानेर	बीकानेर
जिला सैनिक बोर्ड, चुरू	चुरू
जिला सैनिक बोर्ड, जयपुर	जयपुर तथा दौसा
जिला सैनिक बोर्ड, जैसलमेर	जैसलमेर
जिला सैनिक बोर्ड, झुंझुनू	झुंझुनू जिले की निम्न तहसीलें: झुंझुनू, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, गुधा, गौर जी, मलसीसर तथा मांडव
जिला सैनिक बोर्ड, चिरावा	झुंझुनू जिले की निम्न तहसीलें: चिरावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी
जिला सैनिक बोर्ड, जोधपुर	जोधपुर जिले की तहसील : ओसनिया, भोपालगढ़, तिवारी, बिलाड़ा, लूनी, बाबरा, बापिन, पीपाड़ शहर
जिला सैनिक बोर्ड, शेरगढ़	जोधपुर जिले की निम्न तहसीलें : शेरगढ़, फलौदी, बालेसर, सेखला, देचू, लोहावत, बाप, ओह, सतरावा
जिला सैनिक बोर्ड, कोटा	कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़
जिला सैनिक बोर्ड, नागौर	नागौर जिले की निम्नलिखित तहसीलें :- नौगर, खिनवासर, जायल, डेघाना मेड़ता शहर
जिला सैनिक बोर्ड, डीडवाना	नागौर जिले की निम्न तहसीलें : डीडवाना, लाडनू, ननवा, परबतसर, मकराना, कुचमैन
जिला सैनिक बोर्ड, पाली	पाली, जालोर तथा सरोही
जिला सैनिक बोर्ड, करौली	करौली तथा सवाई माधोपुर
जिला सैनिक बोर्ड, सीकर	सीकर जिले की निम्न तहसीलें : सीकर, धोद, रामगढ़, शेखावती, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, दांतारामगढ़
जिला सैनिक बोर्ड, नीम का थाना	सीकर जिले की निम्न तहसीलें: नीम का थाना, कंडेला, श्रीमाधोपुर
जिला सैनिक बोर्ड, टोंक	टोंक
जिला सैनिक बोर्ड, श्री गंगानगर	श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़
जिला सैनिक बोर्ड, उदयपुर	उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बसवाड़ा तथा प्रतापगढ़

24.	सिक्किम	जिला सैनिक बोर्ड, गंगटोक पूर्वी उत्तर सिक्किम	उत्तर और पूर्व ज़िला
		जिला सैनिक बोर्ड, दक्षिण सिक्किम	दक्षिण सिक्किम
		जिला सैनिक बोर्ड, पश्चिम सिक्किम	पश्चिम सिक्किम
25.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई
		कोयंबटूर	कोयंबटूर
		कुड्डालोर	कुड्डालोर
		धर्मपुरी	धर्मपुरी
		डिंडीगुल	डिंडीगुल
		खत्म	खत्म
		कांचीपुरम	कांचीपुरम, चेंगलपट्ट
		कन्याकुमारी	कन्याकुमारी
		कृष्णागिरी	कृष्णागिरी
		मदुरै	मदुरै
		नागपट्टिनम	नागपट्टिनम, माइलादुथुरल
		नमक्कल	नमक्कल
		पुडुकोट्टई	पुडुकोट्टई
		रामनाथपुरम	रामनाथपुरम
		सलेम	सलेम
		शिवगंगई	शिवगंगई
		तंजावुर	तंजावुर
		नीलगिरी	नीलगिरी
		थेनी	थेनी
		थोथोकुडी	थोथोकुडी
		तिरुचिरापल्ली	करूर
तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली, तेनकासी		
तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर		
तिरुवन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई		
वेल्लोर	वेल्लोर, रानीपेट, तिरूपत्तूर		
विल्लुपुरम	विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची		
विरुधुनगर	विरुधुनगर		
26.	त्रिपुरा	इस राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। राज्य सैनिक बोर्ड त्रिपुरा सभी जिलों के सैनिकों से संबंधित कार्य देखता है।	

27.	तेलंगाना	जिला सैनिक बोर्ड, आदिलाबाद	आदिलाबाद, कुमारभीम, मनचेरियल, निर्मल
		जिला सैनिक बोर्ड, हैदराबाद	हैदराबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, करीमनगर	करीमनगर, पेड्डापल्ली, जगित्यालैंड राजन्ना (सिरिसिला)
		जिला सैनिक बोर्ड, खम्मम	खम्मम, भंडाराद्री कोठागुडम
		जिला सैनिक बोर्ड, महबूबनगर	महबूबनगर, जोगुलम्बा, नागाकुरनूल, नारायणपेट, वानापर्थी
		जिला सैनिक बोर्ड, संगारेड्डी	संगारेड्डी, मेडक तथा सिद्दीपेट
		जिला सैनिक बोर्ड, नलगोंडा	नलगोंडा, सूर्यापेट, यदाद्रि
		जिला सैनिक बोर्ड, निजामाबाद	निजामाबाद, कामारेड्डी
		जिला सैनिक बोर्ड, रंगा रेड्डी	रंगारेड्डी, मेडचाल (मलकजगिरी) तथा विकाराबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, वारंगल	वारंगल (शहरी), वारंगल (ग्रामीण), महबूबाबाद, जयशंकर (भूपालपल्ली), जनगांव तथा मुलुगु
28.	उत्तराखंड	जिला सैनिक बोर्ड, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
		जिला सैनिक बोर्ड, बागेश्वर	बागेश्वर
		जिला सैनिक बोर्ड, चमोली	चमोली
		जिला सैनिक बोर्ड, चम्पावत	चम्पावत
		जिला सैनिक बोर्ड, देहरादून	देहरादून
		जिला सैनिक बोर्ड, हरिद्वार	हरिद्वार
		जिला सैनिक बोर्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)	नैनीताल
		जिला सैनिक बोर्ड, पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
		जिला सैनिक बोर्ड, लैंसडाउन (पौड़ी गढ़वाल)	पौड़ी गढ़वाल
		जिला सैनिक बोर्ड, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
		जिला सैनिक बोर्ड, रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
		जिला सैनिक बोर्ड, नया टिहरी	टिहरी गढ़वाल
		जिला सैनिक बोर्ड, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)	ऊधम सिंह नगर
जिला सैनिक बोर्ड, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी		

29.	उत्तर प्रदेश	जिला सैनिक बोर्ड, आगरा	आगरा
		जिला सैनिक बोर्ड, अलीगढ़	अलीगढ़
		जिला सैनिक बोर्ड, प्रयागराज	प्रयागराज
		जिला सैनिक बोर्ड, अम्बेडकर नगर	अम्बेडकर नगर
		जिला सैनिक बोर्ड, अमेठी	अमेठी
		जिला सैनिक बोर्ड, अमरोहा	अमरोहा
		जिला सैनिक बोर्ड, औरैया	औरैया
		जिला सैनिक बोर्ड, आजमगढ़	आजमगढ़
		जिला सैनिक बोर्ड, बदायूं	बदायूं
		जिला सैनिक बोर्ड, भदोही	भदोही
		जिला सैनिक बोर्ड, बागपत	बागपत
		जिला सैनिक बोर्ड, बहराइच	बहराइच
		जिला सैनिक बोर्ड, बिजनौर	बिजनौर
		जिला सैनिक बोर्ड, बलिया	बलिया
		जिला सैनिक बोर्ड, बलरामपुर	बलरामपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, बाँदा	बाँदा
		जिला सैनिक बोर्ड, बाराबंकी	बाराबंकी
		जिला सैनिक बोर्ड, बरेली	बरेली
		जिला सैनिक बोर्ड, बस्ती	बस्ती
		जिला सैनिक बोर्ड, बुलंदशहर	बुलंदशहर
		जिला सैनिक बोर्ड, चंदौली	चंदौली
		जिला सैनिक बोर्ड, चित्रकूट	चित्रकूट
		जिला सैनिक बोर्ड, देवरिया	देवरिया
		जिला सैनिक बोर्ड, एटा	एटा
		जिला सैनिक बोर्ड, इटावा	इटावा
		जिला सैनिक बोर्ड, अयोध्या	अयोध्या
		जिला सैनिक बोर्ड, फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, फतेहपुर	फतेहपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर
		जिला सैनिक बोर्ड, गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, गाजीपुर	गाजीपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, गोंडा	गोंडा
		जिला सैनिक बोर्ड, गोरखपुर	गोरखपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, हमीरपुर	हमीरपुर
जिला सैनिक बोर्ड, हापुड़	हापुड़		

जिला सैनिक बोर्ड, हरदोई	हरदोई
जिला सैनिक बोर्ड, हाथरस	हाथरस
जिला सैनिक बोर्ड, जालौन	जालौन
जिला सैनिक बोर्ड, जौनपुर	जौनपुर
जिला सैनिक बोर्ड, झांसी	झांसी
जिला सैनिक बोर्ड, कन्नौज	कन्नौज
जिला सैनिक बोर्ड, कानपुर नगर	कानपुर नगर
जिला सैनिक बोर्ड, कानपुर देहात	कानपुर देहात
जिला सैनिक बोर्ड, कासगंज	कासगंज
जिला सैनिक बोर्ड, कौशाम्बी	कौशाम्बी
जिला सैनिक बोर्ड, खीरी	खीरी
जिला सैनिक बोर्ड, कुशीनगर	कुशीनगर
जिला सैनिक बोर्ड, ललितपुर	ललितपुर
जिला सैनिक बोर्ड, लखनऊ	लखनऊ
जिला सैनिक बोर्ड, महाराजगंज	महाराजगंज
जिला सैनिक बोर्ड, महोबा	महोबा
जिला सैनिक बोर्ड, मैनपुरी	मैनपुरी
जिला सैनिक बोर्ड, मथुरा	मथुरा
जिला सैनिक बोर्ड, मऊ	मऊ
जिला सैनिक बोर्ड, मेरठ	मेरठ
जिला सैनिक बोर्ड, मिर्जापुर	मिर्जापुर
जिला सैनिक बोर्ड, मुरादाबाद	मुरादाबाद
जिला सैनिक बोर्ड, मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
जिला सैनिक बोर्ड, पीलीभीत	पीलीभीत
जिला सैनिक बोर्ड, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
जिला सैनिक बोर्ड, रामपुर	रामपुर
जिला सैनिक बोर्ड, रायबरेली	रायबरेली
जिला सैनिक बोर्ड, संत कबीर नगर	संत कबीर नगर
जिला सैनिक बोर्ड, सहारनपुर	सहारनपुर
जिला सैनिक बोर्ड, शामली	शामली
जिला सैनिक बोर्ड, शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
जिला सैनिक बोर्ड, सिद्धार्थ नगर	सिद्धार्थ नगर
जिला सैनिक बोर्ड, सीतापुर	सीतापुर
जिला सैनिक बोर्ड, सोनभद्र	सोनभद्र
जिला सैनिक बोर्ड, श्रावस्ती	श्रावस्ती
जिला सैनिक बोर्ड, सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
जिला सैनिक बोर्ड, उन्नाव	उन्नाव
जिला सैनिक बोर्ड, वाराणसी	वाराणसी

30.	पश्चिम बंगाल	जिला सैनिक बोर्ड, कोलकाता	कोलकाता
		जिला सैनिक बोर्ड, हावड़ा	हावड़ा, हुगली
		जिला सैनिक बोर्ड 24 परगना (उत्तर)	24 परगना (उत्तर)
		जिला सैनिक बोर्ड 24 परगना (दक्षिण)	24 परगना (दक्षिण)
		जिला सैनिक बोर्ड, मिदनापुर	मिदनापुर (पूर्वी), मिदनापुर पश्चिमी बांकुरा, पुरुलिया तथा झारग्राम
		जिला सैनिक बोर्ड, बर्दवान	बर्दवान, बीरभूम
		जिला सैनिक बोर्ड, मुर्शिदाबाद	मुर्शिदाबाद
		जिला सैनिक बोर्ड, मालदा	मालदा
		जिला सैनिक बोर्ड, दिनाजपुर	दक्षिणी दिनाजपुर तथा उत्तरी दिनाजपुर
		जिला सैनिक बोर्ड, जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी
		जिला सैनिक बोर्ड, कूचबिहार	कूचबिहार, अलीपुर द्वार
		जिला सैनिक बोर्ड, दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
जिला सैनिक बोर्ड, नादिया	नादिया		
31.	अंडमान और निकोबार	इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। राज्य सैनिक बोर्ड सभी जिलों के सैनिकों से संबंधित कार्य देखता है।	
32.	चंडीगढ़	जिला सैनिक बोर्ड, चंडीगढ़	चंडीगढ़
33.	पुदुचेरी	इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। राज्य सैनिक बोर्ड त्रिपुरा सभी जिलों के सैनिकों से संबंधित कार्य देखता है।	
34.	लद्दाख	जिला सैनिक बोर्ड, लेह	लेह
		जिला सैनिक बोर्ड, कारगिल	कारगिल

अध्याय 2

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष

निधि की उत्पत्ति और उद्देश्य

1. **सशस्त्र सेना झंडा दिवस** जुलाई 1948 में कैबिनेट की रक्षा समिति के निर्देश के अनुसार, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 07 दिसंबर देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों का सम्मान करने और सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को याद किया जाता है और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।
2. **सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए एफ एफ डी एफ)** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की स्थापना धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 (1860 का 6) दिनांक 20 जुलाई 1962 और एस आर ओ 180 दिनांक 18 मई 1963 की धारा 4 के तहत की गई थी।
3. 13 अप्रैल 1993 से प्रभावी, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ - 7 ई दिनांक 13 अप्रैल 93 के तहत निम्नलिखित निधियों को "सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष" में समामेलित किया गया है: -
 - (अ) युद्ध-शोकग्रस्त, युद्ध-विकलांग और अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए समामेलित विशेष कोष।
 - (ब) झंडा दिवस निधि।
 - (स) सेंट डंस्टन (भारत) और केंद्रीय सैनिक बोर्ड फंड।
 - (द) भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष।
4. **सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के उद्देश्य** निधि के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-
 - (अ) सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और आश्रितों के रोजगार, स्वरोजगार या प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किसी भी योजना के लिए व्यय स्वीकृत करना।
 - (ब) चिकित्सा उपचार, कल्याण और पुनर्वास सहित सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और आश्रितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
 - (स) ऐसे संस्थानों/संगठनों की सहायता करना जो सेवानिवृत्त सैनिकों /आश्रितों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता करते हैं।
 - (द) ऐसी अन्य सभी वैध चीजें करना जो निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हों।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का प्रबंधन

5. **प्रबंधन समिति** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए एफ एफ डी एफ) निधि को एक 'प्रबंध समिति' द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्र में माननीय रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष और राज्यो/संघ शासित प्रदेशों में राज्यपाल/उपराज्यपाल करते हैं। प्रबंध समिति विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटन के लिए नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करती है। इन निधियों का समय-समय पर प्रबंधन, लेखा-परीक्षा और लेखा-जोखा किया जाता है।

6. **कार्यकारी समिति** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की कार्यकारी समिति (ई सी) को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की प्रबंध समिति द्वारा इसके सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में सचिव ई एस डब्ल्यू ई सी के अध्यक्ष हैं।

7. **सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में प्राप्त अंशदान पर आयकर छूट** दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23) (C) (IV) और 80 (G) (3) (VI) के तहत आयकर से मुक्त हैं।

8. **सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष को सी एस आर अंशदान** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के आइटम (vi) के तहत इस उद्देश्य के लिए सी एस आर गतिविधियां 'सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के उपाय' के रूप में की जा सकती हैं। 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष' पहले से ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के साथ CSR-1 पंजीकरण संख्या CSR00011199 के साथ 'CSR गतिविधियों को करने वाली संस्था' के रूप में पंजीकृत है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) (vi) के तहत पत्र संख्या एन क्यू डी आई टी (ई), 2010-11/डी ई एल-ई 22280-04012011/2186 दिनांक 04 जनवरी 2011 के तहत आयकर से भी छूट दी गई है। आयकर विभाग आई डी नंबर AACTA0965GA2021401 दिनांक 31 मई 2021 के माध्यम से निर्धारण वर्ष 2026-27 तक बढ़ाया गया है।

योगदान कैसे करें

9. **कोष में बृद्धि के प्रयास** केंद्रीय सैनिक बोर्ड में पूरे वर्ष सार्वजनिक/निजी/अर्ध-सरकारी/पीएसयू संसाधनों से दान के माध्यम से धन जुटाने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरीकों से संभावित दानदाताओं के बीच जागरूकता फैलाकर जनता से धन जुटाने के लिए झंडा दिवस पर प्रयास किए जाते हैं। संग्रह बढ़ाने के लिए झंडा दिवस संदेश मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। पूरे देश में नागरिक और स्वयंसेवी संगठन सांकेतिक झंडों और कार स्टिकर के बदले चंदा इकट्ठा करते हैं। तीनों सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल, गहरे नीले और हल्के नीले रंग के ये टोकन/कार झंडे पूरे देश में दान के बदले में राज्य/जिला सैनिक बोर्डों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से जनता को वितरित किए जाते हैं।

07 दिसंबर को किए गए संग्रह को सशस्त्र सेना झंडा दिवस (AFFD) फंड के रूप में जाना जाने वाला एक कोष में जमा किया जाता है। हम इस दिन को तीन बुनियादी उद्देश्यों - युद्ध हताहतों के परिवारों के पुनर्वास, सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण और सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के लिए सार्वजनिक सहयोग और सहायता प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि केंद्र का हिस्सा प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति केवल एक पैसा है। प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को केंद्र का हिस्सा राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

अध्याय 3

कल्याण योजनाएँ: सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष द्वारा वित्तपोषित कल्याणकारी योजनाएँ

कल्याणकारी योजनाएं एक नजर में

1. दस (10) वित्तीय सहायता योजनाओं को वर्तमान में पात्र सेवानिवृत्त सैनिकों तक बढ़ाया जा रहा है। सात (07) योजनाओं को रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (आर एम ई डब्ल्यू एफ) और तीन गैर- आर एम ई डब्ल्यू एफ के तहत समूहबद्ध किया गया है। योजनाएं इस प्रकार हैं: -

(अ) रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ)

- (i) 65 वर्ष से अधिक आयु के हवलदार/समकक्ष पद तक के निर्धन सेवानिवृत्त सैनिक या दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए वित्तीय सहायता।
- (ii) हवलदार / समकक्ष रैंक तक के अनाथ बच्चों/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों / आश्रितों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।
- (iii) जे सी ओ / समकक्ष रैंक के सेवानिवृत्त सैनिकों के 100% विकलांग बच्चे को वित्तीय सहायता।
- (iv) हवलदार / समकक्ष पद तक के सेवानिवृत्त सैनिकों की बेटी (किसी भी दो बेटियों) की शादी और सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता।
- (v) गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता (हवलदार / समकक्ष के पद तक)।
- (vi) सेवानिवृत्त सैनिकों (सभी रैंक) के 21 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों (बेटे और अविवाहित बेटी) को वित्तीय सहायता।
- (vii) हवलदार/समकक्ष रैंक तक के सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता।

(ब) **गैर रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष योजनाएं**

- (i) गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों (सभी रैंक)/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता।
- (ii) सेवा के बाद 50% या अधिक की विकलांगता के साथ विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों (सभी रैंक) के लिए गतिशीलता उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।
- (iii) युद्ध विधवा / युद्ध शोक संतप्त / युद्ध विकलांग और शांति काल के हताहतों (सभी रैंकों) के लिए अधिकतम ऋण राशि रु. 1.00 लाख गृह ऋण पर 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता।

सभी योजनाओं के लिए सामान्य निर्देश

2. **केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबपोर्टल पर सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा पंजीकरण** सेवानिवृत्त सैनिकों को वेब पोर्टल www.ksb.gov.in पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। सेवानिवृत्त सैनिक को एक ई-मेल आई डी (यदि नहीं है) बनानी होगी और एक पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा और इनका रिकॉर्ड रखना होगा क्योंकि भविष्य में सभी पत्राचार केवल पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से होंगे। सेवानिवृत्त सैनिक को सभी विवरण और विशेष रूप से *चिह्नित फ़ील्ड जो अनिवार्य हैं, भरना आवश्यक है। सफल पंजीकरण पर, सेवानिवृत्त सैनिक को उसकी पंजीकृत ई-मेल आई डी पर एक सत्यापन लिंक भेजा जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे सत्यापन लिंक पर क्लिक करना होगा। उन्हें उनके ई-मेल पर एक सिस्टम जनरेटेड यूजर लॉग-इन-आई डी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। लॉग-इन आई डी और पासवर्ड का उपयोग करके, सेवानिवृत्त सैनिक केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल में सफलतापूर्वक लॉग इन कर सकता है और सूचीबद्ध योजनाओं पर जा सकता है।

3. **आवेदन प्रक्रिया** कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए, www.ksb.gov.in पर 'Welfare Schemes' टैब पर क्लिक करना होगा, संबंधित योजनाओं का चयन करना होगा और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। कल्याण योजना फॉर्म जमा करने पर, आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। जिला सैनिक बोर्ड सत्यापन के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय में खुद को प्रस्तुत करने के लिए आवेदक के पंजीकृत ई-मेल / एस एम एस (पंजीकृत मोबाइल नंबर पर) पर उपयुक्त समय और तारीख देगा।

4. **अपलोड करने की प्रक्रिया** सफल पंजीकरण के परिणामस्वरूप, प्रत्येक पात्र सेवानिवृत्त सैनिक प्रासंगिक ड्रॉप-डाउन मेनू का चयन करके केंद्रीय सैनिक बोर्ड की किसी भी कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रक्रिया आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। प्रत्येक योजना के लिए विशिष्ट पृष्ठ स्वयं खुलता है, जिसे सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा ऑनलाइन भरा जाना आवश्यक है। सेवानिवृत्त सैनिक को प्रासंगिक योजना के लिए अपने दावे के समर्थन में वेब पोर्टल पर उल्लिखित मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि अपलोड करने की भी आवश्यकता है।

ऑनलाइन भरे जाने वाले फॉर्म को प्रत्येक योजना के तहत बाद के पैराग्राफ में संलग्न किया गया है। सेवानिवृत्त सैनिक (आवेदक) को अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ मूल दस्तावेजों के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से एक उपयुक्त तिथि तलाश करनी चाहिए। आवेदक की सुविधा और समय की बचत के लिए सत्यापन आवेदन करने वाले दिन भी हो सकता है।

5. **आवेदन की शुद्धता की जिम्मेदारी** अपलोड किए गए आवेदन की सत्यता की एकमात्र जिम्मेदारी आवेदक सेवानिवृत्त सैनिक की होगी, जो एक गैर-हकदार दावे को अपलोड करने या अपने फॉर्म में गलत तथ्यों को बताते हुए या किसी भी योजना के तहत दोहरे लाभ की मांग करते हुए पाया जाता है, पात्रता की समान अवधि के भीतर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे डिफॉल्टर सेवानिवृत्त सैनिक को भविष्य में किसी भी कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन करने से रोका जा सकता है और उसका सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र वापस लिया जा सकता है।

6. **अपलोड किए गए आवेदन में संपादन/ संशोधन की प्रक्रिया** एक बार अपलोड होने के बाद आवेदक को अपने आवेदन में संपादन या संशोधन करने से बचना चाहिए। इसलिए सभी आवेदकों को अपने आवेदन को अपलोड करने से पहले अपने आवेदन की सत्यता के लिए खुद को संतुष्ट करना चाहिए। अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, यदि कोई आवेदक अपने अपलोड किए गए आवेदन को संपादित करना चाहता है, तो वह केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर पंजीकृत अपने ई-मेल पर एक अनुरोध जिला सैनिक बोर्ड को भेज सकता है, या एक लिखित आवेदन के साथ अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकता है। व्यक्तिगत विवरण, ऑनलाइन आवेदन संख्या और उसके पोर्टल पर उसके आवेदन को वापस लेने के लिए संक्षेप में कारण। ऐसा वह केवल तब तक कर सकता है, जब तक कि उसका आवेदन केंद्रीय सैनिक बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन या नीचे पैरा 6.8 में उल्लिखित किसी भी चरण में अनुमोदन के लिए लंबित दिखाया गया हो।

7. केंद्रीय सैनिक बोर्ड एडमिन द्वारा एक बार ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, कोई संशोधन / संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद, संशोधन/ संपादन के लिए एक ऑनलाइन आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए और वह इसकी वास्तविकता से आश्चस्त है, वह किसी भी स्तर पर इसकी लंबितता की पुष्टि करेगा, जब तक कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड व्यवस्थापक द्वारा पहले से ही अनुमोदित न हो।

8. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी तब ऑनलाइन आवेदन संख्या और आवेदन को संपादित करने के कारणों सहित आवेदक के आवश्यक विवरण सहित एक ई-मेल जे डी ऑटोमेशन को भेजेगा जो 30 दिनों के लिए आवेदन को संपादन / संशोधन के लिए आवेदक के पोर्टल पर वापस कर देगा। संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और आवेदक को एक सिस्टम जनित ई-मेल भेजा जाएगा। यदि आवेदक दी गई अवधि (30 दिनों) के भीतर इच्छित संशोधन/ संपादन के बाद आवेदन को फिर से अपलोड करने में विफल रहता है, तो सिस्टम द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जे डी आटोमेशन और बैंक ऑफिस किसी भी पार्टी द्वारा आवेदनों के फर्जी संपादन से बचने के लिए ऐसे संशोधनों से संबंधित लिखित रिकॉर्ड/पत्राचार का प्रमाण बनाए रखेंगे। जिला सैनिक बोर्ड / राज्य सैनिक बोर्ड/ केंद्रीय सैनिक बोर्ड या बैंक ऑफिस का कोई भी कर्मचारी अपलोड किए गए आवेदन के किसी भी हिस्से में कोई बदलाव या संशोधन/ संपादित करने के लिए अधिकृत नहीं है।

9. **आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग** ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद, सभी आवेदनों की जांच विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा निम्नानुसार की जाएगी (ऊपर पैरा 8 में उल्लिखित अधिकतम अवधि के भीतर): -

- (अ) जिला सैनिक बोर्ड उपयोगकर्ता ।
- (ब) जिला सैनिक बोर्ड एडमिन।
- (स) राज्य सैनिक बोर्ड उपयोगकर्ता ।
- (द) राज्य सैनिक बोर्ड एडमिन।
- (य) केंद्रीय सैनिक बोर्ड उपयोगकर्ता ।

10. **केंद्रीय सैनिक बोर्ड प्रशासन** केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है:

- (अ) सभी आवेदनों की पुष्टि से पहले तालिका के रूप में प्रत्येक आवेदन के डेटा को पॉप्युलेट करके सभी आवेदनों की थोक जांच।
- (ब) प्रत्येक आवेदक को वित्तीय सहायता की राशि का आवंटन।
- (स) उचित माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार करना।

(द) सक्षम प्राधिकारी को सूचित करने के लिए प्रक्रियाधीन लाभार्थियों की सूची का केस सारांश तैयार करना।

11. आवेदन का सत्यापन/ आवेदन को आगे भेजना

(अ) जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड मौजूदा नियमों के अनुसार, कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति पर स्वतंत्र रूप से सत्यापन करेंगे। जिला सैनिक बोर्ड मूल दस्तावेजों से सत्यापन करके आवेदक द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। केवल सही आवेदन ही राज्य सैनिक बोर्ड को अग्रेषित किए जाने हैं और सेवानिवृत्त सैनिक को सिस्टम जनित ई-मेल/ एस एम एस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(ब) गलत आवेदनों को अवलोकन के तहत रखा जाना चाहिए जो कि 30 दिनों की सिस्टम अनुमत अवधि के भीतर आवेदक के डैशबोर्ड पर उसके द्वारा सुधार किए जाने के लिए वापस कर दिया जाएगा, उसके बाद आवेदन को अंतिम रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

(स) गलत आवेदन जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता है, उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। सिस्टम द्वारा आवेदक को संचार के लिए टिप्पणी बॉक्स में संबंधित कर्मचारियों द्वारा अवलोकन या अस्वीकृति के तहत आवेदन रखने या अस्वीकार करने के कारण सरल कार्रवाई योग्य शब्दों में दर्ज किए जाने चाहिए।

(द) राज्य स्तर जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड को निम्नलिखित सुनिश्चित और पुष्टि करनी है: -

(i) कल्याणकारी योजना में उल्लिखित सभी निर्धारित दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं और अपलोड किए गए दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी या छेड़छाड़ नहीं की गई है।

(ii) आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को जिला सैनिक बोर्ड द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करके स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है।

(iii) अपलोड किया गया आवेदन पत्र पूरी तरह से और सही ढंग से भरा हुआ है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया जाता है।

(iv) आवेदक वास्तविक श्रेणी से संबंधित है जिसके तहत उसने केंद्रीय सैनिक बोर्ड की किसी भी कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन किया है, जो जिला सैनिक बोर्ड में रखे गए रिकॉर्ड और जिला सैनिक बोर्ड द्वारा सत्यापित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित है।

(v) ऑनलाइन अपलोड किया गया आवेदन प्रासंगिक कल्याण योजना के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करता है।

(vi) प्रक्रियाधीन आवेदन एक ही व्यक्ति के लिए पात्रता के नियमों के अनुसार समान अवधि के लिए दोहरे दावे की राशि नहीं है।

(vii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सभी मूल बिल जिला सैनिक बोर्ड में रखे जाएंगे और सेवानिवृत्त सैनिकों आवेदक को रसीद दी जाएगी: -

(अअ) हवलदार/ समकक्ष रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता।

(अब) सभी रैंक के गैर पेंशनभोगी दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता।

(य) **जिला सैनिक बोर्ड एडमिन** जिला सैनिक बोर्ड एडमिन को सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के साथ अपलोड किए गए प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों को भौतिक रूप से जांचना और सत्यापित करना चाहिए, जिसके लिए सेवानिवृत्त सैनिक को मूल दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए एक तिथि सूचित की जानी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (एडमिन) की यह मुख्य जिम्मेदारी होगी कि वह केवल सही आवेदनों की सिफारिश करे और गलत आवेदन को अवलोकन के तहत रखे या गलत समझे जाने पर अस्वीकार करे। किसी भी परिस्थिति में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी किसी भी गलत आवेदन को उच्च स्तर पर अनुशंसित करने की अनुमति नहीं देगा।

(र) **राज्य सैनिक बोर्ड एडमिन** इस स्तर पर अनुशंसित किए जा रहे आवेदनों की शुद्धता को व्यक्तिगत रूप से राज्य सैनिक बोर्ड एडमिन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ल) **मूल बिलों का प्रतिधारण** चिकित्सा उपचार और गंभीर रोग से संबंधित योजनाओं के तहत आवेदन की जांच के बाद जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा मूल बिल रखा जाएगा। इन बिलों की रसीद सेवानिवृत्त सैनिक को दी जाएगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा भुगतान किए गए बिल जिला सैनिक बोर्ड द्वारा विधिवत पृष्ठांकित आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त सैनिक को सभी प्राप्तियों और सहायक दस्तावेजों की वापसी का रिकॉर्ड सभी जिला सैनिक बोर्ड द्वारा बनाए रखा जाना है।

12. **वित्तीय सहायता के लिए जांच के बाद राशि का समर्थन** किसी कल्याणकारी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय राशि की स्वतंत्र रूप से गणना की जाती है। जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड में नियुक्तियों द्वारा सभी स्तरों पर निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं के तहत व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदनों की सिफारिश करते समय बिलों / संबंधित दस्तावेजों के अपलोड के साथ आवेदन की जांच के बाद भुगतान के लिए अनुशंसित राशि का समर्थन टिप्पणी बॉक्स में किया जाता है: -

(अ) दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता।

(ब) सभी रैंकों के विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए गतिशीलता उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(स) हवलदार / समकक्ष रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता।

(द) प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत के लिए सभी रैंकों के 100% विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, अनाथ बेटों के लिए वित्तीय सहायता।

(य) सभी रैंकों के सेवानिवृत्त गैर पेंशनभोगी सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता।

(र) सभी रैंकों की युद्ध विधवा / युद्ध शोक संतप्त / युद्ध विकलांग और एट्रिब्यूटेबल पीस टाइम कैजुअल्टी को अधिकतम ऋण राशि 1.00 लाख रुपये तक के गृह ऋण पर 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता।

13. **आवेदन की स्थिति** आवेदक को आवेदन संख्या दर्ज करके अपने आवेदन की ऑनलाइन स्थिति की जांच करने की सुविधा होगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड एडमिन के आवेदन को मंजूरी देने के बाद, इसे भुगतान की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा। प्रत्येक आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति की सूचना देने वाले प्रत्येक चरण में एक स्वतःउत्पन्न ई-मेल और एस एम एस प्राप्त होगा। सेवानिवृत्त सैनिक आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में परिवर्तन जानने के लिए नियमित रूप से अपने ई-मेल खाते और एस एम एस सुविधा की जांच करनी चाहिए। सेवानिवृत्त सैनिक आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति से परिचित रहने के लिए अपनी उपयोगकर्ता पहचान (आई डी) और पासवर्ड का उपयोग करके नियमित रूप से केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबपोर्टल पर अपने उपयोगकर्ता खाते में जा सकते हैं। आवेदन में देखे गए किसी भी अवलोकन को आवेदक द्वारा 30 दिनों के भीतर विधिवत सुधार कर फिर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आवेदन को स्थायी रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

14. **अग्रेषण के लिए अधिकतम अवधि** सफलतापूर्वक अपलोड किए गए आवेदन को अग्रेषण करने के लिए प्रत्येक चरण में अनुमत अधिकतम अवधि निम्नानुसार है: -

(अ) **जिला सैनिक बोर्ड** किसी भी योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड करने की तारीख यानी आवेदन की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर जिला सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदक को टेलीफोन या ई-मेल, या दोनों पर कॉल किया जाएगा। सत्यापन के लिए आवेदक को अपने मूल दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट करने की तारीख जिला सैनिक बोर्ड द्वारा इन सात (07) कार्य दिवसों के भीतर सेवानिवृत्त सैनिक को दी जाएगी। जिला सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए आवेदक अपनी पसंद या सुविधा के अनुसार, जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दी गई तारीख से परे किसी भी कार्य दिवस पर एक तारीख चुन सकता है। जिला सैनिक बोर्ड द्वारा सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि और आवेदक द्वारा वास्तविक रिपोर्टिंग के बीच के समय अंतराल को आवेदन को संसाधित करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड के लिए उपलब्ध इन 7 दिनों से कम किया जाएगा।

(ब) **राज्य सैनिक बोर्ड** किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन राज्य सैनिक बोर्ड उपयोगकर्ता और एडमिन दोनों द्वारा 14 कार्य दिवसों के भीतर राज्य सैनिक बोर्ड उपयोगकर्ता के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से अग्रेषित किया जाएगा।

(स) **केंद्रीय सैनिक बोर्ड** प्राप्त आवेदनों की संख्या के अधीन निम्नानुसार है:-

(i) ऑनलाइन अपलोड की गई सभी योजनाओं के तहत 3000 आवेदनों के लिए तीस कार्य दिवस।

(ii) यदि किसी भी समय सभी योजनाओं के तहत 3000 से अधिक आवेदन अपलोड किए जाते हैं, तो बजट की उपलब्धता के अधीन, प्रत्येक 300 आवेदनों के लिए अधिकतम अनुमत अवधि सात (07) कार्य दिवसों तक बढ़ा दी जाएगी।

15. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति** केंद्रीय सैनिक बोर्ड प्रशासन द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के 45 दिनों के भीतर सामान्य परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने के लिए सभी संबंधितों द्वारा सभी प्रयास किए जाएंगे।

16. **एनईएफटी के माध्यम से स्वीकृत राशि जमा करना**

(अ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर सामान्य परिस्थितियों में आवेदक के बैंक खाते में एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान जारी करने के लिए लेखा अनुभाग, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सभी प्रयास किए जाएंगे, बशर्ते आवेदनों की अत्यधिक संख्या का बचिंग न हो और बैंक आवेदक द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में गलत खाता विवरण अपलोड किए जाने के कारण लेनदेन विफल नहीं होता है।

(ब) **केंद्रीय सैनिक बोर्ड खाते द्वारा कल्याण अनुभाग को भुगतान की स्थिति की सूचना देना** लेखा अनुभाग केंद्रीय सैनिक बोर्ड व्यक्तिगत आवेदक के भुगतान को उसके खाते में जमा करने की तारीख के 07 दिनों के भीतर प्रत्येक लाभार्थी विवरण और बैंक द्वारा सूचित भुगतान की तारीख दिखाते हुए एक चिह्नित सीडी के माध्यम से कल्याण अनुभाग केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भुगतान की स्थिति के बारे में सूचित करेगा।

(स) **वेब पोर्टल के माध्यम से भुगतान की स्थिति अपलोड करना** संयुक्त निदेशक (लेखा) आवेदकों की दोनों श्रेणियों के संबंध में वेब पोर्टल (www.ksb.gov.in) पर भुगतान की स्थिति को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, जिन्हें सफलतापूर्वक भुगतान किया गया है और वे भी जिन्हें लेनदेन की विफलता के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। बैंकों से भुगतान की स्थिति प्राप्त होने की तारीख से (07) सात के भीतर बैंक द्वारा सूचना दी जायेगी। इस तरह के भुगतान की पुष्टि सफल भुगतानकर्ताओं के लेखा अनुभाग द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड में कल्याण अनुभाग को भेजी जाएगी, ताकि कल्याण अनुभाग अपना डेटा अपलोड कर सके। प्रत्येक आवेदक को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए उसकी भुगतान स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक सिस्टम जनित ई-मेल भेजा जाएगा।

17. **असफल लेन-देन के कारण भुगतान न की गई वित्तीय सहायता का पुनर्निर्गम**

(अ) केंद्रीय सैनिक बोर्ड बैंकरों द्वारा आवेदकों को अनुमोदित वित्तीय सहायता के एन ई एफ टी की विफलता के सभी मामले (पुनर्निर्गम मामले) केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबपोर्टल पर संबंधित आवेदकों के ऑनलाइन आवेदनों में लेखा अनुभाग द्वारा अद्यतन किए जाएंगे। वेबपोर्टल सिस्टम आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर और मेल आई डी पर क्रमशः एस एम एस और ई-मेल के माध्यम से विफल लेनदेन के बारे में सूचित करेगा।

(ब) ऐसे सभी आवेदक जिनके लेन-देन विफल हो गए हैं, उन्हें अपने नए बैंक विवरण की पुष्टि करने के लिए एक कवरिंग लेटर के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेजों को अग्रेषित करना होगा: -

- (i) रद्द चेक / बैंक पास बुक का पहला पृष्ठ।
- (ii) आधार कार्ड की प्रति।
- (iii) उनकी आरआई स्थिति की पुष्टि करने वाले ई-मेल की प्रति।

(स) इस तरह के असफल लेनदेन की जिम्मेदारी निम्नानुसार होगी:-

- (i) **जिला सैनिक बोर्ड** जिला सैनिक कल्याण अधिकारी प्राप्त ई-मेल के आधार पर सेवानिवृत्त सैनिकों के आर आई मामले को सूचित करने, उनके नए बैंक विवरणों को अग्रेषित करने के लिए अपने क्षेत्र के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ii) **कल्याण अनुभाग** आवेदकों द्वारा भेजे गए नए बैंक विवरण पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी विफलता (आर आई) मामलों की बैच वार सूची तैयार की जाएगी और सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा विधिवत भुगतान के लिए लेखा अनुभाग को भेजी जाएगी।
- (iii) **लेखा अनुभाग**

(अअ) स्पष्ट रूप से सूची संख्या दिखाते हुए व्यक्ति के ऑनलाइन आवेदन में भुगतान की स्थिति की विफलता का अद्यतन करें। सूची क्रम सं _____ योजना का नाम _____ और स्वीकृत राशि _____।

(अब) इसके अलावा, भुगतान विफलता मामलों के अलग-अलग नमावली सूची भी कल्याण अनुभाग को जे डी लेखा द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किए जाएंगे। कल्याण अनुभाग से आर/ओ आर आई मामलों में नए बैंक विवरण वाली सूची प्राप्त होने पर, लेखा अनुभाग भुगतान (आर आई) करेगा और उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करेगा।

गरीबी अनुदान

18. **पृष्ठभूमि** सन् 1981 में, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए दो साल की अवधि के लिए 100/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता शुरू की गई थी। इस राशि को बाद में सन् 2007 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष प्रबंधन समिति द्वारा दो साल के लिए 500/- रुपये प्रति माह तक संशोधित किया गया था, जिसमें 70/ 75 वर्ष की आयु में 30,000/- रुपये का अतिरिक्त एकमुश्त अनुदान था। अक्टूबर 2011 में इस योजना को सरलीकृत और संशोधित कर प्रति लाभार्थी प्रति माह 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था और 01 अप्रैल 2017 से यह राशि जीवन भर के लिए बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दी गई है।

19. **उद्देश्य** इस गरीबी अनुदान का उद्देश्य हवलदार/समतुल्य रैंक तक के निराश्रित और गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को राहत प्रदान करना था।

20. **वित्तीय सहायता** 01 अप्रैल 2017 से जीवन भर के लिए 4,000/- रुपये प्रति माह की दर से गरीबी अनुदान प्रदान किया जाता है।

21. **पात्रता की शर्तें** इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:-

(अ) एक गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक या दिवंगत सैनिक की पत्नी होनी चाहिए।

(ब) उसका रैंक हवलदार या उससे नीचे होना चाहिए नेवी और एयरफोर्स में हवलदार या उसके समतुल्य रैंक वाले के लिए ही यह योजना लागू है।

(स) जिस वर्ष आवेदन किया था उस वर्ष के 01 अप्रैल को 65 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए।

(द) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा संस्तुति की जानी चाहिए।

(य) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात् बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक, विधिवत रूप से मुद्रित खाता धारक का नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम होना चाहिए।

22. **आवेदन पत्र** आवेदन पत्र केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाना है। निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना है (छवि का आकार एमबी में निर्दिष्ट किया गया है): -

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक का सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेज बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

(ब) आयु प्रमाण, यदि सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि नहीं दी गई है।

(स) जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जारी सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों का पहचान पत्र।

(द) बैंक पास बुक का पहला पृष्ठ और बैंक खाता संख्या, आई एफ एस कोड और खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण, विवरण बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ में नहीं दिए जाने की स्थिति में एक रद्द चेक।

(य) आधार कार्ड की प्रति।

(र) शून्य आय के लिए गरीबी का प्रमाणपत्र/प्रोफार्मा (सरपंच/पटवारी/बीडीओ (राजस्व अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षर की हुई और गोल मुहर लगायी गयी होना चाहिए), इसकी जानकारी परिशिष्ट 'डी' में दी गयी है। वेबसाइट पर "निर्धनता प्रमाणपत्र" का एक नमूना भी उपलब्ध है।

23. **आवेदन का चैनल** आवेदन पत्र सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 01 अप्रैल से 01 मार्च (अगले वर्ष) के बीच ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है, इसके बाद यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। पिछले वर्षों के आवेदनों को भी कालबाधित माना जाएगा। एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद व्यक्ति को एक सिस्टम जनरेटेड एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसे उसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

24. **ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र**

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों को आवेदन की सिफारिश करने से पहले जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचा और सत्यापित किया जाना है: -

(i) सेवानिवृत्त सैनिक के सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक तरीके से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

(ii) आवेदक का आयु प्रमाण।

(iii) जो सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों इस योजना के लिए आवेदन कर रही हैं वह गांव के सरपंच/ पटवारी/ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से गरीबी का एक स्याही से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन्हें राज्य/केंद्र सरकार या किसी अन्य एजेंसी से पेंशन या अनुदान नहीं मिल रहा है।

(iv) सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के पहचान पत्र की सत्यापित प्रति।

(v) बैंक दस्तावेज।

(ब) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आवेदक द्वारा अपलोड किए गए गरीबी प्रमाण पत्र से निम्नलिखित को प्रमाणित करेंगे :-

(i) किसी अन्य स्रोत से आय/पेंशन नहीं है।

(ii) उन्हें राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(iii) पुष्टि करेंगे कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतःप्रकरण की संस्तुति की जाती है।

नोट: - प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'डी' में दिया गया है। प्रमाण पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ, सीलबंद, निर्दिष्ट रैंक, नाम, पदनाम और जारी करने की तारीख के साथ होगा।

25. **अनुवर्ती अनुदान** अनुवर्ती अनुदान के लिए, प्रारंभिक गरीबी अनुदान दिए जाने के बाद लाभार्थी को वेब पोर्टल पर लॉग इन करके गरीबी अनुदान नवीनीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए, और वर्तमान वित्तीय वर्ष के 01 दिसंबर और 31 मार्च के बीच संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित "जीवन प्रमाणपत्र" ऑनलाइन जमा करना चाहिए।

जीवन प्रमाणपत्र पर केवल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्तीय सहायता अहस्तांतरणीय है और सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी की मृत्यु पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। सेवानिवृत्त सैनिक की मृत्यु के बाद उनकी विधवा को गरीबी के तहत वित्तीय सहायता के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। गरीबी आद्याक्षर के लिए आवेदन करने से पहले दिवंगत सैनिक की पत्नी को प्रोफाइल पेज में ई एस एम के कॉलम "आप कौन हैं" को "विधवा" और "मृत्यु की तिथि" के रूप में अपडेट करना आवश्यक है।

26. **दिवंगत सैनिक की पत्नी द्वारा आवेदन जिसका पति गरीबी अनुदान प्राप्त कर रहा था।** दिवंगत सैनिक की पत्नी, जिसका पति गरीबी अनुदान प्राप्त कर रहा था, दिवंगत सैनिक की पत्नी द्वारा नए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। दिवंगत सैनिक की पत्नी पति के केंद्रीय सैनिक बोर्ड खाते का उपयोग करके और "आप कौन हैं" को "विधवा" के रूप में संपादित करके, प्रोफ़ाइल पृष्ठ में सेवानिवृत्त सैनिक की "मृत्यु की तिथि" दर्ज करके और अन्य विवरण संपादित करके प्रारंभिक गरीबी अनुदान के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में 65 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होती है। बाद के अनुदान के लिए, गरीबी नवीकरण के लिए पूर्ववर्ती पैरा में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

शिक्षा अनुदान

27. **पृष्ठभूमि** यह अनुदान सेवानिवृत्त सैनिक के बच्चों/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों /अनाथों के लिए प्रासंगिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रासंगिक है:-

(अ) यह योजना 1981 में 15/-रुपये प्रति बच्चा की राशि के साथ, बारहवीं कक्षा तक अधिकतम तीन बच्चों के लिए शुरू की गई थी।

(ब) इस योजना को 1996 में 100/- रुपये प्रति माह की राशि के साथ संशोधित किया गया था।

(स) इसे 2007 में निम्नानुसार संशोधित किया गया :-

(i) बारहवीं कक्षा तक दो बच्चों के लिए निम्नानुसार है।

(अअ) लड़कों के लिए - 200/- रुपये प्रति माह।

(अब) लड़कियों के लिए - 400/- रुपये प्रति माह।

(ii) स्नातक तक की लड़कियों के लिए 600/- रुपये प्रति माह।

(द) अक्टूबर 2011 में मासिक अनुदान को 1000/- रुपये प्रति माह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों के लिए) स्नातक तक और विधवाओं के लिए स्नातकोत्तर डिग्री के लिए संशोधित किया गया था। वर्तमान में भी यही चलन में है।

28. **उद्देश्य** इस सहायता का उद्देश्य हवलदार के पद तक के सेवानिवृत्त सैनिकों के अधिकतम दो आश्रित बच्चों (पहले दो बच्चे) या दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और उनके अनाथों को सहायता प्रदान करना है, जिसमें सेना में एम ए सी पी नायब सूबेदार और नौ सेना और वायु में समकक्ष शामिल हैं। दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स तक के लिए देय है।

29. **वित्तीय सहायता** यह वित्तीय सहायता सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से रु. 1,000/- प्रति माह प्रति बच्चा (*पात्र सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और अनाथ बच्चे के नीचे उल्लिखित तौर-तरीकों [धारा (ए) - (एफ)] के अधीन पहले दो बच्चों तक अधिकतम) प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष में एक किस्त में देय, सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए कक्षा एक से बारह (1 से 12) और डिग्री कॉलेज के स्नातक कक्षाओं में पढ़ने वालों के लिए लागू है। यह अनुदान दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए भी स्वीकार्य है, जो दो साल की स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करना चाहती हैं। यह अनुदान किसी भी प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स / डिग्री के लिए लागू नहीं है। सेवानिवृत्त सैनिक के तीसरे या बाद के बच्चे को समायोजित करने के लिए इस योजना के तहत एक बार पंजीकृत बच्चे का नाम बाद के शैक्षणिक वर्ष में किसी अन्य बच्चे द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

* (अ) सेवानिवृत्त सैनिकों की डिस्चार्ज बुक में दर्ज बच्चों के नाम की वरिष्ठता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ब) वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए पहले दो बच्चों के नाम पात्र होंगे।

(स) यदि डिस्चार्ज बुक में बच्चों की प्रविष्टियां नहीं हैं, तो सेवानिवृत्त सैनिक के संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय से वैध भाग- II आदेश को ऑनलाइन आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज के रूप में अपलोड करना होगा। हलफनामा आदि जैसे किसी अन्य दस्तावेज को सहायक दस्तावेज नहीं माना जाएगा।

(द) पहले और दूसरे बच्चे के जुड़वां होने की स्थिति में केवल जुड़वा ही पात्र होंगे क्योंकि ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसार अधिकतम दो बच्चों की अनुमति है।

(य) दूसरे और तीसरे बच्चे के जुड़वां होने की स्थिति में दूसरे और तीसरे दोनों बच्चे शिक्षा वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

(र) पहले बच्चे की असामयिक मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित अनुसार दूसरा और तीसरा बच्चा पात्र होगा। इसी प्रकार, दूसरे बच्चे के निधन के मामले में डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित अनुसार तीसरा बच्चा पात्र होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज के रूप में अपलोड किया जाएगा।

30. पात्रता की शर्तें इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:-

(अ) आवेदक एक ईएसएम / विधवा होना चाहिए।

(ब) रैंक हवलदार / समकक्ष और नीचे होना चाहिए।

(स) बच्चे को हाल ही में समाप्त शैक्षणिक साल के दौरान कक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

(द) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) और राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।

(य) राज्य या उसके नियोक्ता या केंद्र सरकार से शिक्षा भत्ता नहीं लेना चाहिए।

(र) बैंक में खाता होना चाहिए।

31. **आवेदन पत्र** आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाना है (वेब पोर्टल पर अपलोड)। निम्नलिखित दस्तावेज़ की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए (एम बी के संदर्भ में छवि का आकार ऑनलाइन उल्लेख किया गया है): -

(अ) पी पी ओ (जैसा लागू हो)।

(ब) जिन कर्मियों के पास पी पी ओ नहीं है, जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें पुरस्कार के भाग- II आदेश (सशस्त्र बलों और प्रादेशिक सेना के लिए लागू) को अपलोड करना होगा।

(स) सेवानिवृत्त सैनिक की सेवा दस्तावेज़/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक तरीके से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

(द) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी सेवानिवृत्त सैनिक या दिवंगत सैनिक की पत्नी का आई-कार्ड।

(य) नामित प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद बच्चे / बच्चों की डाउनलोड / मुद्रित मार्क-शीट / स्कूल प्रगति रिपोर्ट कार्ड।

(र) भाग - दो आदेश में उस बच्चे/बच्चों के नाम का उल्लेख किया गया है जिसके लिए अनुदान मांगा गया है या डिस्चार्ज बुक/दस्तावेजों में इस आशय की उचित प्रविष्टि होनी चाहिए।

(ल) आवेदक से एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि उसने शिक्षा भत्ता या छात्रवृत्ति के रूप में राज्य या वर्तमान नियोक्ता से कोई धन/अनुदान नहीं लिया है।

(व) आधार कार्ड (अधिमानत:केवल पी एन बी/एस बी आई में) और आई एफ एस कोड के साथ दिए गए बैंक खाते की संख्या का विवरण।

(श) आधार कार्ड की प्रति।

32. **अंतिम तिथि जिसके बाद उस श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा**

(अ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पात्र सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना है (जिसके बाद आवेदक पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए व्यक्ति के आवेदन पर ही विचार किया जाएगा)।

क्रमांक	शैक्षणिक वर्ष	कक्षा	जमा करने की अंतिम तिथि
(i)	अभी संपन्न हुआ	1 से 9 और 11	वर्तमान का 30 सितंबर शैक्षणिक वर्ष
(ii)	अभी संपन्न हुआ	10 और 12	30 अक्टूबर
(iii)	अभी संपन्न हुआ	पहले तीन वर्षों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम सहित स्नातक कक्षा पूरी की है।	30 नवम्बर

(ब) आवेदन को सफलतापूर्वक अपलोड करने के परिणामस्वरूप व्यक्ति को सिस्टम जनित आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को अपने भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(स) हाल ही में समाप्त हुए शैक्षणिक वर्ष से पहले व्यतीत हुए शैक्षणिक वर्षों के आवेदनों पर ऑनलाइन विचार नहीं किया जाएगा।

33. **ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र**

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी/ अनाथ के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचा जाना चाहिए: -

(i) पी पी ओ (जैसा लागू हो)

(ii) शौर्य पुरस्कार भाग - II आदेश (यथा लागू)।

(iii) सेवानिवृत्त सैनिक के सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक तरीके से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है) अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

- (iv) सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि और मार्कशीट देने वाले स्कूल / कॉलेज से नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।
- (v) आवेदक सेवानिवृत्त सैनिक या दिवंगत सैनिक की पत्नी या आश्रित (अनाथ) पहचान पत्र।
- (vi) बैंक दस्तावेज।

(ब) प्रमाणित करें कि आवेदक को उपर्युक्त विकलांग बच्चे के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(स) पुष्टि करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतः प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

34. **अनुवर्ती अनुदान** बाद के सभी शैक्षणिक वर्षों के लिए नए ऑनलाइन आवेदन को अपलोड किया जाना है, बशर्ते बच्चा/बच्चे संतोषजनक रूप से अगली कक्षा में आगे बढ़ गए हों।

विकलांग बाल अनुदान

35. **पृष्ठभूमि** समाज के सभी सदस्यों की तरह सेवानिवृत्त सैनिक (ई एस एम) भी दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसके बच्चे का जन्म विकृत या बाद में दुर्घटना/प्राकृतिक कारणों/बीमारी के कारण विकलांग हो जाने पर, दुख से निपटने की उसकी क्षमता समाज के अन्य लोगों की तुलना में कम होती है। ऐसे में यह संगठन की जिम्मेदारी है कि वह सेवानिवृत्त सैनिक को अपने विकलांग बच्चे की देखभाल करने में मदद करे और उन्हें जीवन में फिर से बसने के लिए कुछ सहायता प्रदान करे। 100% विकलांग बच्चे वाले सेवानिवृत्त सैनिक को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना 2007 में 500/- रुपये प्रति माह की राशि से शुरू की गई थी। यह दर अक्टूबर 2011 में 1,000/- रुपये प्रति माह की राशि के साथ संशोधित की गई थी। इस योजना को जे सी ओ और अन्य के 100% विकलांग बच्चों के लिए 1,000/- रुपये प्रति माह से 3000/- रुपये प्रति माह के मासिक अनुदान में संशोधित किया गया था और 01 अप्रैल 2022 से लागू किया गया था।

36. **उद्देश्य** इस अनुदान-सहायता का उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों के 100% विकलांग बच्चों को राहत का एक छोटा उपाय प्रदान करना है।

37. **वित्तीय सहायता** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से 100% विकलांग बच्चे के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान 3000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

38. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना है: -

- (अ) बच्चे को सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी की वैध संतान होना चाहिए। सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी / बड़ा भाई / रिश्तेदार (यदि परिवार में कोई जीवित नहीं है) जो विकलांग बच्चे की देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से है, विकलांग बच्चे की ओर से आवेदन करने की अनुमति है। '
- (ब) सेवानिवृत्त सैनिक को हवलदार और नौसेना/ वायु सेना में हवलदार के समकक्ष के पद तक और नीचे के रैंक का होना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा नियुक्त विधवा / सहोदर / डीम्ड एन ओ विकलांग बच्चे के जीवित रहने तक आवेदन कर सकते हैं।
- (स) बच्चे को 100% अक्षम होना चाहिए।
- (द) किसी भी आधिकारिक एजेंसी से किसी भी विकलांगता लाभ की प्राप्ति में नहीं होना चाहिए।
- (य) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।
- (र) आवेदक सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी / बड़े भाई-बहन/रिश्तेदार के पास बैंक खाता होना चाहिए।

39. **आवेदन पत्र** आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना आवश्यक है। वेबपोर्टल पर एक नमूना फॉर्म उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेज़ की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए (एम बी के संदर्भ में छवि का आकार ऑनलाइन उल्लेख किया गया है): -

- (अ) पी पी ओ (जैसा लागू हो)।
- (ब) सेवा दस्तावेज़/ सेवानिवृत्त सैनिक की डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।
- (स) वीरता पुरस्कार भाग- II आदेश (सशस्त्र बल और प्रादेशिक सेना, यदि पेंशन नहीं ले रहे हैं)।
- (द) जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी सेवानिवृत्त सैनिक और आश्रित पहचान पत्र।
- (य) सैन्य / सरकारी अस्पताल द्वारा जारी 100% विकलांगता प्रमाण पत्र।

(र) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक विधिवत मुद्रित खाता धारक का नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

(ल) आधार कार्ड की प्रति।

(व) यदि बच्चे का कोई जीवित रक्त संबंधी नहीं है तो 100% विकलांग बच्चे की देखभाल करने के इच्छुक रिश्तेदार द्वारा इच्छा प्रमाण पत्र।

40. **आवेदन का चैनल** आवेदन वित्तीय वर्ष के दौरान 01 अप्रैल से 31 मार्च के बीच पात्र सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी द्वारा ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। समाप्त हो गये वर्ष के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

41. **ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र**

(अ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक की सेवानिवृत्त सैनिक स्थिति की पुष्टि करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई है:-

(i) जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित पहचान पत्र।

(ii) पी पी ओ (जैसा लागू हो) और वीरता पुरस्कार के लिए अधिकार जो भी लागू हो।

(iii) सेवानिवृत्त सैनिक की सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक तरीके से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

(iv) सैन्य/सिविल सरकारी अस्पताल द्वारा जारी 100% विकलांगता प्रमाण पत्र।

(v) बैंक दस्तावेज।

(ब) प्रमाणित करें कि विकलांग बच्चे के संबंध में आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(स) पुष्टि करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्यापित मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतः प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

42. **अनुवर्ती अनुदान** विकलांग बाल अनुदान, एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक या दिवंगत सैनिक की पत्नी के 100% विकलांग बच्चे के लिए स्वीकृत है। इसके बाद किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि लाभार्थी की ओर से आवेदक को वर्तमान वित्तीय वर्ष के 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'ई' में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद वेबपोर्टल द्वारा 100% विकलांग अनुदान के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्षों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह ध्यान दिया जाए कि वित्तीय सहायता अहस्तांतरणीय है और 100% विकलांग बच्चे की मृत्यु होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

43. आवेदक (सेवानिवृत्त सैनिक /विकलांग बच्चे के पिता) के निधन के मामले में; जीवित या दिवंगत सैनिक की पत्नी / सहोदर / जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा अधिकृत एन ओ के, विकलांग बच्चे के जीवित रहने तक नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त सैनिक के निधन के बारे में केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय को सूचित करना संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी है।

विवाह अनुदान

44. **पृष्ठभूमि** यह योजना हवलदार / नौसेना / वायु सेना में समकक्ष के पद तक पेंशनर / गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों की बेटी (दो बेटियों तक) की शादी और सेवानिवृत्त सैनिक की विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 1981 में 3000/- प्रति बेटी की शादी की राशि के साथ शुरू की गई थी। इसे मई 2007 में संशोधित कर रु. 16,000/- प्रति बेटी और उसके बाद 01 अप्रैल 2016 को रु. 50,000/- एकमुश्त अनुदान के रूप में, दिवंगत सैनिक की पत्नी की अधिकतम दो बेटियों / सेवानिवृत्त सैनिक की विधवा के पुनर्विवाह पर लागू है।

45. **उद्देश्य** इस अनुदान-सहायता का उद्देश्य हवलदार के पद तक के सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को अपनी बेटियों की शादी/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

46. **वित्तीय सहायता** बेटी/ अनाथ बेटी के विवाह/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान सशस्त्र सेना इंडा दिवस कोष से 50,000.00 रुपये प्रति पुत्री की दर से किया जाता है।

47. पात्रता की शर्तें निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:-

(अ) शादी के अनुष्ठान की तारीख से 180 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।

(ब) आवेदक एक सेवानिवृत्त सैनिक या दिवंगत सैनिक की पत्नी या उसकी अनाथ बेटी होना चाहिए।

- (स) रैंक हवलदार और नीचे का होना चाहिए।
- (द) पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- (य) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा संस्तुति की जानी चाहिए।
- (र) राज्य/ सेना से इस उद्देश्य के लिए कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिए।

48. **आवेदन पत्र** आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरना है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर एक नमूना फॉर्म उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए (एम बी के संदर्भ में छवि का आकार ऑनलाइन उल्लेख किया गया है): -

- (अ) पी पी ओ (जैसा लागू हो)।
- (ब) सेवानिवृत्त सैनिक के सेवा दस्तावेज/ डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।
- (स) वीरता पुरस्कार भाग- II आदेश (सशस्त्र बल और प्रादेशिक सेना, यदि पेंशन नहीं ले रहे हैं)।
- (द) बेटी की उम्र का प्रमाण।
- (य) विवाह का प्रमाण - विवाह पंजीयक से प्रमाण पत्र।
- (र) आवेदक से एक प्रमाण पत्र कि उसने बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार / सेवाओं से कोई पैसा / सहायता / अनुदान नहीं लिया है।
- (ल) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक विधिवत मुद्रित खाता धारक का नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।
- (व) आधार कार्ड की प्रति।

49. **आवेदन का चैनल** योग्य सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों द्वारा अपनी बेटी की शादी के लिए या दिवंगत सैनिकों की पत्नियों द्वारा अपने पुनर्विवाह के लिए संबंधित जिला सैनिक बोर्ड में शादी की तारीख से 180 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना चाहिए। विवाह के 180 दिन से अधिक समय बाद जमा किए गए आवेदनों को कालबाधित माना जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

50. **ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र**

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से सेवानिवृत्त सैनिक के रूप में आवेदक की स्थिति की पुष्टि करने के लिए जांचा गया है और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से जेडएसडब्ल्यू अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है:-

- (i) पी पी ओ (जैसा लागू हो) और वीरता पुरस्कार के लिए अधिकार जो भी लागू हो।
- (ii) सेवानिवृत्त सैनिक के सेवा दस्तावेज/ डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।
- (iii) पुत्री की आयु (18 वर्ष से कम नहीं) का प्रमाण।
- (iv) विवाह पंजीयक द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र।
- (v) बैंक दस्तावेज।

(ब) प्रमाणित करें कि आवेदक को उपरोक्त विवाह के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(स) पुष्टि करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्यापित मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतः प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

51. **दूसरी बेटी की शादी के लिए अनुवर्ती अनुदान** पात्र सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी के पास दूसरी बेटी की शादी के लिए एक नए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प है। यदि दो पुत्रियों का विवाह एक ही समय या अल्प अंतराल में हो रहा है, तो सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी के पास एक आवेदन के माध्यम से दोनों पुत्रियों के लिए आवेदन करने का विकल्प है। हालाँकि, आवेदन प्रत्येक बेटी के विवाह की तारीख से 180 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए।

चिकित्सा उपचार अनुदान

52. **पृष्ठभूमि** सशस्त्र बलों के सभी पेंशनभोगियों को 01 अप्रैल 2008 से अनिवार्य रूप से ई सी एच एस के तहत चिकित्सा कवर प्रदान किया गया है। हालांकि, गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक जिन्हें संगठनात्मक बाधाओं के कारण उनके जीवन की शुरुआत में सेवा से छुट्टी दे दी गई थी या उनके स्वयं के अनुरोध पर छुट्टी दे दी गई थी, उनके पास ऐसा कोई चिकित्सा कवर नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल की लगातार बढ़ती लागत के साथ, गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक के लिए विशेष रूप से वृद्धावस्था में बीमारियों से लड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसी उम्र में, चिकित्सा व्यय ऐसे ईएसएम को गरीबी और सम्मान की हानि की स्थिति में ले आते हैं। गैर-पेंशनभोगी, जो आय के किसी अन्य स्रोत के बिना है, को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना वर्ष 1981 में बीमारी की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर राशि के साथ शुरू की गई थी। इसे पिछली बार मई 2007 में एक वित्तीय वर्ष में 30,000/- रुपये की प्रतिपूर्ति के साथ संशोधित किया गया था।

53. **उद्देश्य** इस अनुदान-सहायता का उद्देश्य गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक या दिवंगत सैनिक की पत्नी को वर्ष के दौरान नियमित चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

54. **वित्तीय सहायता** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से चिकित्सा उपचार के लिए सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 30,000/- रुपये प्रति वर्ष प्रति पात्र तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 30,000/- रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर सेवानिवृत्त सैनिक अपने लिए, अपनी बीमार पत्नी/आश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की मांग कर सकता है। विभिन्न अन्य प्रमुख बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च को एक अलग योजना के तहत कवर किया जाता है।

55. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

(अ) अस्पताल से छुट्टी / चिकित्सक द्वारा अंतिम बार दवा लिखने की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

(ब) आवेदक गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक या दिवंगत सैनिक की पत्नी होना चाहिए।

(स) हवलदार / समकक्ष या नीचे के रैंक का होना चाहिए।

(द) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा संस्तुति की जानी चाहिए।

(य) सी जी एच एस/ई सी एच एस के तहत अनुमोदित दरों पर मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में खर्च किया जाना चाहिए।

(र) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात् बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक विधिवत मुद्रित खाता धारक का नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

56. **आवेदन पत्र** आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना आवश्यक है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर एक नमूना फॉर्म उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेज़ की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए (एम बी के संदर्भ में छवि का आकार ऑनलाइन उल्लेख किया गया है): -

(अ) पी पी ओ (जैसा लागू हो)।

(ब) सेवानिवृत्त सैनिक के सेवा दस्तावेज़/ डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

(स) वीरता पुरस्कार भाग- II आदेश (जैसा लागू हो)।

(द) जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया आई-कार्ड ईएसएम और विधवाओं दोनों के लिए जरूरी है।

(य) क्रम संख्यांकित मूल चिकित्सा बिलों को क्रमिक रूप से अपलोड किया जाना चाहिए, उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, साथ ही क्रम संख्या, बिल संख्या, दिनांक, बिल राशि और कुल राशि दिखाते हुए आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का सारांश।

(र) उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अस्पताल डिस्चार्ज सारांश।

(ल) आवेदक से एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया हो कि उसने प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ते के रूप में राज्य या वर्तमान नियोक्ता से कोई धन/अनुदान नहीं लिया है।

(व) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक विधिवत मुद्रित खाता धारक का नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

(श) आधार कार्ड की प्रति।

57. **आवेदन का चैनल** पात्र सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी द्वारा अस्पताल से छुट्टी की तारीख से 180 दिनों के भीतर या उसी बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सक द्वारा अंतिम बार दवा लिखने की तारीख के भीतर आवेदन ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। पिछले वर्षों या 180 दिनों की समाप्ति के बाद के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

58. **ऑनलाइन आवेदन की संस्तुति करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र।**

(अ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक की स्थिति की पुष्टि करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई है: -

- (i) पीपीओ (जैसा लागू हो) और वीरता पुरस्कार के लिए अधिकार जो भी लागू हो।
- (ii) सेवानिवृत्त सैनिक की सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को अनुक्रमिक तरीके से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है)।
- (iii) मूल चिकित्सा बिल/रसीदें चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- (iv) दवा करने वाले चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित डिस्चार्ज सर्टिफिकेट/ सारांश होना चाहिए।
- (v) सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी आई-कार्ड।
- (vi) बैंक दस्तावेज।

(ब) प्रमाणित करें कि आवेदक को उपर्युक्त विकलांग बच्चे के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(स) पुष्टि करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतःप्रकरण की संस्तुति की जाती है।

59. **अनुवर्ती अनुदान** एक आवेदक उसी वित्तीय वर्ष के दौरान चिकित्सा अनुदान के लिए फिर से आवेदन कर सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 30,000/- है। वही आवेदक अगले वित्तीय वर्ष में उसी या अन्य बीमारी(यों) के लिए सहायक दस्तावेज़/बिलों के नए सेट के साथ नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

अनाथ अनुदान

60. **पृष्ठभूमि** सेवा शर्तों द्वारा लगाए गए बंधन के आधार पर सशस्त्र बल के कार्मिक आम तौर पर समाज से कटे रहते हैं। उनमें से कुछ अपनी सेवा के बाद शादी कर लेते हैं और परिणामस्वरूप जीवन में देर से बच्चे होते हैं। दुर्घटना में या प्राकृतिक कारणों/बीमारियों के कारण सेवानिवृत्त सैनिक और उसके पति या पत्नी दोनों के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, युवा संतान अनाथ हो जाती है। ऐसे अनाथ बच्चे को उसके रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षित किया जाता है और वह आर्थिक रूप से विकलांग होता है। गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक के अनाथों के मामले में मौद्रिक चुनौती की समस्याएं अधिक स्पष्ट हैं। ऐसे में यह संस्था की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अनाथों की मदद करे और उनकी शिक्षा-सह-पुनर्वास सुनिश्चित करे। सेवानिवृत्त सैनिक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना मई 2007 में 500/- रुपये प्रति माह की राशि से लड़कियों के लिए शुरू की गई थी और अक्टूबर 2011 में संशोधित कर 1000/- रुपये प्रति माह, चाहे बच्चे का लिंग कुछ भी हो, किया गया। 01 अप्रैल 2022 को योजना को 1,000/- रुपये प्रति माह से 3000/- रुपये प्रति माह के मासिक अनुदान में संशोधित किया गया।

61. **उद्देश्य** इस अनुदान-सहायता का उद्देश्य ईएसएम के अधिकतम दो अनाथ बच्चों (सभी रैंक; 21 वर्ष से कम आयु के बेटे और अविवाहित बेटों के लिए) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
62. **वित्तीय सहायता** सशस्त्र सेना इंडा दिवस कोष से पात्र अनाथों के लिए प्रति माह 3,000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
63. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:-
- (अ) आवेदक एक सेवानिवृत्त सैनिक (सभी रैंक) की वैध संतान होना चाहिए। सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि सेवानिवृत्त सैनिक के बच्चे के विवरण को दर्शाने वाली होनी चाहिए।
- (ब) अनाथ पुत्र की आयु 21 वर्ष से कम तथा पुत्री अविवाहित होनी चाहिए।
- (स) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा संस्तुति की जानी चाहिए।
- (द) आवेदक के पास आधार संख्या और आई एफ एस कोड से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
64. **आवेदन पत्र** आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना आवश्यक है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर एक नमूना फॉर्म उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए (एम बी के संदर्भ में छवि का आकार ऑनलाइन उल्लेख किया गया है): -
- (अ) पी पी ओ (जैसा लागू हो)।
- (ब) सेवानिवृत्त सैनिक की सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी तरह की कटिंग/ओवरराइटिंग को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।
- (स) वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (जैसा लागू हो)।
- (द) माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- (य) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया आश्रित आई कार्ड।
- (र) प्रत्येक अनाथ का जन्म प्रमाण पत्र।
- (ल) सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (लड़की के लिए) यह प्रमाणित करता है कि वह विवाहित नहीं है।
- (व) बैंक खाता संख्या का विवरण यानी बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द चेक खाता धारक का विधिवत मुद्रित नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।
- (श) आधार कार्ड की प्रति।

65. **आवेदन का चैनल** सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी के प्रत्येक अनाथ बच्चे को अधिकतम दो बच्चों तक अलग-अलग आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रत्येक अनाथ आवेदक द्वारा अलग खाता विवरण प्रस्तुत किया जाना है। व्यक्ति को एक सिस्टम जनरेटेड एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसे उसे अपने भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

66. **अनुवर्ती अनुदान** अनाथ अनुदान, एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद, अनाथ बच्चे की पात्रता अवधि की पूरी अवधि के लिए होता है। संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र कि अनाथ लड़की की शादी नहीं हुई है (जैसा कि **परिशिष्ट 'एफ'** में रखा गया है) और / या अनाथ लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का है (जैसा कि **परिशिष्ट 'जी'** में रखा गया है), लड़की / लड़का है और जीवित है, अनुदान जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर और 31 मार्च के बीच केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय तक पहुंचना आवश्यक है। 31 मार्च के बाद विलंबित आवेदनों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

67. ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र।

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी / अनाथ के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से जांचा और सत्यापित किया गया है: -

- (i) आश्रित प्रमाणपत्र/ आई कार्ड।
- (ii) शौर्य पुरस्कार भाग II आदेश (यथा लागू)।
- (iii) सेवानिवृत्त सैनिक की सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी तरह की कटिंग/ओवरराइटिंग को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।
- (iv) जन्म प्रमाण पत्र की तारीख।
- (v) सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि आवेदक विवाहित नहीं है (लड़की के लिए)।
- (vi) बैंक दस्तावेज।
- (vii) माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(ब) प्रमाणित करें कि आवेदक को उपर्युक्त अनाथ बच्चे के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(स) पुष्टि करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतः प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान

68. **पृष्ठभूमि** यदि सेवानिवृत्त सैनिक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के कारण उसकी विधवा को उपेक्षित/आर्थिक रूप से विकलांग छोड़ दिया जाता है, तो यह संगठन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह विधवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए और उसकी सहायता करे। इसके लिए, उसे यहाँ के शैक्षिक स्तर और योग्यता के आधार पर व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है। वह राज्य में संचालित किसी भी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (जैसे आई टी आई या प्रतिष्ठित निजी प्रशिक्षण संस्थान आदि) से पाठ्यक्रम कर सकती हैं। सभी राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वे सेवानिवृत्त सैनिक विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने में मदद करें और केंद्रीय सैनिक बोर्ड से 20,000/- रुपये वित्तीय सहायता के रूप में एक बार अनुदान दें, व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मई 2007 में शुरू किया गया था।

69. **उद्देश्य** इस अनुदान-सहायता का उद्देश्य हवलदार/समतुल्य रैंक के सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्व रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

70. **वित्तीय सहायता** उक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण के सफल समापन पर 20,000/- रुपये (अधिकतम) की एकमुश्त सहायता के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

71. **योग्यता शर्तें।** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

- (अ) आवेदक को हवलदार/समतुल्य रैंक तक की सेवानिवृत्त सैनिक की विधवा होना चाहिए।
- (ब) उक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए।
- (स) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।
- (द) बैंक खाता संख्या का विवरण यानी बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द चेक खाता धारक का विधिवत मुद्रित नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

72. **आवेदन पत्र** आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना आवश्यक है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबपोर्टल पर एक नमूना प्रपत्र उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि सिस्टम पर अपलोड की जाएगी (MB की छवि के आकार का उल्लेख ऑनलाइन किया गया है)-

(अ) पी पी ओ (यथा लागू)।

(ब) सेवानिवृत्त सैनिक की सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक तरीके से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है) अपलोड किए गए पृष्ठ पढ़ने योग्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी कटिंग/ओवरराइटिंग को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

- (स) वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (यथा लागू)।
- (द) विधवा पहचान-पत्र की प्रति।
- (य) प्रशिक्षण पूरा होने के बाद संस्थान से प्रमाण पत्र।
- (र) बैंक खाता संख्या का विवरण जैसा की बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक खाताधारक का विधिवत मुद्रित नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।
- (ल) आधार कार्ड की कॉपी।

73. **आवेदन का चैनल** पात्र सेवानिवृत्त सैनिक/ दिवंगत सैनिक की पत्नी द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदन ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है, इसके बाद यह समाप्त हो जाएगा और उक्त वित्तीय सहायता के लिए व्यक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को एक सिस्टम जनरेटेड एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसे उसे अपने भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

74. ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाणपत्र।

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से जांचा और सत्यापित किया गया है: -

- (i) पी पी ओ (यथा लागू) और वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (यथा लागू)।
- (ii) सेवानिवृत्त सैनिक की सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक तरीके से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है) अपलोड किए गए पृष्ठ पढ़ने योग्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी कटिंग/ओवरराइटिंग को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।
- (iii) प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र।
- (iv) विधवा पहचान पत्र।
- (v) बैंक दस्तावेज।

(ब) प्रमाणित करें कि आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(स) पुष्टि करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। इसलिए, मामले की सिफारिश की जाती है।

गंभीर रोग अनुदान

75. **पृष्ठभूमि** भारतीय सशस्त्र बलों के सभी पेंशनभोगियों को 01 अप्रैल 2008 से ई सी एच एस के तहत मेडिकल कवर प्रदान किया गया है। लेकिन, गैर-पेंशनभोगी जिन्हें संगठनात्मक बाधाओं के कारण प्रारंभिक चरण में सेवा से बाहर कर दिया गया था या स्वयं के अनुरोध पर सेवा मुक्त हुए, उनके पास ऐसा चिकित्सा कवर नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत के साथ, गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक के लिए अपने बुढ़ापे में कैंसर, गुर्दे की विफलता और दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर अपने खर्च को पूरा करना बेहद मुश्किल है।

76. **उद्देश्य** इस अनुदान - सहायता का उद्देश्य सभी रैंकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के एक गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक को कैंसर, गुर्दे की विफलता, घुटने के प्रतिस्थापन और दिल की सर्जरी, जैसे अनुमोदित / सूचीबद्ध गंभीर रोगों के उपचार से संबंधित चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

77. **वित्तीय सहायता.** बीमारियों की दो श्रेणियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सबसे पहले, नीचे पैरा 80 में उल्लिखित अनुमोदित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक पर लागू होता है, सभी रैंकों और विधवाओं के लिए रु. 1,25,000/- एक बार की सीमा के अधीन। दूसरा, कैंसर/डायलिसिस के इलाज के लिए, जो गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक और विधवाओं पर भी लागू होता है, वित्तीय सहायता रुपये 75,000/- प्रति वर्ष की सीमा के अधीन स्वीकार्य है। दोनों श्रेणियों की बीमारियों के लिए देय उपचार की कुल लागत के प्रतिशत की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

(अ) **गैर-पेंशनभोगी अधिकारियों / दिवंगत अधिकारियों की पत्नियों के लिए** चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवाओं आदि पर किए गए कुल व्यय का 75%, श्रेणी के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम राशि के अधीन।

(ब) **गैर-पेंशनभोगी अन्य रैंकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए.** गैर-पेंशनभोगी अन्य रैंकों/विधवाओं के लिए चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, चिकित्सा आदि पर प्रति वर्ष किए गए कुल व्यय का 90%, स्वीकार्य अधिकतम राशि के अधीन।

78. **योग्यता शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:-

(अ) आवेदन अस्पताल से छुट्टी/अंतिम नुस्खे से छुट्टी की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

(ब) आवेदक को गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक या उसकी विधवा होना चाहिए।

(स) ई सी एच एस या उपलब्ध ए एफ एम एस सुविधाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए।

- (द) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।
- (य) व्यय सरकारी अस्पताल/ सी जी एच एस/ ई सी एच एस पैनलबद्ध अस्पतालों में किया जाना चाहिए।
- (र) बैंक खाता संख्या का विवरण यानी बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या खाताधारक का विधिवत मुद्रित रद्द चेक, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

79. **आवेदन पत्र** आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरना है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर एक नमूना फॉर्म उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेज़ की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए (MB के संदर्भ में छवि का आकार ऑनलाइन उल्लेख किया गया है): -

- (अ) सेवानिवृत्त सैनिक का सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक रूप से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ पढ़ने योग्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी तरह की कटिंग/ओवरराइटिंग को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।
- (ब) वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (यथा लागू)।
- (स) सेवानिवृत्त सैनिक/विधवा पहचान पत्र की फोटोकॉपी।
- (द) उपस्थित चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित मूल चिकित्सा बिल सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा अपलोड करने के बाद जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा अपने पास रखे जाने चाहिए। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक को भुगतान जारी करने के बाद इन बिलों को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी "केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदन संख्या____ द्वारा भुगतान" टिप्पणी के साथ क्रास करेंगे।
- (य) अस्पताल में प्रवेश और डिस्चार्ज रिपोर्ट अस्पताल प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से प्रतिहस्ताक्षरित।
- (र) आवेदक से एक प्रमाण पत्र कि उसने प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ते के रूप में राज्य / केंद्र सरकार / वर्तमान नियोक्ता से कोई धन / अनुदान नहीं लिया है।
- (ल) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात् बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक विधिवत मुद्रित खाता धारक का नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।
- (व) आधार कार्ड की प्रति।

80. **गंभीर रोगों की सूची** इस योजना के अंतर्गत आने वाली गंभीर बीमारियों की सूची नीचे दी गई है।

- (अ) एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी
- (ब) सी ए बी जी
- (स) खुली हृदय की शल्य चिकित्सा
- (द) वाल्व प्रतिस्थापन
- (य) पेसमेकर इम्प्लांट
- (र) सेरिब्रल स्ट्रोक
- (ल) प्रोस्टेट सर्जरी
- (व) संयुक्त प्रतिस्थापन
- (श) वृक्कीय विफलता

81. **रोगों के बारे में अस्पष्टता** यदि किसी गंभीर बीमारी के उपचार के लिए आवेदन में कोई अस्पष्टता है जो स्पष्ट रूप से उपरोक्त पैरा 80 या कैंसर/डायलिसिस में सूचीबद्ध श्रेणी में नहीं आती है, तो दस्तावेजों को टिप्पणी/स्पष्टीकरण के लिए डी जी ए एफ एम एस को भेजा जाएगा। केवल सूचीबद्ध रोग ही वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

82. **आवेदन का चैनल** पात्र सेवानिवृत्त सैनिक/ दिवंगत सैनिक की पत्नी द्वारा अस्पताल से छुट्टी की तिथि/अंतिम नुस्खे की तिथि (गैर-अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में) से 180 दिनों के भीतर आवेदन ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। विलंबित आवेदनों का भुगतान नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए उसे नोट कर लेना चाहिए।

83. ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र।

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक/विधवा के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचा और सत्यापित किया गया है:-

(i) पी पी ओ (यथा लागू)।

(ii) सेवानिवृत्त सैनिक की सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को बिना किसी बदलाव के बिना किसी पेज को मिस किए क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए अपलोड किए गए पृष्ठ पढ़ने योग्य स्थिति में होने चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

- (iii) वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (यथा लागू)।
- (iv) सेवानिवृत्त सैनिक / विधवा आई-कार्ड।
- (v) डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित मूल चिकित्सा बिल/रसीदें।
- (vi) अस्पताल से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट/सारांश, उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
- (vii) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात् बैंक पास बुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक विधिवत मुद्रित खाता धारक का नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

(ब) प्रमाणित करें कि आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(स) पुष्टि करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतः प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

गतिशीलता उपकरण अनुदान

84. **पृष्ठभूमि** सशस्त्र बल के जवान अपनी कार्यशैली के आधार पर शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी, उनमें से अधिकांश शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण गतिविधियों/कार्यों में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ दुर्भाग्य से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना आदि के कारण विकलांग हो जाते हैं और उन्हें दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए संशोधित स्कूटर जैसे गतिशीलता उपकरण की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक को AFFDF से मोबिलिटी उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना को 01 अप्रैल 2022 से 57,500/- रुपये से संशोधित कर 1,00,000/- रुपये कर दिया गया था।

85. **उद्देश्य** इस अनुदान-सहायता का उद्देश्य उन सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए संशोधित स्कूटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद 50% या उससे अधिक की विकलांगता के साथ अक्षम हैं। 50% या अधिक विकलांगता वाली दिवंगत सैनिकों की पत्नियां भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

86. **वित्तीय सहायता** इस योजना के तहत अनुमेय अधिकतम वित्तीय सहायता 1, 00,000/- रुपये है। यह भुगतान केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक लाभार्थियों को 100% अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिन्हें अग्रिम प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर केवल वाहन की खरीद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। गतिशीलता उपकरणों का जीवन खरीद की तारीख से 10 वर्ष निर्धारित किया गया है जिसके बाद सेवानिवृत्त सैनिक नए गतिशीलता उपकरणों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

87. **पात्रता की शर्तें.** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:-

(अ) आवेदक को सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद 50% या अधिक विकलांगता के साथ सेवानिवृत्त सैनिक विकलांग होना चाहिए और सेना / नौसेना / वायु सेना की समान योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए।

(ब) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

(स) वह व्यक्तिगत रूप से गतिशीलता उपकरण का उपयोग करने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने में सक्षम होना चाहिए।

(द) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक विधिवत मुद्रित खाता धारक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

88. **आवेदन पत्र** आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना आवश्यक है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर एक नमूना फॉर्म उपलब्ध है। निम्नलिखित दस्तावेज़ की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए (MB के संदर्भ में छवि का आकार ऑनलाइन उल्लेख किया गया है): -

(अ) पी पीओ (यथा लागू)।

(ब) सेवानिवृत्त सैनिक का सेवा दस्तावेज़/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक रूप से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ पढ़ने योग्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

(स) वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (यथा लागू)।

(द) सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र।

(य) दस्तावेज़ी साक्ष्य जिसमें विकलांग होने के कारण बताए गए हों।

(र) सशस्त्र बल चिकित्सा प्राधिकरण / सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता की प्रकृति का संकेत और गतिशीलता उपकरण खरीदने की सिफारिश की गई।

(ल) मोबिलिटी उपकरण के प्रकार, मेक और विशेष विवरण को दर्शाने वाले अधिकृत डीलर से संशोधित स्कूटर के लिए वित्तीय अनुमान।

(व) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द चेक, खाताधारक का विधिवत मुद्रित नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

(श) आधार कार्ड की प्रति।

(ष) वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।

89. **आवेदन का चैनल** पात्र सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा आवेदन ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। व्यक्ति को एक सिस्टम जनरेटेड एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा। जिसे उसे अपने भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के अनुमोदन के बाद, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित किए जाएंगे: -

(अ) चालान / खरीद का बिल - क्रेता का नाम, उपकरण का मेक और मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, उपकरण की लागत, हस्ताक्षर, मुहर के साथ फर्म का रबर स्टैम्प।

(ब) आरटीओ पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसमें क्रेता का नाम और पता और उपकरण का मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, आरटीओ स्टैप और हस्ताक्षर शामिल हैं।

(स) उपकरण के साथ आवेदक का फोटो, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

(द) सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा एक प्रमाण पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उक्त राशि का दिनांकित चेक, जिसमें कहा गया है कि "यदि मैं गतिशीलता उपकरण के दस्तावेज और पंजीकरण जमा करने में विफल रहता हूं, तो चेक नंबर _____, दिनांक _____ सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष खाते में जमा किया जा सकता है"।

90. ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र।

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक /विधवा के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचा और सत्यापित किया गया है।

(i) पी पीओ (यथा लागू) ।

(ii) सेवानिवृत्त सैनिक का सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमिक रूप से बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ पढ़ने योग्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

(iii) वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (यथा लागू)।

(iv) सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र।

(v) ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता।

(vi) दस्तावेजी साक्ष्य गतिविधि दिखा रहा है जिसमें अक्षम है।

(vii) सशस्त्र बल चिकित्सा प्राधिकरण / सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता की प्रकृति को 50% और / या उससे अधिक होने का संकेत देते हुए और संशोधित स्कूटर की खरीद के लिए अनुशंसित।

(viii) अधिकृत डीलर से मुद्रित लेटर हेड/फॉर्म के फॉर्म पर वित्तीय अनुमान, गतिशीलता उपकरण के प्रकार, मेक और विशिष्टताओं का संकेत, विधिवत हस्ताक्षरित।

(ब) प्रमाणित करें कि आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(स) पुष्टि करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतः प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

गृह ऋण में ब्याज पर छूट

91. **पृष्ठभूमि** केंद्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध में विकलांगों और शांति के समय हताहत हुए लोगों के लिए घर के निर्माण के लिए बैंकों से ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से ब्याज की प्रतिपूर्ति करता है। 1991 से पहले की इस योजना की ऊपरी सीमा 70,000/- रुपये थी। ब्याज अनुदान की पात्रता के रूप में, भले ही लिया गया ऋण अधिक राशि का हो। एल आई सी, जी आई सी और हुडको सहित बैंकों या सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा लगाए गए ब्याज का 50% ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य था। इसे मई 1991 में संशोधित किया गया था, जिसकी ऊपरी सीमा बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये कर दी गई थी।

92. **उद्देश्य** इस अनुदान-सहायता का उद्देश्य युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध में विकलांगों और शांति के समय हताहतों (सभी रैंकों) को घर के निर्माण के लिए बैंकों से ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से राहत प्रदान करना है। युद्ध विधवा/युद्ध शोक संतप्त/युद्ध में विकलांग और शांतिकाल में हताहत होने वाले (सभी रैंकों के लिए) के लिए वित्तीय सहायता 1.00 लाख रुपये की अधिकतम ऋण राशि तक गृह ऋण पर 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है।

93. **वित्तीय सहायता** युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध में विकलांगों और शांतिकाल में घायल हुए लोगों के लिए घर बनाने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से की जाती है। ऋण राशि पर ब्याज अनुदान की ऊपरी सीमा रु. 1,00,000/- भले ही लिया गया ऋण अधिक राशि का हो। रु. 1,00,000/- की ऋण राशि (या उससे कम) पर एलआईसी, जीआईसी और हुडको सहित बैंक या सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा प्रति वर्ष लिए जाने वाले ब्याज के 50% तक की ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सब्सिडी (एक लाख से अधिक की राशि के लिए वार्षिक ब्याज का 50%) आवेदकों को मंजूरी की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए देय है, जो नीचे पैरा 94 में निर्धारित मानदंडों के अधीन है।

94. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:-

(अ) यह सुविधा केवल युद्ध में शोक संतप्त, युद्ध में विकलांगों और शांति के समय हताहतों के लिए लागू है।

(ब) ब्याज सब्सिडी 1,00,000/- रुपये, मात्र की अधिकतम ऋण राशि तक स्वीकार्य है। भले ही लिया गया ऋण अधिक राशि का हो। यह सेवानिवृत्त सैनिक के जीवन काल के दौरान केवल एक बार स्वीकार्य है। यदि सेवानिवृत्त सैनिक को यह सब्सिडी पहले दी जा चुकी है, तो उसकी पत्नी आवेदन नहीं कर सकती है।

(स) सब्सिडी का भुगतान पहली EMI के भुगतान की तारीख से पांच साल की अधिकतम अवधि तक या ऋण के अंतिम पुनर्भुगतान की तारीख तक (ऋण की अवधि पांच साल से कम होने की स्थिति में), जो भी पहले हो, तक किया जाएगा।

(द) एल आई सी, जी आई सी और हुडको सहित बैंक या सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभारित 1,00,000/- रुपये की ऋण राशि (या उससे कम) पर प्रति वर्ष ब्याज का 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(य) हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों को चुकाए गए गृह ऋण पर ब्याज के लिए ऑनलाइन आवेदन 01 अप्रैल से 180 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा।

95. **आवेदन फार्म** नमूना प्रपत्र केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। होम लोन पर ब्याज सब्सिडी को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: -

(अ) आवेदक को संबोधित बैंक/वित्तीय संस्थान से गृह ऋण स्वीकृति पत्र स्पष्ट रूप से ऋण की राशि, अवधि, ब्याज दर और संपत्ति का पता दर्शाता है।

(ब) अभी-अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जारी किए गए ब्याज भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से भुगतान की गई पूंजी राशि, भुगतान किया गया ब्याज और वित्तीय वर्ष जिसमें भुगतान किया गया हो। यह प्रमाणपत्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उसके जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। इस प्रमाणपत्र में स्वीकृत ऋण के विवरण सहित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण होना चाहिए।

(स) घर/प्लैट (विधिवत पंजीकृत) के बिक्री विलेख की फोटोकॉपी जिसमें मालिक का नाम और व्यक्तिगत विवरण, संपत्ति का पता, या खरीदे/निर्मित किए जा रहे जमीन/घर के स्वामित्व का प्रमाण, व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

(द) सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र।

(य) पी पी ओ (यथा लागू)।

(र) सेवानिवृत्त सैनिक के सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेज बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी तरह की कटिंग/ओवरराइटिंग को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।

(ल) वीरता पुरस्कार भाग- II आदेश (यथा लागू)।

(व) आधार कार्ड की प्रति।

(श) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात् बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या निरस्त चेक खाताधारक का विधिवत मुद्रित नाम, आई एफ एस सी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

96. **आवेदन का चैनल** सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा आवेदन 01 अप्रैल से 180 दिनों के भीतर, अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के पूरा होने पर, जिसमें बैंक या ऋणदाता एजेंसी द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है और ऋणी ने ऋण की चुकौती शुरू कर दी है, ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। यदि बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने की तिथि और EMI की शुरुआत के बीच अंतर है, तो आवेदक को रुपये की ऋण राशि के लिए भुगतान किए गए ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। 1,00,000/- (या उससे कम) पहले पांच वर्षों के लिए जिसमें EMI का भुगतान आवेदक द्वारा किया जाता है।

97. **भुगतान का नवीनीकरण**

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक को अनुच्छेद 95 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए, 01 अप्रैल से 180 दिनों के भीतर अगले चार वर्षों के लिए हर साल नए सिरे से केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(ब) सेवानिवृत्त सैनिक उस वर्ष को छोड़कर जिसमें ऋण स्वीकृत किया गया था, पहले पांच वर्षों के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे, क्योंकि बैंक से ब्याज भुगतान प्रमाण पत्र समाप्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद ही उपलब्ध होगा।

(स) यदि सेवानिवृत्त सैनिक उस वित्तीय वर्ष से पहले पांच वर्षों के दौरान बीच के किसी भी वर्ष के लिए नवीनीकरण भुगतान के लिए आवेदन करने में विफल रहता है जिसमें उसका गृह ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा स्वीकृत किया गया था, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए उसका दावा समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ऋणी सेवानिवृत्त सैनिक को केवल उस वित्तीय वर्ष के बाद पहले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान आवेदन करने की अनुमति है जिसमें उसका ऋण मंजूर किया गया था/ ईएमआई भुगतान शुरू हुआ था। उदाहरण के लिए उदाहरण नीचे संलग्न है।

- (i) बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण - मई 2018.
- (ii) भुगतान किए गए ब्याज के लिए प्राप्त बैंक प्रमाणपत्र - मार्च 2019.
- (iii) ऋण सस्सिडी के लिए आवेदन करें - 30 जून 2019 से पहले (180 दिनों के भीतर)
- (iv) सस्सिडी भुगतान का प्रथम वर्ष - 2019-20.
- (v) सस्सिडी भुगतान का द्वितीय वर्ष - 2020-21.
- (vi) सस्सिडी भुगतान का तीसरा वर्ष - 2021-22.
- (vii) सस्सिडी भुगतान का चौथा वर्ष - 2022-23.
- (viii) अनुदान भुगतान का पांचवां एवं अंतिम वर्ष- 2023-24.

98. **ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रमाण पत्र**

(अ) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचे और सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक सेवानिवृत्त सैनिक/ दिवंगत सैनिक की पत्नी के निम्नलिखित मूल दस्तावेज:-

- (i) पी पीओ (यथा लागू)।
- (ii) सेवानिवृत्त सैनिक के सेवा दस्तावेज/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेज बिना किसी पेज को खोए और बिना किसी बदलाव के क्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है)। अपलोड किए गए पृष्ठ सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में कोई भी कटिंग/ओवरराइटिंग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के निशान प्रविष्टि को अमान्य और शून्य कर देंगे।
- (iii) वीरता पुरस्कार भाग- II आदेश (यथा लागू) ।
- (iv) सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र।
- (v) आवासीय इकाई के लिए सरकारी वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, PSU आदि से गृह ऋण की स्वीकृति के लिए पत्र की प्रति।
- (vi) जिस जमीन पर घर बनाया जा रहा है या फ्लैट खरीदा जा रहा है, उसके स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण की प्रति।

- (vii) ऋणी को बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया EMI भुगतान प्रमाण पत्र, हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए गृह ऋण पर ब्याज दर्शाता है।
- (viii) मूल राशि 1.00 लाख रुपये पर संबंधित बैंक से गृह ऋण पर 50% वार्षिक ब्याज की गणना।
- (ix) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात् बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक, खाताधारक का विधिवत मुद्रित नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।
- (x) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'एच' पर रखा गया है।

परिशिष्ट 'डी'
(संदर्भ पैरा 22 (एफ))

गरीबी का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्त सैनिक संख्या _____ रैंक(सेवानिवृत्त) _____

नाम _____ पुत्र/श्रीमती _____ गांव का निवासी / मकान

नं _____ डाकघर/सड़क _____ कॉलोनी _____ तहसील / लैंड

मार्क _____ जिला/शहर _____ राज्य _____

पिन _____ राज्य/ केंद्र सरकार से कोई पेंशन/अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है।

स्थान _____ कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

सरपंच/पटवारी/बी डी ओ

तिथि _____

सरकारी मोहर के साथ

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

100% विकलांग बच्चे के लिए जीवन प्रमाण पत्र

(जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन जमा किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक/विधवा की संख्या _____
रैंक _____ नाम _____
सेवा **Army/Navy/Air Force** जन्मतिथि _____

हस्ताक्षर
जीवित है और आज मेरे सामने उपस्थित है।

अंगूठे का निशान

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

तिथि: _____

रैंक और नाम: _____

पदनाम: सहायक निदेशक/उप निदेशक/
सचिव जिला सैनिक बोर्ड

कार्यालय सील: कार्यालय: _____

जिला: _____

(प्रमाण पत्र AD/ DD/ JD/ संबंधित जिला सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा जारी किया जा सकता है)

सेवानिवृत्त सैनिक की अनाथ बेटी के लिए अविवाहित और जीवन प्रमाण पत्र

(अनाथ पुत्री द्वारा वर्तमान में वित्तीय वर्ष, ऑनलाइन 01 दिसम्बर से 31 मार्च के मध्य प्रस्तुत किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि पुत्री का नाम _____ D/o दिवंगत सेवानिवृत्तसैनिक संख्या _____ रैंक _____ नाम _____ सेवा: **सेना/नौसेना/वायु सेना.** जन्म तिथि (बेटी की) _____ जीवित है, अविवाहित है _____, और वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्त सैनिक के अनाथ बच्चे को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

अनाथ पुत्री के हस्ताक्षर

अनाथ पुत्री के अंगूठे का निशान

दिनांक _____ स्थान _____

उपरोक्त अनाथ बालिका आज जीवित एवं अविवाहित होकर मेरे सम्मुख उपस्थित है।

अनाथ और अविवाहित बेटी को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित करने के बाद

सचिव संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

स्थान _____

हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

रैंक और नाम _____

कार्यालय मुहर

पदनाम : सहायक निदेशक/उप निदेशक/

सचिव जिला सैनिक बोर्ड

कार्यालय _____

जिला _____

सेवानिवृत्त सैनिक के अनाथ पुत्र के लिए अविवाहित और जीवन प्रमाण पत्र
(21 वर्ष की आयु तक)
(अनाथ लड़के द्वारा 21 वर्ष की आयु तक 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच चालू वित्तीय वर्ष के दौरान
ऑनलाइन जमा किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि नाम _____ S/o पुत्र स्वर्गीय सेवानिवृत्त सैनिक संख्या _____ रैंक _____ नाम _____ सेवा: सेना/नौसेना/वायु सेना, जन्म तिथि (लड़का), _____ जीवित, अविवाहित और 21 वर्ष से कम आयु का है _____ और सेवानिवृत्त सैनिक के अनाथ बच्चे को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष _____ में पात्र है।

अनाथ लड़के के हस्ताक्षर

अनाथ लड़के के अंगूठे का निशान

दिनांक _____

स्थान _____

उपरोक्त अनाथ बालक आज मेरे सामने जीवित एवं उपस्थित है।

व्यक्तिगत रूप से अनाथ पुत्र प्रमाणीकरण के बाद सचिव संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

रैंक और नाम _____

कार्यालय मोहर

पदनाम : सहायक निदेशक/उप निदेशक/ सचिव
जिला सैनिक बोर्ड

कार्यालय: _____

जिला: _____

परिशिष्ट 'एच'
(संदर्भ पैरा 98 (ए) (एक्स))

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाणपत्र - गृह ऋण अनुदान पर ब्याज सब्सिडी

(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कृपया किसी भी योजना को मंजूरी देने से पहले सामान्य बिंदु पढ़ें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित दस्तावेजों की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और सही पाया है। निम्नलिखित दस्तावेजों में कोई विसंगति नहीं है:-

- (अ) पी पी ओ (यथा लागू)।
- (ब) सर्विस डॉक्यूमेंट/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को अनुक्रमिक तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है, बिना पेज/बदलाव के)।
- (स) वीरता पुरस्कार भाग II आदेश (यथा लागू)।
- (द) सेवानिवृत्त सैनिक पहचान पत्र।
- (य) सरकारी वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, पी एस यू से आवास इकाई के लिए गृह ऋण की स्वीकृति के लिए पत्र की प्रति।
- (र) जिस जमीन पर मकान बनाया जा रहा है या फ्लैट खरीदा जा रहा है, उसके स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण की प्रति।
- (ल) बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋणी को जारी किया गया EMI भुगतान प्रमाण पत्र, जो अभी-अभी समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए गृह ऋण पर ब्याज दर्शाता है।
- (व) संबंधित बैंक से रु. 1.00 लाख की मूल राशि पर गृह ऋण पर 50% वार्षिक ब्याज की गणना।

(i) ऋण राशि _____ रुपये

(ii) ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए विचारित ऋण की राशि - केवल 100,000/- रुपये।

(iii) EMI% के भुगतान की पुष्टि करने वाले बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्शाई गई वार्षिक ब्याज दर। .

(iv) अभी-अभी समाप्त वित्त वर्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा रु. 100,000/- के लिए भुगतान किए गए कुल ब्याज की गणना रु_____.

(v) व्यक्ति द्वारा अभी-अभी समाप्त वित्त वर्ष में उपरोक्त (iv) पर भुगतान किए गए ब्याज के 50% की गणना की गई है। रुपये_____ प्रतिपूर्ति के लिए अनुशंसित।

(श) बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात् बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया गया चेक विधिवत मुद्रित खाता धारक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम।

(ष) पुष्टि की कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है। अतःप्रकरण की संस्तुति की जाती है।

गोल मुहर:

स्थान:_____

दिनांक:_____

हस्ताक्षर : _____

रैंक:_____

नाम:_____

पदनाम:_____

नोट: - जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उपयोगकर्ता और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी व्यवस्थापक को आवेदक द्वारा दावा की जा रही राशि को सत्यापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के टिप्पणी बॉक्स में भी विवरण दर्ज करना होगा।

अध्याय 4

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से संस्थागत अनुदान

किरकी और मोहाली में लकवाग्रस्त पुनर्वास केंद्रों (पीआरसी) को अनुदान

1. भारत में दो पक्षाघात पुनर्वास केंद्र हैं। इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य भारत के रक्षा बलों के पैराप्लेजिक और टेट्राप्लेजिक कर्मियों की देखभाल करना है, जो रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण चिकित्सकीय रूप से बाहर हो गए हैं और जो सक्रिय सेवा के दौरान अपने अंगों को खो चुके हैं।

(अ) **पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, किरकी** महाराष्ट्र राज्य के किरकी में केंद्र की स्थापना भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति (स्वर्गीय) श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 20 सितंबर 1974 को 24 एकल रोगियों की प्रारंभिक क्षमता के साथ की गई थी। संस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और 1950 के बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण संख्या F/696/POONA के तहत पंजीकृत है और सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत भी पंजीकृत है। इसमें 80 रोगियों की बिस्तर क्षमता है। संस्थान का प्रबंधन सब एरिया कमांडर, पुणे की अध्यक्षता वाली एक प्रबंधन समिति द्वारा पदेन अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। संस्थान का प्रशासन चिकित्सा निदेशक, पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर द्वारा देखा जाता है जो प्रबंधन समिति के सचिव भी हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव प्रबंधन समिति की बैठक में पदेन सदस्य होते हैं।

(ब) संगठन की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई है वे इस प्रकार हैं:-

- (i) पैराप्लेजिक/टेट्राप्लेजिक 100% विकलांग सैनिकों को भर्ती करना।
- (ii) छोटी-मोटी बीमारियों के बाद देखभाल प्रदान करना।
- (iii) फिजियोथेरेपी/हाइड्रोथेरेपी सुविधाएं प्रदान करना।
- (iv) आश्रय कार्यशाला में व्यावसायिक चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (v) नौकरी देने सहित कल्याणकारी मामलों को देखना।
- (vi) सिविल से डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के पुनर्वास पर प्रशिक्षण।
- (vii) स्वस्थ परिवेश में मुफ्त आवास, कपड़े, बिस्तर, भोजन और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना।

(स) **लकवाग्रस्त पुनर्वास केंद्र, मोहाली** इसी तरह मोहाली में केंद्र की स्थापना 30 नवंबर 1978 को जनरल ओपी मल्होत्रा, पी वी एस एम, तत्कालीन सेना प्रमुख द्वारा की गई थी और यह 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजाब सरकार पंजीकरण फर्मों और सोसायटी प्रमाणपत्र संख्या 427 दिनांक 16 नवंबर 1978 के तहत पंजीकृत है। संस्थान में 30 रोगियों की बिस्तर क्षमता है। पी आर सी मोहाली के संचालन को जी ओ सी-इन-सी पश्चिमी कमान द्वारा चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय पश्चिमी कमान के माध्यम से संरक्षक पी आर सी और एम जी ए ओ सी, मुख्यालय पश्चिमी कमान द्वारा पी आर सी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियंत्रित किया जाता है। संस्थान का प्रशासन पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर के निदेशक द्वारा देखा जाता है, जो प्रबंधन समिति के सचिव भी हैं।

(द) जिन उद्देश्यों के लिए यह केंद्र स्थापित किया गया है वे इस प्रकार हैं: -

- (i) लकवाग्रस्त लोगों के लिए एक पुनर्वास केंद्र प्रदान करना और टेट्राप्लाजिक सेवानिवृत्त सैनिक के अन्दर जीने की ललक पैदा करने और उन्हें अपनी चिकित्सा फिटनेस के लिए स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित कर उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ii) स्वस्थ परिवेश में मुफ्त आवास, कपड़े, बिस्तर, भोजन और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करें।
- (iii) फिजियोथेरेपी/हाइड्रोथेरेपी सुविधाएं प्रदान करना।
- (iv) आश्रय कार्यशाला में व्यावसायिक चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (v) व्यावसायिक चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी की नियुक्ति प्रदान करके उनका पुनर्वास करना।
- (vi) उनकी कल्याणकारी समस्याओं जैसे आई आर एल ए, सशस्त्र बल भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, कम्प्यूटेशन, बीमा, पेंशन दावों और एफ के अंतिम निपटान की देखभाल करना।

2. **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा अनुदान** केन्द्रीय सैनिक बोर्ड दोनों लकवाग्रस्त पुनर्वास केंद्रों को निम्नानुसार अनुदान प्रदान करता है: -

क्र. सं.	संस्थान	बेड क्षमता	इनमेट ग्रांट (प्रति वर्ष प्रति इनमेट) (रुपये में)	स्थापना अनुदान (प्रति वर्ष) (रुपये में)
(अ)	पी आर सी, किर्की	80	30,000/-	1, 20,00,000/-
(ब)	पी आर सी, मोहाली	30	30,000/-	10,00,000/-

3. उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित व्यय निम्नलिखित पर निर्भर है:-

(अ) **इनमेट अनुदान**

- (i) इनमेट की संख्या में वृद्धि/कमी।
(ii) प्रति व्यक्ति वार्षिक इनमेट अनुदान में वृद्धि।

(ब) **स्थापना अनुदान** कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को छोड़कर इस अनुदान के तहत व्यय स्थिर रहता है।

4. पैराप्लोजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर अपने दावे को तिमाही आधार पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड को अग्रेषित करते हैं। दावा प्राप्त होने पर, के एस बी सचिवालय का लेखा अनुभाग मामले की जांच और प्रक्रिया करता है। यदि दावा सही पाया जाता है, तो एक नोट तैयार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, चेक उक्त संगठन को भेज दिया जाता है।

चेसायर होम्स/राफेल राइडर चेसायर इंटरनेशनल सेंटर को अनुदान

5. **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** सिद्धांत रूप में सामान्य सहमति थी कि चेसायर होम्स को यथासंभव सहायता दी जानी चाहिए ताकि सेवानिवृत्त सैनिक/आश्रित की देखभाल उनके द्वारा की जा सके। प्रबंध समिति ने 08 दिसंबर 86 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि रु. 200/- प्रतिमाह अक्टूबर 1986 से प्रति सेवानिवृत्त सैनिक /आश्रित को केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सैनिक बोर्ड निम्नलिखित चेसायर होम्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

(अ)	चेसायर होम, दिल्ली	रुपये 15,000/-प्रतिवर्ष.(प्रति इनमेट)
(ब)	राफेल राइडर इंटरनेशनलचेसायर होम, देहरादून	रुपये 15,000/-प्रतिवर्ष.(प्रति इनमेट)
(स)	चेसायर होम, लखनऊ	रुपये 15,000/- प्रतिवर्ष.(प्रति इनमेट)

6. **उद्देश्य** चेसायर होम्स कुष्ठ रोगियों, मानसिक रूप से विकलांग रोगियों, क्रोनिक स्पास्टिक/पैराप्लोजिक और टीबी रोगियों की देखभाल करते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेवानिवृत्त सैनिक /आश्रितों के लिए रखरखाव अनुदान प्रदान करता है जो उपरोक्त चेसायर होम/केंद्र में इनमेट हैं।

7. **अनुदान** प्रारंभ में रु. 2,400/- प्रति वर्ष प्रति सेवानिवृत्त सैनिक/उसके आश्रित रोगी को 01 अप्रैल 86 से प्रदान किया जा रहा था। बाद में इसे 01 अक्टूबर 89 से बढ़ाकर 6,000/- प्रति वर्ष कर दिया गया और आगे 01 अप्रैल 1996 प्रति वर्ष प्रति सेवानिवृत्त सैनिक /उसके आश्रित रोगी को बढ़ाकर रु. 9,000/- कर दिया गया। 01 अप्रैल 2021 से रु. 15,000/- प्रति वर्ष प्रति सेवानिवृत्त सैनिक /उसके आश्रित रोगी के लिए बढ़ाया गया।

8. **अनुदान का चैनल** दावा उनके अध्यक्ष / उपरोक्त घरों के सचिव द्वारा रोगियों की नामावली रोल के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
9. **केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा अग्रिम कार्यवाही** दावा प्राप्त होने पर, लेखा अनुभाग द्वारा उसकी जांच और प्रक्रिया की जाती है। सही पाए जाने पर एक नोट तैयार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
10. **भुगतान प्रक्रिया** सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, चेक उक्त संगठन को भेज दिया जाता है।

रेजिमेंटल केंद्रों में युद्ध स्मारक छात्रावासों (WMH) को अनुदान

11. युद्ध स्मारक छात्रावासों (WMH) का निर्माण विभिन्न रेजिमेंटल केंद्रों में युद्ध विधवाओं के बच्चों, युद्ध विकलांगों और शांति के समय हताहतों, जिनकी अक्षमता/मृत्यु विभिन्न अभियानों में भाग लेने के कारण हुई है, को आश्रय प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था। 05 अक्टूबर 1981 को आयोजित अपनी 6वीं बैठक में युद्ध शोक संतप्त निधि (जिसे अब सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष कहा जाता है) की प्रबंध समिति ने निर्माण के लिए प्रत्येक रेजिमेंटल केंद्र (गैर-आवर्ती अनुदान) को तीन लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। संबंधित मामलों के वार्डों के लिए प्रति माह 100/- रुपये की आवर्ती अनुदान भी उक्त बैठक में स्वीकृत की गई थी। वही समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
12. 28 जनवरी 14 को आयोजित सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की कार्यकारी समिति (EC) की एक विशेष बैठक में गैर सर्विस मामलों में मृत्यु के रूप में वर्गीकृत सेवा कर्मियों के वार्डों के संबंध में रखरखाव अनुदान को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 675/- रुपये से 1350/- रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। वर्तमान में अनुरक्षण अनुदान रू. 1350/- प्रति इनमेट प्रति माह है।
13. रक्षा कार्मिकों (तीनों सेवाओं) के बच्चों को इन छात्रावासों में निम्नलिखित प्राथमिकताओं के क्रम में प्रवेश दिया जाता है:-

- (अ) युद्ध विधवाओं के वार्ड।
- (ब) युद्ध विकलांगों के वार्ड।
- (स) सर्विस मामलों के दौरान हार्नेस/अक्षमता के वार्ड।
- (द) गैर-सर्विस मामलों के दौरान हार्नेस/अक्षमता धटना के वार्ड। (हार्नेस में मृत्यु)

14. वर्तमान में 36 युद्ध स्मारक छात्रावास केंद्रीय सैनिक बोर्ड से रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए इनमेट अनुदान को प्राप्त कर रहे हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध स्मारक छात्रावासों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से रू. 1350/- प्रति बच्चा प्रति माह रु. की दर से आवर्ती अनुदान प्रदान करता है। यह अनुदान उन बच्चों के लिए है जो पास के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ रहे हैं। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि अनुदान उन बच्चों के लिए स्वीकार्य नहीं है जो किसी विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इस बात पर जोर दिया जाए कि अनुदान किसी विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों के लिए स्वीकार्य नहीं है। ये बच्चे बाद के वर्ष में कक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुदान के पात्र हो जाते हैं।

15. वॉर मेमोरियल हॉस्टल (WMH) केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सचिवालय को वार्षिक आधार पर अपने दावे अग्रेषित करता है। दावा प्राप्त होने पर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय का लेखा अनुभाग मामले की जांच और प्रक्रिया करता है। यदि दावा सही पाया जाता है, तो एक नोट तैयार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, चेक को छात्रावास में भेज दिया जाता है।

अखिल भारतीय गोरखा सेवानिवृत्त सैनिक एसोसिएशन, देहरादून को वित्तीय अनुदान

16. ऑल इंडिया गोरखा एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर एसोसिएशन (AIGWEA) की स्थापना 1950 में अंग्रेजों द्वारा उन सैनिकों के पुनर्वास के लिए धन इकट्ठा करने के लिए की गई थी, जिन्हें युद्ध की समाप्ति के बाद हटा दिया जाना था। 13 अप्रैल 1993 को AIGWEA की निधि को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के साथ एकीकृत किया गया था। भारतीय गोरखा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, देहरादून को प्रति वर्ष 12 लाख रुपये का अनुदान सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (AFFDF) से प्रदान किया जाता है।

सैनिक विश्राम गृह (SRHs)

17. सेंट्रल सैनिक विश्राम गृह (SRHs), नई दिल्ली सहित देश भर में 348 सैनिक विश्राम गृह (CSRH) हैं। इन विश्राम गृहों का उद्देश्य युद्ध-विधवाओं, विकलांग सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिक और परिवारों/आश्रितों को आश्रय प्रदान करना है, जब वे पूर्व सैनिकों की पेंशन, चिकित्सा/सी एस डी आवश्यकता, यात्रा के दौरान और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण स्थानों से आते हैं। इसके माध्यम से भोजन और आवास की उचित और किफायती सेवा मिलती है। प्रत्येक राज्य के सैनिक विश्राम गृह का विवरण अध्याय 11 में दिया गया है।

18. **निर्माण की 50% लागत** केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के पूर्व (और देय) अनुमोदन के बाद, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय नए सैनिक विश्राम गृह के निर्माण की लागत का 50% साझा करता है; अंततः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने संसाधनों/निधियों से बनाए रखा जाएगा।

19. **विशेष पहाड़ी राज्यों का वार्षिक रखरखाव** केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर (UT), उत्तराखंड आदि बारह विशेष पहाड़ी राज्यों में से प्रत्येक को वार्षिक रखरखाव के लिए प्रति सैनिक विश्राम गृह 50,000.00 रुपये प्रदान करता है।

20. **सेंट्रल सैनिक रेस्ट हाउस (CSRH)** अत्याधुनिक सेंट्रल सैनिक रेस्ट हाउस (सी एस आर एच) की स्थापना 23 जुलाई 2017 को नरैना, नई दिल्ली में की गई थी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय द्वारा बनाए गया यह सेंट्रल सैनिक रेस्ट हाउस एक आत्मनिर्भर उद्यम है और अतिरिक्त रूप से राज्य सैनिक बोर्ड, दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सेंट्रल सैनिक रेस्ट हाउस का विवरण परिशिष्ट 'पी' में शामिल है।

अध्याय- 5

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS)

सामान्य जानकारी

1. **पृष्ठभूमि** सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा शर्तें बेहद कठिन, कठोर और चुनौतीपूर्ण हैं। सशस्त्र बल के कर्मी, विशेष रूप से निचले रैंक के कर्मचारी बहुत कम उम्र में सीमित पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होते हैं और वे लंबित घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहते हैं। वे आम तौर पर बहुत मामूली/गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके लिए उच्च शिक्षा विशेष रूप से अपने बच्चों की तकनीकी/व्यावसायिक पढ़ाई के लिए धन जुटाना मुश्किल होता है। इसके अलावा, उग्रवाद विरोधी अभियानों में वृद्धि के कारण, हर साल हताहतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। यह एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहा है जिसमें बहुत सी विधवाओं और बच्चों को नैतिक और वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत है। इस प्रकार, सेवानिवृत्त सैनिक और उनके वार्डों के कल्याण को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्र के लिए रक्षा कर्मियों की सेवा को याद करने के लिए, प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) शैक्षणिक वर्ष 2006-07 से शुरू की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों / पूर्व-तट रक्षक कर्मियों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित को प्रोत्साहित करना था। उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण की देखभाल करता है, जिसे रक्षा मंत्रालय (सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण विभाग) के तत्वावधान में योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय रक्षा कोष से वित्त पोषित है।

2. **उद्देश्य** प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिक / पूर्व तट रक्षक कर्मियों के आश्रित वार्डों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को पेशेवर / तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है, केवल अधिकारी रैंक से नीचे (अधिकारियों के लिए, केवल श्रेणी एक से पांच शामिल हैं)।

3. **उपलब्ध छात्रवृत्ति की संख्या** शैक्षणिक वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक इस योजना के तहत कुल 4000 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से, लड़कों और लड़कियों के लिए समान अनुपात में छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाकर 5500/- रुपये सालाना कर दी गई है (यानी प्रत्येक 2750/- रुपये)।

4. **छात्रवृत्ति राशि का संशोधन** प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति की प्रारंभिक वार्षिक राशि लड़कों के लिए 15,000/- रुपये और लड़कियों के लिए 18,000/- रुपये थी। शैक्षणिक वर्ष 2012-13 से, छात्रवृत्ति की दर को संशोधित कर लड़कों के लिए 24,000/- रुपये प्रति वर्ष और लड़कियों के लिए 27,000/- रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से छात्रवृत्ति की दर लड़कों के लिए 30,000/- रुपये और लड़कियों के लिए 36,000/- रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

5. लाभार्थियों का विवरण / पिछले 05 वित्तीय वर्षों में भुगतान की गई राशि किए गए भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की कुल संख्या			वितरित की गई कुल राशि
		छात्र	छात्रा	कुल	
(अ)	2017-18	5598	5712	11310	29,15,58,030/-
(ब)	2018-19	6636	6614	13250	34,21,96,840/-
(स)	2019-20	7046	7242	14288	40,15,87,204/-
(द)	2020-21	5185	5443	10628	35,29,71,626/-
(य)	2021-22	8061	7892	15953	53,23,59,623/-
(र)	2022-23	7746	7909	15655	52,54,27,886/-

आवेदन कैसे करें

6. पात्रता की शर्तें छात्रवृत्ति के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:-

(अ) जिन छात्रों ने पाठ्यक्रम के प्रथम शैक्षणिक वर्ष (प्रथम वर्ष) में प्रवेश लिया है, वे ही PMSS के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल <https://ksb.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(ब) दूसरे और बाद के वर्षों में पढ़ने वाले छात्र एकीकृत / पार्श्व प्रवेश पाठ्यक्रमों के मामले को छोड़कर पात्र नहीं हैं।

(स) ऐसे छात्र जो सेवानिवृत्त सैनिक / पूर्व तट रक्षक कर्मियों के आश्रित वार्ड / दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जो सैन्य सेवा/तट रक्षक सेवा के लिए जिम्मेदार कारणों से हार्नेस/अक्षमता में मृत्यु हो गई, चाहे रैंक कुछ भी हो।

(द) सेवानिवृत्त सैनिकों/ पूर्व तटरक्षक कर्मियों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित (केवल श्रेणी एक से पांच को छोड़कर अधिकारी रैंक से नीचे)।

(य) पैरा मिलिट्री कार्मिक सहित सिविलियनों के आश्रित पात्र नहीं हैं।

(र) PM छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास MEQ (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता) में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए MEQ भिन्न है उदाहरण MBBS के लिए यह 10+2 है, BE/ B-Tech के लिए यह 10+2 / डिप्लोमा है, जबकि B.Ed. और MBA के लिए स्नातक है।

(ल) संबंधित नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की अवधि एक से पांच वर्ष तक है। छात्रवृत्ति का भुगतान केवल पाठ्यक्रम अवधि के लिए किया जाता है।

(व) पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण होने या दोबारा परीक्षा देने पर छात्रवृत्ति बंद कर दी जाती है।

(श) व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात् B. Tech, BBA, BCA, B. Pharma, BDS, MBBS, MCA, MBA इत्यादि संबंधित सरकारी नियामक निकायों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हैं, जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, UGC शामिल हैं। (प्रामाणिक: PMO ID No 83(2)/2012-PMF (Vol. II) dated 14 Sep 2015)।

(ष) मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम MBA और MCA. को छोड़कर PMSS के लिए पात्र नहीं हैं।

(स) विदेश में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

(ह) शैक्षणिक पाठ्यक्रम जैसे B.Sc., M.Sc., BA, MA, B.Com, M.Com और उनकी विभिन्न धाराएं/उप धाराएं भी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

(क्ष) दूरस्थ शिक्षा / डिप्लोमा पाठ्यक्रम इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

(त्र) उम्मीदवार के पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (अधिमानत: SBI/PNB में) एक बैंक खाता होना चाहिए / खोलना चाहिए, जिसमें "इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम" / कोर बैंकिंग है और छात्रवृत्ति राशि के हस्तांतरण की सुविधा के लिए छात्र की आधार संख्या से जुड़ा होना चाहिए।

(ज्ञ) छात्रवृत्ति एक व्यक्ति के केवल दो बच्चों के लिए स्वीकार्य है।

(अब) किसी छात्र की उम्मीदवारी स्वतः खारिज हो जाएगी यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि उसने झूठा स्टेटमेंट बनाकर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति हासिल की है।

(अस) PM छात्रवृत्ति सेवानिवृत्त सैनिक के आश्रित वार्डों के लिए पात्र है यानी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 25 वर्ष की आयु तक के छात्र वार्ड और छात्रा वार्ड के विवाह होने तक। अविवाहित उम्मीदवार के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

(अद) चयनित छात्र द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन और बाद के शैक्षणिक वर्ष में नया प्रवेश प्राप्त करने पर उसकी छात्रवृत्ति हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी।

(अय) **छात्रवृत्ति अनुदान के लिए प्राथमिकता।** उम्मीदवारों के चयन के लिए वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा: -

श्रेणी-1 आश्रित/ कार्रवाई में मारे गए रक्षा / तटरक्षक बल के जवान की विधवा।

श्रेणी-2 सेवानिवृत्त सैनिक/ तट रक्षक कर्मियों के अक्षम आश्रित हैं और सैन्य/ तटरक्षक सेवा के कारण अक्षमता के साथ सेवा से बाहर हो गए हैं।

श्रेणी-3 रक्षा/सेवानिवृत्ततटरक्षक कार्मिकों के आश्रित/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों जिनकी सेवा के दौरान सैन्य/ तटरक्षक सेवा के कारण मृत्यु हो गई।

श्रेणी-4 सैन्य/तटरक्षक सेवा के कारण अक्षम सेवानिवृत्त सैनिक / पूर्व तट रक्षक कर्मियों के आश्रित।

श्रेणी- 5 वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सैनिक / तट रक्षक कर्मियों के आश्रित / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों ।

श्रेणी-6 सेवानिवृत्त सैनिक/सेवानिवृत्ततट रक्षक कर्मियों के आश्रित/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों (केवल PBOR)।

7. **आवेदन फार्म** आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना आवश्यक है। फॉर्म केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि को सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए। MB के मामले में छवि का आकार ऑनलाइन उल्लेख किया गया है:

(अ) सेवानिवृत्त सैनिक / पूर्व तटरक्षक प्रमाण पत्र '**परिशिष्ट 'जे'** में दिया गया है (मूल प्रतिलिपि स्वप्रमाणित, स्कैन और अपलोड किया जाना है)।

(ब) विधिवत सही ढंग से भरा हुआ वास्तविक प्रमाण पत्र और अनुबंध-2 के अनुसार संस्थान/कॉलेज के उप कुलपति/ प्राचार्य/ उप प्रधानाचार्य/डीन/ एसोसिएट डीन/ रजिस्ट्रार/ उप रजिस्ट्रार/ निदेशक/ उप निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित (मूल प्रतिलिपि स्वप्रमाणित, स्कैन और अपलोड किया जाना है)।

(स) बैंक प्रबंधक से प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि छात्र का आधार कार्ड उसके बैंक खाता संख्या के साथ अनुबंध-3 के अनुसार जुड़ा हुआ है (मूल प्रतिलिपि स्वप्रमाणित, स्कैन और अपलोड किया जाना है)।

(द) छात्र के जन्म की तारीख को सत्यापित करने के लिए मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (मूल प्रतिलिपि स्वप्रमाणित, स्कैन और अपलोड किया जाना है)।

(य) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एम ई क्यू) प्रमाण पत्र जो लागू हो। (10 + 2 / स्नातक की 3 साल अंकतालिकाएँ) / डिप्लोमा (सभी सेमेस्टर की अंकतालिकाएँ)। (मूल प्रतिलिपि स्वप्रमाणित, स्कैन और अपलोड किया जाना है)।

(र) बैंक पास बुक का पहला पृष्ठ (अधिमानत:SBI/ PNB) या रद्द किया गया चेक जिसमें छात्र का नाम और खाता संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो (मूल प्रतिलिपि स्वप्रमाणित, स्कैन और अपलोड किया जाना है)।

(ल) श्रेणी 1 से 5 के मामले में निम्नलिखित सहायक दस्तावेज (मूल प्रतिलिपि स्कैन और अपलोड किए जाने हैं) :-

(i)	वर्ग- 1	सेना के मामले में भाग- II आदेश, नौसेना के मामले में जेनफॉर्म और वायु सेना के मामले में पी ओ आर।
(ii)	वर्ग- 2	
(iii)	वर्ग- 3	
(iv)	वर्ग- 4	
(v)	वर्ग- 5	राजपत्र अधिसूचना के साथ पुरस्कार प्रमाण पत्र।
(vi)	वर्ग- 6	PPO या सेवानिवृत्त सैनिकों का पहचान पत्र।

(व) छात्र का आधार कार्ड (मूल प्रतिलिपि स्वप्रमाणित, स्कैन और अपलोड किया जाना है) ।

8. **आवेदन का चैनल** आवेदन को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के पात्र आश्रितों द्वारा 15 नवंबर तक ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए सफल पंजीकरण पर, व्यक्ति को एक सिस्टम जनरेटेड एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए। सभी दस्तावेजों को सफलतापूर्वक अपलोड करने पर, आवेदन को सहेज कर ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता है। संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा सही पाए जाने वाले आवेदनों की सिफारिश की जाएगी और संबंधित राज्य सैनिक बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का नवीनीकरण

9. **अनुवर्ती छात्रवृत्ति का नवीनीकरण** दूसरी और बाद की छात्रवृत्ति के लिए सभी नवीनीकरण आवेदन सीधे केंद्रीय सैनिक बोर्ड को ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। नवीनीकरण आवेदन विशेष शैक्षणिक वर्ष के परिणामों की घोषणा के एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए छात्र को अपनी परीक्षा में 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। छात्र को बिना असफल हुए पहले प्रयास में सभी विषयों में पास होना चाहिए। पुनः परीक्षा में बैठने/असफल होने वाले मामले छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, यदि छात्र विषय के लिए फिर से उपस्थित हुए बिना पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुआ है, तो वह छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए पात्र होगा।

परिशिष्ट 'जे'
(संदर्भ पैरा 7 (ए))

सेवानिवृत्त सैनिक / सेवानिवृत्त तट रक्षक प्रमाण पत्र की नमूना प्रति

(डिस्चार्ज बुक के बदले)

(केवल नीली स्याही वाले पेन का प्रयोग करें)

1.	सेवा का प्रकार (सेना/नौसेना/वायु सेना/तटरक्षक)		2.	सेवा संख्या	
3.	रैंक		4.	सेवानिवृत्त सैनिक का नाम	
5.	नामांकन की तिथि	____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)	6.	सेवामुक्ति / सेवानिवृत्ति की तारीख	____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)
7.	PPO संख्या		8.	सेवा वर्ष की अवधि	____ वर्ष और ____ महीने
9.	सेवामुक्ति /सेवानिवृत्ति का कारण				
10.	सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी पहचान पत्र संख्या और दिनांक		11.	पहचान पत्र जारी करने वाले जिला सैनिक बोर्ड का नाम	

12.	PM छात्रवृत्ति (PMSS) आवेदन करने वाले छात्र सहित सभी आश्रित बच्चों का विवरण :-					
क्र सं	नाम	जन्म तिथि	लिंग	विवाहित / अविवाहित	सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद जन्म हुआ	PMSS पहले प्राप्त / उपयोग नहीं किया गया
(अ)						
(ब)						
(स)						
नोट:- यदि वार्ड का जन्म भूतपूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति/ सेवामुक्ति के बाद हुआ है तो एक शपथ पत्र/स्वयं प्रमाण पत्र स्कैन करें और अपलोड करें।						
13.	सेवानिवृत सैनिक की मृत्यु की तिथि (यदि लागू हो)	_____/_____ /_____(dd/mm/ yyyy)	14.	मृत्यु का कारण (यदि लागू हो)		
15.	क्या मृत्यु/विकलांगता सैन्य/तटरक्षक सेवा के कारण हुई थी?				हां/नहीं (टिक आउट करें)	
16.	<p>सेवानिवृत सैनिक की श्रेणी ____ (सेवानिवृत्ति सैनिक के दस्तावेजों का आकलन करने के बाद नीचे दी गई प्राथमिकता के अनुसार श्रेणी 1 से 6 भरें) :-</p> <p>छात्रवृत्ति प्रदान करने को प्राथमिकता उम्मीदवारों के चयन के लिए वरीयता क्रम इस प्रकार होगा:-</p> <p>श्रेणी 1 आश्रितों/ सेवानिवृत सैनिकों की विधवाएं / कार्रवाई में मारे गए पूर्व तट रक्षक कर्मी ।</p> <p>श्रेणी 2 आश्रितों/ सेवानिवृत सैनिकों की विधवाएं /कार्रवाई में अक्षम पूर्व तट रक्षक कर्मी। और सैन्य/तटरक्षक सेवा के कारण अक्षमता के साथ सेवा से बाहर हो गए।</p> <p>श्रेणी 3 सेवानिवृत सैनिक / पूर्व तटरक्षक कर्मियों की आश्रितों / विधवाएं, जो सैन्य / तटरक्षक सेवा के लिए जिम्मेदार कारणों से सेवा के दौरान मारे गए।</p> <p>श्रेणी 4 सेवानिवृत सैनिकों के आश्रितों / विधवाएं / सैन्य / पूर्व तट रक्षक कर्मी सेवा के दौरान अक्षम। वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत सैनिकों /पूर्व तट रक्षक कर्मियों के आश्रितों/विधवाएं।</p> <p>श्रेणी 5 सेवानिवृत सैनिकों के आश्रितों / विधवाएं /वीरता पुरस्कार प्राप्त पूर्व तट रक्षक कर्मी ।</p> <p>श्रेणी 6 सेवानिवृत सैनिकों / पूर्व तट रक्षक कर्मियों (केवल PBOR) के आश्रितों/विधवाएं।</p>					

जिला सैनिक बोर्ड/ CG के लिए निर्देश

1. इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले सेवानिवृत्त सैनिकों की डिस्चार्ज बुक में छात्र के विवरण/निर्भरता की जांच करें, श्रेणी के लिए प्रमाण, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र/जन्म तिथि के लिए मार्कशीट, MEQ प्रमाण पत्र, आधार कर्ड, बैंक खाता पास बुक (अधिमानत: SBI/PNB), अनुलग्नक 2 और 3 और शपथ पत्र / स्वयं प्रमाण पत्र, यदि छात्र सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुआ हो।
2. 'के लिए' हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सेवानिवृत्त सैनिकों / पूर्व तट रक्षक कर्मियों की डिस्चार्ज बुक से जांची गई है, सही पाई गई है और सेवानिवृत्त सैनिकों का नाम इस जिला सैनिक बोर्ड / DGCG के साथ पंजीकृत किया गया है।

दिनांक:
स्थान

जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय की गोल मोहर

(सचिव जिला सैनिक बोर्ड /
DGCG के हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर
करने वाले अधिकारी की रबर
मुहर लगाई जाए)

अध्याय 6

केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध लाभ

युद्ध विधवाओं को रेल यात्रा रियायतें

1. **परिचय** रेल मंत्रालय के पत्र सं. टी सी-11/2066/89/शौर्य पुरस्कार दिनांक 21 मार्च 1989 के प्रावधानों के तहत, युद्ध विधवाओं को द्वितीय शयनयान श्रेणी में 75% रेल यात्रा रियायत प्रदान की गई है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर यह रियायत प्राप्त की जा सकती है।
2. **उद्देश्य** इसका उद्देश्य उन युद्ध विधवाओं को कुछ राहत प्रदान करना है जिनके पति ने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया।
3. **पात्रता की शर्तें** भारत सरकार, रेल मंत्रालय ने भारतीय शांति सेना के हताहतों और आतंकवादियों और चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए लोगों सहित युद्ध विधवाओं को द्वितीय शयनयान श्रेणी के रेल किराए में 75% रियायत दी है।
4. **आवेदन प्रक्रिया** जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को RSBs/ROs के माध्यम से परिचालित प्रारूप के अनुसार आवेदन, आवेदक द्वारा संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विधिवत पूरा करके जमा किया जाना है:-
 - (अ) पी पी ओ की प्रति।
 - (ब) आश्रित को जारी डिस्चार्ज बुक/सेवा विवरण की प्रति।
 - (स) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी युद्ध विधवा पहचान-पत्र की प्रति।
 - (द) दो नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
 - (य) नई दिल्ली में देय "सशस्त्र सेना इंडा दिवस कोष" के पक्ष में 50/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट / पोस्टल ऑर्डर।
 - (र) पुराने पहचान-पत्र के खो जाने/कटे-फटे होने के कारण रेल यात्रा रियायत के लिए डुप्लीकेट पहचान-पत्र के लिए आवेदन करने की स्थिति में, FIR की प्रति और पुराने पहचान-पत्र को वापस करने के शपथ-पत्र की प्रति, यदि बाद में मिल जाए या कट-फट-पहचान- उपरोक्त (अ) से (य) के अतिरिक्त यथा लागू कार्ड जमा किया जाना है।

5. **जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी) द्वारा कार्रवाई** जिला सैनिक कल्याण अधिकारी शुद्धता के लिए आवेदन की जांच करता है और वास्तविकता के लिए जुड़े दस्तावेजों को सत्यापित करता है। सभी सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन को सामने से विधिवत रूप से सत्यापित किया गया है, लेकिन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के रबर स्टैम्प के साथ उलटे चिपकाए गए आवेदक की तस्वीरों को काउंटर हस्ताक्षर के लिए मृतक सैनिक के संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को भेज दिया जाता है।

6. **अभिलेख कार्यालय द्वारा कार्रवाई** आवेदन प्राप्त होने पर रिकॉर्ड कार्यालय अपने कार्यालय में रखे रिकॉर्ड के साथ आवेदन पर प्रदान किए गए विवरण की सत्यता की पुष्टि करता है। सही पाए गए आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाते हैं और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, नई दिल्ली को अग्रेषित किए जाते हैं।

7. **केंद्रीय सैनिक बोर्ड में प्रसंस्करण** शुद्धता के लिए आवेदनों और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाती है। टिप्पणियों, यदि कोई हो, को सुधार के लिए अभिलेख कार्यालय/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सूचित किया जाता है। सही पाए गए आवेदनों को आई-कार्ड तैयार करने के लिए संसाधित किया जाता है और आवेदन में उल्लिखित स्थायी पते पर संबंधित युद्ध विधवा को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है।

विशेष नेत्रहीन पेंशन

8. **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** एक सेवानिवृत्त सैनिक जो सैन्य सेवा के कारण कुल या आंशिक दृष्टिहीनता के कारण अपनी आजीविका अर्जित करने से वंचित है, उसे विशेष नेत्रहीन पेंशन दी जा रही है। यह विशेष पेंशन उन नेत्रहीन सेवानिवृत्त सैनिकों को प्रदान की जाती है जिनकी दृष्टिहीनता 20% से अधिक विकलांगता के साथ सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है। यह सुविधा पहली बार 1942 में शुरू की गई थी। तब से समय-समय पर संशोधित विशेष पेंशन की दरें इस प्रकार हैं:-

क्रमांक	से	तक	दर प्रति माह
(अ)	1942	31 मई 1950	रूपये 5.00
(ब)	01 जून 1950	31 मार्च 1969	रूपये 10.00
(स)	01 अप्रैल 1969	31 दिसम्बर 1972	रूपये 15.00
(द)	01 जनवरी 1973	02 जुलाई 1982	रूपये 30.00
(य)	03 जुलाई 1982	30 सितम्बर 2001	रूपये 50.00
(र)	01 अक्टूबर 2001	31 मई 2017	रूपये 500.00
(ल)	01 जून 2017	अब तक	रूपये 4,000.00

9. **उद्देश्य** सैन्य सेवा के कारण 20% से अधिक विकलांगता वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को विशेष नेत्रहीन पेंशन प्रदान करना।

10. **अनुदान** केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नेत्रहीन सेवानिवृत्त सैनिकों को 4,000/- रुपये प्रति माह की विशेष नेत्रहीन पेंशन देता है। विशेष नेत्रहीन पेंशन सेवानिवृत्त सैनिकों के सेवा तत्व और उसकी पेंशन के विकलांगता तत्व के अधिकार से अलग है।

11. **अनुदान का चैनल** विशेष नेत्रहीन पेंशन के लिए आवेदन प्रारंभिक रूप से सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को बेरोजगारी प्रमाण पत्र, शीट रोल और चिकित्सा इतिहास के साथ अग्रेषित किया जाता है। दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद, संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन को रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा पी सी डी ए (पेंशन) प्रयागराज को भेज दिया जाता है।

12. **केंद्रीय सैनिक बोर्ड में प्रसंस्करण** पी सी डी ए (पेंशन) प्रयागराज मामले की जांच करता है और अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिश और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड को अग्रेषित करता है। एक बार सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद, स्वीकृति पत्र के साथ सभी दस्तावेज विशेष नेत्रहीन पेंशन जारी करने के लिए पी सी डी ए (पेंशन) प्रयागराज को वापस भेज दिए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा नामित मेडिकल और डेंटल कालेजों में रक्षा मंत्रालय कोटा की आरक्षित सीटें

13. **परिचय** 1967 के बाद से हर साल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय को MBBS/BDS के लिए कुछ सीटें आवंटित करता है, जो कि रक्षा कर्मियों यानी (सेना, नौसेना और वायु सेना) के आश्रितों के लिए केंद्रीय पूल कोटा के तहत होती है, ।

14. **योग्यता मापदंड**

(अ) योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।

(ब) DESW, MoD पत्र संख्या 6(1)/2017/D (Res. II) दिनांक 21 मई 2018 के अनुसार प्राथमिकता-I से प्राथमिकता-IX तक सेना, नौसेना और वायु सेना के रक्षा कर्मियों के केवल वार्ड/विधवा/पत्नियां योजना के लिए योग्य हैं। ब्यौरे आगे के अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

(स) CBSE द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर भारत सरकार के नामांकित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित केंद्रीय सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जो उम्मीदवार NEET कालीफाई नहीं करते हैं, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(द) FHQ/MoD, DRDO में काम कर रहे नागरिकों/नागरिकों के वार्ड और DSC, GREF, Para Military/ CAPF कर्मियों के वार्ड पात्र नहीं हैं।

(य) यह सुविधा परिवार के केवल एक सदस्य के लिए स्वीकार्य है।

(र) उम्मीदवारों को शैक्षणिक सत्र के 31 दिसंबर को 17 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए जिसमें प्रवेश मांगा गया है।

(ल) 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र आवेदन न करें। बेटियां यदि विवाहित हैं, आश्रित नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

15. **निर्देश** आवेदकों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाना है:-

(अ) योग्य उम्मीदवार द्वारा आवेदन नीचे दिए गए पैरा 16 में दिए गए सहायक दस्तावेजों के साथ **ऑनलाइन** जमा किया जाना है। जमा करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। **सेवारत कार्मिक OIC रिकॉर्ड्स द्वारा विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे।**

(ब) एक गलत या भ्रामक प्रविष्टि आवेदन की अस्वीकृति का कारण बनेगी।

(स) चयनित उम्मीदवारों को सीधे केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग नंबर 7, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से काउंसलिंग की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।

(द) चयनित उम्मीदवार जो काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं/नहीं आना चाहते हैं, उन्हें अपनी इच्छा/अनिच्छा टेलीफोन के साथ-साथ फैक्स या ईमेल नंबर 011- 26192362, ई-मेल आईडी - jd.cksb-mod@gov.in या डाक द्वारा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय द्वारा दी गई निर्दिष्ट तिथि के भीतर भेजनी चाहिए। इच्छा/अनिच्छा प्रमाण पत्र का प्रारूप ऑनलाइन उपलब्ध है।

(य) चयनित उम्मीदवार जो निर्दिष्ट तिथि पर काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने में विफल रहते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनकी सीट मेरिट में अगले उम्मीदवार को दे दी जाएगी। यदि अपरिहार्य कारणों से, काउंसलिंग की तारीख उम्मीदवार की सुविधा के अनुसार नहीं है, तो उसे बाद की तारीख के लिए लिखित (ई-मेल) में सूचित करना होगा। हालाँकि, पुनर्निर्धारण परामर्श तिथि केवल एक बार की अनुमति है।

(र) कोई भी उम्मीदवार जिसे MBBS/BDS सीट की पेशकश की जाती है, लेकिन उसने केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय द्वारा उल्लिखित विशिष्ट तिथि तक इच्छा / अनिच्छा प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसकी सीट मेरिट में अगले उम्मीदवार को दे दी जाएगी। . केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय के संपर्क नंबर इस प्रकार हैं : -

- | | | |
|-------|------------------------------------|--|
| (i) | रिसेप्शन | - 011-26715250 |
| (ii) | संयुक्त निदेशक (प्रशा. एवं समन्वय) | - 011-26192360 |
| (iii) | सचिव के पी ए | - 011-26192361 |
| (iv) | ई-मेल आईडी | - jd.ksb-mod@gov.in |

(ल) उम्मीदवारों को काउंसलिंग के समय सभी मूल दस्तावेजों के साथ एक फोटोकॉपी भी लानी लाना चाहिए।

(व) किया गया नामांकन संबंधित संस्थान / विश्वविद्यालय की प्रवेश आवश्यकता को पूरा करने वाले उम्मीदवार के अधीन होगा।

(श) यदि किसी आवेदक को उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और बाद में किसी भी तरह से गलत बयान पाया जाता है, तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा भुगतान किया गया शुल्क और अन्य देय राशि वापस नहीं की जाएगी।

(ष) आरक्षित सीटों के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ मेडिकल / डेंटल ग्रेजुएट के रूप में पंजीकरण के लिए योग्यता प्राप्त करने के बाद, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट अवधि के लिए संबंधित सरकार की सेवा करने के लिए एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा।

(स) यदि किसी चयनित उम्मीदवार को प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण संबंधित मेडिकल / डेंटल कॉलेज द्वारा प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है, तो उसके पास अपने स्थानांतरण या किसी अन्य मेडिकल / डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं होगा।

(ह) प्रस्तावित सीट अंतिम होगी और परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति भेजने में विफल रहते हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

(क्ष) आवेदन पत्र के ऑनलाइन प्रारूप के अनुसार केवल केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय वेब पोर्टल www.ksb.gov.in पर MBBS और BDS पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है।

(त्र) वास्तविक और वैध बच्चों (मृतक की मृत्यु से पहले वैध रूप से गोद लिए गए बेटे/बेटियों सहित) के मामले में निदेशक, राज्य / जिला सैनिक बोर्ड और ओआईसी रिकॉर्ड्स द्वारा सहायक दस्तावेजों की दोनों प्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ अपलोड की जानी हैं।

(ज्ञ) प्राथमिकता-V के भीतर चयन सख्ती से वीरता पुरस्कारों के क्रम में होगा।

(अअ) उम्मीदवारों को नीचे सूचीबद्ध अनुसार अपने आवेदन में प्राथमिकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

प्राथमिकता - I: कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/बच्चे।

प्राथमिकता- II: कार्रवाई में विकलांग और सेवा से बोर्ड आउट के आश्रित।

प्राथमिकता- III: सैन्य सेवा के कारण मृत्यु के साथ सेवा के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएं/आश्रित।

प्राथमिकता- IV: सेवा में विकलांगों के बच्चे और सैन्य सेवा के कारण अक्षमता के साथ बोर्ड आउट।

प्राथमिकता-V : सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत कर्मियों के आश्रित जिन्हें निम्नलिखित में से कोई भी वीरता पुरस्कार प्राप्त हो रहा है: -

- (i) परमवीर चक्र
- (ii) अशोक चक्र
- (iii) महावीर चक्र
- (iv) कीर्ति चक्र
- (v) वीर चक्र
- (vi) शौर्य चक्र
- (vii) सेना, नौ सेना, वायु सेना मेडल
- (viii) मेशन-इन-डिस्पैच

प्राथमिकता -VI: पूर्व सैनिकों के आश्रित

प्राथमिकता -VII: की पत्नियाँ: -

- (i) कार्रवाई में विकलांग हुए रक्षा कर्मों और विकलांगता के कारण सेना से बाहर।
- (ii) रक्षा कर्मों कार्रवाई में विकलांग हो गए और सैन्य सेवा के कारण विकलांग होने के बाद मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही द्वारा बाहर किए गये।
- (iii) सेवानिवृत्त सैनिक और सेवारत कर्मों जो वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

प्राथमिकता -VIII : सेवारत कार्मिकों के आश्रित।

प्राथमिकता -IX : सेवारत कर्मियों की पत्नियां।

(अब) इस विषय पर रक्षा मंत्रालय की नीति के अनुसार जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक श्रेणी के सभी पात्रता प्रमाण पत्र की सिफारिश की जाएगी और निदेशक राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय/DESW नोट एफ.सं.6(1)2017//D(Res.II) दिनांक 21 मई 2018 द्वारा जारी किया गया है। प्राथमिकता-V, VII, VIII और IX के तहत सेवारत कर्मियों के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र CO/OC यूनिट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(अस) मुकदमेबाजी, यदि कोई हो, केवल दिल्ली न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित होगी।

(अद) ऊपर दिए गए निर्देशों का उपयोग केवल दिशा-निर्देशों के रूप में किया जाना है और भारतीय चिकित्सा परिषद/स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों के अनुसार बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।

16. **आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची** आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने हैं:-

(अ) मैट्रिक परीक्षा की अंकतालिका की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।

(ब) 10+2 या समकक्ष परीक्षा के अंक-पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।

(स) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के परिणाम/मेरिट की स्वप्रमाणित प्रति।

(द) पात्रता प्रमाण पत्र जिला सैनिक बोर्ड / राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और OIC रिकॉर्ड्स द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा। सेवारत कर्मियों के लिए। सेवारत कर्मियों के लिए प्राथमिकता V, VII, VIII और IX में, योग्यता प्रमाणित केवल CO/OC यूनिट या OIC रिकॉर्ड्स द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

(य) एजुकेशन एंटाइटेलमेंट कार्ड (बैटल कैजुअल्टी / अन्य डिसेबिलिटी केस), नवीनतम पेंशन भुगतान आदेश, विशेष / उदार पारिवारिक पेंशन, बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट, कैजुअल्टी इंडिकेटिंग डिसेबिलिटी और गैलेंट्री अवार्ड के दस्तावेजी प्रमाण (राजपत्र अधिसूचना और भाग II आदेश की प्रति) की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी आदेश), जैसा लागू हो।

(र) पासपोर्ट के आकार की तस्वीर।

आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रमाणपत्र

17. पृष्ठभूमि यह प्रावधान भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15012/8/82 Estt(D) दिनांक 12 फरवरी 1986 के तहत किया गया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त सैनिक (ESM) जो मैट्रिक की न्यूनतम योग्यता रखने वाले सशस्त्र बलों में 15 साल की सेवा पूरी कर ली है, पद पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है जिसके लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षिक योग्यता स्नातक है। इस आदेश के आधार पर, रेजिमेंटल केंद्र सेवानिवृत्ति पर पात्र सेवानिवृत्त सैनिक को उनके पुनर्नियोजन की सुविधा के लिए 'स्नातक प्रमाणपत्र' जारी कर रहा है। हालांकि, जागरूकता की कमी के कारण, अधिकांश "नियुक्ति एजेंसियां" रेजिमेंटल सेंटर द्वारा जारी 'स्नातक प्रमाणपत्र' को स्वीकार करने से इनकार करती हैं और सेवानिवृत्त सैनिक के लिए समूह 'सी' और समूह 'डी' पदों में आरक्षित रिक्तियां या तो खाली रहती हैं या सेवानिवृत्त सैनिक के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा भरी जाती हैं।

18. **उद्देश्य** 29 अक्टूबर 2018 को आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम के साथ एक समझौता (MoU) किया गया है। इसके द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिक की शैक्षिक प्रगति के लिए उनको 'स्नातक डिग्री' प्रदान की जाती है

19. **सेवानिवृत्त सैनिकों को स्नातक प्रमाणपत्र जारी करने की नियम और शर्तें**

(अ) पहला पक्ष उन सभी पात्र सेवानिवृत्त सैनिक को कला स्नातक (मानव संसाधन प्रबंधन), बी ए (HRM) का स्नातक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है, जिन्होंने भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। लोक शिकायत मंत्रालय पत्र संख्या 15012/8/82-Estt(D) दिनांक 12 फरवरी 1986।

(ब) योग्य सेवानिवृत्त सैनिक को स्नातक प्रमाण पत्र जारी करने के अनुरोध की जांच की जाएगी और प्रत्येक राज्य के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSB) द्वारा पंजीकरण सूची और क्रेडिट/ग्रेड शीट के रूप में मौजूदा विश्वविद्यालय प्रारूप के अनुसार संबंधित स्नातक डिग्री में अलग-अलग विषयों के साथ कवर किया जाएगा।

(स) स्नातक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए आवश्यक शुल्क को व्यक्तिगत सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा वहन किया जाएगा और इन शुल्कों का भविष्य में संशोधन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और केंद्रीय सैनिक बोर्ड के आपसी समझौते के अनुसार होगा।

(द) संबंधित जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिक से अनुरोध प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय 90 दिनों की समय सीमा के भीतर स्नातक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(य) शुल्क संरचना, प्रमाणीकरण में देरी आदि के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत को सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा उनके संबंधित जिला सैनिक बोर्डों को सूचित किया जाएगा।

(र) MoU के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए दोनों पक्षों से एक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। दूसरे पक्ष ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, विशाखापत्तनम को नामांकित किया है, जो प्रमाणन पर उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों से निपटने के लिए पहले पक्ष के अधिकारियों के साथ संपर्क करेगा।

20. स्नातक प्रमाणपत्र जारी करने पर एक विस्तृत SOP हमारे पत्र संख्या 512/ लेखा / स्नातक ईएसएम दिनांक 27 अक्टूबर 2021 द्वारा प्रसारित किया गया है।

श्री सीमेंट के साथ समझौता

21. केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने 15 अक्टूबर 2020 को श्री सीमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पिछले 20 वर्षों में, यानी 01 जनवरी 1999 से 01 जनवरी 2019 तक सशस्त्र बल शहीदों (युद्ध में हताहत - केवल घातक) के निकटतम संबंधियों द्वारा 4000 वर्ग फीट तक के भूखंड आकार के क्षेत्र में एक घर बनाने के लिए मुफ्त सीमेंट प्रदान किया जाएगा।

अध्याय -7

शिकायत निवारण तंत्र

1. सेवानिवृत्त सैनिक (ESM) कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ, जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड में बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्त सैनिक नामांकन देखा गया। केंद्रीय सैनिक बोर्ड और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों के आधार पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन में शिकायतों का प्रवाह भी देखा गया। केंद्रीय सैनिक बोर्ड , राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड में एक शिकायत निवारण अनुभाग कार्य कर रहा है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय से संबंधित शिकायतें केंद्रीय सैनिक बोर्ड पोर्टल <https://www.ksb.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन हो सकती हैं।
2. इसके अलावा, एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 011 - 26179109 भी सेवानिवृत्त सैनिकों के संबंध में टेलीफोन पर प्रश्नों को हल करने के लिए काम कर रहा है।
3. प्राप्त शिकायतों का तत्काल उत्तर/निवारण किया जा रहा है। राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों से संबंधित इस सचिवालय में प्राप्त शिकायतों को शीघ्र निवारण के लिए उनके पास भेजा जा रहा है।

अध्याय -8

भारतीय सेना द्वारा दी जाने वाली रियायतें और लाभ

विधवाओं/सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि/कल्याण योजनाएं

1. केंद्र सरकार के लाभ

(अ) **अनुग्रह राशि** 25-45 लाख रुपये (**प्रामाणिक/स्रोत** भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 20(2)/2016/डी (वेतन/सेवा) दिनांक 02 नवंबर 2016 । 01 जनवरी 2016 से संशोधित अनुग्रह राशि ।

क्रमांक	विवरण	पात्रता	डीलिंग एजेंसी	उपयुक्तता
(i)	झूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु	25 लाख रुपये	पी सी डी ए (पेंशन)	सैन्य सेवा के कारण
(ii)	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण कर्तव्यों के दौरान मृत्यु	25 लाख रुपये	प्रयागराज	
(iii)	सीमा झड़पों में या आतंकवादियों / उग्रवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई में या दुश्मन की कार्रवाई के दौरान मृत्यु आदि	35 लाख रुपये		
(iv)	प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक मौसम के कारण निर्दिष्ट उच्च ऊंचाई, दुर्गम सीमा चौकी में झूटी के दौरान होने वाली मृत्यु	35 लाख रुपये		
(v)	विशेष रूप से अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय युद्ध या युद्ध, जैसे युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान और विदेशों में युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान मृत्यु	45 लाख रुपये		
(vi)	वीरता पुरस्कारों के लिए मौद्रिक भत्ता अलग से दावा करने की आवश्यकता नहीं है। समय-समय पर वीरता पुरस्कार दरों के संबंध में MP-5 और 6 से प्राप्त PPO आधारित इनपुट के माध्यम से PCDA (P) द्वारा स्वीकृत।			

(ब) केंद्र सरकार की पात्रता/रियायतें (बैटल कैजुअल्टी)

क्रमांक	विवरण	राशि	द्वारा संसाधित	
(i)	उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (LFP)	अंतिम आहरित वेतन (अंतिम RE का 100%)	पी सी डी ए (पेंशन) प्रयागराज	
क्रमांक	विवरण	पात्रता	डिलिंग एजेंसी	अनुमोदित लाभ
(i)	हवाई यात्रा रियायत	इंडियन एयरलाइंस द्वारा घरेलू उड़ानों में 50% रियायत।	जिला सैनिक बोर्ड /एयर इंडिया	चक्र श्रृंखला, विक्टोरिया क्रॉस, जॉर्ज क्रॉस, विशिष्ट सेवा क्रॉस, सैन्य क्रॉस, विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस और जॉर्ज मेडल के वीरता पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता।
		इंडियन एयरलाइंस द्वारा घरेलू उड़ानों में 50% रियायत।		स्वतंत्रता के बाद की युद्ध विधवाएं और युद्ध विकलांग अधिकारी जिन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया है और उनके परिवारों के आश्रित सदस्य हैं।
(ii)	रेल यात्रा रियायत	राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी से यात्रा करने के लिए प्रथम/द्वितीय एसी/तृतीय एसी/चेयर कार मानार्थ कार्ड पास की मुफ्त रेल यात्रा। द्वितीय श्रेणी में यात्रा के लिए 75% रियायतें।	क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय CW-3/ADG (Mov) और जिला/राज्य सैनिक बोर्ड	चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार पाने वाले और एक साथी के साथ उनकी विधवा। युद्ध विधवाएँ।

क्रमांक	विवरण	द्वारा संसाधित
(iii)	व्यावसायिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण	जिला/राज्य सैनिक बोर्ड
(iv)	टेलीफोन कनेक्शन में प्राथमिकता कोई इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं। किराये के शुल्क पर 50% रियायत।	CW-3/जिला/राज्य सैनिक बोर्ड
(v)	मृत्यु व सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG)	सेवा की लंबाई के आधार पर पी सी डी ए (पेंशन) प्रयागराज
(vi)	सैनिक स्कूल	सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक के लिए 25% सीटें
(vii)	सैन्य विद्यालय	JCOs/ORs के आश्रितों के लिए 70% सीटें और अधिकारियों के आश्रितों के लिए 30% सीटें।

(स) **नौकरियों में आरक्षण** संदर्भ DOP&T OM दिनांक 04 अक्टूबर 2012।

- (i) CAPF में सहायक कमांडेंट तक 10% सीधी भर्ती के पद।
- (ii) समूह 'C' के पदों पर 10% सीधी भर्ती के पद।
- (iii) समूह 'D' के पदों पर सीधी भर्ती के 20% पद।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

- (i) समूह 'C' पदों में 14.5%
- (ii) ग्रुप 'D' पदों में 24.5% (विकलांग सैनिक और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए 4.5%)

राष्ट्रीयकृत बैंक

- (i) समूह 'C' पदों में 14.5%
- (ii) ग्रुप 'डी' पदों में 24.5% (विकलांग सैनिक और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए 4.5%)

2. सेना

(अ) निदेशालय, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक (DIAV)

क्रमांक	विवरण	राशि	द्वारा संसाधित
(i)	घातक युद्ध में हताहत		
	(aa) 15 अगस्त 1947 से 30 अप्रैल 1999 तक	रु. 1,00,000/-	
	(ab) 01 मई 1999 से 31 दिसंबर 2015	रु. 30,000/-	
	(ac) 01 जनवरी 2016 के बाद	रु. 2,00,000/-	पहली किश्त - 50,000/- (प्रारंभ में दुर्घटना होने पर) दूसरी किश्त -1,50,000/- (अंतिम दस्तावेज प्राप्त होने पर)
(ad) 06 मई 2020 के बाद	रु. 8,00,000/-	पहली किश्त - 1,00,000/- दूसरी किश्त - 7,00,000/-	
(ii)	घातक शारीरिक दुर्घटना , जहां मौत सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं है / है, जिसमें लापता और मारे गए लोग शामिल हैं, जहां केंद्र सरकार के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।		
	(aa) 01 अप्रैल 2001 - 14 जनवरी 2009	रु. 30,000/-	(पहली किश्त -30,000/-)
	(ab) 15 जनवरी 2009 - 31 मार्च 2013	रु. 1,00,000/-	(दूसरी किश्त -70,000/-)
	(ac) 01 अप्रैल 2013 - 31 मार्च 2016	रु. 2,00,000/-	(पहली किश्त -30,000/-) (दूसरी किश्त -1,70,000/-)
	(ad) 01 अप्रैल 2016 के बाद	रु. 2,50,000/-	(पहली किश्त -50,000/-) (दूसरी किश्त --2,00,000/-)

क्रमांक	विवरण	राशि	द्वारा संसाधित
(iii)	पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान पुनर्नियुक्ति के अधिकारियों के संबंध में घातक शारीरिक दुर्घटना से प्रभावी:	रु. 30,000/-	
	(aa) 21 अप्रैल 2015-31 मार्च 16	रु. 50,000/-	
	(ab) 01 अप्रैल 2016 के बाद		
(iv)	घातक रूप से हताहत रंगरूट (PC), से प्रभावी: -		
	(aa) 15 जनवरी 2012 - 31 मार्च 16	रु. 30,000/-	
	(ab) 01 अप्रैल 2016 के बाद	रु. 50,000/-	
(v)	रु. 400/- प्रति माह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चे) जो कक्षा I से XII में पढ़ रहे हैं, के लिए शिक्षा अनुदान के लिए आश्रित बच्चों के कानूनी अभिभावक / सभी घातक शारीरिक दुर्घटना के बड़े बच्चे (सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं) 15 जनवरी 11 से प्रभावी सेवा।	-	अनुदान मृतक की मृत्यु की वास्तविक तिथि से देय है
(vi)	पुत्री का विवाह/अनाथ पुत्र का विवाह/विधवा का पुनर्विवाह	रु.1,00,000/-	BC/PC (जानलेवा) और (गैर-जानलेवा) 60% से अधिक विकलांगता और मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा से बाहर ।
(vii)	बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति <ul style="list-style-type: none"> • कक्षा I से VIII • कक्षा IX से XII • स्नातक की पढ़ाई 	रु. 10,000/-प्रति वर्ष रु. 14,000/-प्रति वर्ष रु. 20,000/-प्रति वर्ष (अधिकतम)	PC जानलेवा
(viii)	पोस्ट ग्रेजुएशन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति	रु. 25,000/-प्रति वर्ष रु. 50,000/-प्रति वर्ष (अधिकतम)	BC जानलेवा/ विकलांग और PC(जानलेवा)
(ix)	आश्रितों और विधवाओं के लिए एक बार कंप्यूटर अनुदान (स्नातक और आगे की पढ़ाई)	रु. 35,000/-	जानलेवा BC/PC के लिए

(x)	विधवा का उच्च शिक्षा :- • स्नातक की पढ़ाई	रु. 20,000/-प्रति वर्ष	जानलेवा BC/PC के लिए
	• स्नातकोत्तर • व्यवसायी कोर्स	रु. 25,000/-प्रति वर्ष रु. 50,000/-प्रति वर्ष (अधिकतम)	

(ब) **सेना सामूहिक बीमा (AGI)**

क्रमांक	विवरण	राशि	द्वारा संसाधित
(i)	सेना सामूहिक बीमा (AGI)	रु 1 करोड़ (अधिकारी) रु 50 लाख (JCOs/OR)	AGI निदेशालय
(ii)	AGI मेच्योरिटी	योगदान के अनुसार	AGI निदेशालय
(iii)	विशेष रूप से सक्षम बच्चों के भरण-पोषण भत्ते	रु 6,000/- प्रति माह प्रति संतान (सेवा में दौरान मृत्यु)	AGI निदेशालय
(iv)	सामाजिक सुरक्षा जमा (SSD) योजना	उद्देश्य शहीद सैनिकों के नाबालिग बच्चों और विधवाओं के हितों की रक्षा करना और उनकी जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करना।	AGI निदेशालय

(स) **आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA)**

क्रमांक	विवरण	राशि	उपयुक्तता
(i)	आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन अनुग्रह राहत	रु 15,000/-	सभी मृत्यु के मामले (सेवा में)
(ii)	आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन शिक्षा छात्रवृत्ति		
	I से VIII	रु 10,000/- प्रति संतान एक शैक्षणिक वर्ष में दो बच्चों तक।	सभी मौत के मामले (सेवानिवृत्ति के बाद)
	IX से XII	रु.14,000/- प्रति संतान एक शैक्षणिक वर्ष में दो बच्चों तक।	
	स्नातक	रु. 20,000/- प्रति संतान एक शैक्षणिक वर्ष में दो बच्चों तक।	
	स्नातकोत्तर	रु 25,000/- प्रति संतान एक शैक्षणिक वर्ष में दो बच्चों तक।	
	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (अर्थात तकनीकी अनुदान)	रु. 50,000/- प्रति संतान एक शैक्षणिक वर्ष में दो बच्चों तक।	

(iii)	आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन विवाह अनुदान	रु. 50,000/-	सेवानिवृत्ति बाद सेवानिवृत सैनिकों के मौत के मामलों
(iv)	आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन	रु 6,000/-	सेवारत सैनिकों की पत्नियाँ
(v)	सिलाई मशीन के लिए वित्तीय अनुदान		100% विकलांगता / विकलांग के साथ सेवा से बाहर कर दिया गया, बेटल कैजुअलिटी (BC) सैनिक

(द) **क्वार्टर मास्टर जनरल (QMG)**

- (i) **बेटल कैजुअलिटी (BC) के मामले** अत्यधिक अनुकम्पा आधार पर दो वर्ष के लिए सरकार के विवाहित आवास का प्रतिधारण, एक वर्ष और अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- (ii) **पीस कैजुअलिटी के मामले** दो वर्ष के लिए सरकारी विवाहित आवास का प्रतिधारण।

(य) **आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन (AWHO) (www.awhosena.in)** हाउसिंग में 3% आरक्षण।

(र) **CW-3 और 4**

- (i) **डिस्ट्रेस अनुदान** अनुदान सभी सेवारत व्यक्ति / सेवानिवृत सैनिक या उनके आश्रितों के लिए लागू होता है और मामले की योग्यता और सक्षम प्राधिकारी के विवेक के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) **शिक्षा छात्रवृत्ति- युद्ध हताहत मामले (कक्षा 1 - स्नातक)**

क्रमांक	विवरण	राशि
(aa)	ट्यूशन फीस	पूर्ण प्रतिपूर्ति
(ab)	छात्रावास शुल्क पूर्ण प्रतिपूर्ति	पूर्ण प्रतिपूर्ति
(ac)	पुस्तकों/स्टेशनरी की कीमत	रु.2,000/प्रति वर्ष
(ad)	वर्दी की कीमत	रु 2,000/प्रति वर्ष
(ae)	कपड़ों की लागत	रु 700/ रुपये प्रति वर्ष

3. आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES)

क्रमांक	प्रोफेशनल कॉलेज	योग्यता
(अ)	आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (ATI), दिघी हिल्स, पुणे - 411015, वर्ष 1994 में स्थापना टेली: 020 27157612, 27157534, मिलट्री - 3296, फैक्स नंबर: 020 27157534 ई-मेल: ait@aitpune.com	<ul style="list-style-type: none"> सेना में कम से कम 10 साल की निरंतर सेवा वाले सैन्य कर्मियों के बच्चे।
(ब)	आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता (AIMK), जज कोर्ट रोड अलीपुर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, अलीपुर, कोलकाता- एटीए -700027 वर्ष में स्थापित: 1997 टेलीफोन : 033 24398335-37-38, 24794495, मिलट्री - 6463 फैक्स : 033 24794929 ई-मेल: aim_kol@rediffmail.com aimk@awesindia.com वेबसाइट: www.aim.ac.in	<ul style="list-style-type: none"> सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों तक सेना में सेवा की हो। सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को दी गई।
(स)	आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (AIMT) प्लॉट नंबर M-1, पॉकेट P-5, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर (UP) पिन - 201306, वर्ष में स्थापित: 2004 दूरभाष: 0120-2329512, 2329513, 2329516, 2329504, 2329505 ई-मेल : director@aimt.inaimt@awesindia.com वेबसाइट : www.aimt.ac.in	नियमित पेंशन, उदार पारिवारिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन या विकलांगता पेंशन। इसमें भर्ती किए गए रंगरूटों के बच्चे शामिल हैं जिन्हें पेंशन दी गई है। AMC/ADC अधिकारी जो अब नौसेना या वायु सेना में सेवारत हैं जिन्होंने सेना में कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। <ul style="list-style-type: none"> MNS अधिकारी जिन्होंने सेना में न्यूनतम 10 वर्षों तक नियमित MNS के रूप में सेवा की है, APS कर्मी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं और सेना में 10 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं या जिन्हें सीधे APS में नियुक्त किया गया है और जो अपना पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। टीए कर्मी जिन्होंने 10 साल की
(द)	आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (AIE) एम-1, पॉकेट, पी-5, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (यूपी) - 201306, स्थापित वर्ष : 2003 टेली: 020 2343741, 2343742 फैक्स नंबर : 020 2343742 ई-मेल: aiedelhi@gmail.com awesindia.com, वेबसाइट: www.aie.ac.in	<ul style="list-style-type: none"> टीए कर्मी जिन्होंने 10 साल की

(य)	<p>आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेस अस्पताल के पास, दिल्ली कैंट- 110010 स्थापित वर्ष: 2008 011-25687642, 25687643, 25687644, मिलिट्री -37388 फैक्स नंबर - 011 25687644 ई-मेल: theacms@live.in रजिस्ट्रार@theacms.in acms@awesindia.com वेबसाइट: www.theacms.in</p>	सन्निहित सेवा पूरी कर ली है।
(र)	<p>आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज ACDS नगर, (चेन्नापुर CRPF रोड) जय जवाहर नगर, पोस्ट सिकंदराबाद - 500 087 (AP) स्थापित वर्ष: 2001 टेली : 040- 20081759, 20080243,20080242 फैक्स: 040- 27795517 ई-मेल: army_c@rediffmail.com acds@awesindia.com वेबसाइट: www.acds.co.in</p>	
(ल)	<p>आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग (ACN) दीप नगर, जालंधर कैंट स्थापित वर्ष: 2005 टेली (सिविल) : 0181 2266167 टेली (सेना) : 0181-806876, मिलिट्री - 6876,6879 ई-मेल: can_mh@yahoo.com acn@awesindia.com Website : www.acn.co.in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सैन्य कर्मियों के गोद लिए गए बच्चे, बशर्ते उन्हें प्रवेश से कम से कम पांच साल पहले गोद लिया गया हो।

(व)	<p>आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग (AIN), गुवाहाटी C/O 151 बेस अस्पताल गुवाहाटी, C/O 99 APO स्थापना वर्ष: 2006 दूरभाष: 0361-2304613, 17, 2307101, मिल्ट्री -7559,7518 फैक्स नंबर -0361-2305697 ई-मेल: ainguwahati@yahoo.co.in ain@awesindia.com वेबसाइट: www.ainguwahati.org</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सेना के जवानों की विधवाओं के आश्रित बेटे/बेटियाँ जो अपनी माँ के विवाह से सेना के व्यक्ति से पैदा हुए थे और उनकी माँ ने बाद में एक नागरिक से दोबारा शादी की है। • सैन्य कर्मियों के सौतेले बच्चे जो उस शादी से पैदा हुए थे जिसमें माता-पिता में से कम से कम एक सेना से संबंधित था। • प्रॉस्पेक्टस में दी गई शर्तें लागू होती हैं।
(श)	<p>आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (AIHM एंड CT) नागेश्वर नागनहल्ली, कोथनूर पोस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक - 560077, स्थापना वर्ष 1996 टेली/फैक्स नंबर: 080 64525864/64525865/64543206 ई-मेल: principal@aihmtbangalore.com वेबसाइट: www.aihmctbangalore.com</p>	
(ष)	<p>आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ (AIL) सेक्टर 68, मोहाली - 160062 (पंजाब) स्थापना वर्ष: 1999 टेलीफोन: 0172 5095336-37,38,5063033 फैक्स: 0172 - 5039280 ई-मेल: info@ail.ac.inail@awesindia.com वेबसाइट: www.armyinstituteoflaw.org</p>	
(स)	<p>आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन (AIFD), नगेश्वर नागनहल्ली, कोथनूर पोस्ट बंगलौर (कर्नाटक) - 560077 स्थापना वर्ष: 2004 दूरभाष: 080 60669001,002 ई-मेल: aifdonline@gmail.com वेबसाइट: www.aifdonline.in</p>	

4. विविध लाभ

क्रमांक	विवरण	पात्रता	डिलिंग एजेंसी	उपयुक्तता
(अ)	ECHS सदस्यता	-	ECHS	सभी सेवानिवृत्त सैनिक और मौत के मामले
(ब)	खातों का अंतिम निपटारा	यथा लागू	CDA (O)/ PAO (OR)	सभी मौत के मामले (सेवा में)
(स)	DSOP फंड/AFPP फंड, संचय और जमा लिंकड बीमा योजना का दावा करना	योगदान के अनुसार	CDA (O)/ PAO (OR)	सभी मौत के मामले (सेवा में)
(द)	अवकाश एंकेशमेंट			
(य)	रक्षा के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा	यथा लागू	संबंधित बैंकर	रक्षा वेतन धारण करने वाले सभी मृत्यु मामले
(र)	निधन अनुदान	रु 7,000/-	संबंधित अभिलेख कार्यालय/AG'sBr (लेखा अनुभाग)	सभी मौत के मामले (JCOs/OR)
(ल)	रोजगार सहायता	-	लाइन निदेशालय/MP-5	युद्ध विधवाएँ
(व)	एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट्स स्कीम (ADLRS)	रु 10,000/-	आश्रित URC/ स्टेसन मुख्यालय	सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित मृतक सेवानिवृत्त सैनिक के निकट संबंधी

हमारे विकलांग सैनिकों को लाभ5. केंद्र सरकार

(अ) **वाहनों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट** शारीरिक रूप से विकलांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन के लिए उत्पाद शुल्क पर उस क्षेत्र के उत्पाद आयुक्त के माध्यम से जहां खरीदा गया वाहन निर्मित किया गया है, आंशिक रिफंड/ छूट दी जाती है ।

(ब) पात्रता

क्रमांक	पात्रता	एजेसी	प्राधिकरण	टिप्पणी
(i)	सर्विस एलीमेण्ट आफ पेंशन	पी सी डी ए (पी)	तालिका संख्या 1 से 9 तक परिपत्र संख्या 555, 568, 570 और 582	अमान्यता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर परिलब्धियों का 50%। (क्यू एस के अनुसार)
(ii)	युद्ध इंज्यूरी पेंशन	पी सी डी ए (पी)	तालिका संख्या 88 से 96 तक परिपत्र संख्या 555, 568 और 582	100% विकलांगता के लिए अंतिम आहरित गणना योग्य परिलब्धियों के बराबर
(iii)	युद्ध क्षति पेंशन (सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति)	पी सी डी ए (पी)	तालिका संख्या 79 से 87 तक परिपत्र संख्या 555, 568 और 582	60% विकलांगता के लिए अंतिम आहरित परिलब्धियों के बराबर।
(iv)	ब्राड बैंडिंग आफ डिसएबिलिटी		-	विकलांगता - 50% से कम: 50%, 51 – 75%: 75% 75% से ऊपर: 100%
(v)	लगातार परिचारक भत्ता (100% विकलांगता और मेडिकल बोर्ड की सिफारिश)	पी सी डी ए (पी)	-	6750/- रुपये प्रति माह, 25% की वृद्धि जब डी ए 50% पार हो जाता है।
नोट: युद्ध क्षति पेंशन पर अंतिम आहरित वेतन की अधिकतम सीमा 01-07-2009 से हटा दी गई है।				
(vi)	डी सी आर जी	पी सी डी ए (पी)	-	सेवानिवृत्ति/ डिस्चार्ज/ इनवैलिडमेंट पर 5 साल क्यू एस के अधीन स्वीकार्य
(vii)	एक्स ग्रेशिया (फैटल कैजुवलटी)	पी सी डी ए (पी)	परिपत्र संख्या 573, एम ओ डी पत्र संख्या 20 (2) /2016/डी (वेतन/सेवा)दिनांक 02 नवंबर 16	25 से 45 लाख रुपये

(viii)	एक्स ग्रेशिया (नॉन फैटल, बोर्ड आउट)	पी सी डी ए (पी)	डी ई एस डब्ल्यू पत्र संख्या 2(2)/2011/डी (पेन्शन/ पालिसी) दिनांक 26 दिसंबर 2011	9 लाख रु. 100% विकलांगता। (20% से 100% विकलांगता पर एक्स ग्रेशिया लागू, मुआवज़ा वास्तविक विकलांगता % के आधार पर भुगतान किया जाता है)
(ix)	एक्स ग्रेशिया कैडेट (डायरेक्ट)	पी सी डी ए (पी)	डी ई एस डब्ल्यू पत्र संख्या 17(01/2017 (01)/डी (पेन्शन/ पालिसी) दिनांक 04 सितंबर 2017	<ul style="list-style-type: none"> • अनुग्रह राशि 9,000/- प्रति माह। • अपंगता की अवधि के दौरान 100% अशक्तता के लिए अतिरिक्त, अशक्तता की डिग्री 100% से कम होने की स्थिति में यथानुपात कटौती होगी। • 20% से कम अक्षमता के मामले में कोई एक्स ग्रेशिया देय नहीं होगा।

(स) **एन एच एफ डी सी के माध्यम से विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक के लिए सुविधाएं**
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, पुनर्वास महानिदेशालय पत्र संख्या 2104/जनरल/डीजीआर/
Emp-2 दिनांक 12 सितंबर 2017)।

(i) **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पी एम बी जे पी) के तहत जन
औषधि दुकानों का मुद्दा** इस योजना का उद्देश्य सस्ती जेनेरिक दवाओं की बिक्री करना है।

(ii) **विकलांग सैनिकों को रियायती दरों पर ऋण**

(अअ) **उद्देश्य** वर्दीधारी सेवाओं (सेवारत/सेवानिवृत्त) अर्थात सेना, वायु सेना और
नौ सेना के विकलांग व्यक्तियों का स्वरोजगार सुनिश्चित करना।

(अब) **पात्रता** 40% या अधिक विकलांगता। (एएबी) 18 वर्ष से ऊपर। सिफारिश/एनओसी फॉर्म सेवा मुख्यालय (एजी की शाखा/अभिलेख कार्यालय या राज्य सैनिक बोर्ड)।

(अस) **अधिकतम ऋण** 25 लाख रुपये।

(अद) **चुकौती अवधि** 10 साल के भीतर।

6. **भारतीय सेना के सेवानिवृत्तसैनिकों का निदेशालय (DIAV)**

क्रमांक	श्रेणी	राशि	टिप्पणी
(अ)	OP VIJAY (कारगिल) को छोड़कर सभी Ops के विकलांग सैनिक (BC) निम्न चिकित्सीय श्रेणी में सेवा से अमान्य / बोर्ड आउट / समय से पहले सेवा से मुक्त होने से प्रभावी होंगे: (i) 15 अगस्त 47 से 31 दिसंबर 15 (ii) 01 जनवरी 2016 से:	रु 1,00,000/- रु 2,00,000/-	
(ब)	सेवा में बरकरार रखे गए सभी ऑपरेशनों के विकलांग सैनिक (BC) (विकलांगता के % के आधार पर)		
	(i) 50% से कम	रु 10,000/-	01 मई 99 से 14 जनवरी 09 तक प्रभावी
	(ii) 50 - 74%	रु 20,000/-	
	(iii) 75% और उससे अधिक	रु 30,000/-	
	(i) 50% से कम	रु 20,000/-	15 जनवरी 09 से 31 दिसंबर 2015 तक प्रभावी
	(ii) 50 - 74%	रु 40,000/-	
	(iii) 75% और उससे अधिक	रु 60,000/-	
	(i) 60% से कम	रु 1,00,000/-	01 जनवरी 2016 से प्रभावी
	(ii) 60% और अधिक	रु 2,00,000/-	
(स)	पुत्री का विवाह/अनाथ पुत्र का विवाह/विधवा का पुनर्विवाह।	रु 1,00,000/-	BC/PC(घातक)और BC (गैर-घातक) 60% से अधिक विकलांगता और मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा से बाहर।

(द)	बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति - स्नातकोत्तर - व्यावसायिक पाठ्यक्रम	रु 25,000/-प्रति वर्ष रु 50,000/- प्रति वर्ष (अधिकतम)	BC घातक / विकलांग और PC (घातक)
(य)	गतिशीलता उपकरण / व्हील चेयर (i) कार/संशोधित ऑटो स्कूटर का संशोधन (ii) व्हील चेयर/ वितरित दूसरा व्हील चेयर (iii) दूसरा संशोधित ऑटो स्कूटर	रु 70,000/- (अधिकतम) रु 50,000/- से रु 2.25 Lakhs रु 70,000/- (अधिकतम)	विकलांग सैनिक BC/ PC सेवा के दौरान अक्षम (एक अपंग/पैराप्लेजिक या जिसे चलने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है।
(र)	बाथरूम का संशोधन	रु 40,000/-	100% विकलांग / व्हील चेयर बाउंड सैनिक (सेवा के दौरान BC/PC अक्षम)।

* व्हील चेयर (मानक/मोटर चालित) का अनुदान व उचित मामलों के आधार पर अनुमोदन।

7. विकलांग सैनिकों के लिए कारगिल पैकेज (DIAV)

क्रमांक	विवरण	उपयुक्तता	पात्रता	टिप्पणी
(अ)	विकलांगों के लिए अनुग्रह राशि	75-100%	6,00,000/-	अमान्य (विकलांगता का%) /मृतक सैनिक के निकट संबंधी
		50-74%	4,50,000/-	
		50% से कम	3,00,000/-	
(ब)	रिहायशी इकाई	घातक / विकलांग	5,00,000/-	
(स)	अधिकतम दो बच्चों के लिए शिक्षा	घातक / विकलांग	1,00,000/-	
(द)	माता-पिता की सहायता	घातक	2,00,000/-	

8. सेना समूह बीमा (AGI)

क्रमांक	विवरण	एजेंसी	पात्रता
(अ)	विकलांगता अनुदान (20% से अधिक विकलांगता के लिए)	AGIF	<ul style="list-style-type: none"> अधिकारियों के लिए 100% विकलांगता के लिए 25 लाख रुपये। JCOs/OR के लिए 100% विकलांगता के लिए 12.5 लाख रुपये। विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार स्केल को कम करना

(ब)	CAA के साथ 100% विकलांगता के लिए पूर्व अनुग्रह विकलांगता भत्ता	AGIF	अधिकारियों के लिए 25 लाख रुपये जमा पर ब्याज और JCOs/ ओआर के लिए 12.5 लाख रुपये जमा।
-----	--	------	---

9. **आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA).**

(अ)	AWWA सिलाई मशीन के लिए वित्तीय अनुदान	रु. 6,000/-	सेवा कर्मियों की पत्नियों को 100% विकलांगता / विकलांग युद्ध दुर्घटना (BC) वाले व्यक्तियों के साथ सेवा से बाहर कर दिया गया
-----	---------------------------------------	-------------	---

पता

भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों का निदेशालय (DIAV)

पुनर्वास और कल्याण अनुभाग

एडजुटेंट जनरल की शाखा

MoD (सेना) का एकीकृत मुख्यालय

104, कैवलरी रोड, मौड लाइन्स,

दिल्ली कैंट -110010

टोल फ्री नंबर: 1800116644

ईमेल:armyveteranscell@gmail.com

वेबसाइट: www.indianarmyveterans.gov.in

अध्याय -9

भारतीय नौसेना द्वारा दी जाने वाली रियायतें और लाभ

1. वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत भारतीय नौसेना परोपकारी संघ अनुदान (Indian Naval Benevolent Association, INBA) है।

2. **मेरिट छात्रवृत्ति** सेवानिवृत्त नौसैनिकों (पेंशनरों) के बच्चों को स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए और मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/आईटीआई में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रचलित दरों के अनुसार योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। किसी भी कारण से किसी भी वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठाया गया है, जो भी बाद के वर्षों में अच्छा नहीं किया जा सकता है। छात्रवृत्ति परिवार में बच्चों की संख्या के बावजूद केवल पहले दो बच्चों के लिए स्वीकार्य है और बच्चे को पहले नियमित प्रयास में सभी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रतिशत मानदंड (सभी विषयों का योग) इस प्रकार हैं : -

(अ) **सेवानिवृत्त अधिकारियों के बच्चे (नए अवार्ड)**

क्रमांक	स्तर	विज्ञान स्ट्रीम	मानविकी स्ट्रीम
(i)	10+2 अंक (स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए)	80%	75%
(ii)	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण अंक**	65%	65%

** अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण (छात्रवृत्ति के नए अवार्ड के लिए सीमा प्रतिशत मानदंड पूरा नहीं करने वाले बच्चे)

(ब) **सेवानिवृत्त नाविकों के बच्चे (नए अवार्ड)**

क्रमांक	स्तर	विज्ञान स्ट्रीम	मानविकी स्ट्रीम
(i)	10+2 अंक (स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए)	65%	60%
(ii)	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण अंक**	65%	60%

** अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण (छात्रवृत्ति के नए अवार्ड के लिए सीमा प्रतिशत मानदंड पूरा नहीं करने वाले बच्चे)

(स) **मृत नौसेना कर्मियों के बच्चों के लिए प्रतिशत मानदंड** सभी विषयों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक पूर्व-अपेक्षित हैं।

(द) **मेरिट स्कॉलरशिप की दरें** छात्रवृत्ति की वर्तमान दरें इस प्रकार हैं: -

आवासीय स्थिति	सेवानिवृत्त नौसैनिक कर्मियों (पेंशनभोगियों) के बच्चों के लिए दरें	सेवानिवृत्ति के बाद मृत पेंशनभोगियों के आश्रितों के लिए दरें
बोर्डर्स (हॉस्टलर्स)	रु 20,000/- प्रति वर्ष	रु 30,000/- प्रति वर्ष
डे स्कॉलर्स	रु 15,000/- प्रति वर्ष	

टिप्पणी:

(अ) यदि कोई बच्चा 10+2 स्तर पर निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो वह स्नातक के प्रथम वर्ष के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बच्चा स्नातक या स्नातकोत्तर के किसी भी स्तर/वर्ष में अपेक्षित मानदंडों को पूरा करता है तो बच्चा अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।

(ब) **छात्रवृत्ति का नवीनीकरण** जो पहले से ही छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, वे संभावित उच्च पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अंतिम योग्यता परीक्षा में सभी विषयों के कुल योग में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करें। MBBS पाठ्यक्रम के मामले में 50% अंक आवश्यक हैं।

3. **कोचिंग शुल्क के 33% की प्रतिपूर्ति** सेवारत/सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों और विधवाओं के बच्चों के लिए कोचिंग शुल्क की 33% प्रतिपूर्ति केवल निम्नलिखित पर लागू होती है:-

(अ) JEE (एडवांस) स्कोर पर प्रवेश लेने वाले संस्थान।

(ब) केंद्र / राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों (केवल MBBS के लिए) में प्रवेश।

4. **विशेष/विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति** सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों (पेंशनभोगियों) के लिए उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 3 वर्ष से 25 वर्ष के बीच के विशेष/विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति माह 5,000/- रुपये तक की छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता।

5. **सेवा से अयोग्य होने पर नाविकों के लिए अनुदान** टीबी/कुष्ठ रोग/पैराप्लेजिया और कैंसर आदि के कारण सेवा से बाहर हुए नाविकों के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता, जैसा कि अनुवर्ती उप-अनुच्छेदों में वर्णित है।

(अ) **यात्रा / आकस्मिक व्यय** एक सेवा अस्पताल से दूसरे सेवा अस्पताल में स्थानांतरण पर विकलांग नौसैनिक कर्मियों को 20,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान देय है।

(ब) **पॉकेट भत्ता** पॉकेट भत्ता 1,000 रुपये- प्रति माह। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 2 साल तक देय है।

(स) **पुनर्वास अनुदान** पुनर्वास अनुदान अधिकतम रु. 20,000/- प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर अस्पताल से अंतिम छुट्टी पर पुनर्वास के लिए स्वीकार्य है।

6. **विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSS)** इस योजना के तहत छात्रवृत्ति उन नौसेना कर्मियों के बच्चों को प्रदान की जाती है जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रमाणित मूल रसीदों/बिलों (केवल 10 +2 पाठ्यक्रमों के बाद के लिए) के साथ संलग्न आवेदन पत्र प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित हर साल 31 जुलाई तक INBA को अग्रेषित किया जाना है। यह योजना शिक्षा पर वास्तविक व्यय की ऊपरी सीमा के अधीन निम्नानुसार प्रतिपूर्ति प्रदान करती है: -

(अ) **शैक्षणिक पाठ्यक्रम**

(i)	प्ले स्कूल से KG तक	रु. 10,000/- प्रति वर्ष
(ii)	कक्षा I से VIII तक	रु. 20,000/- प्रति वर्ष
(iii)	कक्षा IX से XII तक	रु. 30,000/- प्रति वर्ष
(iv)	स्नातक	रु. 30,000/- प्रति वर्ष
(v)	पोस्ट ग्रेजुएशन	रु. 30,000/- प्रति वर्ष

(ब) **व्यावसायिक पाठ्यक्रम**

(i)	इंजीनियरिंग/मेडिकल	रु 75,000/- प्रति वर्ष
(ii)	कंप्यूटर/ प्रबंधन	रु 50,000/- प्रति वर्ष
(iii)	कानूनी अध्ययन / व्यावसायिक	रु 40,000/- प्रति वर्ष.

(स) **बोर्डिंग / लॉजिंग** रु. 50,000/- प्रति वर्ष

7. सरकार के '**बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ**' अभियान को गति देने के लिए भारत सरकार, निम्नलिखित श्रेणियों के नौसैनिकों के लिए इंजीनियरिंग और एम बी बी एस में पेशेवर पाठ्यक्रम करने के लिए 'बालिका' के लिए विशेष छात्रवृत्ति की दरों को 75,000/- रुपये से बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये या वास्तविक शुल्क कर दिया गया है जो बालिका द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को भुगतान किया जाता है, जो भी कम हो:-

(अ) नौसैनिक जो सेवा के दौरान मर जाते हैं।

(ब) नौसेना कर्मियों के अनाथ बच्चे चाहे माता-पिता सेवा के दौरान मरें या सेवानिवृत्ति के बाद।

(स) अविवाहित नौसेना कर्मियों जो सेवा में मर जाते हैं की दो आश्रित अविवाहित बहनें ।

8. अनाथ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

(अ) विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत अनाथ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, भले ही माता-पिता की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो या सेवानिवृत्ति के बाद हुई हो।

(ब) **पात्रता और स्वीकार्यता।** अनाथ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की दरें, मानदंड और शर्तें वही रहेंगी जो विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSS) के लिए लागू हैं।

9. NWWA से सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों की विधवाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति।

(अ) सेवानिवृत्ति के बाद मरने वाले नौसेना कर्मियों के बच्चे कक्षा I से XII, स्नातक और स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस छात्रवृत्ति के लिए कोई प्रतिशत मानदंड नहीं है। सभी परीक्षाओं को पास करना ही एकमात्र कसौटी है। दरें इस प्रकार हैं :-

क्रमांक	वर्ग	राशि
(i)	I-VIII	10,000/- प्रति वर्ष
(ii)	IX-XII	14,000/- प्रति वर्ष

(ब) **आवेदन कैसे करें** छात्रवृत्ति निर्धारित फॉर्म पर वार्षिक रूप से भेजी जानी है और माननीय सचिव, NWWA, कमरा नंबर -706, 7वीं मंजिल D ब्लॉक रक्षा कार्यालय परिसर IHQ, MoD (नौसेना) अफ्रीका एवेन्यू नई दिल्ली - 110 023 को अग्रेषित की जानी है।

(स) निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना है: -

- (i) PPO की सत्यापित प्रति।
- (ii) मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- (iii) अंतिम योग्यता परीक्षा की मार्कशीट की सत्यापित प्रति।
- (iv) सेवा और रिलीज प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
- (v) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए बोनाफाइड छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र।
- (vi) स्पष्ट रूप से नाम, आईएफएससी कोड और खाता संख्या दिखाते हुए एक स्व-रद्द किए गए चेक की प्रति।

स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता

10. दिवंगत नौसैनिकों की पत्नियों को 1,00,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और सिलाई मशीनों आदि की आपूर्ति के अलावा ब्यूटी पार्लर, आइसक्रीम पार्लर इत्यादि जैसे स्वयं सहायता आर्थिक उद्यम शुरू करने के लिए गरीब परिस्थितियों में हैं, इसलिए ताकि वे सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका अर्जित कर सकें।

11. **मृत्यु पर एकमुश्त अनुदान** सेवानिवृत्त नौसैनिकों (पेंशनभोगियों) की मृत्यु पर निकटतम संबंधी को स्वीकार्य रु. 30,000/- की एकमुश्त सहायता अनुदान। निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निकटतम रिश्तेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन को संबंधित सीआरएसओ के माध्यम से आई एन बी ए को अग्रेषित किया जाना है: -

- (अ) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- (ब) पेंशन भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रति।
- (स) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी।
- (द) स्पष्ट रूप से नाम, IFS Code और खाता संख्या दिखाते हुए स्वयं रद्द किए गए चेक की प्रति।

12. **विधवाओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति** दिवंगत नौसैनिकों की पत्नियों को B.Ed, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, प्रबंधन पाठ्यक्रम आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए एक बार में 50,000/- रुपये तक की फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है ताकि उन्हें गरिमा के साथ अपनी आजीविका कमाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जा सके।

13. **विधवाओं को पुत्री के विवाह हेतु अनुदान** दिवंगत नौसैनिकों की पत्नियों को उनकी पहली दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। वर्तमान दर 50,000/- रुपये प्रति बेटि है।

14. **सेवा के दौरान मरने वाले अविवाहितों के परिवार को वित्तीय सहायता** अविवाहित अधिकारियों और सेवाकाल में मृत नाविकों के परिवार के सदस्यों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ निम्नलिखित हैं:-

- (अ) एक बहन की शादी के लिए 50,000/- रुपये का अनुदान।
- (ब) वोकेशनल कोर्स के लिए रु. 50,000/- तक की फीस की प्रतिपूर्ति केवल मामला दर मामला आधार पर मां को की जाएगी।
- (स) शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से दो अविवाहित बहनों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSS) बढ़ा दी गई है। अविवाहित बहन के लिए विशेष छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड और दरें विशेष छात्रवृत्ति योजना के समान ही रहेंगी। (आवेदन प्रपत्र वेब पोर्टल Indiannavy.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं)

15. **पत्राचार का पता**

कमोडोर (NPF)

गैर सार्वजनिक निधि निदेशालय (DNPF)

एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) तालकटोरा एनेक्सी बिल्डिंग

ग्राउंड फ्लोर, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली - 110 001

दूरभाष: 011-21410785

ई-मेल: dnpf@navy.gov.in वेबपोर्टल: indiannavy.nic.in

अध्याय-10

भारतीय वायु सेना द्वारा दी जाने वाली रियायत और लाभ

आई ए एफ प्लेसमेंट सेल

1. **परिचय** आई ए एफ प्लेसमेंट सेल का गठन वर्ष 2007 में AFRO में सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों और अन्य पदों की नियुक्ति के लिए किया गया था। इसके लिए वर्ष 2008 में वेबपोर्टल www.iafpc.co.in लॉन्च किया गया। वर्ष 2012 में DAV के गठन के बाद आई ए एफ प्लेसमेंट सेल ए एफ आर ओ से डी ए वी में स्थानांतरित किया गया था।

2. **IAFPC द्वारा निभाई गई भूमिका** सालाना सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 5000 सेवानिवृत्त वायु सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त सैनिकों के विशाल अनुभव का उपयोग करना।

3. **आईएएफपीसी के लाभ** वर्तमान में आईएएफपीसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को हमारे एयर वेटेरन्स को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कोई लागत या शुल्क लिए बिना AV Dte के तहत एक कल्याणकारी उपाय के रूप में किया जा रहा है। IAF प्लेसमेंट सेल के लाभ इस प्रकार हैं:

(अ) आई ए एफ पी सी नियमित आधार पर कॉर्पोरेट और डी पी एस यू को एयर वेटेरन प्रायोजित कर रहा है।

(ब) IAFPC एक वेबपोर्टल www.iafpc.co.in की मेजबानी कर रहा है जो ESM और कॉर्पोरेट को एक पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी प्रायोजित करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है।

(स) डी जी आर के तहत नियमित अंतराल पर पूरे भारत में रोजगार मेलों का आयोजन।

(द) विभिन्न कमान मुख्यालयों में स्थित आर पी सी के माध्यम से पैन इंडिया के साथ भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त वायु सैनिकों के लिए एक कल्याणकारी उपाय और कल्याणकारी गतिविधि है जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत DESW द्वारा भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(य) कल्याणकारी उपाय के रूप में नि: शुल्क सेवा।

(र) मॉन्स्टर इंडिया के साथ एम ओ यू के तहत रियायती दरों पर बायोडाटा बनाने की सुविधा।

(ल) सेवानिवृत्त वायु सैनिकों के साथ-साथ जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले वायु योद्धाओं तक पहुंच में आसानी। IAFPC/AV के Dte द्वारा भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के लिए साप्ताहिक/मासिक ब्रीफिंग आयोजित की जाती है।

(व) सेवानिवृत्त वायु सैनिकों की निः शुल्क भर्ती के लिए कॉर्पोरेट द्वारा वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित करने की सुविधा प्रदान करना।

(श) सेवानिवृत्त वायु सैनिकों और भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के लिए उच्च संतुष्टि स्तर।

(ष) डीपीओ/एएफआरओ से दिग्गजों के सत्यापन की सुविधा के लिए।

4. **रीजनल प्लेसमेंट सेल (RPCs)** रीजनल प्लेसमेंट सेल (RPCs) का गठन किया गया है और IAF प्लेसमेंट सेल की पहुंच क्षेत्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट तक बढ़ाने के लिए प्रत्येक कमांड मुख्यालय के तहत काम कर रहा है। आर पी सी का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	आर पी सी	स्थान	संपर्क विवरण
(अ)	आर पी सी (डब्ल्यू ए सी)	सी/ओ 12 विंग, वायुसेना वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़- 160003	rpcchdnorth@gmail.com (2515-7209)
(ब)	आर पी सी (सी ए सी)	एएफ स्टेशन बीकेटी लखनऊ, यूपी- 226201	nuttynaughty@nic.in (2915-7264)
(स)	आर पी सी (एम सी)	9 बीआरडी, एएफ एएफ स्टेशन नगर रोड, पुणे एमएच - 411014	rpcmc@nic.in (3912-7215)
(द)	आर पी सी (एस डब्ल्यू ए सी)	वायुशक्ति नगर चिलोडा, गांधीनगर गुजरात -382042	rpcswac@outlook.com (3711- 7468)
(य)	आर पी सी (ई ए सी)	एडवांस मुख्यालय, ईएसी, फोर्ट विलियम कोलकाता पश्चिम बंगाल -700021	rpckolkata@outlook.com (3120- 7225)
(र)	आर पी सी (टी सी)	एच क्यू टी सी, आई ए एफ जे सी नगर पोस्ट, बैंगलोर कर्नाटक -560006	rpctc@outlook.com (4111- 7519)
(ल)	आर पी सी (एस ए सी)	एसएमसी के पीछे, एएफ स्टेशन सुलूर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु - 641401	rpcsacc@gov.in (4323- 7782)

5. **प्लेसमेंट सेमिनार** 2007 में गठन के बाद IAF प्लेसमेंट सेल अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न स्थानों पर प्लेसमेंट मेले आयोजित करता रहा है। प्लेसमेंट मेलों को पूर्व वायु सेना और कॉर्पोरेट दोनों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, वर्ष 2015 में रक्षा मंत्रालय से तीनों सेवाओं के लिए डीजीआर के तत्वावधान में जॉब फेयर आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। जॉब फेयर का कार्यक्रम IAFPC वेबपोर्टल पर प्रकाशित किया गया है।

6. **IAF प्लेसमेंट सेल के माध्यम से मॉन्स्टर द्वारा मेकिंग सर्विसेज फिर से शुरू करना** किसी की प्रतिभा और कौशल को प्रस्तुत करने योग्य तरीके से व्यक्त करने के लिए एक बायोडाटा/ सी वी होना आवश्यक है। IAFPC ने एक अंतरराष्ट्रीय रिज्यूमे बनाने वाली कंपनी मॉन्स्टर डॉट कॉम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अधिकारियों और एयरमैन दोनों को छूट प्रदान करता है। मॉन्स्टर डॉट कॉम की सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक पूर्व सैनिकों को शुरू में आई ए एफ पी सी के वेबपोर्टल- www.iafpc.co.in पर पंजीकरण कराना होगा। सेवानिवृत्त वायु सैनिकों के लाभ के लिए एम ओ यू के तहत दी जाने वाली सेवाएं और संबंधित लागत नीचे दी गई है:-

मॉन्स्टर करियर सर्विस	मॉन्स्टर प्राइस पर डिस्काउंट (जीएसटी को छोड़कर)	
	अधिकारी	एयरमैन
सही बायोडाटा	Rs. 2,239 (30%)	Rs. 1,919 (40%)
एक्सप्रेस बायोडाटा	Rs. 499 (50%)	Rs. 466 (50%)
कवर पत्र	Rs. 349 (30%)	Rs. 299 (40%)
करियर बूस्टर (सही बायोडाटा + एक्सप्रेस बायोडाटा)	Rs. 2,738	Rs. 2,418

7. **आईएफपीसी का पता और संपर्क विवरण**

IAF प्लेसमेंट सेल, एयर वेटरन्स निदेशालय
 पहली मंजिल SMC बिल्डिंग
 सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110 010
 टेलीफोन: 25690233/2596013
 फैक्स: 011-25690233
 ई-मेल: placement.iaf@nic.in
 वेबपोर्टल: www.iafpc.co.in

अध्याय-11

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कल्याणकारी उपाय और योजनाएं

1. केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) सचिवालय द्वारा /युद्ध विधवाओं/विधवाओं और उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, भारतीय संघ के राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश अपने 34 राज्य सैनिक बोर्ड(RSBs) और 407 जिला सैनिक बोर्ड(ZSBs) के माध्यम से भी पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को लाभ प्रदान करते हैं।
2. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए कल्याणकारी उपाय और योजनाएं इस प्रकार हैं:-
 - (अ) पुनः रोजगार लाभ।
 - (ब) स्व रोजगार।
 - (स) किराया नियंत्रण अधिनियम और भूमि किरायेदारी अधिनियम के बारे में जानकारी।
 - (द) स्वयं के कब्जे और कानूनी सहायता और अन्य शुल्क / कर रियायतों के लिए गृह कर की छूट।
 - (य) पेशेवर कॉलेजों में पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण।
 - (र) द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्धों को वित्तीय सहायता।
 - (ल) नकद अनुदान/बदले में नकद/वीरता/विशिष्ट सेवा के लिए वार्षिकी।
 - (व) युद्ध विधवा/निकटतम व्यक्ति और विकलांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान।
 - (श) पूर्व सैनिक के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट।
 - (ष) सैनिक विश्राम गृह।
3. इन कल्याणकारी उपायों और योजनाओं का राज्य/संघ क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'के' से 'ए टी' तक दिया गया है।

आंध्र प्रदेश**परिचय**

1. आंध्र प्रदेश राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 97,429 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : आंध्र प्रदेश		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
सैनिक कल्याण विभाग	ब्रिगेडियर वी वेंकट रेड्डी, वीएसएम (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण एच. नं: 32-14-2सी, अपोजिट। शिवा अपार्टमेंट, शिवालयम मुगलराजपुरम के पास, विजयवाड़ा - 520 010	0866- 2471233 (कार्यालय) 0866- 2473331 (टेलीफैक्स) 9177000036 (मो0) sainikwelfare-ap@nic.in apsainik@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** आंध्र प्रदेश राज्य में 13 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक विश्राम गृह** आंध्र प्रदेश में 08 सैनिक विश्राम गृह हैं, जहां सेवानिवृत्त सैनिकों को नाममात्र शुल्क देकर ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाईएसएम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	1 करोड़	80 लाख	60 लाख	1 करोड़	80 लाख	60 लाख	2.5 लाख

क्रमांक	यूवाईएस एस	वाईएस एम	सेना/नौ सेना/वा युसेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(ब)	-	-	-	-	1 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(स)	-	-	-	-	400.00	300.00	250.00
(द)	1.50लाख	1 लाख	1 लाख	0.50लाख	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. **नौकरी में आरक्षण** आंध्र प्रदेश सरकार राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों आदि में ग्रुप- II बी और ग्रुप- IV रिक्तियों में 2% आरक्षण प्रदान करती है। (सामान्य प्रशासन विभाग के G.O.Ms.No.357, दिनांक 23-06-89)। सेवानिवृत्त सैनिकों को संबंधित जिला सैनिक बोर्ड से विवरण/दिशानिर्देश प्राप्त करने और तदनुसार आवेदन करने की आवश्यकता है।
6. **स्वरोजगार सहायता** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी) के तहत पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता दी जा रही है।
7. **वृद्धावस्था/विधवा पेंशन** आंध्र प्रदेश राज्य के जिला कलेक्टरों को पात्र मामलों में वृद्धावस्था/ विधवा पेंशन, सेवानिवृत्त सैनिकों को रु. 1,000/- प्रतिमाह की दर से स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है।
8. **युद्ध जागीर भत्ता** आंध्र प्रदेश राज्य में युद्ध जागीर भत्ता (1962, 1965 और/या 1971 के युद्धों/आपातकालीन अवधियों के दौरान रक्षा बलों में सेवा करने वाले केवल पुत्र या दो या तीन पुत्रों के माता-पिता को दिया जाता है) रु. 150/-प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है। 19-03-1994 से प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए रु. 50/- प्रति वर्ष दिया जाता है (प्राधिकार : सामान्य प्रशासन (पोल.बी) विभाग के जी.ओ.एम.सं.107, दिनांक. 19-09-1994)।
9. **गैर-पेंशनभोगी द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध और विधवाएँ** गैर-पेंशनभोगी द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्धों और विधवाओं को @ रु. 5,000 / - प्रति व्यक्ति प्रति माह वित्तीय सहायता । प्राधिकार : G.O Ms No.88, दिनांक: 28-11-2016 गृह विभाग के अनुसार (Gen I. C) ।
10. **मुफ्त कानूनी सहायता** सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को, जहां सरकार एक पार्टी नहीं है, सेवानिवृत्त सैनिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। कानूनी सहायता के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति संबंधित जिला या तालुक कानूनी सहायता समिति, जैसा भी मामला हो, को आवेदन कर सकते हैं। (प्राधिकार : G.O.Ms.No.1900, दिनांक.17-12-1971 गृह विभाग (न्यायालय। ए))।

11. **टी.बी. से पीड़ित सेवानिवृत्त सैनिक** टीबी से पीड़ित सेवानिवृत्त सैनिकों के राज्य के गैर सरकारी संस्थान में प्रवेश करने पर सरकारी टीबी चिकित्सा संस्थान के बराबर माना जाता है। सेवानिवृत्त सैनिकों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज भी दिया जाता है। (स्वास्थ्य आवास एवं नगरपालिका प्रशासन विभाग का जी.ओ.एम.सं. 2289, दिनांक.11-10-1976)।

12. **गंभीर रूप से विकलांगों के लिए अनुग्रह राशि** सभी रैंकों के लिए अनुग्रह अनुदान जो गंभीर रूप से विकलांग हैं और सेवा से बाहर हो गए हैं - रु. 5,000/-। (प्राधिकार: जी.ओ.एम.सं.25, दिनांक.17-01-1986 सामान्य प्रशासन विभाग (पोल.बी))

13. **मकान और भूखंड** राज्य सरकार निम्नलिखित प्रदान कर रही है: -

(अ) सेवारत रक्षा कर्मियों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा आरक्षित तैयार निर्मित घर एच आई जी - 5%, एम आई जी - 5%, एल आई जी - 2%, ई डब्ल्यू एस - 4% पर।

(ब) औद्योगिक सम्पदा/औद्योगिक विकास पर औद्योगिक भूखंडों/शेडों का 5%ए.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन के क्षेत्रों को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है।

14. **संपत्ति कर के भुगतान से छूट** सेवानिवृत्त सैनिकों/ सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं और सेवारत कर्मियों के स्वामित्व वाले मकानों के संबंध में, एक घर / संपत्ति के लिए। (प्राधिकार: नगरपालिका सीमा में जी.ओ.एम.सं.83, दिनांक.15-03-1997 के नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास (टीसी) विभाग के तथा ग्राम पंचायत सीमा के जी.ओ.एम.सं.371, दिनांक.20-11-2003 राज और ग्रामीण विकास (पीटीएस- III) विभाग।

15. **परिवहन लाभ** राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों को मार्ग/राष्ट्रीय परमिट के आवंटन में वरीयता दी जाती है।

16. **व्यापार तुल्यता** आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रम रोजगार और प्रशिक्षण एवं कारखानों (Emp) विभाग के G.O.Ms No.16, दिनांक 12-04-1999 के माध्यम से सिविल ट्रेडों के साथ रक्षा सेवा ट्रेडों की बराबरी की है। परिणामस्वरूप अधिकांश सेवानिवृत्त सैनिक अपने दूसरे कैरियर में बस गए हैं।

17. **अनुकम्पा नियुक्ति** कार्रवाई में मारे गए या कार्रवाई में विकलांग हुए सशस्त्र बल कर्मियों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करता है (प्राधिकार: G.O.Ms.No.138, दिनांक.06-06-2006 गृह विभाग (Genl.C))।

18. **कार्रवाई में मारे गए लोगों को आर्थिक अनुदान** कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में 5.00 लाख रुपये का मौद्रिक अनुदान और कार्रवाई में विकलांग रक्षा कर्मियों को उनकी विकलांगता के अनुसार 1,00,000/- रुपये से लेकर 3,00,000/- रुपये तक की मौद्रिक अनुदान प्रदान करता है। (प्राधिकार: G.O.Ms.No.26, दिनांक: 28-01-2014 सामान्य प्रशासन विभाग (पोल.बी)।
19. **युद्ध विधवाओं के लिए हाउस साइट** सरकार युद्ध विधवाओं, युद्ध विकलांग सैनिकों को 300 वर्ग गज के आवास स्थल के आवंटन का लाभ प्रदान कर रही है। (प्राधिकार: G.O.Ms.No.92, दिनांक 30-05-2005 गृह विभाग (Genl.C)।
20. **शैक्षिक योग्यता में छूट** स्थानीय निकायों सहित उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार विभाग / राज्य सरकार में आरक्षित रिक्तियों में शैक्षिक योग्यता में छूट। (गृह विभाग के (जनरल-बी) G.O.Ms.No.57, दिनांक.13-03-2001)।
21. **पुलिस वैतनिक कैडेट प्रशिक्षु नियमावली में छूट** सरकार ने आंध्र प्रदेश पुलिस (वैतनिक कैडेट प्रशिक्षु) नियम - 1999 में कुछ संशोधन जारी किए हैं, जिसमें सेवानिवृत्त सैनिकों को आंध्र प्रदेश पुलिस में शामिल होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ छूट प्रदान की गई थी (प्राधिकार: गृह विभाग के (लीगल-II) G.O.Ms.No.97, दिनांक 01-05-2006)।
22. **एन सी ओ/ओ आर के लिए भूमि** सेवानिवृत्त सैनिक जो एन सी ओ और नीचे थे, वे 5 एकड़ असिंचित भूमि या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि के हकदार हैं। अधिकारी और जे सी ओ पात्र नहीं हैं। (प्राधिकार: राजस्व विभाग के जी.ओ.एम. संख्या 743, दिनांक 30-04-1963)।
23. **सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पावला वड्डी योजना** सरकार स्वरोजगार के लिए आंध्र प्रदेश के सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं के लिए पावला वड्डी योजना का विस्तार कर रही है, जिसके लिए सरकार 3% से अधिक और बैंकों से लिए गए ऋण पर सब्सिडी ब्याज दर का भुगतान करेगी, ऋण की अधिकतम राशि सीमित है प्रत्येक आवेदक के लिए रु.5.00 लाख (प्राधिकार : गृह विभाग (सामान्य-सी) के G.O.Ms.No.339, दिनांक 25-07-2009
24. **युद्ध में 100% विकलांगता के साथ अक्षम को वित्तीय सहायता** सरकार आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित 100% विकलांग सैनिकों की देखभाल के लिए अनुदान सहायता के रूप में 100% विकलांगता के साथ लड़ाई में विकलांगों को रु० 1,00,000/- प्रति वर्ष सैनिक के जीवन काल तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, किर्की, पुणे में में रह रहे हैं।
25. **आवास स्थलों का आवंटन** सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिक हाउसिंग सोसाइटी में शामिल सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को भुगतान के आधार पर 175 वर्ग गज के आवास स्थलों के आवंटन के आदेश जारी किए हैं। (प्राधिकार : राजस्व विभाग का (असाइनमेंट-I) G.O.Ms. No. 1241, दिनांक 27-10-2008)।

26. **व्यवसायिक/पेशेवर संस्थागत सीटों का आरक्षण** सी ए पी श्रेणी के तहत आंध्र प्रदेश के सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत कर्मियों के बच्चों हेतु तकनीकी/ पेशेवर / व्यावसायिक संस्थान में सीटों का आरक्षण।

27. **सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पट्टा, किराया और बेदखली अधिनियम में संशोधन** सेवारत रक्षा कर्मियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को किराएदारों द्वारा उनके किराए के मकानों को खाली कराने के कानूनी संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश भवन (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1960 में संशोधन।

28. **सामान्य प्रशासन के लिए आयु में छूट (एस इ आर-ए)** जिन व्यक्तियों ने रक्षा सेवाओं में सेवा की है, उन्हें रक्षा सेवा में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अलावा निर्धारित ऊपरी आयु सीमा की गणना में आयु में 3 वर्ष तक की छूट दी जाती है। प्राधिकार: सामान्य प्रशासन (एसइआर-ए) विभाग का G.O.Ms.No.155, दिनांक 21- 02-1967।

29. **विशेष कोष**

क्रमांक	अनुदान का नाम	विवरण	राशि (रु.)
(अ)	विवाह अनुदान	दो बेटियों तक सीमित है (i) उसी समुदाय के व्यक्ति के साथ विवाह (ii) किसी अलग समुदाय के व्यक्ति से विवाह (iii) सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवा का विवाह	4000.00 10000.00 20000.00
(ब)	अंत्येष्टि अनुदान	मृत्यु पर (i) सेवानिवृत्त सैनिक (ii) विधवा (iii) सेवानिवृत्त सैनिक/विधवा का पुत्र या पुत्री	5000.00 3500.00 2500.00
(स)	गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को मासिक वित्तीय सहायता	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेड एस बी) की सिफारिशों पर प्रारंभ में एक वर्ष के लिए, पांच वर्ष तक विस्तारित की जाएगी	400.00
(द)	कानूनी सहायता	सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता जहां सरकार एक पार्टी नहीं है।	5000.00
(य)	शिक्षा छात्रवृत्ति	इंटरमीडिएट / डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एक वर्ष में 10 महीने तक सीमित)	225.00 प्रति महीने
(र)	शिक्षा अनुदान	सभी स्नातक पाठ्यक्रम (वर्ष में 10 माह तक सीमित) स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (वर्ष में 10 माह तक सीमित)	300.00 प्रति महीने
(ल)	स्पॉट सहायता	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी या सैनिक कल्याण निदेशालय, हैदराबाद के कार्यालय में आने वाले गरीब पूर्व सैनिकों और विधवाओं को भोजन और बस/ट्रेन के किराये हेतु	400.00 प्रति महीने

(व)	तदर्थ अनुदान (एकमुश्त अनुदान)	सेवानिवृत्त सैनिकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं की वित्तीय समस्याओं को कम करने हेतु	200.00
(श)	हॉस्टल चार्जेज	सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों और सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं के उच्च अध्ययन करने और हॉस्टल में रहने (शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने तक) का छात्रावास शुल्क	500.00 प्रति महीने
(ष)	योग्यता छात्रवृत्ति (एकमुश्त अनुदान)	सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के बच्चे जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में उच्च रैंक हासिल करते हैं।	5000.00 प्रति महीने
(स)	सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके बच्चों के लिए मासिक वित्तीय सहायता	100% विकलांगता वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे जीवन काल तक	1000.00 प्रति महीने
		सेवानिवृत्त सैनिकों के अनाथ बच्चे जब तक वे 21 वर्ष या रोजगार प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो।	1000.00 प्रति महीने
		सेवानिवृत्त सैनिकों और विधवाओं को कानूनी सहायता जहां सरकार पार्टी नहीं है	5000.00
		100% विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को जीवन पर्यंत वित्तीय सहायता	4000.00 प्रति महीने

30. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	87480-2240-89720-2390-96890-2540-104510-2700-112610-2890-121280-3100-130580-3320-140540-3610-154980-3900-170580
सहायक निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	57100-1580-60260-1700-65360-1830-70850-1960-76730-2090-83000-2240-89720-2390-96890-2540-104510-2700-112610-2890-121280-3100-130580-3320-140540-3610-147760
प्लेसमेंट अधिकारी, राज्य सैनिक बोर्ड में सहायक लेखधिकारी और जिला सैनिक बोर्ड में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	48440-1350-51140-1460-55520-1580-60260-1700-65360-1830-17850-1960-76730-2090-83000-2240-89720-2390-968890-2540-104510-2700-112610-2890-121280-3100-130580-3320-137220

31. राज्य सैनिक बोर्ड(RSB) की अंतिम बैठक 16 जून 1997 को और राज्य प्रबंध समिति (SMC) बैठक 07 जुलाई 2010 को हुई थी।

32. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम एवं पता	टेलीफोन नं.
(अ)	अनंतपुरमू	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक भवन क्लॉक टॉवर के पास अनंतपुरमू- 515001	08554-241146 8688817821 (मो0) zswopr-ap@nic.in zswopr@nic.in zswopr@gmail.com
(ब)	चित्तूर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, डी.नंबर 4-479, सीबी रोड, ग्रीन्सपेट चित्तूर- 517 002	08572-228682 8688817824 (मो0) zswotr @nic.in zswotr@gmail.com
(स)	पूर्वी गोदावरी @ काकीनाडा	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक भवन, ट्रेजरी कंपाउंड काकीनाडा-533 001 पूर्वी गोदावरी जिला	0884-2375308 8688817825 (मो0) zswogo-ap@nic.in zswogo@gmail.com
(द)	गुंटूर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक भवन हिंदू कॉलेज के सामने, गुंटूर-522 001	0863-2225853 8688817827 (मो0) zswogtr-ap@nic.in zswoguntur@gmail.com
(य)	कडप्पा	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सैनिक भवन, Opp APS RTC बस-स्टैंड, कडप्पा - 516 002	08562-244558 8688817828 (मो0) zswocud-ap@nic.in zswocud@gmail.com
(र)	कृष्णा @ विजयवाड़ा	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी इंदिरा गांधी म्युनिसिपल काम्प्लेक्स लब्बीपेट विजयवाड़ा - 520010	0866-2473330 0866-2972330 8688817829 (मो0) zswokri-ap@nic.in zswokrishna@gmail.com
(ल)	कुरनूल	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक भवन, बी-कैम्प कुरनूल-518 002	08518-229445 8688817886 (मो0) zswoknl@gmail.com zswoknl-ap@nic.in

(व)	प्रकाशम- ओंगोल	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, 8वां भाग, भूतल पुराना रिम अस्पताल भवन, OPP. कलेक्टर कार्यालय के सामने,ओंगोल- 523001	08592-233086 8688817897 (मो0) zswoprk-ap@nic.in zswoprakasam@gmail.com
(श)	एसपीएस नेल्लोर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक भवन, कोंडयाप-अलेम गेट सेंटर, दरगामिट्टा, एसपीएसआर नेल्लोर - 524 004	0861-2328419 8688817896 (मो0) zswonel-ap@nic.in zsbnlr@gmail.com
(ष)	श्रीकाकुलम	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पेड्डा रेली वीथी, सेंट जोसेफ स्कूल के पास श्रीकाकुलम - 532 001	08942-227688 8688817943 (मो0) zswosrk-ap@nic.in skimzsw@gmail.com
(स)	विशाखापत्तनम	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सैनिक भवन, एलआईजी-71, डी.नं. 4-56-2/2 लॉसन बे कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस रोड, कृष्ण मंदिर के पास, उशोदया रोड के पीछे विशाखापत्तनम-530017	0891-2706511 8688817945 (मो0) zswovis-ap@nic.in zswovsp1@gmail.com
(ह)	विजयनगरम	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सैनिक भवन छावनी पोस्ट विजयनगरम (पिन - 531 202)	08922-274743 8688817946 (मो0) zswoviz-ap@nic.in zswovzm@gmail.com
(क्ष)	पश्चिम गोदावरी @ एलुरु	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डी.नं.11-212, 6 th रोड स्टेट बैंक ऑफ़ इन्डिया के पीछे, श्रीराम नगर, एलुरु- 534003	08812-253687 8688817953 (एम) zswowgo-ap@nic.in zswowgoap@gmail.com

33. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं	स्थान व पता	उपलब्ध आवास			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक भवन क्लॉक टॉवर के पास, अनंतपुरम-515001, निकटतम रेलवे स्टेशन- अनंतपुरम दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा- पुट्टापर्थी दूरी - 95 किमी	17-01-2022	को	सड़क	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अनंतपुरम 08554-241146

(ब)	सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक भवन, बी कैम्प, वाटरटैंक के पास, कुरनूल - 518002 निकटतम रेलवे स्टेशन - कुरनूल दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - ओरवाकल दूरी -45 किमी	सिंगल कमरा डबल बेड वाला	जे सी ओ और अन्य रैंक के लिए चार बेड के साथ डॉर्मिटरी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कुरनूल 08518-229445
(स)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, कौंडायापलेम गेट, सेंट दरगामिट्टा, नेल्लोर - 524001, निकटतम रेलवे स्टेशन - एसपीएसआर नेल्लोर, दूरी- 4 किमी निकटतम हवाई अड्डा- तिरुपति दूरी -120 किमी	सिंगल कमरा डबल बेड वाला	जे सी ओ और अन्य रैंक के लिए चार बेड के साथ डॉर्मिटरी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नेल्लोर 0861-2328419
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक भवन छावनी पोस्ट, विजयनगरम-535002 निकटतम रेलवे स्टेशन - विजियानगरम दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - विशाखापत्तनम दूरी -70 किमी	सिंगल बेड वाला कमरा	जे सी ओ और अन्य रैंक के लिए दो सिंगल बेड वाला कमरा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय विजयनगरम 08922-274743
(य)	सैनिक रेस्ट हाउस सैनिक भवन आरटीसी बस स्टैंड के सामने वाईएसआर कडप्पा - 516002 निकटतम रेलवे स्टेशन- कडप्पा दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा- कडप्पा दूरी -12 किमी	विश्राम गृह रहने योग्य नहीं है और जीर्णोद्धार की जरूरत है	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कडप्पा 08562-244558	

(र)	सैनिक विश्राम गृह सैनिक भवन, हिंदू कॉलेज के सामने, गुंटूर - 522001 निकटतम रेलवे स्टेशन - गुंटूर दूरी - 1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - गणवरम, विजयवाड़ा दूरी - 45 किमी	विश्राम गृह जीर्ण-शीर्ण, रहने योग्य और कब्जे में नहीं है। नए भवन के लिए प्रस्ताव रखा गया है।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गुंटूर 0863-2225853
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस सैनिक भवन, ट्रेजरी कंपाउंड काकीनाडा - 533001 निकटतम रेलवे स्टेशन - काकीनाडा, दूरी - 3 किमी, निकटतम हवाई अड्डा - राजमुंदरी दूरी - 70 किमी	विश्राम गृह उपलब्ध नहीं है	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय काकीनाडा 0884-2375308
(व)	सैनिक रेस्ट हाउस सैनिक भवन, महारानीपेटा विशाखापत्तनम- 530002, निकटतम रेलवे स्टेशन - विशाखापत्तनम दूरी (किमी)-5, निकटतम हवाई अड्डा- विशाखापत्तनम, दूरी - 15 किमी	चक्रवात के कारण पहले इमारत गिर गई। निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा गया है।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय विशाखापत्तनम 0891-2706511

अरुणाचल प्रदेश**परिचय**

1. अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल 2022 तक कुल 661 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : अरुणाचल प्रदेश		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
राहत, पुनर्वास और निपटान (Settlement) विभाग	एयर कमोडोर आरडी मुसाबी (सेवानिवृत्त), निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड सह सैनिक कल्याण निदेशालय, चिड़ियाघर रोड, चिम्पू-ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश -791110	0360-2212282 (O) 0360-2213615 (F) 9402583808 (M) rsbarunita@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है।
3. **सैनिक विश्राम गृह** अरुणाचल प्रदेश में कोई सैनिक विश्राम गृह नहीं है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	-	-	3000.00
(ब)	-	-	-	-	-	-	20000.00
(स)	-	-	-	-	-	-	250.00
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान; (ब) जमीन के बदले नकद; (स) वार्षिकी; (द) एकमुश्त अनुदान

5. ग्रुप 'सी' और 'डी' के पदों पर क्रमशः 10 फीसदी और 20 फीसदी आरक्षण।
6. सेवानिवृत्त सैनिकों को गरीबी/चिकित्सा उपचार/घर की मरम्मत में वित्तीय सहायता दी जा रही है।
7. योग्य प्रकरणों में दिया गया पुत्री के विवाह हेतु अनुदान।
8. सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों को बारहवीं कक्षा तक के शिक्षण शुल्क से छूट।
9. विशिष्ट सिविल अस्पतालों में सेवानिवृत्तसैनिकों के लिए निः शुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध है।
10. रोजगार के लिए विशेष योजनाएँ।
11. युद्ध विधवाओं के लिए राज्य आवास बोर्ड/विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉट/फ्लैट का आरक्षण/अधिमान्य आवंटन।
12. युद्ध विधवा को अनुग्रह राशि देना।
13. सभी कल्याणकारी गतिविधियों जैसे सेवानिवृत्त सैनिकों/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए वित्तीय सहायता/नकद आदि अनुदानों को राज्य प्रबन्ध समिति (एसएमसी) की बैठक जिसके महामहिम अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल अध्यक्ष हैं, अनुमोदित किया जाता है।
14. **अरुणाचल प्रदेश राज्य में कर्तव्यों का पालन करते हुए या अरुणाचल प्रदेश राज्य के भीतर राज्य सरकार के अनुरोध पर तैनात सशस्त्र बलों / केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए अनुग्रह भुगतान सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान की बढ़ी हुई दरें निम्नलिखित मामलों में इस प्रकार हैं:-**
 - (अ) **मृत्यु** अनुग्रह राशि 2.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपये की गई है।
 - (ब) **स्थायी विकलांगता** अनुग्रह राशि को 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपये किया गया है।
 - (स) **गंभीर/गहरी चोट** अनुग्रह राशि को 25,000/- रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये किया गया है।
15. पिछली राज्य प्रबन्ध समिति (एसएमसी) की बैठक 22 मई 2012 को हुई थी।

असम**परिचय**

1. असम राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 47,210 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : असम		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
सैनिक कल्याण विभाग	ब्रिगेडियर नारायण दत्त जोशी (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, सैनिक भवन, मकान नंबर 74 लचित नगर, गुवाहाटी- 781 007 (असम)	0361-2522229 (O) rsbassam@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** असम राज्य में कुल 19 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** असम में 07 सैनिक विश्राम गृह हैं जो सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर स्थानांतरित करने के लिए बोर्डिंग और आवास की सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	25 लाख	15 लाख	10 लाख	25 लाख	15 लाख	10 लाख	5 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	0.72 लाख	0.57 लाख	0.33 लाख	0.60 लाख	0.50 लाख	0.25 लाख	0.15 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-
क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	03 लाख	02 लाख	02 लाख	01 लाख	03 लाख	02 लाख	01 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	350	250	250	150	400	300	250
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए राज्य सरकार के विभागों में समूह 'सी' और 'डी' पदों में रिक्तियों का 2 प्रतिशत आरक्षण।
6. सीमा पुलिस में सेवानिवृत्त सैनिकों की नियुक्ति।
7. जरूरतमंद सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
8. सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को उनके अधिकार क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सेवानिवृत्त सैनिक रैली आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
9. सेवानिवृत्त सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों के लिए व्यावसायिक महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थाओं में सीटों का आरक्षण।
10. असम राज्य में कार्रवाई में शहीद सैनिक के निकटतम संबंधी को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।
11. असम के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ :-

क्र.सं.	अनुदान का प्रकार	प्रत्येक प्रकार के अनुदान के लिए राशि (रु.)	पात्रता शर्त
(अ)	सामान्य शिक्षा छात्रवृत्ति (क) कक्षा I से X	300 / -प्रति माह	अधिकतम 2 x बच्चों के लिए सूबेदार मेजर के पद तक
	(ख) कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं	400/-प्रति माह	
	(ग) डिग्री	500/-प्रति माह	
	(घ) पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमए / एम.एससी/एम.कॉम/एम.टेक आदि	1000/-प्रति माह	अनुदान सेवानिवृत्त सैनिकों की बेटी/ विधवाओं के लिए लागू होगा और लड़कों के लिए बढ़ाया जाएगा (धन की उपलब्धता के अधीन)
	(ड) ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के हवलदार या समतुल्य पद के सेवानिवृत्तसैनिक/सेवानिवृत्तसैनिक विधवाओं के सभी छात्रों के लिए पुस्तक अनुदान	1000/- प्रतिवर्ष	हवलदार या समतुल्य पद के सेवानिवृत्त सैनिक / सेवानिवृत्त सैनिक विधवाओं के सभी छात्रों के लिए(धन की उपलब्धता के अधीन)
(च) हवलदार या समकक्ष रैंक तक की डिग्री/उच्च अध्ययन/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि के लिए पुस्तक अनुदान	2000/- प्रतिवर्ष		

(ब)	<p>उच्च अध्ययन (क) प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज़ जैसे-मेडिकल, इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सक आदि।</p> <p>(ख) डिप्लोमा पाठ्यक्रम (तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा प्रख्यापित पाठ्यक्रमों के रूप में, एक वर्ष और उससे अधिक अवधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शामिल करना)।</p>	1000/-प्रतिमाह	<p>(क) सेवानिवृत्त सैनिक/ सेवानिवृत्त सैनिक विधवाओं (PBOR)के बच्चों के लिए बशर्ते वे 10+2बोर्ड परीक्षा में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करें।</p> <p>(ख) पीएम / आर एम छात्रवृत्ति योजना के तहत घोषित सभी पाठ्यक्रमों के लिए पात्र।</p> <p>(ग) नर्सिंग / हॉस्पिटैलिटी कोर्स / कोर्स की अवधि 12 महीने या उससे अधिक।</p> <p>(घ) छात्रवृत्ति पहले वर्ष से शुरू होगी (धन की उपलब्धता के अधीन)</p>
(स)	<p>विकलांग सैनिक/ सेवानिवृत्त सैनिक विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण</p> <p>(अ) क्यू एम टी (QMT) किरकी/ मोहाली</p> <p>(ब) आई टी आई/असम रजि (Assam Regt)</p> <p>केंद्र / अन्यसंस्थान / पी एम के वी वाई (पीएम कौशल विकास योजना)</p>	<p>(अ) 50,000/- प्रतिवर्ष प्रति रोगी</p> <p>(ब) 1000/- प्रतिमाह</p>	<p>(क) असम के सभी सैनिक के लिए।</p> <p>विकलांग पी आर सी रोगियों के लिए मुख्य अनुदान का भुगतान वार्षिक आधार पर कमांडेंट, पी आर सेंटर के खाते में किया जाएगा।</p> <p>(ख) पूरी अवधि के लिए आई टी आई पाठ्यक्रम जो पाठ्यक्रम के आधार पर 6 महीने से 2 साल तक भिन्न होता है। दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित - हवलदार / समकक्ष रैंक।</p> <p>(ग) पी एम कौशल विकास योजना पाठ्यक्रम जो 150 घंटे से 300 घंटे यानी 02 महीने या 03 महीने की अवधि तक चलता है।</p>
(द)	अंतिम संस्कार व्यय (एक बार देय)	8000/-	<p>(क) सभी रैंक के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए</p> <p>(ख) संबंधित जेड एस डब्ल्यू ओ (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा मृतक सैनिकों के निकटतम संबंधी को निम्नानुसार राशि का भुगतान</p>

			<p>किया जाएगा:-</p> <p>(i) 4000/- रुपये सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जारी किया जाएगा।</p> <p>(ii) शेष राशि वैध दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।</p>
(य)	विवाह अनुदान	<p>(क) 20,000/-</p> <p>(ख) 20,000 / -</p> <p>(ग) 7,000/-</p> <p>(घ) 5,000 / -</p>	<p>(क) गैर पेंशनभोगी विधवाओं की बेटी के लिए</p> <p>(ख) सभी वर्ग की अनाथ पुत्री के लिए</p> <p>(ग) विधवाओं की बेटी के लिए (नायक रैंक के समकक्ष)</p> <p>(घ) अन्य सभी के लिए, जैसा कि पहले स्वीकृत था (सूबेदार रैंक के समकक्ष)।</p>
(र)	द्वितीय विश्व युद्ध(WW-II) के वयोवृद्ध और विधवाओं को वित्तीय सहायता	6000/- प्रतिमाह	भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
(ल)	100% विकलांग WW-II वयोवृद्ध को सहायता	500/- प्रतिमाह	भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
(व)	WW-II वयोवृद्ध की 80-100% विकलांग विधवा को सहायता	500/- प्रति माह	भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
(श)	70 वर्ष से अधिक आयु की विधवा मां को एक अविवाहित की दुर्घटना में वित्तीय सहायता	400/- प्रति माह	हवलदार रैंक के समकक्ष (केवल गैर विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन धारक के लिए)।
(ष)	100% अंधे और विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए या उनके आश्रितों को परिचारक भत्ता	1000/- प्रति माह	सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं और उनके आश्रित जो नायक रैंक से नीचे या समकक्ष हैं। धन की उपलब्धता के अधीन इस अनुदान को हवलदार या उसके समकक्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अन्य सभी के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। (मेडिकलड सर्टिफिकेट आवश्यक)।

(स)	गोलपाड़ा सैनिक स्कूल में ज्वाइन करने पर छात्र के लिए सब्सिडी (अ) प्रवेश लेने के समय (ब) वार्षिक छात्रवृत्ति	(i) 30000/- (ii) 15000/- 20000/-	(i) हवलदार/ समकक्ष और गैर पेंशनभोगी वार्ड की विधवाओं तक। (ii) हवलदार/समकक्ष तक पूर्व सैनिकों के वार्ड हवलदार / समकक्ष और गैर पेंशनभोगी वार्ड के विधवाओं को किताबें, स्टेशनरी, आकस्मिक (incidental) के लिए। (यह सामान्य छात्रवृत्ति के बदले में होगा)।
(ह)	रक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में शामिल होने वाले छात्र	(क) 15000 / - (ख) 5000/-	केवल नए के लिए एक बार अनुदान प्रवेश (क) नायक (Naik)/ समकक्ष तक के वार्डों के लिए। (ख) हवलदार / समकक्ष के वार्डों और सभी पीबीओआर(PBOR) की विधवाओं तक।
(क्ष)	सेवानिवृत्त सैनिकों के वार्ड को सी बी एस ई (CBSE) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) की 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 85% अंकों के साथ (शीर्ष 10 प्रत्येक)	2500/-	समस्त वर्ग। एक बार अनुदान।
(त्र)	छात्रों को एस एस बी साक्षात्कार की तैयारी में मदद करने के लिए, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले को रक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए एक बार अनुदान।	5000/-	सभी पी बी ओ आर (PBOR) के वार्डों के लिए।
(ज्ञ)	कैंसर और टी.बी. रोगी को अस्पताल से छुट्टी के बाद देखभाल के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु चिकित्सा अनुदान।	1000/- प्रतिमाह	सूबेदार मेजर (Sub Maj) या समकक्ष रैंक तक या पूर्व सैनिक / सेवानिवृत्त दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित (प्रति परिवार अधिकतम एक)।

(अअ)	सभी समावेशी पैकेज के रूप में रोजगारपरक (job oriented) / राज्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों पर सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान, सरकार / विभाग में कैम्पस कोर्स।	अधिकतम 5000/-प्रति छात्र	एक बार अनुदान। सचिव, राज्य प्रबन्ध समिति (एस एम सी) को पाठ्यक्रमों का चयन करने और समन्वय करने के लिए। (हवलदार/समकक्ष तक)।
(अब)	गरीबी (Penury) अनुदान।	(क) 15000/- या (ख) 1000/- प्रतिमाह	(क) सेवा के दौरान लापता सैनिक के जीवन- साथी को रुपये 15,000/- या रु. 1000/- प्रतिमाह का एक बार अनुदान। (ख) ऐसे लापता सैनिक की माँ को जिसकी शादी नहीं हुई थी, अनुदान दिया जाएगा। (ग) इस तरह के लापता सैनिक "मृत मान लें" की घोषणा पर अनुदान समाप्त हो जाएगा।
(अस)	पूर्व सैनिक की विधवा की एक बेटी जिसने सीबीएसई की 12वीं की फाइनल परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, को लैपटॉप	--	सेवानिवृत्त दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की बेटी। (धन की उपलब्धता के अधीन)
(अद)	विकलांगों के लिए निम्नलिखित:- (i) व्हील चेयर, (ii) जल उठाने वाला पंप सहायक उपकरण के साथ, (iii) 100% विकलांग/पैरलेज के मामलों के लिए समायोज्य (adjustable) बिस्तर, (iv) को-मेटोज रोगियों के लिए पानी/ एयर मैट्रेस (Air Matress)।	--	विकलांग, उद्योग जल पम्प स्थापना हेतु एक बार रुपये 2000/- के अनुदान के हकदार हैं। गृह मरम्मत अनुदान हेतु वे कुछ शर्तों के अधीन एक बार रुपये 5000/- के भी पात्र होंगे। 50% से अधिक विकलांग या जो शारीरिक रूप से कोई भी कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं, हालांकि उनकी विकलांगता 50% से कम है, वे भी पात्र होंगे।
(अय)	वेस्टर्न कमोड का आवंटन	--	सभी सेवानिवृत्त सैनिक और सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं के लिए, जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है। स्थापना शुल्क के लिए एक बार रुपये 3000/- का अनुदान भी दिया जाएगा।

(अर)	विधवाओं/अनाथों के लिए योजना:- (क) यात्रा व्यय: निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर उनकी शिकायतों का निवारण या उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और वे अपने आकस्मिक खर्चों को कवर करने के लिए अनुदान के भी हकदार होंगे।	--	(i) हवलदार / समकक्ष तक।
(अल)	(ख) अपने घरों की मरम्मत के लिए घर- मरम्मत-अनुदान	5000/-	(ii) सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं (सिपाही /गैर पेंशनर), अनाथ बेटी और विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक हवलदार या समकक्ष के रैंक तक। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) द्वारा भौतिक सत्यापन और राज्य सैनिक बोर्ड (RSB) को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद ही अनुदान स्वीकृत किया जाएगा (धन की उपलब्धता के अधीन)।
(अव)	कल्याणकारी मदों (Welfare Item) के प्रकार स्प्रे मशीन, साइकिल, 65 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं के लिए मानक आकार की स्टील की अलमारी, रसोई के बर्तन, बेड कवर के साथ गद्दा और तकिया कवर (2 पीस), सिलाई / कढ़ाई मशीन, सी.आई. चादरें मिक्सर ग्राइंडर, प्लास्टिक मेज और कुर्सी सेट एक (01) प्रेशर कुकर (5 लीटर), चार (04) 14 वोल्ट एलईडी बल्ब, एक (01) स्टैंड फैन,(ब्रांडेड कंपनी), एक (01) वाटर फिल्टर (ब्रांडेड कंपनी) 20 लीटर और उससे अधिक	--	कल्याणकारी मदों के लिए अब हवलदार/ समकक्ष (equiv) रैंक तक के एवं गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक/ सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाएँ, अनाथ और उनके आश्रित बच्चे पात्र होंगे। सूची में अन्य विभागों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित सभी मदें भी शामिल होंगी। यह केस टू केस के आधार पर होगा। (फंड की उपलब्धता के अधीन इस अनुदान को सूबेदार मेजर समकक्ष/ (equiv) रैंक तक बढ़ाया जाएगा)। टिप्पणी:- (i) पी बी ओ आर (PBOR) की सभी विधवाओं के लिए केवल 45 वर्ष तक की युवा विधवाओं को ही सिलाई/कढ़ाई की मशीन उपहार में दी जाएगी।

			(ii) केवल बारहवीं बोर्ड परीक्षा तक की छात्राओं के लिए साइकिल (योग्यता सूची के अनुसार चयन)। (iii) कल्याणकारी मदों के लिए लाभार्थी मद के अनुसार 3/5 वर्ष चक्र पूरा होने के बाद आवेदन कर सकते हैं (पानी पंप, कढ़ाई / सिलाई मशीन, 5 साल के लिए सीआई शीट और अन्य मद 3 साल के लिए।
(अश)	बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:- (क) विधवाओं के लिए हवलदार या समकक्ष और 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित अनाथ बेटों के लिए	(क) अधिकतम 50000/-	(क) 7% व्यक्तिगत भुगतान और शेष राशि सब्सिडी दी जाएगी।
	(ख) 100% विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक/पूर्व सैनिक की विधवाएं	(ख) अधिकतम 50000/-	(ख) 40% व्यक्तिगत भुगतान और शेष राशि सब्सिडी दी जाएगी।
	(ग) सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं की पंजीकृत सहकारी समितियाँ	(ग) अधिकतम 1.0लाख	(ग) 7% सहकारी द्वारा भुगतान और शेष राशि सब्सिडी दी जाएगी। टिप्पणी:- ऋण स्व-रोजगार उद्यमों के लिए और मामले के आधार पर दिया जाएगा। 3 साल (अधिकतम) के लिए सब्सिडी पोस्ट पेमेंट के तौर पर (बैंक रसीद के उत्पादन के अधीन)।
	(घ) हवलदार/समकक्ष की बेटों के लिए शिक्षा ऋण।	(घ) अधिकतम 10000/- प्रति साल	(घ) दो साल के लिए पोस्ट पेमेंट के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च व्यावसायिक अध्ययन के लिए।

12. **अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति**

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक	(अंतिम आहरित वेतन-पेंशन+महंगाई भत्ता)
सहायक निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	राज्य सरकार के वेतनमान के अनुसार।
प्लेसमेंट अधिकारी, राज्य सैनिक बोर्ड में सहायक लेखधिकारी और जिला सैनिक बोर्ड में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	(अंतिम आहरित वेतन-पेंशन+महंगाई भत्ता)

13. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड (RSB) की बैठक 13 मई 2022 को और राज्य प्रबंध समिति(SMC) बैठक 05 अक्टूबर 2018 को हुई थी।

14. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम एवं पता	टेलीफोन नं.
(अ)	कछार	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय,पार्क रोड, सिलचर डाकघर और जिला-सिलचर पिन -788001	03842-231115 8461811637 (मो0) cacharzsbs@gmail.com
(ब)	डिब्रूगढ़	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर डाकघर/जिला-डिब्रूगढ़, पिन - 786 003	0373-2310083 9828058303 (मो0) 9957084104 (मो0) dsbdib@gmail.com
(स)	धुबरी	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय. डीसी कार्यालय के सामने, डाकघर- धुबरी - 783301	03662-232662 9585126112 (मो0) zswodhubri2016@gmail.com
(द)	जोरहाट	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर, जिला जोरहाट - 785 001	03762-2310065 8143536402 (मो0) zsw.jorhat@gmail.com
(य)	कामरूप	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कामरूप, गुवाहाटी-01C/0 उपायुक्त कार्यालय, कामरूप (मेट्रो),गुवाहाटी - 781 001	0361-2733147 8800338546 (मो0) zswokamrup@gmail.com

(र)	कोकराझार	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, आरएनबी रोड (प्रधान डाकघर के पास) कोकराझार - 783 370	0366-1270025 9485126112 (मो0) zilasainik.welfare@gmail.com
(ल)	कार्बी आंगलॉग	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कार्बी आंगलॉग, डाकघर - दीफू, पिन - 782460	0367-1274981 8638940640(मो0) zskarbianglong@gmail.com
(व)	लखीमपुर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, उत्तरी लखीमपुर - 787 001	03752-242228 8822349279 (मो0) zsb-nlp@gmail.com
(श)	नागांव	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डाकघर-नागांव - 782 001	03672-233665 8011582136 (मो0) zswonagaon@gmail.com
(ष)	सोनितपुर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला-सोनितपुर, डाकघर- तेजपुर- 784 001	8011222317 (मो0) 7578996030 (मो0) 8004945240 (मो0) zswotezpur@gmail.com
(स)	बारपेटा	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर जिला- बारपेटा- 781 301	03665- 235042 (कार्या०) 9957200858 (मो0) zswobarpeta@gmail.com
(ह)	गोलपारा	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला गोलपारा - 783 101	03663-240223 (कार्या०) 8544080235 (मो0) zsbgoalpara@gmail.com
(क्ष)	दारंग	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर, डाकघर- मंगलदर्ई, जिला-दारंग पिन -784 152	03713-225899 (कार्या0) 9435403370 (मो0) zswodarrang@gmail.com
(त्र)	करीमगंज	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला-करीमगंज, पिन - 788 710	03843-260248 (कार्या0) 8953406023 (मो0) zswokarimganj@gmail.co m
(ज्ञ)	कामरूप (ग्रामीण)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर, डाकघर - अमीनगांव, जिला-कामरूप (ग्रामीण), पिन - 781 031	0361-2680050 8800338546 (मो0) 7636016491 (मो0) zswokamrupr@gmail.com

(अअ)	बोंगाईगांव	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर, डाकघर-बोंगाईगाँव, जिला- बोंगाईगाँव, पिन - 783380	03664 - 230438 9435398540 (मो0) zswobongaigaon@gmail.com
(अब)	शिवसागर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर, डाकघर - शिवसागर, जिला - शिवसागर पिन -785 640	03772 - 291183 8812826177 (मोबा0) zswosivasagar123@gmail.com
(अस)	गोलाघाट	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर डाकघर - गोलाघाट, जिला - गोलाघाट, पिन - 785 621	03774-282026 8179715812 (मोबा0) zswogolaghat@gmail.com
(अद)	हैलाकांडी	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर, डाकघर - हैलाकांडी, जिला - हैलाकांडी, पिन- 788 151	0384-4222380 9435911669 (मो0) 9401847203 (मो0)

15. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं	स्थान व पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक कल्याण निदेशालय, सैनिक भवन, मकान नं०-74 लचित नगर, गुवाहाटी - 781007 निकटतम रेलवे स्टेशन - गुवाहाटी, दूरी - 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - गुवाहाटी, दूरी - 25 किमी	2 (प्रत्येक कमरे में दो बिस्तर)	3 (प्रत्येक कमरे में तीन बिस्तर)	1 (पांच बिस्तर)	0361-2522229
(ब)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कछार, डाकघर-सिलचर जिला - कछार (असम) निकटतम रेलवे स्टेशन- सिलचर, दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - कुम्भीग्राम, दूरी - 25 किमी	1 (दो बिस्तर)	-	2 (सभी कमरों में चार बिस्तर)	03842-231115

(स)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्बी-एंगलॉग, डाकघर-दीफू, जिला-कार्बी-एंगलॉग (असम) निकटतम रेलवे स्टेशन-दीफू दूरी - 0.5 मीटर, निकटतम हवाई अड्डा - दीमापुर दूरी - 65 किमी	1 (दो बिस्तर)	-	3 (छह बिस्तर)	08638940640* zsbkarbianglong@gmail.com
(द)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय धुबरी (असम), निकटतम रेलवे स्टेशन - धुबरी, दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी - - किमी	1 (दो बिस्तर)	-	1 (छह बिस्तर)	03662-232662
(य)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जोरहाट (असम), निकटतम रेलवे स्टेशन-जोहराट, दूरी - 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा- रौरियाह दूरी -15 किमी	1 (दो बिस्तर)	-	2 (छह बिस्तर)	0376-2309317
(र)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, दीमा हसाओ, हाफलॉग (असम), निकटतम रेलवे स्टेशन - हाफलॉग, दूरी - 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी - - किमी	1 (दो बिस्तर)	-	1 (छह बिस्तर)	09435374646* 08638807475 zswohaflong@gmail.com
(ल)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मंगलदई (असम), निकटतम रेलवे स्टेशन - तांगला, दूरी - 12 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - - किमी	1 (दो बिस्तर)		1 (छह बिस्तर)	3713225899

नोट: * दीफू और हाफलॉग के टेलीफोन दूरस्थ इलाके में हैं इसलिए नेटवर्क खराब होने की स्थिति में ईमेल का उपयोग दिए गए नए नंबरों के अतिरिक्त किया जा सकता है।

बिहार**परिचय**

1. बिहार राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 1,37,509 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/ शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : बिहार		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
सैनिक कल्याण विभाग	कर्नल दिलीप प्रसाद, एसएम (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, मुख्य सचिवालय, ब्लॉक - 2, दूसरी मंजिल, बिहार, पटना - 800015	0612-2217013 (कार्या0) directorsknbihar@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** बिहार राज्य में 13 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक विश्राम गृह** पूर्व सैनिकों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए मामूली शुल्क पर बिहार में 08 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	10 लाख	05 लाख	02 लाख	08 लाख	04 लाख	1.50 लाख	7 लाख

क्रमांक	यू वार्ड एस एम	वार्डएस एम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	03 लाख	01 लाख	0.75 लाख	0.50 लाख	1.50 लाख	01 लाख	0.50 लाख

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान; (ब) जमीन के बदले नकद; (स) वार्षिकी; (द) एकमुश्त अनुदान

कल्याण योजना

5. **मकान/फ्लैट निर्माण/मरम्मत** सेवानिवृत्त सैनिक और विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं को 0.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।
6. **विवाह अनुदान** बिना किसी पेंशन के सेवानिवृत्त सैनिक और सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं को 1.0 लाख रुपये की सहायता।
7. **छात्रवृत्ति** प्रति उम्मीदवार रु. 20,000/-प्रति वर्ष। सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए (बी.एड.एम.एड., लॉ कोर्स, पुस्तक अनुदान और छात्रावास अनुदान सहित) (कोई आय सीमा नहीं)।
8. **शिक्षा अनुदान** कक्षा 6वीं से 10वीं तक प्रति अभ्यर्थी रु. 1,500/- प्रतिवर्ष, रु. 3,500 प्रतिवर्ष कॉलेज/संस्थान से प्रति उम्मीदवार, रु. 5,000/- प्रतिवर्ष आईटीआई उम्मीदवार (+2 तक) और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में रु. 1,500/- प्रतिवर्ष बी.एड., एम.एड. लॉ कोर्स को छोड़कर प्रति उम्मीदवार। (हवलदार और समकक्ष तक। कोई आय सीमा नहीं)।
9. **विधवा पुनर्विवाह अनुदान** युद्ध विधवाओं के माता-पिता को 1.0 लाख रुपये की राशि। (जे सी ओ और उनके समकक्ष तक)।
10. **अंत्येष्टि अनुदान** सेवानिवृत्त सैनिक के आश्रित को 5,000/- रु. (जे सी ओ और उनके समकक्ष तक)।
11. **माता-पिता को वित्तीय सहायता** बिहार से संबंधित युद्ध/युद्ध जैसे ऑपरेशन, नक्सली हमले और प्राकृतिक आपदाओं में शहीद हुए विवाहित सैनिकों (जे सी ओ और उनके समकक्ष तक) के माता-पिता को 1.0 लाख रुपये।

12. **द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता** द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं को मृत्यु के बाद 10 हजार रूपये प्रतिमाह का सहायता अनुदान। गैर-पेंशनरों को यह अनुदान नहीं दिया जाता।

13. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, सैन्य अकादमी संस्थान, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और ए एफ एम सी, पुणे में चयन के बाद सेवानिवृत्त सैनिक के पुत्र/पुत्री को (एक बार) 0.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।

14. **निकटतम संबंधी को अनुग्रह अनुदान**

(ए) **रक्षा** (सेना, नौसेना और वायु सेना) – रु0 11,00,000/- और 50,000/- उन युद्ध अक्षम सैनिकों को, जो चिकित्सकीय रूप से संबंधित सेवा से बाहर हो गए हैं और बिहार राज्य के हैं।

(i)	बी एस एफ (सीमा पर मारे गए)	11,00,000/- रुपये।
(ii)	सी पी एम एफ	11,00,000/- रुपये।

15. सरकारी नौकरियों में समूह III और IV पदों पर प्राथमिकता।।

16. राज्य सहायक पुलिस में सेवानिवृत्त सैनिक की नियुक्ति।

17. राज्य सरकार द्वारा मृतक और विकलांग सैनिकों को 5 एकड़ कृषि भूमि और 12.5 डिसमल भूमि आवास के लिए एवं सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 2 एकड़ भूमि कृषि और 12.5 डिसमल भूमि आवास के लिए अवांटिज की जायेगी।

18. व्यावसायिक संस्थानों जैसे आई.टी.आई. और कृषि महाविद्यालय में आरक्षण।

19. बिहार राज्य से संबंधित सेवानिवृत्त सैनिकों को उपचार और पुनर्वास के लिए प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी पैराप्लेजिक सेंटर, किरकी (पुणे) और मोहाली को 0.5 लाख रुपये।

20. 100% विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को व्हील चेयर और लकवाग्रस्त सेवानिवृत्त सैनिकों को 10,000/- वित्तीय सहायता।

21. सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार के उद्देश्य से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रशिक्षण (निशुल्क) की योजना।

22. बिहार नगर निगम में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को मेरिट संख्या में 10 अंक अतिरिक्त वेटेज।

23. जेल में वार्डन के पद पर सेवानिवृत्त सैनिक की भर्ती।

24. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, सैनिक कल्याण	पीबी - 4 + 8900/- पे लेवल -13A (ब्रिगेडियर और समकक्ष) पीबी - 4 + 8700/- वेतन स्तर -13 (कर्नल और समकक्ष)
सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण	पीबी - 3 वेतन स्तर -II
जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी	पीबी - 3+7600/- वेतन स्तर -12 (लेफ्टिनेंट कर्नल और समकक्ष) पीबी-3 + 6600/- पे लेवल- II (मेजर और समकक्ष)

25. राज्य सैनिक बोर्ड(RSB) की अंतिम बैठक 17 जनवरी 2017 को और राज्य प्रबंध समिति (SMC) की बैठक 26 फरवरी 2019 को हुई थी।

26. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्र.सं.	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम एवं पता	टेलीफोन नं.
(अ)	भोजपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कचहरी रोड, आरा - 802301	06182-222866 zskkbhojpur@gmail.com
(ब)	भागलपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, तिलका मांझी भागलपुर-812001	0641-2400821 zskkbhagalpur@gmail.com
(स)	छपरा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नया बस स्टैंड, छपरा - 841301	06152-295714 zsw.saran@gmail.com
(द)	दरभंगा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय C/o कलक्ट्रेट दरभंगा- 846001	06272-243728 zsboarddarbhaga@gmail.com
(य)	गया	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, गया - 823001	0631-220269 districtsoldierboardgaya@ gmail.com
(र)	मोतिहारी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मोतिहारी - 845401	06252-296443 zskkmotihari@gmail.com
(ल)	मुंगेर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंगेर	06344-227345 zskkmunger@gmail.com

(व)	मुजफ्फरपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मुजफ्फरपुर	0621-2215373 zskkmuz@gmail.com
(श)	पटना	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पटना - 801503	06115-229978 zskkptm123@gmail.com
(ष)	सीवान	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बचपन प्ले स्कूल के पास, सीवान, मोर सीवान - 844101	zskksiwan@gmail.com
(स)	बक्सर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय डीएम कार्यालय परिसर, बक्सर - 802103	06183-357856 zskk.bxr@gmail.com
(ह)	वैशाली	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर परिसर, वैशाली (हाजीपुर)	06224-260203 zskkhjp@gmail.com
(क्ष)	रोहतास	स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण रोहतास में कार्य नहीं हो रहा है।	-

27. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्र.सं.	स्थान और पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस भागलपुर, निकटतम रेलवे स्टेशन- भागलपुर दूरी- 3 किमी निकटतम हवाई अड्डा -- दूरी -- किमी	1	1	शयनगृह	0641-2400821
(ब)	सैनिक रेस्ट हाउस भोजपुर, निकटतम रेलवे स्टेशन - आरा दूरी - 4 किमी निकटतम हवाई अड्डा --, दूरी --- किमी	1	1	शयनगृह	06182-222866
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस छपरा निकटतम रेलवे स्टेशन - छपरा दूरी - 1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी - किमी	1	1	शयनगृह	06152-236714

(द)	सैनिक रेस्ट हाउस मुंगेर, निकटतम रेलवे स्टेशन - जमालपुर दूरी - 8 किमी निकटतम हवाई अड्डा --, दूरी -- किमी	1	1	शयनगृह	06344-227345
(य)	सैनिक रेस्ट हाउस गया, निकटतम रेलवे स्टेशन - गया दूरी - 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी -- किमी	1	1	शयनगृह	0631-2471708
(र)	सैनिक रेस्ट हाउस कटिहार, निकटतम रेलवे स्टेशन - कटिहार दूरी - 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी -- किमी	1	1	शयनगृह	0641-2400821
(ल)	सैनिक विश्राम गृह मोतिहारी, निकटतम रेलवे स्टेशन - मोतिहारी दूरी - 6 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी -- किमी	1	1	शयनगृह	0652-238278
(व)	सैनिक रेस्ट हाउस पटना (दानापुर कैंट) निकटतम रेलवे स्टेशन - दानापुर दूरी - 7 किमी निकटतम हवाई अड्डा - पटना, दूरी - 8 किमी	1	1	शयनगृह	06115-227978

छत्तीसगढ़**परिचय**

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 8,812 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
सैनिक कल्याण विभाग	ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, वीएसएम, (सेवानिवृत्त), निदेशक, निदेशालय, सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के पास, मोती बाग रोड, शास्त्री चौक, रायपुर - 492001 छत्तीसगढ़	0771-2445165 (का०) 0771-2960621 (फै०) 09596744110 (मो०) 08770789080 (मो०) dirsw.cg@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक विश्राम गृह** मामूली शुल्क पर पूर्व सैनिकों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में 05 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	20 लाख	12 लाख	8 लाख	20 लाख	12 लाख	8 लाख	1.45 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वार्ड एस एम	वार्डएसएम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	1.40 लाख	0.80 लाख	0.50 लाख	0.12 लाख	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)							

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. **आरक्षण** सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ग्रुप 'सी' में 10% और ग्रुप 'डी' पदों में 20% आरक्षण।
6. विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार के लिए प्राथमिकता ए 1।
7. जिनका एक बच्चा/सभी बच्चे रक्षा में कार्यरत हैं। उनके माता-पिता को 5,000/- रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाता है
8. **आरक्षण** सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 3% सीट मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में, 5% सीट पॉलिक्लिनिक में, 2% सीट कृषि कॉलेजों में, 2% सीट बी.एड में और प्रत्येक आईटीआई में 5 सीटें आरक्षित।
9. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सहायता।
10. सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक को आवास निर्माण एवं मरम्मत हेतु सीमेंट कोटे के आवंटन में प्राथमिकता।
11. सेवानिवृत्त सैनिकों को औद्योगिक भूखंड/शेड और उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्रत्येक को 2% आरक्षण।
12. सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आवास स्थलों, आवासों और राष्ट्रीय परमिटों के आवंटन में प्रत्येक को 2% आरक्षण।
13. सेवानिवृत्त सैनिकों/आश्रितों के लिये अनुकूल किराया नियंत्रण अधिनियम एवं भू-काश्तकारी अधिनियम।
14. सेवानिवृत्त सैनिकों को 5 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन जिनकी कुल आय एक सूबेदार मेजर (Sub Maj) की पेंशन से अधिक नहीं है।

15. गैर आयकर दाता सेवानिवृत्त सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट।

16. सेवानिवृत्त सैनिकों /विधवाओं के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए समामेलित विशेष निधि (Amalgamated Special Fund) छत्तीसगढ़ से वित्तीय सहायता इस प्रकार है: -

क्र.सं.	अनुदान का प्रकार	वर्तमान पात्रता	वर्तमान राशि (रुपये में)
(अ)	विवाह अनुदान सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं/अनाथ बेटियों हेतु (केवल दो बेटियों तक)	सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer Rank) /विधवाओं/अनाथ बेटियों को नियमों के साथ* (केवल दो बेटियों तक)	51,000.00
(ब)	सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं को पुनर्विवाह अनुदान	सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer Rank) की विधवाओं को	51,000.00
(स)	सेवानिवृत्त सैनिक के निधन पर अंतिम संस्कार अनुदान	सभी सेवानिवृत्त (Personnel Below Officer Rank) की विधवाएं/ पुत्र/ पुत्री/निकटतम परिजन (next of kin)	25,000.00
(द)	विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को कृत्रिम अंगों की खरीद/मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता	सभी सेवानिवृत्त सैनिक	30,000.00
(य)	चिकित्सा उपचार सहायता जहां सरकारी अस्पताल/मिलेटी हॉस्पिटल स्थित नहीं है और सेवानिवृत्त सैनिक ECHS (Ex-serviceman Contributory Health Scheme) के सदस्य नहीं हैं	सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer Rank)(10,000/-प्रतिमाह से कम आय के साथ)	30,000.00 (एक बार अनुदान)
(र)	WW-II के सभी गैर-पेंशनभोगियों/ विधवाओं	स्वतंत्रता के बाद सभी दर्ज (enrolled) WW-II के गैर-पेंशनभोगियों/विधवाओं	7,000.00 प्रतिमाह
(ल)	सिलाई/बुनाई मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	PBOR (Personnel Below Officer Rank) की सभी विधवाएं जिनकी आय रु. 25,000/-प्रतिमाह से कम और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	मशीन की वास्तविक लागत या 10,000/-रुपये जो भी कम हो

(व)	विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध सेवानिवृत्त सैनिक और गरीबी में रहने वाले परिवार को रखरखाव में राहत/ सहायता का निवारण	DSWO, (<i>District Social Welfare Officer</i>) द्वारा शारीरिक रूप से स्थिति का भौतिक रूप से सत्यापन	एक बार के लिए संकट निवारण सीमा के अधीन रु. 30,000 राशि की सहायता
(श)	सैनिकों को सम्मान निधि: - (i) उम्र के 75 साल पूरा होने पर (ii) उम्र 80 वर्ष पूरे होने पर (iii) उम्र के 85 वर्ष पूरे होने पर (iv) उम्र के 90 वर्ष पूरे होने पर (v) उम्र के 95 वर्ष पूरे होने पर (vi) उम्र के 100 साल पूरा होने पर और हर साल 100 साल की उम्र से अधिक।	सभी सेवानिवृत्त सैनिक (स्वतंत्रता के बाद दर्ज (enrolled))	रु. 15,000/- रु. 15,000/- रु. 20,000/- रु. 20,000/- रु. 25,000/- रु.25,000/-
(ष)	क्लीन मैरी के तकनीकी संस्थान (क्यूएमटीआई) या अन्य भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को रखरखाव अनुदान	सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer Rank) I पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद प्रतिपूर्ति की जाएगी।	1,200/- प्रतिमाह
(स)	विभिन्न आई टी आई में पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग कोर्स करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को वजीफा	सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer Rank) पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रतिपूर्ति की जाएगी।	रु. 500/- प्रतिमाह

(ह)	सेवानिवृत्त सैनिकों के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता: - (i) एक अनाथ बच्चे के लिए (ii) दो या दो से अधिक अनाथ बच्चों के लिए	सभी सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे 21 वर्ष की आयु तक/विवाह जो भी पहले हो।	रु. 25,000/- प्रतिवर्ष प्रति बच्चा (केवल दो बच्चों तक)
(क्ष)	छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता SEMFEX द्वारा कवर नहीं हो।	रु. 6,000/- प्रतिमाह आय से नीचे के सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer Rank)/विधवाओं को।	रु. 15,000/- तक (एक बार)
(त्र)	रक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में शामिल होने वाले एक बच्चे तक। जैसे एन डी ए/आई एम ए/ओ टी ए।	प्रावधान के अनुसार सभी पूर्व PBOR* (Personnel Below Officer Rank)।	रु. 1,000/-प्रतिमाह
(ज्ञ)	सैनिक/सैन्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे	प्रावधान के अनुसार सभी पूर्व PBOR* (Personnel Below Officer Rank)।	रु. 20,000/- प्रति वर्ष
(अअ)	सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे जो एसएसबी साक्षात्कार के लिए कोचिंग में भाग ले रहे हैं (एक बार अनुदान)	प्रावधान के अनुसार सभी सेवानिवृत्त PBOR* (Personnel Below Officer Rank)।	रु. 20,000/- (एक बार)
(अब)	वित्तीय सहायता: - (ए) सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के विकलांग बच्चे: - (i) 25 साल उम्र तक के सेवानिवृत्त सैनिकों का बेटा। (ii) सेवानिवृत्त सैनिकों की बेटी की शादी तक। (iii) सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के मानसिक रूप से मंद बच्चे जीवन भर के लिए पात्र हैं।	सभी सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे। 100% तक 50% तक 25% तक	रु.1,500/-प्रति माह रु. 700/-प्रतिमाह रु. 500/-प्रतिमाह
(अस)	राज्य के 65 वर्ष की आयु से ऊपर वृद्ध सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को वित्तीय सहायता जो राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम में रह रहे हैं	प्रावधान के अनुसार सभी सेवानिवृत्त PBOR* (Personnel Below Officer Rank)।	रु. 1,500/- प्रतिमाह

(अद)	सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर एकमुश्त अनुदान: - (i) भागीदारी (ii) स्वर्ण पदक (iii) रजत पदक (iv) कांस्य पदक	सभी सेवानिवृत्त सैनिकों के वार्ड (Personnel Below Officer Rank) प्रावधान के अनुसार भागीदारी/पदक पुरस्कार खेल विभाग, राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।	रु. 5,000/- रु. 10,000/- रु. 8,000/- रु. 6, 000/-
(अय)	डायलिसिस और कैंसर का इलाज कराने वाले सभी रैंकों के सेवानिवृत्त सैनिकों को RMDF/CG/ECHS द्वारा पूरक लागत दी जाएगी।	सभी सेवानिवृत्त सैनिक	रु. 25,000/- प्रतिवर्ष
(अर)	RMDF/CG/ECHS द्वारा सभी रैंकों के सेवानिवृत्त सैनिकों को जो (एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, CABG, OH सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्टोक) आदि अन्य सभी गंभीर बीमारियों का इलाज करवाते हैं, पूरक लागत दी जाएगी।	सभी सेवानिवृत्त सैनिक	रु. 25,000/- प्रतिवर्ष
(अल)	अपंग/अक्षम सेवानिवृत्त सैनिकों को स्कूटर के रखरखाव/ मरम्मत की लागत एडजुटेंट जनरल सेरेमोनियल एंड वेलफेयर ऑफ आर्मी/ समकक्ष संस्था वायु सेना/नौसेना या केएसबी/ आरएसबी या कोई भी अन्य संस्था द्वारा जाएगी।	सभी सेवानिवृत्त सैनिक	रु. 5,000/- प्रतिवर्ष
(अव)	कृत्रिम अंगों रखरखाव के लिए विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को लागत दी जाती है।	सभी सेवानिवृत्त सैनिक	रु. 5,000/- प्रतिवर्ष

(अश)	अक्षम सेवानिवृत्त सैनिक को संशोधित स्कूटर के आवंटन/ प्रतिस्थापन का प्रावधान।	(i) पूर्व सैनिक 50% और उससे अधिक विकलांग होना चाहिए। (ii) KSB(केन्द्रीय सैनिक बोर्ड) से संशोधित स्कूटर के आरंभिक निर्गम के 10 वर्ष पूरे होने पर।	संशोधित स्कूटर की वास्तविक लागत
(अष)	विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक को बैटरी संचालित व्हील चेयर के बाद के आवंटन/ प्रतिस्थापन का प्रावधान	(i) सेवानिवृत्त सैनिक 50% और उससे अधिक विकलांग होना चाहिए, (ii) प्रारंभिक निर्गम के 10 वर्ष पूरे होने पर बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर।	बैटरी से चलने वाली व्हीलचेयर की वास्तविक लागत या अधिकतम रु. 50,000/- जो भी हो।
(अस)	कैंसर रोग से पीड़ित सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं को वित्तीय सहायता	केवल सभी सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाएं	रु. 50,000/- प्रतिवर्ष
(अह)	कक्षा 6वीं से 12वीं कक्षा तक (दो बच्चों तक)	सेना के सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer Rank) और वायु सेना एवं नौसेना में समकक्ष रैंक के बच्चे न्यूनतम ग्रेड 1/बी अंकों के साथ (71% या उससे अधिक)	लड़के -7000/- रुपये प्रतिमाह लड़कियां -9000/- रुपये प्रतिमाह
(अक्ष)	स्नातक स्तर की पढ़ाई तक, M.Ed/B.Ed/B.Sc(नर्सिंग)/डिप्लोमा पाठ्यक्रम और पॉलीटेक सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान(दो बच्चों तक)	सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer) के बच्चे न्यूनतम ग्रेड 2/बी अंक (60% या उससे अधिक) के साथ	लड़के -7000/- रुपये प्रतिमाह लड़कियां -9000/- रुपये प्रतिमाह
(अत्र)	पोस्ट ग्रेजुएशन तक	सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer) के बच्चे न्यूनतम ग्रेड 2/बी अंक(60% या उससे अधिक) के साथ	लड़के -1000/- रुपये प्रतिमाह लड़कियां -1200/- रुपये प्रतिमाह
(अअस)	बीई/एमएस/एमबीबीएस/बीडीएस/बीवीएस/ MBA/MCA (दो बच्चों तक)	(i) सेवानिवृत्त अधिकारी के बच्चे न्यूनतम ग्रेड 1/ए अंक (71% या अधिक) के साथ (ii) सभी सेवानिवृत्त PBOR (Personnel Below Officer) के बच्चे न्यूनतम ग्रेड 2/बी अंक (60% या अधिक) के साथ	रु. 20,000/- प्रतिवर्ष

क्रमांक 16 (अ), (त्र), (ज्ञ), (अअ), (अस) और (अद) में *प्रावधान है कि PBOR (Personnel Below Officer) समामेलित विशेष कोष (Amalgamated Special Fund) से ऐसी वित्तीय सहायता का हकदार नहीं होगा, यदि उसकी सकल कुल आय सभी स्रोत रु. 8,00,000/- प्रतिवर्ष से अधिक हैं। इस सहायता की मंजूरी से पहले इस आशय का एक हलफनामा सेवानिवृत्त सैनिक) से प्राप्त किया जाएगा।

17. ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन मेघदूत के युद्ध में मारे गए/विकलांग हताहतों की विधवाओं/आश्रितों को लाभ।

18. पुत्री/आश्रित बहन के विवाह हेतु रू० 10000 का अनुदान।

19. सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवा/आश्रित को नकद अनुदान: -

(अ) कार्रवाई में मारे गए अधिकारियों/जे सी ओ/ओ आर की विधवाओं/आश्रितों को 20,00,000/- रुपये का अनुग्रह अनुदान।

(ब) कार्रवाई में अक्षम सशस्त्र बल कार्मिकों को नकद अनुदान।

- (i) 100% विकलांगता - 10,00,000/- रुपये
- (ii) 50% विकलांगता - 5,00,000/- रुपये
- (iii) 25% विकलांगता - 2,50,000/- रुपये

(स) "कार्रवाई में मारे गए" सशस्त्र बल कर्मियों के आश्रितों के लिए एक अनुकंपा नियुक्ति।

(द) कार्रवाई में अक्षम सशस्त्र बल कार्मिकों का मुफ्त चिकित्सा उपचार।

20. WW-II के सेवानिवृत्त सैनिकों को वित्तीय सहायता। WW-II के दिग्गजों और उनकी विधवाओं को 6000/- रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है।

21. **वाग जागीर भत्ता** 5000/- रुपये उन माता-पिता को दिया जाता है जिनके केवल या सभी बच्चे रक्षा बलों में सेवारत हैं।

22. **अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति**

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक राज्य सैनिक बोर्ड	रक्षा बलों में आहरित अंतिम वेतन पेंशन घटाकर
अधिकारी राज्य सैनिक बोर्ड	रुपये 43,200-1,36,500 (स्तर 10)
सचिव ज़िला सैनिक बोर्ड	रक्षा बलों में आहरित अंतिम वेतन पेंशन घटाकर

23. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड (RSB) की बैठक 13 जनवरी 2012 को और राज्य प्रबंध समिति(SMC) की बैठक 18 जनवरी 2022 को हुई थी।

24. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्र.सं.	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम एवं पता	टेलीफोन नं.
(अ)	रायपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के पास, मोतीबाग रोड, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001	0771-2427449 (O) 0771-2427449 (F) dsw.raiipur@gmail.com
(ब)	बिलासपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495 004	07752-422121 (o) 07752-422121 (F) Zsk.bsp.cg@gmail.com
(स)	दुर्ग	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, दुर्ग रायपुर नाका, बीएसएनएल टॉवर के पास, दुर्ग, (छ.ग.) - 491001	0788-2960199 (o) 0788-2960199 (F) dsw.दुर्ग@gmail.com
(द)	राजनांदगांव	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, राजनांदगांव,पुराने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास, राजनांदगाँव (छ.ग.) - 491441	07744-226862 (o) 07744-226862 (F) dsworjn.cg@gmail.com
(य)	जशपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जशपुर स्टेट वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स, चीड़ बागीचा, जशपुर (छ.ग.) - 496331	07763-220954 (o) 07763-220954 (F) jspdsw.cg@gmail.com
(र)	जगदलपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जगदलपुर, पीजी कॉलेज के सामने, प्रातःइंडिया प्रेस के पास, धरमपुरा, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.) - 494001	07782-229347 (o) 07782-229347 (F) dswojdp@gmail.com
(ल)	अंबिकापुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अंबिकापुर, सरगुजा कलेक्ट्रेट परिसर, अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)- 497001	07774-221721 (o) 07774-221721 (F) dsw.ambikapur@gmail.com

(व)	बैकुंठपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बैकुंठपुर, कोरिया कमरा नंबर 123, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट परिसर, बैकुंठपुर, कोरिया (छ.ग.) - 497335	07836-234021 (o) 07836-234021 (F) dswobkpur@gmail.com
(श)	कांकेर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कांकेर पुराना कचहरी परिसर, कांकेर (छ.ग.) - 494334	07587-455691 (o) 07587-455691 (F) dswoknk@gmail.com
(ष)	रायगढ़	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर, रायगढ़(छ.ग.)-496001	07762-223190 (o) 07762-223190 (F) dsworig@gmail.com

25. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्थान और पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक विश्राम गृह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के पास मोतीबाग रोड, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन-492 001 निकटतम रेलवे स्टेशन- रायपुर दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूरी- 15 किमी	1	1	1 और 1 x आवास (03 बिस्तर)	0771-2427449

(स)	सैनिक रेस्ट हाउस, कलेक्ट्रेट परिसर, बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001 निकटतम रेलवे स्टेशन - बिलासपुर दूरी- 6 किमी निकटतम हवाई अड्डा - स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूरी - 144 किमी	1	1	2 और 1 x आवास (02 बिस्तर)	077752-422121
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस के सामने, रायपुर नाका के पास, दुर्ग (छ.ग.), पिन- 491001 निकटतम रेलवे स्टेशन - दुर्ग, दूरी - 1 किमी निकटतम हवाई अड्डा- स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी - 53 किमी	2	1	3 और 1 x आवास (03 बिस्तर)	0788-2329939
(य)	सैनिक रेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन के पास पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) पिन- 491441 निकटतम रेलवे स्टेशन - राजनांदगांव, दूरी- 200 मीटर निकटतम हवाई अड्डा - स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूरी - 85 किमी	1	1	2 और 1 x आवास (04 बिस्तर)	07744-226862

(र)	सैनिक रेस्ट हाउस, स्टेट वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स, चीयर बागीचा, जशपुर (छ.ग.), पिन - 496331 निकटतम रेलवे स्टेशन - रायगढ़, दूरी -119 किमी निकटतम हवाई अड्डा - स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी- 447 किमी	1	1	1	07763-220954
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस, पीजी कॉलेज के सामने, प्रथा इंडिया प्रेस के पीछे, धरमपुर-2, जगदलपुर (छ.ग.), पिन - 494001 निकटतम रेलवे स्टेशन - जगदलपुर दूरी - 7 किमी निकटतम हवाई अड्डा - माँ दन्तेश्वरी हवाई अड्डा दूरी - - 8 किमी	1	1	2 और 1 x आवास (08 बिस्तर)	07782-229347

दिल्ली**परिचय**

1. दिल्ली राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 75,706 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : दिल्ली		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
राज्य सैनिक बोर्ड	कमोडोर अजय सक्सेना, वीएसएम (सेवानिवृत्त) सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, चौथी मंजिल, टॉवर ब्लॉक, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110 006	011-23861360 (O) 011-23861876 (F) e.mail: rsbdelhi@nic.in Web portal : www.rsbdelhi.nic.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** वर्तमान में दिल्ली के एन सी टी में कोई जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) नहीं हैं। हालांकि, चार जेड एस बी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इनकी स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

3. **केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिक को मामूली शुल्क पर कमरा/शयनागार सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली में नरैना में एक केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह है। वह केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नियंत्रण में है। इसमें अधिकारियों के लिए 11 कमरे, जे सी ओ के लिए 5 कमरे और अन्य रैंकों के लिए 5 कमरे हैं, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मियों की सुविधा के लिए जे सी ओ और अन्य रैंकों के लिए 10 बिस्तरों वाले चार शयनगृह हैं। सी आर एस एच में मामूली कीमत पर समारोहों, बैठकों और सामाजिक समारोहों के लिए एक मैरिज हॉल और एक मिनी पार्टी हॉल भी है। आवास की लागत इस प्रकार है:-

अधिकारी	- सेवा में	रूपये 600.00
	- सेवानिवृत्त	रूपये 500.00
जेसीओ / समकक्ष	- सेवा में	रूपये 450.00
	- सेवानिवृत्त	रूपये 400.00
अन्य रैंक	- सेवा में	रूपये 300.00
	- सेवानिवृत्त	रूपये 250.00
छात्रावास	- सेवा में	रूपये 200.00
	- सेवानिवृत्त	रूपये 150.00

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	25 लाख	15 लाख	10 लाख	25 लाख	15 लाख	10 लाख	1.27 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	5 लाख (G)	-	-	-	-
(द)	0.75 लाख	0.34 लाख	0.45 लाख (D)	0.12 लाख	1.15 लाख	0.57 लाख	0.23 लाख

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान (G) वीरता सेवा (D) प्रतिष्ठित सेवा

5. **प्राथमिकता** (1) दिल्ली सरकार के एनसीटी सरकार के पत्र संख्या एफ.16/146/98/एस-III/457 दिनांक 24/2/99 के तहत विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए रोजगार।
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पत्र संख्या F.16/146/98/S-III/458 दिनांक 24/2/99 द्वारा आरक्षित रिक्ति को एक वर्ष के लिए आगे ले जाना।
7. दिल्ली पुलिस में पत्र संख्या 3431/ई. II (पीएचक्यू) दिनांक 13/3/97 द्वारा संबंधित समूह 'सी' और 'डी' पदों में क्रमशः 10% और 20% का आरक्षण।
8. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 5% सीटें।
9. सरकारी नौकरियों में समूह 'सी' और 'डी' पदों में 10% और 20% का आरक्षण और पीएसयू में दिल्ली सरकार के पत्र संख्या F.16(146)/98-S.III/9148 दिनांक 18/12/98 के अनुसार 14.5% और 24.5%।

10. एनडीए में उन कैडेटों को प्रशिक्षण अनुदान, जो एनडीए में अपने प्रशिक्षण की अवधि के लिए दिल्ली के वास्तविक निवासी हैं, 27 सितंबर 2018 से प्रति कैडेट प्रतिमाह 2,000/- रुपये की दर से।
11. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -110 024 के माध्यम से नौ (09) संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा में दो साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 3% सीटों का आरक्षण। सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए प्रत्येक पॉलिटेक्निक, फार्मसी कॉलेज, पुष्प विहार और फूड क्राफ्ट संस्थान में 5% सीटों का आरक्षण।
12. सेवा कर्मियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति पर घरों/प्लैटों को फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया गया है।
13. प्रबंधकीय, व्यावसायिक और कृषि प्रशिक्षण में सेवानिवृत्त सैनिक प्रशिक्षुओं को 250/- रुपये प्रतिमाह वजीफा देना।
14. **सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों के लिए आरक्षण**
 - (अ) डीडीए की दुकानें - 1%।
 - (बी) पुनर्वास निदेशक के माध्यम से दुग्ध बूथों एवं फल/सब्जी की दुकानों का आवंटन।
15. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पत्र संख्या 27(I)/2000/P&P/3028 दिनांक 24/8/2000 द्वारा ग्रुप 'सी' पदों की भर्ती के लिए शुल्क के भुगतान में छूट।
16. युद्ध विधवाओं/ सेवानिवृत्त सैनिकों को संपत्ति कर में 100% छूट, जो वीरता पुरस्कार विजेता हैं, स्वयं के लिए, किराए पर नहीं ली गई संपत्ति के लिए और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए संपत्ति कर में 30% छूट बशर्ते कि घर उनके नाम पर हो, स्वयं के कब्जे में हो और किराए पर नहीं दिया गया हो, जो संपत्ति की केवल एक इकाई पर लागू होता है
17. समामेलित विशेष निधि (Amalgamated Special Fund) की योजनाएँ।
18. विधवा/विधवा की पुत्री के विवाह अनुदान के लिए रू0 16,000/- की दर से अनुदान।
19. सेवानिवृत्त सैनिक की मृत्यु पर विधवाओं/आश्रितों को अंतिम संस्कार अनुदान @ 4,000/- रुपये।
20. क्वीन मैरी के तकनीकी संस्थान, किरकी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों (ईएसएम) को प्रति माह 900 रुपये का रखरखाव अनुदान।
21. अंधे सेवानिवृत्त सैनिकों को 1,000/- रुपये प्रतिमाह।

22. पैराप्लेजिक/टेट्राप्लेजिक सेवानिवृत्ति सैनिकों को 1,000/- रुपये प्रतिमाह।
23. पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े सेवानिवृत्ति सैनिकों को 1,000/- रुपये प्रतिमाह।
24. सेवानिवृत्ति सैनिकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति।
 - (अ) बारहवीं कक्षा में 90% और उससे अधिक स्कोर करने पर 9,600 / -प्रतिमाह।
 - (ब) बारहवीं कक्षा में 80% और उससे अधिक स्कोर करने पर 7,200/- रुपये प्रतिमाह।
25. सेवानिवृत्ति सैनिकों के विकलांग बच्चों को 1,000/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता।
26. गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति सैनिकों या उनकी विधवाओं को हियरिंग-एड खरीदने के लिए 3,000/- रुपये।
27. सेवानिवृत्ति सैनिकों की अनाथ बेटी की शादी के लिए 30,000 / - विवाह अनुदान के रूप में।
28. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्ति सैनिकों को 5,000/- रुपये का नागरिक पुरस्कार।
29. सेवानिवृत्ति सैनिकों की विधवाओं को बेटी (बेटियों) के इंजीनियरिंग या मेडिसिन में उच्च शिक्षा के लिए 20,000/- रुपये प्रतिवर्ष और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के लिए 10,000/- रुपये प्रतिवर्ष।

योजनायें

30. द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों/विधवाओं को 9,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से निराश्रित अनुदान।
31. अनुग्रह राहत 01 अप्रैल 2015 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना के तहत रक्षा मंत्रालय/सेवा मुख्यालय द्वारा घोषित काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन/बैटल कैजुअल्टी के दौरान मारे गए रक्षा कर्मियों के निकटतम संबंधी को निम्नानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा: -
 - (अ) शहीद की विधवा और माता-पिता को क्रमशः 60,00,000 रुपये और 40,00,000 रुपये।
 - (ब) शहीद के माता-पिता जीवित नहीं होने पर विधवा को 1,00,00,000 रुपये।
 - (स) शहीद अविवाहित होने पर माता-पिता को 1,00,00,000 रुपये।
 - (द) कानूनी उत्तराधिकारी के लिए 1,00,00,000 रुपये, यदि विवाहित/अविवाहित और पत्नी/माता-पिता जीवित नहीं हैं।

(य) **अनुग्रह अनुदान के अन्य कारक: -**

(i) युद्ध/संचालन के दौरान कर्तव्यों/कार्रवाई के दौरान अक्षमता के मामले में यदि विकलांगता 60% और उससे अधिक है -10,00,000 रुपये और विकलांगता 60% से कम है तो 6,00,000 रुपये।

(ii) युद्ध/संचालन/पीओडब्ल्यू में लापता होने पर निकटतम परिजन को 50,000 रुपये प्रति माह (धन का विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा जैसा कि ऊपर हाइलाइट किए गए मृत्यु के मामले में किया गया है)।

(अनुग्रह राहत के बारे में विस्तृत जानकारी विभागीय आयुक्त, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के कार्यालय द्वारा उनके आदेश संख्या बी.सं. 28/1/98/आरएसबी/(पार्ट-1)/सीडी-087476699/ 735-749 दिनांक 09.08.2018 द्वारा प्रकाशित की गई है और इसे दिल्ली सरकार के **वेबपोर्टल** www.delhi.gov.in पर देखा जा सकता है)

32. **वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति**

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	123100 - 215900

33. राज्य सैनिक बोर्ड की अंतिम बैठक 04 फरवरी 2021 को हुई थी।

34. केन्द्रीय सैनिक विश्राम गृह का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान व पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
1.	सैनिक विश्राम गृह सीबी ब्लॉक, रिंग रोड, नरैना, दिल्ली- 110028 निकटतम रेलवे स्टेशन-दिल्ली कैंट दूरी -4 किमी निकटतम हवाई अड्डा - इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम दूरी - 4 किमी	11 कमरे	05 कमरे	5 कमरे (JCOs और ORs के लिए 04 शयनगृह 10 बिस्तर)	011-2577049

गोवा**परिचय**

1. गोवा राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 2,947 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड गोवा		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नंबर।
राज्य सैनिक बोर्ड	मेजर वेणुगोपाल नायर (सेवानिवृत्त), सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट भवन, पणजी - 403 001	0832-2227138 (O) 0832-2227138 (F) 9420686834 secyrsbgoa@gmail.com secy-dsw. goa@nic.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** गोवा राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं हैं।

3. **सैनिक विश्राम गृह** गोवा में कोई सैनिक विश्राम गृह नहीं है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाईएस एम
(अ)	10 लाख	5 लाख	4 लाख	10 लाख	5 लाख	3 लाख	0.20 लाख
(ब)	15 लाख	10 लाख	6 लाख	15 लाख	10 लाख	7 लाख	1.10 लाख
(स)	0.75लाख	0.60लाख	0.40 लाख	0.70लाख	0.55लाख	0.35ला ख	0.04 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	0.20 लाख	1.30 लाख	1.50लाख (G)	0.03 लाख	0.45 लाख	0.15 लाख	0.10 लाख
(ब)	1.10	0.35 लाख	0.04 लाख(D)	0.15 लाख	1.55 लाख	1 लाख	0.35 लाख
(स)	0.035लाख	0.03 लाख	0.26 लाख (D)	0.15 लाख	0.06	0.05. लाख	0.03 लाख
(द)	-	-	0.07 लाख(G) 0.025 लाख(D)	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान; (ब) जमीन के बदले नकद; (स) वार्षिकी; (द) एकमुश्त अनुदान

5. कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए रक्षा कार्मिकों के आश्रितों को निम्नानुसार रियायत/सुविधाओं का विशेष पैकेज प्रदान किया जाता है: -

(अ) अंतरराष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर दुश्मन की कार्रवाई या उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, विद्रोहियों आदि के खिलाफ कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु पर मृतक के निकटतम संबंधी को रु.10.00 लाख।

(ब) अंतरराष्ट्रीय युद्ध या सीमा झड़पों में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली विकलांगता और उग्रवादियों, आतंकवादियों, विद्रोहियों आदि के खिलाफ कार्रवाई के दौरान विकलांगों के लिए रु. 3.00 लाख।

(स) सैन्य सेवा में कर्तव्यों के पालन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु में मृतक के निकटतम संबंधी को रु.8.00 लाख।

(द) सैन्य सेवा में कर्तव्यों के पालन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाले विकलांगों के लिए 2.00 लाख रुपये।

(य) आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों से कर्तव्यों पालन के दौरान होने वाली मृत्यु में मृतकों के निकटतम परिजनों को 8.00 लाख रुपये।

(र) आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण कर्तव्यों के पालन के दौरान होने वाले विकलांगों को 2.00 लाख रुपये।

(ल) शिक्षा योग्यता के अनुसार मृतक या स्थायी रूप से विकलांग होने वाले के परिवार के एक पात्र सदस्य को राज्य सरकार की सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति।

(व) मृतक या स्थायी रूप से विकलांग के बच्चों के लिए स्नातक तक मुफ्त शिक्षा।

6. उन द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों/ सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को रु. 8,000/- प्रतिमाह प्रदान किया जाता है जो जीवन में किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

7. 2000 से पहले की युद्ध विधवाओं को रु. 5,000/- प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

8. स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त करने वाले युवाओं को रु.2.00 लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। लघु सेवा कमीशन अधिकारी को रु.1.00 लाख और गोवा के अधिकारी रैंक से नीचे युवाओं को रु. 50,000/- ।

9. द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों, विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों तथा सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को राज्य के भीतर KTC (**Kadamba Transport Corporation**) बसों में निशुल्क यात्रा रियायत।

10. सेवानिवृत्त सैनिकों/सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को हाउस टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है।

11. सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में देय सभी शुल्कों में छूट दी है, बशर्ते कि ऐसे दस्तावेजों को उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए निष्पादित किया गया हो न कि किसी वाणिज्यिक/व्यावसायिक/अचल संपत्ति गतिविधियों के लिए।

12. सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए स्टैप ड्यूटी के भुगतान में छूट दी है, न कि अचल संपत्ति गतिविधियों के लिए सहायक, वाणिज्यिक, व्यवसाय के लिए।

13. सभी शहीदों के परिजनों को "ग्रीन कार्ड" के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष कार्ड प्रदान किया जाता है। यह उन्हें सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों में उनके प्रशासनिक कार्य में "प्राथमिकता" उपचार का अधिकार देता है।

14. राज्य सरकार सरकारी विभागों/कार्यालयों में समूह 'सी' और 'डी' पदों पर सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार के लिए 2% आरक्षण प्रदान करती है।

15. मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, बी.फाम, बी.आर्क, नर्सिंग कॉलेज, बीएड और आईटीआई/पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 1% सीटें आरक्षित हैं।

16. सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के लिए उचित मूल्य की दुकान के आवंटन हेतु 3% आरक्षण। सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के लिए गोवा हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्लैट/प्लॉट के आवंटन के लिए 2% आरक्षण।
17. गोवा सदन, नई दिल्ली, गोवा भवन, मुंबई में शौर्य/प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार विजेताओं को उनके प्रवास के दौरान आधिकारिक ड्यूटी पर सरकारी अधिकारियों के समान रहने के लिए आवास का आवंटन।
18. सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को गोवा भवन (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2008 के तहत संरक्षित किया गया है।
19. **गैर-पेंशनभोगियों को वित्तीय सहायता** उन पूर्व सैनिकों/विधवाओं को 2,500/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं और गरीब परिस्थितियों में हैं।
20. **गैर-पेंशनभोगी को विकलांग अनुदान** सेवानिवृत्ति/मुक्ति के बाद न्यूनतम 40% स्थायी विकलांगता वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को रु. 2,000/- प्रतिमाह विकलांग अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।
21. **सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के आश्रितों को विकलांग अनुदान** सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के आश्रितों को रु. 2,500/- प्रतिमाह विकलांग अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है, जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40% है।
22. **कैंसर, टीबी, कुष्ठ और गुर्दे की बीमारी के लिए पॉकेट मनी** सेवानिवृत्ति सैनिकों को कैंसर, टीबी, कुष्ठ रोगियों और गुर्दे की बीमारी के लिए रु. 3,000/- प्रतिमाह पॉकेट मनी के रूप में प्रदान किया जाता है।
23. **अनाथ वार्ड को वित्तीय सहायता** सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक या कमाई शुरू करने तक रु. 2,500/- प्रतिमाह अनाथ अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।
24. **छात्रवृत्ति पुरस्कार/प्रोत्साहन** योजना के अनुसार सेवानिवृत्ति सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को छात्रवृत्ति पुरस्कार/प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
25. **सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति** दो वर्ष की अवधि के लिए कक्षा X में क्रमशः 80% और 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों / विधवाओं के बच्चों को 500/- रुपये और 1,000/- रुपये प्रतिमाह की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
26. **पुत्री का विवाह अनुदान** सेवानिवृत्त सैनिकों को बेटी की शादी के लिए रु. 20,000/- और विधवा को दो बेटियों की शादी के लिए रु. 30,000/- प्रदान किया जाता है।
27. **अंत्येष्टि अनुदान** सेवानिवृत्त सैनिकों की मृत्यु पर विधवा/आश्रित को 10,000/- रुपये का अंतिम संस्कार अनुदान प्रदान किया जाता है।

28. **सेवानिवृत्त सैनिकों को 60, 75 और 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनुदान** सेवानिवृत्त सैनिकों को 5,000/- रुपये 60 वर्ष की आयु, 10,000/- रुपये 75 वर्ष की आयु और 25,000/- रुपये 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रदान किया जाता है।
29. **गृह मरम्मत अनुदान** सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं, जिनका घर प्राकृतिक आपदाओं के कारण ढह गया/क्षतिग्रस्त हो गया है, को पात्र मामलों में आय मानदंड के अनुसार आवास मरम्मत अनुदान 20,000/- रुपये प्रदान किया जाता है।
30. **सिलाई मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता** रु. 3000/- या सिलाई मशीन की लागत का 50% जो भी कम हो, सिलाई मशीन खरीदने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवा या अविवाहित बेटी जो 30 वर्ष से अधिक आयु की, को प्रदान किया जाता है।
31. **युद्ध जागीर भत्ता** "युद्ध जागीर भत्ता" के रूप में माता-पिता / वार्डों को रु. 15,000/- प्रदान किया जाता है, चाहे वह तीनों सेनाओं में से किसी के भी और किसी भी रैंक के हों।
32. **यात्रा/आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति** रु. 5,000/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त सैनिकों, विधवाओं/पति/पत्नी द्वारा स्थानीय अस्पताल से बाहरी अस्पताल में यात्रा/आकस्मिक व्यय के लिए की जा सकती है।
33. **चिकित्सा प्रतिपूर्ति** 25,000/- रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, सरकारी/सेवा अस्पतालों में इलाज कराने वाले गैर-पेंशनभोगी/गैर ईसीएचएस सदस्यों को सामान्य बीमारियों/सरकारी/सेवा अस्पतालों द्वारा निर्धारित दवाओं की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है।
34. **कानूनी प्रतिपूर्ति** 10,000/- रुपये की प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को कानूनी बिल के प्रस्तुत करने पर एक विशेष मामले के रूप में की जाती है और जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है।
35. **स्पॉट पेमेंट** जरूरतमंद / निराश्रित सेवानिवृत्त सैनिकों / विधवाओं को तत्काल राहत के लिए रु. 2,000/- - तत्काल भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है।
36. **प्रादेशिक सेना में शामिल होने पर एकमुश्त अनुदान** सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के सेवकों और गोवा वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी के रूप में शामिल होने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए 9,000/- रुपये और प्रादेशिक सेना में जे सी ओ/ओ आर के रूप में शामिल होने वाले को 5,000/- रुपये प्रदान किए जाते हैं।

37. **खेलकूद पुरस्कार** राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को 5,000/- रुपये प्रदान किए जाते हैं।

38. **पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति** कंप्यूटर से संबंधित पाठ्यक्रम, बी.एड, भारी वाहन ड्राइविंग, आशुलिपि आदि जैसे पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में वास्तविक राशि या रु. 20,000/- तक प्रदान की जाती है।

39. **चिकित्सा सहायता की खरीद के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति** सरकारी या सेवा अस्पताल द्वारा निर्धारित चिकित्सा सहायता के अधीन गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों / विधवाओं को चश्मा, श्रवण यंत्र, हार्निया बेल्ट, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कॉलर, मोतियाबिंद लेंस जैसे चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर व्यय की पूर्ण या आंशिक राशि की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

40. **अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति**

अधिकारी	वेतनमान
सचिव, जिला सैनिक कल्याण	लेवल - 10 पे मैट्रिक्स का

41. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक 14 जुलाई 2016 को और राज्य प्रबंध समिति की बैठक 01 जुलाई 2021 को हुई थी।

गुजरात**परिचय**

1. गुजरात राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 37,253 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड गुजरात		
कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
राज्य सैनिक बोर्ड	लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्णदीप सिंह जेठवा (सेवानिवृत्त), कार्यकारी निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, गुजरात, राज्य गौरव सेनानी भवन, शाहीबाग- एयरपोर्ट रोड, शाहीबाग, अहमदाबाद-04	079-22868347-51 (O) 079-22868346 (F) 8980037567 (M) rsb_guj@rediffmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** गुजरात राज्य में 09 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर विश्राम गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए गुजरात में 04 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाईए सएम
(अ)	22,500	0.15लाख	0.07लाख	0.20लाख	0.12लाख	0.05लाख	0.17 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	500/- प्रति माह के लिए वार्षिकी 30 साल	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	0.10 लाख	0.04 लाख	0.03 लाख	0.02 लाख	0.15 लाख	0.7 लाख	0.03 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में टेकिंग, पंचायत और गुजरात सिविल सर्विसेज के तहत क्रमशः क्लास III और क्लास IV के पदों में 10% और 20% आरक्षण। (GAD GR No.G.S./75-6-RES- 1075/1060-G dated 04-03-75).
6. गुजरात सिविल सेवा में कक्षा (समूह 'ए') और वर्ग- II (समूह 'बी') पदों में 1% आरक्षण। (GAD GR No. RES-102007-456981-G.2 dt.02-03-2009)
7. पशु चिकित्सा सेवा (पशुपालन सेवाएं) क्लास I और क्लास II में 25% आरक्षण जो सीधे चयन द्वारा भरे जाते हैं। (G.R.G.A.D., G.R.A. & C. Dept. No RCT-1266 – 42068 - R dated 15 Jan 1968).
8. निशक्त सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है।
9. युद्ध में मारे गए या गंभीर रूप से विकलांग रक्षा कर्मियों के परिवार के दो सदस्यों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के बिना क्लास III और क्लास IV पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें रोजगार के लिए प्राथमिकता II (A) प्रदान की जाती है। (G.A.D. No RES -1175-1060-जी, दिनांक 29 अप्रैल 1976) ।
10. रक्षा कर्मी जो सेवा के दौरान मर जाते हैं, के आश्रितों को रोजगार कार्यालय प्रक्रिया में छूट के तहत क्लास III और क्लास IV पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वे ऐसे पदों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। (G.A.D. No RES - 1175-1060-G, dated 29 Apr 1976).

रोजगार

11. **आयु में छूट** सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार के लिए आयु सीमा के संबंध में विशेष प्रावधान। सीधी भर्ती द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए वास्तविक आयु से तीन वर्ष और सेवा के वर्षों को घटाकर आयु में छूट। (G.R.G.A.D. No WAR-1363-R, dated 18 Feb 1970).

12. **मैट्रिक पास सेवानिवृत्त सैनिक जिन्हें स्नातक माना जाता है** तृतीय श्रेणी के पदों पर किसी भी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए, एक मैट्रिक पास सेवानिवृत्त सैनिक, जिन्होंने सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, उन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माने जा सकते हैं जिनके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता स्नातक और तकनीकी या पेशेवर प्रकृति के कार्य का अनुभव आवश्यक नहीं है। (GAD Notification No GS-86(18)-RES- 1086-1728-G-2, dated 03 Jun1987).

13. **परीक्षा शुल्क से छूट** तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट। (GR.GAD Notification No RES- 1175-1060- G, dated 01 Sep 1975).

14. **नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीसी की सहायक कंपनी (भारत सरकार अंडरटेकिंग)** एनटीसी मिलों में जहां भी संभव हो युद्ध विधवाओं / सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं को स्थानीय ट्रेड यूनियन से अनापत्ति के अधीन रोजगार का अवसर दिया जाएगा।

पुनः नियोजित सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ

15. राज्य सरकार में पुनर्रोजगार और अन्य सहायक लाभों पर वेतन निर्धारण। (FD GR No. NVT/3286-GOI-95-P dated 17 Aug 1988 and FD Corrigendum No. NVT/3286-GOI-95-P dated 12 Jan 1989) ।

16. गैर-आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति पर सिविल पदों में आपातकालीन और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों का वेतन निर्धारण। (FD GR No. NVT/3286-GOI-95-P dated 17 Aug 1988 and FD Corrigendum No. NVT/3286-GOI-95-P dated 12 Jan 1989) ।

17. सेवानिवृत्त सैनिक क्लर्कों के लिए विशेष प्रावधान। (FD GR No. NVT/3286-GOI-95-P dated 17 Aug 1988 and FD Corrigendum No. NVT/3286-GOI-95-P dated 12 Jan 1989) ।

18. आरक्षित सेवानिवृत्त सैनिक को वेतन और भत्तों का संरक्षण। (Rule 9(16) of the Bombay Civil Services Rules) ।

19. विकलांग सेवानिवृत्तसैनिक, जो राज्य सरकार में सेवारत हैं, को चिकित्सा उपचार के लिए विशेष अवकाश की स्वीकृति। (H.D. (Special) G.R. No. SB.II/GSS/3567-3648, dated 07 Oct 1967 and H.D. (Special) G.R. No. SB.II/GSS/3367-3648, dated 22 Oct 1974)।

20. पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सैनिक को गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में की गई पिछली सेवा की गणना। (FD GR No. Gha Ba Pa/1089/U.O./320/Z/1 dated 22 Dec 1989)

21. शैक्षिक लाभ/शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण।
22. गुजरात में तैनात सेवानिवृत्त सैनिकों और रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थानों में सीटों का आरक्षण निम्नानुसार है: -
- (अ) डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक सरकारी इंजीनियरिंग / पॉलिटेक्निक में 1% सीटें (Education Dept. letter No. GET/1083/24879-GH, dated 26 Jul 1983, Resolution No. GTI /1187/ 2213 / S, dated 04 Jun 1987 and Govt of Gujarat Gazette No. G/GNR/2, Extra No.107 dated 12 May 2008) ।
- (ब) डिग्री इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम के लिए 1% सीटें, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के आधार पर प्रवेश।
- (स) राज्य स्तर पर कॉलेज / संस्थानों में फार्मैसी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में 1% सीटें (Govt of Gujarat Gazette No. G/GNR/2, Extra No.107 dated 12 May 2008) ।
- (द) गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (जी सी ई टी) – एम बी ए के माध्यम से सरकार और सहायता प्राप्त संस्थानों में एम बी ए कोर्स में कुल सीटों का 1% (Govt of Gujarat Gazette No. G/GNR/2, Extra No.128 dated 23 May 2008) ।
- (य) गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (जी सी ई टी) – एम सी ए के माध्यम से सरकार और सहायता प्राप्त संस्थानों में एमसीए पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 1% (Govt of Gujarat Gazette No. G/GNR/2, Extra No.129 dated 23 May 2008).
- (र) एम एस यूनिवर्सिटी, वडोदरा में बी.एड. पाठ्यक्रम में दो सीटें। (MS University Vadodara letter No. FEP/SB dated 28 Dec 1989) ।
- (ल) सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर के बी.एड. में पाठ्यक्रम में 1% सीटें। (इन आरक्षित सीटों में अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं) (Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar letter No.D.E./10/2009-10/8653 dated 05/06-03-09) ।
- (व) हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन में बी.एड. /एम. एड. कोर्स में 1% सीटें (Hemchandracharya Uttar Gujarat University, Patan letter No. AK/N. Admission /2705/2009 dt. 04/04/09) ।
- (श) सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट में बी बी ए कोर्स में 1% सीटें।
- (ष) किसी भी दो होम्योपैथी कॉलेजों में B.H.M.S और D.H.M.S पाठ्यक्रम में 01 सीट।

(स) सैनिक स्कूल बालाचडी, जामनगर में प्रवेश के लिए सेवानिवृत्त सैनिक और सेवारत रक्षा कर्मियों के बेटों के लिए 25% सीटें।

(ह) पूरे राज्य में प्रत्येक आई टी आई में 10 सीटें आरक्षित हैं। (Director Employment & Training Gandhinagar Notification No. CTS / CH (5) / 1990 / Pravesh / 7033 dated 05 Aug 1990)।

(क्ष) पी.टी.सी. में कुल दस सीटें, लड़कों के लिए पांच सीटें और लड़कियों के लिए पांच सीटें आरक्षित हैं। (Education Dept. letter No.TCM-1491-2086/N, dated 30 Oct 1991)।

23. **शिक्षण शुल्क में छूट** सेवानिवृत्त सैनिकों (जे सी ओ/ओ आर) के बच्चों को कॉलेज स्तर तक ट्यूशन फीस से छूट दी जाती है, बशर्ते छात्रवृत्ति या शिक्षा सहायता किसी अन्य स्रोत से नहीं ली गई हो। (शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी से की जा सकेगी)।

चिकित्सा सुविधाएं

24. के.जे. मेहता टी.बी. अस्पताल, सोनगढ़ (भावनगर) में दो बिस्तर सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आरक्षित।

25. जनाना अस्पताल राजकोट के प्रसूति अस्पताल में एक बिस्तर सेवानिवृत्त सैनिकों की पत्नियों के लिए आरक्षित।

26. सरकारी अस्पताल, औषधालय और चिकित्सा संस्थान में सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त आउटडोर चिकित्सा उपचार।। (G.R.H. & I.D. No WLT-CI-P, dated 30 Nov 1963)।

पुनर्वास लाभ

27. **गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्लैटों/मकानों का आरक्षण** गुजरात हाउसिंग बोर्ड की **एलआईजी** और **एमआईजी** योजनाओं में दस प्रतिशत फ्लैट आरक्षित हैं। (H.D. letter No. SaKas/RSB/1085/4431/F dated 05 March 1986)

किराए के घर को खाली करना

28. संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनकी विधवाओं और उत्तराधिकारियों को उनके कब्जे के लिए आवश्यक परिसर का कब्जा वापस लेने का अधिकार। निम्नलिखित न्यायाधीशों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है (Road & Building Dept. Gujarat Ordinance No 10 of 1984 and Notification No.GH/J/1/86/BRA-1485/Gazette-26 N(i) dated 20 Feb1986): -

(अ) मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, अहमदाबाद। सूरत, वडोदरा और राजकोट में मुख्यालय वाले छोटे कारणों के न्यायालय के न्यायाधीश।

(ब) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) बाकी संबंधित जिलों में से प्रत्येक के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिनमें से प्रत्येक नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

29. **नगरपालिकाओं में गृह/संपत्ति कर के भुगतान में छूट** सेवानिवृत्त सैनिकों /विधवा और सेवारत सैनिक जो गुजरात राज्य के नगर पालिकाओं के क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें गुजरात राज्य के नगर पालिकाओं के क्षेत्र में किसी एक घर/संपत्ति के लिए मकान/संपत्ति कर के भुगतान के लिए छूट दी गई है, जिसका उपयोग निवास के लिए तथा स्वयं व परिवार के सदस्य हेतु ही किया जाता है। (Urban Development & Urban Housing Deptt Resolution No.NPL/1007/1454/ Si.Fa.3/M dated 17/06/2011)।

30. **गृह स्थल के लिए भूमि का अनुदान** गुजरात से मूल निवासी सेवारत सैनिक और जो दो साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं / सेवानिवृत्त सैनिक (कर्नल के रैंक तक) सशस्त्र बलों में सेवा की अनुमेय अवधि पूरी कर चुके हैं और आय से इस्तीफा नहीं दिया है या सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति नहीं ली है (पेंशन को छोड़कर) प्रति वर्ष रु. 36000/- से अधिक नहीं नीलामी के बिना 2 गुंठा तक गृह स्थल प्रदान किया जा सकता है। कीमत में दी गई अधिकतम रियायत औसत बाजार मूल्य के प्रति वर्ग गज 50/- रुपये है। (G.R.R.D. No LND-3988-3290 (ii) A dated 15/02/1989, G.R.R.D. No LND-3988-2637- A dated 27/03/2001 and G.R.R.D. No LND-392003-454-A dated 06/06/2003)।

31. **कृषि के लिए भूमि का अनुदान** गुजरात के मूल निवासी सेवारत सैनिक और जो दो साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं / सेवानिवृत्त सैनिक (कर्नल के रैंक तक) सशस्त्र बलों में सेवा की अनुमेय अवधि पूरी कर चुके हैं और सेवा से इस्तीफा नहीं दिया है या सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति नहीं ली है और आय (पेंशन को छोड़कर) रुपये 36000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं और केवल अपनी आजीविका के लिए खेती करने का उपक्रम करता है, उसे अधिकतम 16 एकड़ तक भूमि दी जा सकती है। (G.R.R.D. No LND-3988-3290(i) A dated 15/02/1989, Revenue Department Notification No LND-3981-505238-A dated 28/02/1990, G.R.R.D. No LND-3988- 2637- A dated 27/03/2001 and G.R.R.D. No LND-392003-454- A dated 06/06/2003)।

32. **कृषि भूमि की हदता** सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा धारित कृषि भूमि की काश्तकारी को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान। (Tenancy Laws amended suitably under the Gujarat Act, 24 of 1965)।

33. **सेवानिवृत्त सैनिक को कृषि भूमि खरीदने के लिए किसान का दर्जा प्रदान करना** गुजरात के मूल निवासी सेवानिवृत्त सैनिक, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि आवंटित नहीं की जा सकी, उन्हें कृषि भूमि खरीदने के उद्देश्य से किसान का दर्जा दिया जाएगा। (Revenue Department Resolution GaNaTa/ 1799/ VIP-2/Z dated 27 Sept 2001 and G.R.R.D. No LND-3988- 2637- A dated 27 March 2001)।

यूनिट रन कैटीन के माध्यम से मूल्य वर्धित कर (वैट) में छूट

34. गुजरात सरकार ने कैटीन स्टोर विभाग और यूनिट द्वारा संचालित कैटीन द्वारा माल की बिक्री पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की छूट उन वर्गीकृत कर्मियों को दी है जो कैटीन स्टोर विभाग के नियमों के तहत कैटीन सुविधाओं के हकदार हैं। (Finance Department Notification No. (GHN-77) VAT -2006-S.5(2) (10)-TH dated 19 July 2006) ।

35. सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्य को सशस्त्र बलों द्वारा अधिकृत कोटा के अनुसार सी एस डी कैटीन से शराब लेने के लिए शराब (स्वास्थ्य) परमिट दिया जाता है। (Social Welfare Dept. Notification No. GH-L/1/FLR/1088/19190/M dated 04 Jan 1989) ।

36. **कानूनी सहायता** गुजरात राज्य में उन सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के लिए कानूनी सहायता/सलाह दी जाती है जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है (G.R.L.D. No. LAG-1076-2508/D, dated 18 Jun 1976) ।

स्व रोजगार

37. **औद्योगिक शेड/प्लॉट के आवंटन एवं लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना में रियायत** रियायतें निम्नानुसार प्रदान की जाती हैं (137th Meeting of G.I.D.C. held on 16th Apr 1974): -

(अ) लघु उद्योग की स्थापना हेतु जी0आई0डी0सी0 द्वारा शेड/प्लाट आवंटन में 15 प्रतिशत की छूट।

(ब) जीआईडीसी (गुजरात औद्योगिक विकास निगम) में प्राथमिकता के आधार पर 'लघु उद्योग' इकाइयों की स्थापना के लिए जीआईडीसी द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों को रियायतें।

38. **मछली पकड़ने की सुविधा** मछली पकड़ने के उद्योग के लिए ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके गुजरात में सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास के उद्देश्य से लकड़ी की उन्नत नावों की आपूर्ति की योजना। (Govt. Memorandum A.F.&C.Dept. No.FDV.1371/1371/13709-X, dated 29-12-1971) ।

39. **उचित मूल्य की दुकानों एवं जय जवान स्टालों के आवंटन को प्राथमिकता** उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन, ई एस एम सहकारी समितियों को दूसरी और सेवानिवृत्त सैनिकों को 8 वीं प्राथमिकता दी जाती है। (G.R. Food and Civil Supplies Deptt. Circular No. 3077-509-X, dated 10 March 1977)।

एक्स-ग्रेशिया मुआवजा

40. कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए रक्षा कार्मिकों के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि निम्नानुसार प्रदान की जाती है (H.D. Resolution No.WES/1087/24 /F dated 07 Nov 1990): -

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|-------------|
| (अ) | मृत्यु या स्थायी विकलांगता | - | रु. 5,000/- |
| (ब) | आंशिक विकलांगता | - | रु. 2,500/- |

माननीय मुख्यमंत्री जवान राहत कोष से आर्थिक सहायता

41. यह वित्तीय सहायता युद्ध/ऑपरेशनल शहीदों और सशस्त्र बलों के विकलांग सैनिकों के परिवारों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार दी जाती है: -

- सैन्य सेवा के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को निम्नानुसार सहायता दी जाती है (विवाहित मामले): -

- (अ) **मृत सैनिक की विधवा को भुगतान किया जाता है:**
- (i) रु. 1,00,000/- एकमुश्त।
- (ii) उसके जीवित रहने या पुनर्विवाह करने तक प्रतिमाह 1,000/- रुपये की मासिक सहायता।
- (ब) **मृत सैनिक के बच्चों को भुगतान किया जाता है:**
- (i) प्रत्येक बच्चे के लिए रु. 500/- की मासिक सहायता, अधिकतम रु. 1,000/- प्रतिमाह दो बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक।
- (स) **मृत सैनिक के माता-पिता को भुगतान किया जाता है:**
- (i) प्रत्येक माता-पिता के लिए रु. 500/- की मासिक सहायता, अधिकतम रु. 1,000/- प्रतिमाह माता-पिता को तब तक भुगतान किया जाता है जब तक वे जीवित हैं।

- सैन्य सेवा के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को निम्नानुसार सहायता दी जाती है (अविवाहित मामले): -

- (अ) **मृतक सैनिक की मां को भुगतान किया जाता है:**
- (i) रु. 50,000/- एकमुश्त।
- (ब) **मृत सैनिक के माता-पिता को भुगतान किया जाता है:**
- (i) प्रत्येक माता-पिता के लिए रु. 500/- की मासिक सहायता, माता-पिता को उनके जीवित रहने तक अधिकतम रु. 1,000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है।

- 50% या अधिक विकलांगता वाले विकलांग सैनिक को निम्नानुसार भुगतान किया जाता है: -

(अ) रु. 50,000/- एकमुश्त।

(ब) उसके जीवित रहने तक प्रतिमाह रु. 1,000/- की सहायता। (Auth: H.D. Resolution No. MSK-102011-363-F dated 03/02/2016)

42. **युद्ध जागीर भत्ता** गुजरात सरकार, गृह विभाग, गांधी नगर (Government of Gujarat, Home Department, Gandhinagar) Resolution No 102013-1925-F dated 06 April 2015 के अनुसार निम्नलिखित दरों के अनुसार उन माता-पिता को सम्मानित करने के लिए "युद्ध जागीर भत्ता" प्रदान किया जाता है, जिनके सभी बच्चे किसी भी रैंक में रक्षा सेवाओं में हैं: -

क्रम संख्या	बच्चों का विवरण	युद्ध जागीर भत्ता की दर
(अ)	इकलौता बच्चा	रु. 5,000/- प्रति वर्ष
(ब)	दो बच्चे	रु. 10,000/- प्रति वर्ष
(स)	तीन या अधिक बच्चे	रु. 12,500/- प्रति वर्ष

राज्य सैनिक बोर्ड, गुजरात द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों और आश्रितों को दिए जाने वाले लाभ और सहायता

सहायता का विवरण	दरें रुपये में
1. द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों /विधवाओं को मासिक रख रखाव अनुदान आय मानदंड के बिना भुगतान, बशर्ते सेवानिवृत्त सैनिक /विधवा सिविल/सैन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हों और उन्हें पुनर्वास के लिए कृषि भूमि या तेल उत्पाद एजेंसी जैसे कोई अन्य लाभ प्रदान नहीं किये गए हों।	रु 11,000/-
2. सेवानिवृत्त सैनिकों तथा सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं/अनाथों को मासिक भरण-पोषण अनुदान उन्हें भुगतान किया जाता है, जिनकी पारिवारिक आय 150000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है और जिनके 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र नहीं हैं। विधवाओं के लिए उम्र पात्रता का कोई मानदंड नहीं है, हालांकि सेवानिवृत्त सैनिकों की उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए	रु 3,500/- (पेंशनरों के लिए) रु 7,500/- (गैर-पेंशनभोगियों के लिए)
3. विधवाओं को बच्चों के भरण-पोषण के लिए मासिक भरण-पोषण अनुदान उन विधवाओं को भुगतान किया जाता है, जिनकी पारिवारिक आय रुपये 150000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है और जिनके 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र नहीं हैं।	रु 1,000/- प्रति बच्चा, अधिकतम 2,000/- पहले दो बच्चों के लिए

<p>4. अंधे/पागल और मानसिक रूप से विकलांग और लकवाग्रस्त (80% और उससे अधिक विकलांगता के साथ) सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को मासिक भरण-पोषण अनुदान सक्षम सैन्य या नागरिक चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किया जाता है जो दर्शाता है कि आवेदक नेत्रहीन है या मानसिक रूप से विकलांग/लकवाग्रस्त है। सहायता का भुगतान आय मानदंड के बिना किया जाता है</p>	<p>रु 4,000/-</p>
<p>5. युद्ध/ऑपरेशनल विकलांग) सेवानिवृत्त सैनिकों को मासिक रखरखाव अनुदान न्यूनतम 20% विकलांगता के लिए रु.3000/- प्रतिमाह और 60% और उससे अधिक विकलांगता के लिए अधिकतम 7500/- रुपये प्रतिमाह, पात्रता के लिए बिना किसी आय सीमा के। विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों की मृत्यु के बाद विधवा भी अनुदान की पात्र होगी।</p>	<p>रु. 3,000/- से 7,500/- के बीच विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर</p>
<p>6. सैन्य सेवा के कारण विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को मासिक भरण-पोषण अनुदान न्यूनतम रु. 2000/- प्रतिमाह 50% विकलांगता और अधिकतम रु. 4000/- प्रतिमाह 100% विकलांगता के लिए पात्रता के लिए बिना किसी आय सीमा के, बशर्ते सेवानिवृत्त सैनिक Civil Pay or Pension प्राप्त नहीं कर रहे हों और उन्हें पुनर्वास के लिए कृषि भूमि या तेल उत्पाद एजेंसी जैसे कोई अन्य लाभ प्रदान नहीं किये गए हों। विकलांग ईएसएम की मृत्यु के बाद विधवा अनुदान के लिए पात्र होगी।</p>	<p>रु. 2,000/- से 4,000/- के बीच विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर</p>
<p>7. सैन्य सेवा के लिए गैर आरोपित विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को मासिक भरण-पोषण अनुदान सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं को भुगतान, बशर्ते उनकी विकलांगता 100% से कम न हो और सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं को सिविल वेतन या पेंशन नहीं मिल रही हो और उन्हें कृषि भूमि या तेल उत्पाद एजेंसी जैसे पुनर्वास के लिए कोई अन्य लाभ नहीं दिया गया हो।</p>	<p>3,000/- यदि विकलांगता 100% है</p>
<p>8. सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता आय सीमा की किसी शर्त के बिना दो बेटियों की शादी के लिए सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं (सेवानिवृत्त अधिकारी की विधवाओं सहित) को भुगतान।</p>	<p>सेवानिवृत्त सैनिक की दो बेटियों के लिए रु.50,000/- और विधवाओं की दो बेटियों के लिए रु.75,000।</p>
<p>9. विधवाओं को गृह अनुदान उन विधवाओं को भुगतान किया जाता है, जिनके पति सैन्य सेवा में रहते हुए मर जाते हैं। घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण या एक भूखंड की खरीद के लिए बिना किसी आय सीमा के सहायता का भुगतान किया जाता है, बशर्ते संपत्ति विधवा के नाम पर हो।</p>	<p>रु. 1,00,000/-</p>

<p>10. सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं (गैर-सैन्य/सिविल पेंशनभोगी) को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड से गंभीर बीमारियों (कैंसर, हृदय रोग और गुर्दा निकालना / प्रत्यारोपण) के इलाज के लिए सहायता प्राप्त करने के बाद, आगे के लंबे समय तक इलाज के लिए, गैर-सैन्य/नागरिक पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक/विधवा अधिकतम ऊपरी सीमा के भीतर कुल व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए रु. 1.0 (रुपये एक) लाख के पात्र हैं। बशर्ते कि वे अनुमोदित मानदंडों के अनुसार इलाज करवाएं।</p>	<p>अधिकारियों और जेसीओएस/ओआर के लिए क्रमशः 75% और 95% उपचार लागत की प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा रु.1.0 लाख(रुपये एक) बिना किसी आय मानदंड के।</p>	
<p>11. सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं को अंत्येष्टि अनुदान - सेवानिवृत्त सैनिक/ विधवा के निकट संबंधी को आय सीमा की किसी शर्त के बिना भुगतान किया गया।</p>	<p>रु. 10,000/-</p>	
<p>12. सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा विधवाओं को बिना किसी आय मानदंड के उनके दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति/वजीफा दिया जाता है। वहीं, 2.50 लाख रुपये सालाना से कम आय वाले सेवानिवृत्त सैनिक को उनके दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा दिया जाता है। दरें इस प्रकार हैं:-</p>		
<p>स्कूल पहली से दसवीं तक</p>	<p>रु. 2,000/-</p>	
<p>स्कूल 11वीं, 12वीं और पीटीसी</p>	<p>रु. 3,000/-</p>	
<p>सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, बी सी ए, कानून और तकनीकी (पॉलिटैक्निक) और फार्मा के अलावा सभी डिप्लोमा या पोस्ट डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम-</p>	<p>रु. 4,200/-</p>	
<p>एक वर्ष और उससे अधिक की अवधि के सभी तकनीकी (पॉलिटैक्निक) और फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम।</p>	<p>रु. 5,500/-</p>	
<p>सभी स्नातक / स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेदिक, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, पशु चिकित्सा और फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम और एमसीए, एम बी ए, बी एड, एम एड जैसे पाठ्यक्रमों शामिल हैं एवं सेवानिवृत्त सैनिकों/सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं के पुत्र को प्रशिक्षण अवधि के लिए, जो विभिन्न सैन्य अकादमियों में अधिकारी कैडेट के रूप में शामिल हुए।</p>	<p>रु. 7,000/-</p>	
<p>सहायता का विवरण</p>	<p>दरे रुपये में</p>	
<p>13. उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन</p>		
<p>शैक्षिक मानक</p>	<p>पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत</p>	<p>प्रोत्साहन राशि (रुपये में)</p>
<p>एस एस सी, पी टी सी और आई टी आई</p>	<p>70%</p>	<p>500/-</p>
<p>एच एस सी</p>	<p>70%</p>	<p>600/-</p>
<p>तकनीकी (पॉलिटैक्निक) और फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p>	<p>70%</p>	<p>800/-</p>

सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, बीसीए, कानून और तकनीकी और फार्मसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा सभी डिप्लोमा या पोस्ट डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम	60%	1,000/-
एमसीए, एमबीए, बी एड और एम एड जैसे पाठ्यक्रमों सहित इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आयुर्वेदिक, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, पशु चिकित्सा और फार्मसी में सभी स्नातक / स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री पाठ्यक्रम	60%	1,400/-
१४. छात्रावास प्रतिपूर्ति प्रभार		
विवरण	दरें प्रति वर्ष	
	लड़के	लड़कियाँ
सरकारी और स्व-वित्तपोषित कॉलेज छात्रावासों में प्रवेश के दौरान प्राप्त रसीद के दिखाने पर सभी पात्र सेवानिवृत्त सैनिक के आश्रितों को छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति और किराए के आवास के लिए लीज एग्रीमेंट/कॉलेज/संस्था के प्राचार्य से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, जहां पर छात्र अपनी व्यवस्था से रह रहे हैं और उन्हें स्कूल का छात्रावास नहीं मिल पाया हो।	7,000/-	12,600/-

नोट: वित्तीय सहायता के लिए उपरोक्त दरें 01 अगस्त 2016 से लागू हैं।

अन्य लाभ, सहायता और सुविधाएं

- **बालक छात्रावास/गौरव सेनानी कुमार भवन**

- वड़ोदरा में 22 छात्रों की क्षमता वाले लड़कों के छात्रावास और अहमदाबाद में 32 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास लागू आय सीमा के आधार पर मुफ्त आवास और रियायती भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

- मृतक सैनिक/अधिकारियों की विधवा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कोई आय सीमा नहीं है, सेवानिवृत्त सैनिकों/अधिकारियों की विधवा के पुत्र के लिए कोई आय सीमा नहीं है और सेवानिवृत्त सैनिक/सेवारत सैनिक पुत्र जिनकी आय छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा से कम है, उन्हें छात्रवृत्ति और रियायती भोजन प्रदान किया जायेगा सेवानिवृत्त सैनिक/सेवारत सैनिक पुत्र जिसकी आय छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा से अधिक है, से वास्तविक मेसिंग व्यय ली जायेगी।

- **गौरव सेनानी भवन/सैनिक विश्राम गृह**

- जब सेवानिवृत्त सैनिक एवं उनके परिवार का कोई सदस्य (ईसीएचएस योजना का सदस्य) अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे/उन्हें बिजली बिल की वास्तविक खपत को छोड़कर निशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

- सैनिक कल्याण और पुनर्वास निदेशालय, गुजरात राज्य के आवास कार्यालय परिसर के अलावा, राज्य स्तरीय भवन सेवानिवृत्त सैनिक के सभी रैंकों के लिए 31 अस्थायी आवास प्रदान करता है।
- राजकोट स्थित सैनिक विश्राम गृह जे सी ओ/ओ आर के लिए 8 आवास प्रदान करता है।
- वडोदरा में सैनिक विश्राम गृह जे सी ओ/ओ आर के लिए 7 आवास प्रदान करता है।
- सूरत में सैनिक विश्राम गृह जे सी ओ/ओ आर के लिए 13 आवास प्रदान करता है।
- वीरता पुरस्कार विजेताओं को उनके ठहरने के पहले दो दिनों के लिए कमरे के शुल्क (बिजली को छोड़कर) से छूट दी गई है।

43. **अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति**

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	78800-209200
उप निदेशक	53100-167800

44. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड /राज्य प्रबंध समिति बैठकें 17 दिसंबर 2019 को हुई थीं।

45. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्रम सं.	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नंबर
(अ)	अहमदाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, गौरव सेनानी कुमार भवन, बी/एच टीवी टॉवर बोदकदेव, अहमदाबाद -380054	079-26851382 zsb_abd@rediffmail.com
(ब)	वडोदरा	जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय मिलिट्री बॉयज़ हॉस्टल बिल्डिंग, छानी समा रोड क्रॉसिंग वडोदरा - 390024	0265-2772666 zsb_vdr@rediffmail.com
(स)	जामनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास ऑफिस, लाल बंगला संकुल, जामनगर-361001	0288-2558311 jamnagar@ewdiffmail.com

(द)	सूरत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, गौरव सेनानी भवन, अभिनंदन आवास के पास, हरे कृष्णा डायमंड के सामने-मोंड, सरथाना जकातनाका, सूरत - 395 006	0261-2913820 (O)/(F) 09426802820 zsb_srt@rediffmail.com
(य)	राजकोट	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्स्थापन कार्यालय, सैनिक आरामगृह भवन रूडा कार्यालय के समीप, पुलिस मुख्यालय के सामने राजकोट-360001	0281 – 2476825 zsb_rjt@rediffmail.com
(र)	साबर कांठा (हिम्मतनगर)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सी ब्लॉक, प्रथम तल बहुमाली भवन, जिला, सेवा सदन, हिम्मतनगर-383001 जिला - साबरकांठा	02772-246630 zsb-hmt@rediddmail.com
(ल)	कच्छ (भुज)	जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वासि कार्यालय, 114, सेवा सदन, भुज – 370001, जिला - कच्छ - भुज	02832 – 221085 (O)/(F) zsb_ktc@rediffmail.com
(व)	महेसाणा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, ब्लॉक नंबर-2, तीसरी मंजिल, राजमहल रोड महेसाणा - 384001	02762- 220235 zsb_msn@rediffmail.com
(श)	पंचमहल (गोधरा)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्स्थापन कार्यालय, कमरा नं 32, तीसरा तल, जिला सेवा सदन, गोधरा - 389 001 जिला - पंचमहल	02672-240580 zsb_god@rediffmail.com

46. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान व पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	निदेशालय सैनिक कल्याण और पुनर्वास गुजरात राज्य, गौरव सेनानी भवन, शाहीबाग-एयरपोर्ट रोड, शाहीबाग अहमदाबाद -380004 निकटतम रेलवे स्टेशन- अहमदाबाद दूरी- 6 किमी निकटतम हवाई अड्डा- अहमदाबाद दूरी - 2 किमी	6	2	4 कमरे + 1 शयनगृह (5 बिस्तर)	079-22868349-51 079-22868346(F) rsb_guj@rediffmail.com
(ब)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, मिलिट्री बॉयज हॉस्टल बिल्डिंग, छानी समा रोड क्रॉसिंग, वडोदरा-390024 निकटतम रेलवे स्टेशन - वडोदरा दूरी - 4 किमी निकटतम हवाई अड्डा - वडोदरा दूरी - 6 किमी	-	-	07 बिस्तर आवास	0265-2772666 zsb_vdr@rediffmail.com
(स)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, रुडा कार्यालय के पास, पुलिस मुख्यालय राजकोट - 360001, निकटतम रेलवे स्टेशन - राजकोट दूरी - 3 किमी निकटतम हवाई अड्डा - राजकोट दूरी - 3 किमी	-	-	2 कमरे	02812476825 zsb_rjt@rediffmail.com

(द)	जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय, गौरव सेनानी भवन, अभिनंदन रेजीडेंसी के पास, हरे कृष्णा डायमंड सरथाना जकांतनाका के सामने, सूरत- 395 006, निकटतम रेलवे स्टेशन - सूरत दूरी - 9 किमी निकटतम हवाई अड्डा - सूरत दूरी - 25 किमी	2	2	1 शयन गृह (05 बिस्तर)	026112913820 9426802820 zsb_srt@rediffmail. com
-----	---	---	---	-----------------------------	---

हरियाणा**परिचय**

1. हरियाणा राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 2,16,567 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
राज्य सैनिक बोर्ड	श्री विनय यादव, आई ए एस महानिदेशक, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग कमरा नंबर 67, चौथी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़	0172 – 2560462 (O) Superintendentdefenceone@gmail .com Superintendentdefencetwo@gmail .com Dept.sasw-hry@gov.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** हरियाणा राज्य में 20 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर विश्राम गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा में 29 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	2 करोड (युध्द के समय)	1 करोड (युध्द के समय)	50 लाख (युध्द के समय)	1 करोड (शांति के समय)	51 लाख (शांति के समय)	31 लाख (शांति के समय)	07 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	04 लाख	02 लाख	21 लाख (G) (युद्ध के समय) 10 लाख (G) (शांति के समय)	10 लाख (G) (युद्ध के समय) 7.5 लाख (G) (शांति के समय)	6.5 लाख	3.25 लाख	1.25 लाख

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान (जी) - शौर्य सेवा (डी) विशिष्ट सेवा

- सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध विधवाओं, सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं, रक्षा बलों के सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों की सहायता के लिए राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड और कल्याण आयोजकों के अच्छे नेटवर्क का प्रावधान।
- द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों (31 अगस्त, 1945 को या उससे पहले नामांकित) और द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की विधवाओं को जो भारत सरकार/ हरियाणा सरकार से किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन्हें @ 10,000/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता। 01 नवम्बर 2017 से प्रभावी।
- रक्षा बल कार्मिक (सेना, नौसेना, वायु सेना) की युद्ध विधवाओं को जो पहले से ही सरकार से मिल रही परिवार पेंशन के अलावा घोषित युद्ध के दौरान कार्रवाई में मारे गए थे उन्हें @ 3,000/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रभावी 29-10-2016। 01.11.2017 से 400/- रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि होगी।
- 29-10-2016 को 60 वर्ष से ऊपर सेवानिवृत्त सैनिक और सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं को जो सरकार से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं @ 3,000/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता। प्रति वर्ष 400/- रुपये की वार्षिक वृद्धि होगी। 01.11.2017 से प्रभावी।
- 100% विकलांगता वाले पैराप्लेजिक हेमिप्लेजिक और टेट्राप्लेजिक सेवानिवृत्त सैनिक को 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता। 29-10-2016 से प्रभावी। 400/- रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि होगी। 01.11.2017 से प्रभावी।

10. हरियाणा पैराप्लेजिक मामलों के सेवानिवृत्त सैनिक जो पैराप्लेजिक सेंटर, मोहाली और किर्की (पुणे) में रह रहे हैं, हरियाणा सरकार 2016 से हर साल उनमें से प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
11. नेत्रहीन सेवानिवृत्त सैनिक को 29-10-2016 से 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता। 400/- रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि होगी। 01.11.2017 से प्रभावी।
12. सेवानिवृत्त सैनिक के अनाथ बच्चों के कानूनी अभिभावक को 29-10-2016 से @ 3,000/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता। सेवानिवृत्त सैनिक के अनाथ बच्चे की अधिकतम 21 वर्ष की आयु/विवाह/रोजगार, जो भी पहले हो। 400/- रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि होगी। 01.11.2017 से प्रभावी।
13. युद्ध विधवाओं, 50% से अधिक युद्ध विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की बेटी शादी के समय 21,000/- रुपये की वित्तीय सहायता। सेवानिवृत्त सैनिक की अनाथ बेटियों को 51,000/- रुपये वित्तीय सहायता। सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं की बेटी की शादी के समय 11,000/- रुपये दिया जाता है। वित्तीय सहायता केवल दो बेटियों के लिए उपलब्ध है।
14. विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक को 29-10-2016 से जिनकी विकलांगता रक्षा बल सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है और जो किसी भी स्रोत से किसी भी प्रकार की पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं और सिविल सेवा में कार्यरत नहीं हैं, @ 3,000/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता का अनुदान। 400/- रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि होगी। 01.11.2017 से प्रभावी।
15. स्वतंत्रता-पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं/स्वतंत्रता-पूर्व वीरता पदक विजेताओं की विधवाओं को मौद्रिक भत्ता/पेंशन 28-05-2014 को संशोधित नीति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पुरस्कार/पदक का नाम	मौद्रिक भत्ता/पेंशन की दर (रु.)
(अ)	मिलिट्री क्रॉस	10,000.00 प्रति माह
(ब)	सैन्य पदक	5,000.00 प्रति माह
(स)	इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट	3,000.00 प्रति माह
(द)	भारतीय विशिष्ट सेवा पदक	2,000.00 प्रति माह
(य)	मेंशन-इन-डिस्पैच (केवल पूर्व-स्वतंत्रता पुरस्कार विजेता)	2,000.00 प्रति माह

16. युद्ध विधवाओं और 100% युद्ध विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों और युद्ध माताओं को उनके घरों के निर्माण/मरम्मत के लिए अधिकतम 40,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते वार्षिक आय 75,000/- रुपये प्रति वर्ष तक हो।

17. ऐसे सेवानिवृत्त सैनिक जो सेवा के दौरान या बाद में पक्षाघात से पीड़ित हैं, उन्हें शौचालय और स्नानघर के निर्माण के लिए 10,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

18. सेवा के दौरान मृत सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को नीचे दी गई दरों पर अतिरिक्त पेंशन।

क्रमांक	विधवा (बच्चे होने पर):-	
(अ)	(i) अन्य रैंक	रु. 100/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम रु. 300 प्रति माह के अधीन।
	(ii) जे सी ओ	रु. 150/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम रु. 450 प्रति माह।
	(iii) अधिकारियों	रु.200/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम रु. 600 प्रति माह के अधीन।
(ब)	विधवाएँ (बिना बच्चे वाली)	रु.100/-प्रतिमाह मृत्यु / पुनर्विवाह तक।
(स)	100% विकलांग कर्मचारी (बच्चे होने पर)	उपरोक्त दरों पर रैंक के अनुसार।

नोट: - बच्चों के लिए यह अतिरिक्त पेंशन बच्चे के 20 वर्ष की आयु/विवाह की तिथि/रोजगार प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक प्रदान की जाती है।

19. विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय युद्ध या युद्ध जैसी दुश्मन की कार्रवाई, आतंकवादी मुठभेड़ या I.E.D विस्फोट में मारे गए, अक्षमता के कारण बाहर किए गए सभी रैंकों के विकलांग कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये की राशि, जिसे, कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान दिया जाता है के लिए नीचे दिया गया है: -

कैटेगरी	आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद	आईईडी विस्फोट में मारा गया	75% और ऊपर विकलांगता	50% से 74% विकलांगता	25% से 49 % विकलांगता
अधिकारी/ कर्मचारी	50 लाख	50 लाख	35 लाख	25 लाख	15 लाख
	नीति 2/8/2016 24/3/2016 से प्रभावी		19/2/2014 से प्रभावी नीति 16/1/2015 देखें। 8.11.2021 को या उसके बाद होने वाले युद्ध हताहतों के लिए अनुग्रह राशि की संशोधित दर।		

20. हरियाणा सरकार शहीदों के आश्रितों को नौकरी दे रही है।
21. सेवारत और सेवानिवृत्ति सैनिक (पूर्व और सेवानिवृत्ति के बाद) के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रति माह 250/- रुपये की दर से वजीफा।
22. SEMPEX-III योजना लघु औद्योगिक इकाइयों और संबंधित गतिविधियों की स्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड के माध्यम से कृषि और गैर-कृषि ऋण की पूर्ति करती है।
23. SEMPEX-III योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के सुधार और विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सेवानिवृत्ति सैनिक को ऋण प्रदान करती है।
24. **50,000/- से 2,00,000/- रुपये तक की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान** ब्याज सब्सिडी का भुगतान ऋण के संवितरण के बाद एक वर्ष पूरा होने से शुरू होने वाली वार्षिक किश्तों में बैंक ब्याज की दर से घटाकर 50,000/- रुपये के ऋण तक 6% और बैंक ब्याज को घटाकर 2,00,000/- रुपये के ऋण तक 9% किया जाता सेवानिवृत्ति सैनिक द्वारा बनाई गई सहकारी समिति के मामले में ब्याज सब्सिडी 5,00,000/- रुपये के ऋण तक बैंक ब्याज माइनस 10% होगी।
25. समामेलित निधि से सेवानिवृत्ति सैनिकों के बच्चों को 200/- रुपये से लेकर 600/- रुपये प्रति माह तक वजीफा, माता-पिता की आय स्लैब के आधार पर। यह कक्षा 9वीं से लेकर उच्च अध्ययन तक के छात्रों के लिए लागू है। यह सुविधा उन सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए उपलब्ध है जिनकी मासिक आय रु. 9,000/- प्रतिमाह हो और उनका बच्चा 9वीं कक्षा में पढ़ रहा हो। और 10वीं कक्षा के लिए जिनकी मासिक आय रुपये 9,000/- से 13000/- प्रतिमाह हो।
26. निम्नलिखित संस्थानों में पढ़ने वाले हरियाणा मूल के बच्चों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई दर से छात्रवृत्ति: -
- (अ) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी), देहरादून - 50,000 / - रुपये प्रति वर्ष।
- (ब) सैनिक स्कूल कुंजपुरा (करनाल) और रेवाड़ी छात्रवृत्ति
- | | आय समूह वार्षिक | वार्षिक छात्रवृत्ति |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| (i) | 1,60,000/- रुपये तक। | - 50,000/- रुपये |
| (ii) | 1,60,001 से 2,00,000/- रुपये से। | - 40,000/- रुपये |
| (iii) | 2,00,001/- से 2,50,000/- रुपये। | - 30,000/- रुपये |
| (iv) | 2,50,001 से 3,00,000/- | - 25,000/- रुपये |
| (v) | 3,00,000/- रुपये से ऊपर। | - शून्य |
| (vi) | वर्दी भत्ता | - 2,000/- रुपये प्रति वर्ष। |
| (vii) | आहार भत्ता | - 75/- रुपये प्रतिदिन |

27. सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवा कर्मियों को सीएसडी कैंटीन द्वारा वस्तुओं की बिक्री को कर से छूट प्राप्त है। सीएसडी कैंटीन की सुविधा लगभग सभी जिलों और तहसील मुख्यालय में उपलब्ध है।

28. सीएसडी के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैनिकों के लिए शराब की आपूर्ति के लिए उत्पाद शुल्क में छूट।

29. हरियाणा सरकार के सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग, एजेंसियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वर्ग - I और वर्ग - II श्रेणियों में 5% पद आरक्षित किए हैं और सभी सरकारी विभागों में वर्ग III और वर्ग IV पदों में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 14% का क्षैतिज आरक्षण है। पात्र सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके आश्रित पुत्रों/पुत्रियों और पत्नियों, यदि पात्र हों, योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है। सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रित पुत्र, पुत्रियां एवं पत्नियां जिन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त है, या अर्ध सरकार में। विभागों को यह रियायत नहीं दी जाती है। युद्ध विधवाओं के मामले में, दो आश्रितों को प्रायोजित किया जा सकता है।

30. किसी भी सेवा या पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा में पूर्व रक्षा बलों के कर्मियों के पक्ष में सैन्य सेवा की सीमा तक तीन साल की छूट दी गई है।

31. हरियाणा सरकार, सेना के शिक्षा प्रमाण पत्र को निम्नानुसार मान्यता दी है: -

(अ) 15 साल की सेवा के साथ शिक्षा वर्ग- I का सेना प्रमाण पत्र	मैट्रिक के समकक्ष
(ब) ESM के पास शिक्षा वर्ग- II के सेना प्रमाणपत्र के साथ 20% विकलांगता है और 10 साल की सेवा	मैट्रिक के समकक्ष
(स) 15 साल की सेवा के साथ शिक्षा वर्ग- II और III के सेना प्रमाण पत्र	क्रमशः कक्षा 8वीं और 5वीं के समकक्ष

32. हरियाणा सरकार सेवानिवृत्त सैनिकों / स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए शिक्षण / तकनीकी संस्थानों, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग, आईटीआई / कॉलेजों में आरक्षण के तहत 3% आरक्षण भी निर्धारित किया है: -

(अ)	सामान्य जाति	50%	1 सीट
(ब)	अनुसूचित जाति	20%	1 सीट
(स)	पिछड़े वर्ग	ब्लॉक "ए" के लिए 16% ब्लॉक "बी" के लिए 11%	1 सीट
(द)	विकलांगों के लिए	3%	

नोट: यदि विकलांग उम्मीदवार की उपयुक्त श्रेणी की अनुपलब्धता के कारण, यह कोटा सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को 1% से अधिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 1% की पेशकश की जाती है।

33. शासकीय सेवा में प्रथम प्रवेश पर चिकित्सा परीक्षा शुल्क में छूट। इसके अलावा, मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः वर्गीकरण के लिए बुलाए गए अक्षम सेवानिवृत्त सैनिकों को अस्पताल में भर्ती अवधि के लिए ड्यूटी पर माना जाता है।

34. लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर सैनिक विश्राम गृह स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़, कोसली, कनीना, लोहारू, गोहाना, अटेली में सैनिक विश्राम गृह भी स्थापित किए गए हैं। युद्ध विधवाओं और पीवीसी, एमवीसी और वीसी और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के लिए विश्राम गृहों में रहने के लिए मुफ्त आवास प्रदान किया जाता है।

35. जिला मुख्यालय पर युद्ध स्मारक का निर्माण किया जा चुका है/किए जा रहे हैं। रोहतक में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक एवं हॉल ऑफ फेम का निर्माण किया गया है

36. 05-10-2007 से पहले के पुरस्कार विजेताओं को, 19-02-2014 से वार्षिकी की संशोधित दर इस प्रकार हैं: -

क्रमांक	पुरस्कार का नाम	वार्षिकी (पिछला) (रुपये)	वार्षिकी (संशोधित दर) (रुपये)
(अ)	परमवीर चक्र	2,50,000.00	3,00,000.00
(ब)	अशोक चक्र	2,00,000.00	2,50,000.00
(स)	महावीर चक्र	1,90,000.00	2,25,000.00
(द)	कीर्ति चक्र	1,50,000.00	1,75,000.00
(य)	वीरचक्र	1,10,000.00	1,25,000.00
(र)	शौर्य चक्र	70,000.00	1,00,000.00
(ल)	सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल	40,000.00	50,000.00
(व)	मेंशन-इन-डिस्पैच	20,000.00	30,000.00

नोट: हरियाणा के निवासी वीरता पुरस्कार विजेताओं को वार्षिकी पूरे जीवन के लिए यानी उनकी मृत्यु तक राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। सैनिकों या पुरस्कार प्राप्त करने वालों की विधवाओं के लिए पूरे जीवन के लिए दी जाती है यदि वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया हो है या यदि प्राप्तकर्ता यानी पुरस्कार पाने वाले की मृत्यु उसकी पत्नी से पहले हो जाती है, तो उसे वार्षिकी का लाभ मिलेगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, इस शर्त के साथ कि वह पुनर्विवाह नहीं करेगी।

37. दिनांक 22-01-2015 को सेना/ नौसेना/वायु सेना पदक विशिष्ट सेवा/रक्षा बलों के कार्मिकों को कर्तव्य परायणता के प्रति समर्पण के प्रोत्साहन के संबंध में नीचे दिखाई गई राशि इस प्रकार दी जाएगी: -

क्रमांक	पुरस्कार का नाम	1-3-2008 को या उसके बाद और 19-02-2014 से पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले विशिष्ट सेवा / कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए नकद पुरस्कार और वार्षिकी	19-02-2014 को या उसके बाद पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेना पदक विशिष्ट सेवा / कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए एक बार नकद पुरस्कार
(अ)	सेना पदक विशिष्ट सेवा / कर्तव्य के प्रति समर्पण	रु. 34,000/- नकद पुरस्कार और रु. 3,500/- वार्षिकी	रु. 1,75,000/-

38. एन डी ए /आई एम ए/ओ टी ए/नौसेना और वायु सेना अकादमी और 20-02-2015 को जारी राष्ट्रीय स्थिति नीति के किसी भी अन्य रक्षा अकादमी में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के लिए कैडेटों/जेंटलमैन कैडेटों को 1,00,000/- रुपये नकद पुरस्कार w.e.f. 19.02.2014

39. प्रादेशिक सेना में सराहनीय सेवा के लिए अधिकारियों को 2,500/- रुपये और प्रादेशिक सेना के जेसीओ/ओआर को 1,500/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। यह नागरिक कर्मचारियों के बीच प्रादेशिक सेना में शामिल होने की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए है।

40. युद्ध में विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर जय जवान स्टॉल आवंटित किए जाते हैं।

41. शहीदों की विधवाओं को हरियाणा, यू टी चंडीगढ़ और दिल्ली में यात्रा करने के लिए निः शुल्क बस पास जारी किए गए हैं। यात्रा करने के लिए विकलांग सैनिकों (25% से अधिक विकलांगता) को मुफ्त बस पास भी जारी किए गए हैं।

42. युद्ध विधवाओं, विधवाओं और सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उनके जिला अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र में उनके अच्छे काम की सराहना में सेवानिवृत्त सैनिकों को राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक के दौरान राज्यपाल द्वारा 2,000/- रुपये के साथ सनद और स्टिक ऑफ ऑनर दी जाती है।

43. 10,000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से राजस्व विभाग द्वारा युद्ध जागीरें दी जाती हैं। रक्षा बल कार्मिकों के माता-पिता को जिनके इकलौते पुत्र या दो पुत्रों या तीन पुत्रों ने आपात काल में 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान रक्षा बलों में सेवा की है।

44. चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी और करनाल के नागरिक अस्पतालों में सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पांच बिस्तर आरक्षित हैं।

45. हुडा के प्लाटों में रक्षा कर्मियों को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
46. गाँव के सभी सेवानिवृत्त सैनिकों/सेवारत कर्मियों और विधवाओं को चूल्हा कर से छूट प्राप्त है।
47. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विशेष रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं और सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, हिसार, जींद, नारनौल, बहादुरगढ़, करनाल और चरखी दादरी में रक्षा कॉलोनियों का विकास करेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा रोहतक, झज्जर, हिसार, जींद और रेवाड़ी में डिफेंस कॉलोनी के लिए भूखंड आवंटित किए गए हैं।
48. सैनिक परिवार भवन (एसपीबी) हरियाणा अपने सात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक बार नाममात्र के रखरखाव शुल्क 600/- रुपये पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। हरियाणा-पंचकुला, रोहतक, झज्जर, दादरी, जींद, हिसार छछरौली और रेवाड़ी से संबंधित युद्ध विधवाओं, सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों, और सेवानिवृत्त सैनिकों / सेवारत रक्षा कर्मियों और पूर्व-अर्द्ध सैन्य बलों (पीएमएफ) के आश्रितों के लिए ।

नोट: सभी पाठ्यक्रम डी जी ई एंड टी, श्रम मंत्रालय सरकार से संबद्ध हैं। भारत के और सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाता है।

49. पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि के हैं और महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण, सरकार द्वारा अनुमोदित हैं। गर्वनमेंट आफ इंडिया, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत N.C.V.T. योजना।
50. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	वेतन 7वें सीपीसी के अनुसार निर्धारित है
अपर निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	वेतन 7वें सीपीसी के अनुसार निर्धारित है
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	वेतन 7वें सीपीसी के अनुसार निर्धारित है

51. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड /एस एम सी बैठकें 08 अगस्त 2007 को हुई थीं।

52. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्र.सं.	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर।
(अ)	अंबाला	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, अंबाला कैंट - 133001 जिला- अंबाला (हरियाणा)	0171-2640557 amb.sainik-hry@gov.in
(ब)	भिवानी	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय रेलवे रोड भिवानी -125021	01664-243538(O) zsbhbw.sasw-hry@gov.in
(स)	फरीदाबाद	सचिव, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण कार्यालय, सेक्टर -16, फरीदाबाद- 121001	0129-2287304(O) 0129-2589089(O) zsbfbd.sasw-hry@gov.in
(द)	फतेहाबाद	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, 24-ए, औद्योगिक क्षेत्र, फतेहाबाद (हरियाणा)	01667-224219(O) zsbftb.sasw-hry@gov.in
(य)	गुडगाँव	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, अपना बाजार के सामने, सिविल लाइंस, गुडगाँव - 122001	0124-2320730(O) zsbgrg.sasw-hry@gov.in
(र)	हिसार	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, ओल्ड कोर्ट रोड के पास, हिसार (हरियाणा)	01662-272901(O) zsbhsr.sasw-hry@gov.in
(ल)	झज्जर	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह झज्जर(हरियाणा)-124103	01251-254236(O) zsbjrr.sasw-hry@gov.in
(व)	जींद	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक रेस्ट हाउस, जींद- 126102	01681-245254(O) zsbjnd.sasw-hry@gov.in
(श)	कैथल	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, बिल्डिंग नंबर 761/13, अमरगढ़ गामरी, गली नंबर 3 के सामने कैथल-132027	01746-223731(O) zsbkthl.sasw-hry@gov.in

(ष)	करनाल	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला सत्र न्यायालय के पास, ओल्ड जी.टी रोड, करनाल-132801	0184-2272589(O) zsbkrl.sasw-hry@gov.in
(स)	कुरुक्षेत्र	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस कॉम्प्लेक्स, कुरुक्षेत्र -132118	01744-220922(O) zsbkkkr.sasw-hry@gov.in
(ह)	नारनौल	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, बस स्टैंड के पास नारनौल-123001	01282-250259(O) zsbnrnl.sasw.hry@gov.in
(क्ष)	पंचकुला	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, 227, बी ब्लॉक, योजना भवन, सेक्टर -04 पंचकूला-134 017 (हरियाणा)	0172-2584213(O) zsbpkl.sasw-hry@gov.in
(त्र)	पानीपत	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, कोठी नंबर 118, आदर्श नगर, डाकघर के पास, सी एस डी कैंटीन, पानीपत -132103	0180-2650311(O) zsbpnp.sasw-hry@gov.in
(ज्ञ)	रेवाड़ी	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस रेवाड़ी- 123401	01274-224341(O) 01274-261411(O) 01274-260850 zsbrwr.sasw-hry@gov.in
(अअ)	रोहतक	सचिव सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल लाइंस, छोटू राम पार्क के सामने, रोहतक -124001	01262-242687(O) 09466565363-HC zsbroh.sasw-hry@gov.in
(अब)	सिरसा	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, बरनाला रोड, पुलिस लाइन के पास, सिरसा - 125055	0166-297545(O) zsbsrs.sasw-hry@gov.in
(अस)	सोनीपत	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, गोहाना रोड, पुलिस लाइन के पास, सोनीपेट -131001	0130-2242659(O) zsbsnp.sasw-hry@gov.in

(अद)	यमुनानगर	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, पंचायत भवन के पास, यमुना नगर -135001	01732-211892(O)/(F) zsbynr.sasw-hry@gov.in
(अय)	पलवल	सचिव, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पलवल	01275-297790 zsbpwl.sasw-hry@gov.in
(अर)	चरखी दादरी	कल्याण अधिकारी जिला सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, चरखी दादरी-127306	9307558903(M) zsbdadri@gmail.com zsbedd.sasw@hry.gov.in

54. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्थान का पता	उपलब्ध आवास(कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, मॉल रोड अंबाला कैट निकटतम रेलवे स्टेशन – अंबाला कैट दूरी - 0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -चंडीगढ़, दूरी - किमी	4	4	1	0171-2643951
(ब)	सैनिक रेस्ट हाउस, बादशाही बाग गुरुद्वारा के पास, अंबाला शहर निकटतम रेलवे स्टेशन -अंबाला शहर दूरी -0.5 किमी निकटतम, हवाई अड्डा-चंडीगढ़, दूरी - किमी	ZSBOffice द्वारा उपयोग किया जाता है			0171-2640557
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस, बीडीओ ऑफिस अटेली (नगर) के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-अटेली दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	1	1	1	01282-250259

(द)	सैनिक रेस्ट हाउस, दिल्ली-रोहतक रोड बहादुरगढ़ (झज्जर) निकटतम रेलवे स्टेशन-बहादुरगढ़ दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - नई दिल्ली, दूरी - किमी	2*	2*	1*	01251-254236 *पीडब्ल्यूडी ने निर्माणाधीन व असुरक्षित घोषित किया
(य)	सैनिक रेस्ट हाउस, रेलवे रोड डीएवी कॉलेज के पास भिवानी निकटतम रेलवे स्टेशन- भिवानी दूरी - 0.200 किमी निकटतम हवाई अड्डा-नई दिल्ली दूरी - किमी	3	2	1	01664-243538
(र)	सैनिक विश्राम गृह, सिविल कोर्ट परिसर चरखी दादरी के पास निकटतम रेलवे स्टेशन – चरखी दादरी दूरी -1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	1*	1*	1*	01664-243538 * पीडब्ल्यूडी ने निर्माणाधीन व असुरक्षित घोषित किया
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस, पुरानी सब्जी मंडी सेक्टर 16 के पास, फरीदाबाद निकटतम रेलवे स्टेशन-फरीदाबाद दूरी -1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी – किमी	2	2	1	0129-2589089
(व)	सैनिक रेस्ट हाउस, आईटीआई के पास, गोहाना (सोनीपत) निकटतम रेलवे स्टेशन- गोहाना दूरी - 3 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	2	1	1	0130-2242659
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस, अपना बाजार पुरानी दिल्ली-अलवर रोड सिविल लाइंस, गुडगाँव निकटतम रेलवे स्टेशन-गुडगाँव दूरी – 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी -20 किमी	3	3	1	0124-2320730

(ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास, हिसार निकटतम रेलवे स्टेशन-हिसार दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा-नई दिल्ली दूरी -10 किमी	4	3	1	01662-272901
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस, गुडियानी रोड झज्जर निकटतम रेलवे स्टेशन-झज्जर दूरी - 3 किमी निकटतम हवाई अड्डा-नई दिल्ली दूरी -10 किमी	2	1	1	01251-254236
(ह)	सैनिक रेस्ट हाउस, नियर बस स्टैंड जींद निकटतम रेलवे स्टेशन -जींद दूरी - 3 किमी निकटतम हवाई अड्डा-नई दिल्ली दूरी - किमी	2	1	1	01681-245254
(क्ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, मकान नंबर 761, अमरगढ़ बस्ती, गली नंबर 3 के सामने, कैथल निकटतम रेलवे स्टेशन-कैथल दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - चंडीगढ़ दूरी - किमी	-	1	1	01746-223731
(त्र)	सैनिक रेस्ट हाउस, बीडीओ कार्यालय के पास, एम गढ़ - रेवाड़ी रोड कनीना (एम गढ़) निकटतम रेलवे स्टेशन-कनीना दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा-नई दिल्ली दूरी - किमी	1	1	1	01282-250259
(स्र)	सैनिक रेस्ट हाउस, नियर करण पार्क करनाल निकटतम रेलवे स्टेशन -करनाल दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	2	1	1	0184-2272589

(अअ)	सैनिक रेस्ट हाउस, नियर करण पार्क करनाल निकटतम रेलवे स्टेशन -करनाल दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	*	*	*	0184-227589 * जेड एसबी ऑफिस का उपयोग
(अब)	सैनिक रेस्ट हाउस, एसडीओ के पास (सी) कार्यालय, कोसली (रेवाड़ी) निकटतम रेलवे स्टेशन-कोसली दूरी -1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा-नई दिल्ली दूरी - किमी	*	*	*	01274-224341 * पीडब्ल्यूडी ने निर्माणाधीन व असुरक्षित घोषित किया
(अस)	सैनिक रेस्ट हाउस, अर्बनएस्टेट, सेक्टर 13, कुरुक्षेत्र निकटतम रेलवे स्टेशन-कुरुक्षेत्र दूरी -1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -चंडीगढ़ दूरी - किमी	1	1	1	01744-220922
(अद)	सैनिक रेस्ट हाउस, बस स्टैंड के पास लोहारू (भिवानी) निकटतम रेलवे स्टेशन -लोहारू दूरी - 1 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	2	2	1	01664-243538
(अय)	सैनिक रेस्ट हाउस, सिविल कोर्ट मोहिंदरगढ़ के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-मोहिंदरगढ़ दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	1	1	1	01282-250259
(अर)	सैनिक रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास नारनौल (एम'गढ़) निकटतम रेलवे स्टेशन-नारनौल दूरी -1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	3	2	1	01282-250259

(अल)	सैनिक विश्राम गृह, कोठी नंबर 228, आदर्श नगर, पानीपत निकटतम रेलवे स्टेशन-पानीपत दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	1	1	1	0180-2650311
(अव)	सैनिक रेस्ट हाउस, सेक्टर 12 पंचकुला निकटतम रेलवे स्टेशन-पंचकुला दूरी -6 किमी निकटतम हवाई अड्डा -चंडीगढ़ दूरी -12 किमी	4	3	1	0172-2584213
(अश)	सैनिक रेस्ट हाउस, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने, रेवाड़ी निकटतम रेलवे स्टेशन-रेवाड़ी दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	2	1	1	01274-224341
(अष)	सैनिक रेस्ट हाउस, छोटू राम चौक के पास, सिविल रोड, रोहतक निकटतम रेलवे स्टेशन-रोहतक दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - नई दिल्ली दूरी - किमी	*	*	*	01262-230687 * जेड एस बी ऑफिस का उपयोग
(अस)	सैनिक रेस्ट हाउस, छोटू राम चौक के पास, सिविल रोड रोहतक निकटतम रेलवे स्टेशन-रोहतक दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नई दिल्ली दूरी - किमी	4	3	1	01262-230687
(अह)	सैनिक रेस्ट हाउस, पुलिस लाइन के सामने, बरनाला रोड, सिरसा निकटतम रेलवे स्टेशन-सिरसा दूरी - 4 किमी निकटतम हवाई अड्डा - नई दिल्ली दूरी - किमी	1	1	1	01666-247339

(अक्ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, पुलिस लाइन, गोहाना रोड, सोनीपत निकटतम रेलवे स्टेशन-सोनीपत दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - नई दिल्ली दूरी - किमी	2	2	1	0130-222069
(अत्र)	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, (सैनिक रेस्ट हाउस) यमुना नगर, पंचायत भवन के पीछे, गाँव - गोविंदपुरा, तहसील :जगाधरी, डाकघर :मिनी सचिवालय, जगाधरी जिला :यमुना नगर 135003 - निकटतम रेलवे स्टेशन- यमुना नगर दूरी -5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -चंडीगढ़ दूरी - किमी	3	2	1	01732-211892 01732-222072

हिमाचल प्रदेश**परिचय**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 1,62,458 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

सैनिक कल्याण विभाग : हिमाचल प्रदेश		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
निदेशालय, सैनिक कल्याण, हमीरपुर	ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार हमीरपुर- 177 001	01972-221854 (कार्यालय) 01972-225643 (एफ) dir-sw-hp@nic.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** हिमाचल प्रदेश राज्य में 10 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 24 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	22,500	0.15 लाख	0.07 लाख	0.20 लाख	0.12 लाख	0.05 लाख	0.17 लाख
(ब)	1.50 लाख	1 लाख	0.50 लाख	1.25 लाख	0.75 लाख	0.40 लाख	1.10 लाख
(स)	3 लाख	2 लाख	1 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख	0.08 लाख
(द)	30 लाख	20 लाख	10 लाख	30 लाख	0.15 लाख	10 लाख	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	0.10 लाख	0.04 लाख	0.03 लाख (G)	0.02 लाख	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(ब)	0.65 लाख	0.30 लाख	0.20 लाख (G)	0.10 लाख	1 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(स)	0.08 लाख	0.08 लाख	10,000(G) 8,000(D)	0.10 लाख	10,800	9,600	0.08 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान (जी) शौर्य सेवा (डी) विशिष्ट सेवा

5. रोजगार

(अ) राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती के ग्रुप-ए, बी, सी और डी के 15% पद सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। वर्ग ए और बी पदों के लिए भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जबकि वर्ग सी और डी सैनिक कल्याण निदेशालय के तहत सेवानिवृत्त सैनिक रोजगार सेल के माध्यम से की जाती है।

(ब) समूह सी और डी (सीएल III और IV) में रोजगार उन सैनिकों के एक आश्रित को प्रदान किया जाता है जो कार्रवाई में मारे गए थे या कार्रवाई में अक्षम थे और नागरिक रोजगार के लिए अयोग्य हो गए थे। विशेष सेवानिवृत्तसैनिक रोजगार प्रकोष्ठ के माध्यम से रोजगार सहायता के उद्देश्य से प्राथमिकताएं निम्नानुसार हैं: -

(अअ) प्राथमिकता - I

- विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक, युद्ध के समय विकलांग।
- विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक, शांति के समय के दौरान विकलांग, बशर्ते विकलांगता सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार हो और 50% से अधिक हो।

(अब) प्राथमिकता - IIA

- कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य।
- अक्षम, निष्क्रियता और सिविल सेवा के लिए अनुपयुक्त रक्षा बलों के कर्मियों के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य।

(अस) प्राथमिकता - III सशस्त्र बलों (पूर्व सैनिकों) के डिमोबिलाइज्ड कर्मियों।

(स) पंजीकरण, साक्षात्कार/स्क्रीनिंग और नामांकन की प्रक्रिया नीचे दी गई है: -

(i) **पंजीकरण** सेवारत कर्मी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले नागरिक रोजगार के पंजीकरण के लिए अपने यूनिट/अभिलेख कार्यालय के माध्यम से एक निर्धारित मानक प्रपत्र यानी रोजगार सूचकांक कार्ड पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण संबंधित रोजगार कार्यालय में सेवानिवृत्ति के बाद किया जा सकता है। उम्मीदवार अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार कार्ड (X-1) में व्यवसाय के राष्ट्रीय कोड के अनुसार तीन अलग-अलग विकल्प दे सकते हैं। इसके बाद रोजगार सूचकांक कार्ड संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा विशेष सेवानिवृत्त सैनिक रोजगार प्रकोष्ठ को भेजा जाता है। उसके प्राप्त होने पर, पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है और संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित किया जाता है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में पंजीकरण कार्ड का नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

(ii) **साक्षात्कार/स्क्रीनिंग** निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य चयन समिति हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों से पद प्राप्त होने पर साक्षात्कार/स्क्रीनिंग करती है। उम्मीदवारों को उनकी पंजीकरण वरिष्ठता, चुने गए एनसीओ कोड, शिक्षा/योग्यता और नियोक्ता द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर साक्षात्कार/स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है। पंजीकरण और योग्यता की उनकी वरिष्ठता के आधार पर एक पैनल तैयार किया गया है। उम्मीदवारों पर विचार करने और नामांकन के लिए उन्हें सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- पंजीकरण वरिष्ठता।
- उम्मीदवारों द्वारा उनके पंजीकरण के समय चुने गए पद।
- पात्रता अर्थात् शिक्षा योग्यता, यदि पंजीकरण के बाद, बाद में आवश्यकता होती है, तो संबंधित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की तिथि से वरिष्ठता ली जाएगी।
- लिपिक, कनिष्ठ कार्यालय सहायक और स्टेनो टायपिस्ट के लिए, नामांकन के लिए निर्धारित टंकण गति के साथ कंप्यूटर पर अर्हक प्रकार की परीक्षा आवश्यक है।
- सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पैनेलिंग वरिष्ठता के लिए मेरिट यानी एक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए - 01 अंक (अधिकतम 25 अंक), चरित्र- 05 अंक, ट्रेड टेस्ट - 05 अंक, बर्खास्तगी का कारण - 05 अंक और पंजीकरण वरिष्ठता - 10 अंक (कुल 50 अंक)। यह योग्यता प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए अलग से तैयार की जाती है। अगले वर्ष के पैनेल के लिए आगे बढ़ने से पहले पिछले वर्ष का पैनेल समाप्त हो गया है।
- साक्षात्कार/जांच के लिए नए कॉल लेटर तभी भेजे जाएंगे जब मौजूदा पैनेल समाप्त हो जाएगा।

(iii) **नामांकन/नियुक्ति** सेवानिवृत्ति सैनिक रोजगार प्रकोष्ठ संबंधित नियोक्ता के लिए आरक्षित एक पद के विरुद्ध उनकी पंजीकरण वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर तैयार किए गए पैनल से एक उम्मीदवार को नामांकित करता है। राज्य चयन समिति द्वारा एक बार उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिए जाने के बाद उन्हें उस विभाग द्वारा आगे साक्षात्कार/परीक्षा के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए उन्हें नामित किया गया है। नामांकित उम्मीदवारों को नियुक्ति उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियोक्ता द्वारा दी जाती है। सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट के अलावा उनके लिए आरक्षित वर्ग III और IV पदों पर उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई छूट नहीं है।

(द) एच पी राज्य सरकार में सभी नियुक्तियां वर्तमान में प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए अनुबंध पर हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त सेवानिवृत्ति सैनिकों का वेतनमान एच पी राज्य सरकार के कर्मचारी चयन/संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किए जाने वाले अन्य उम्मीदवारों के समान है।

(य) निर्देशों के तहत सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं किए गए पदों के लिए भी सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए आयु में छूट उपलब्ध है। यह इस हद तक है कि (सिवाए जहां रिक्ति को एच पी पी एस सी द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाना है) यदि सेवानिवृत्ति सैनिक की आयु से अनुमोदित सैन्य सेवा अवधि घटा दी जाती है और परिणाम निर्धारित अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक नहीं होता है, पद के लिए, सेवानिवृत्ति सैनिक को आयु के मामले में पात्र माना जाना चाहिए।

6. योजनाएं

क्र.सं.	विषय	दरें	टिप्पणि
(अ)	युद्ध विधवाओं की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता	Rs.50,000/-	
(ब)	सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है और वार्षिक आय 35,000/-से अधिक नहीं है।	Rs. 3,000/- प्रति वर्ष	
(स)	द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन जिनकी आय 35,000/- से अधिक नहीं है।	Rs. 3,000/- प्रति वर्ष	
(द)	केवल एक/दो/तीन पुत्रों के माता-पिता को युद्ध जागीर जिन्होंने आपातकाल में सेवा की थी।	Rs. 5,000/- प्रति वर्ष	
(य)	उपरोक्त केंद्रों में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के विकलांग सैनिकों के कल्याण के लिए लकवाग्रस्त पुनर्वास केंद्र, एस ए एस नगर, मोहाली और किरकी पुणे को वित्तीय सहायता।	Rs.1,00,000/-प्रति सैनिक प्रति वर्ष	

7. वित्तीय सहायता

क्र.सं.	विषय	दरें	टिप्पणी
(अ)	35,000/- रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को फ्लैग डे फंड से वित्तीय सहायता	रुपये 10,000/-	
(ब)	सेवा के दौरान मृत सशस्त्र बल कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को तत्काल वित्तीय सहायता।	रुपये 15,000/-	

8. आर एंड आर फंड से चलाई जा रही योजनाएं

क्र. सं	विषय	दरें	टिप्पणि
(अ)	35,000 रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता	रु. 10,000/-	
(ब)	गैर-ईसीएचएस सदस्यों और गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को वित्तीय सहायता जिनकी वार्षिक आय रु.35,000/- तक है	रु. 25,000/- तक	
(स)	सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं, जिनके पेंशन मामले हैं, के अनाथ आश्रित बच्चों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रक्रियाधीन हैं।	रु. 10,000/-	
(द)	3,00,000/- रुपये तक की वार्षिक आय वाली सेवानिवृत्त सैनिकों /विधवाओं को एक बार का अनुदान वित्तीय प्रोत्साहन, जिनके बच्चों को एस एस बी साक्षात्कार की तैयारी के लिए कोचिंग दी गई है।	रु. 6,000/-	
(य)	पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, एस ए एस नगर, मोहाली और किरकी, पुणे में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पैराप्लेजिक/विकलांग सैनिक को वित्तीय सहायता	रु. 2,000/- प्रति माह	

छात्रवृत्ति

(अ)	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	रु. 500/-	
(ब)	पॉलिटैक्निक और कृषि विश्वविद्यालय	रु. 500/-	
(स)	एम बी बी एस, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम आदि	रु. 1,000/-	
(द)	बी एड, जे बी टी, ड्रेस डिस्पेंसर, एल टी ओ टी असिस्टेंट, जनरल-हेल्थ स्कीम्स, पटवारी कोर्स, वेटरनरी स्टाफ कोर्स और ऐसे अन्य समकक्ष कोर्स आदि।	रु. 500/-	
(य)	आई टी आई / आई आर डी आई पाठ्यक्रम	रु. 500/-	
(र)	केवल सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए (ऊपर वर्णित पाठ्यक्रम और अन्य)	रु. 500/-	

9. **अनुग्रह अनुदान**

क्र. सं.	विषय	राशि (रु)
(अ)	युद्ध हताहत (रक्षा और अर्धसैनिक बल)	20.00 लाख
(ब)	शारीरिक हताहत (केवल सशस्त्र बल कार्मिक)	5.00 लाख
(स)	सशस्त्र बलों के विकलांग सैनिक 50% या उससे ऊपर की विकलांगता के साथ और उनकी विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से छुट्टी दे दी गई	2.50 लाख
(द)	50% से कम विकलांगता वाले सशस्त्र बलों के विकलांग सैनिक और उनकी विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से छुट्टी दे दी गई	1.0 लाख

10. राज्य के भीतर हिमाचल सड़क परिवहन की बसों में निः शुल्क बस पास की सुविधा वीरता पुरस्कार विजेताओं/वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं एवं युद्ध विधवाओं को दी जा रही है।

11. **विभिन्न संस्थानों में शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण कोटा**

क्र. सं.	विषय
(अ)	दिवंगत सैनिकों की पत्नियों /सेवानिवृत्त सैनिकों / सेवारत सैनिकों की आश्रित पुत्रियों को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण देना
(ब)	जे बी टी/बी एड प्रशिक्षण में 15% सीटें आरक्षित
(स)	मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एक सीट आरक्षित
(द)	इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए 4%, लेकिन कम से कम एक सीट आरक्षित की गई है
(य)	सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों और सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए तकनीकी संस्थानों में 10% सीटें आरक्षित की गई हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट जूनियर टेक्निकल स्कूल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
(र)	अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 2% सीटें एच पीए कृषि-विश्वविद्यालय में, सेवारत और सेवानिवृत्त -रक्षाकर्मियों के बेटों/बेटियों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत वीरता पुरस्कार विजेता रक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को वरीयता दी जाती है।

12. द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सैनिकों को रु. 10,000/- और विधवाओं को रु. 5000/- वित्तीय सहायता।

13. **अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति**

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक	115000-207900
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओ एस डी)	56100-177500
उप निदेशक	53600-170100
उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी (SREO)	48700-154300

14. पिछली आर एस बी/एस एम सी बैठकें 15 दिसंबर 2016 को हुई थीं।

15. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
(अ)	बिलासपुर	उप निदेशक जिला सैनिक, कल्याण कार्यालय बिलासपुर- 174029 (हिमाचल प्रदेश)	01978-222343 zswofficebilaspur@gmail.com
(ब)	चंबा	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चंबा- 176314 (हिमाचल प्रदेश)	01899-222357 dswochamba@gmail.com
(स)	हमीरपुर	उप निदेशक जिला सैनिक, कल्याण कार्यालय, हमीरपुर- 177001 (हिमाचल प्रदेश)	01972-222334 sainikwelfarehamirpur@gmail.com
(द)	धर्मशाला में कांगड़ा	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कांगड़ा, धर्मशाला-176215 (हिमाचल प्रदेश)	01892-223279 ddsw-kan-hp@gov.in
(य)	कुल्लू और लाहौल-स्पीति	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कुल्लू- 175101(हिमाचल प्रदेश)	01902-222272 kullusainikwelfare@gmail.com
(र)	मंडी	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय विजय पैलेस कॉलोनी मंडी- 175001 (हिमाचल प्रदेश)	01905-222120 ddrsw@gmail.com
(ल)	शिमला+ किन्नौर	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय लॉन्ग-बुड, शिमला-171001 (हिमाचल प्रदेश)	0177-2658586 ddswsml@gmail.com

(व)	सिरमौर (नाहन)	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सिरमौर नाहन 173001 - (हिमाचल प्रदेश)	01702-222551 zswonahan123@gmail.com
(श)	सोलन	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मॉल, सोलन -173212 (हिमाचल प्रदेश)	01792-223764 sainik-sol-hp@nic.in
(ष)	ऊना	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण विभाग ऊना-174303(हिमाचल प्रदेश)	01975-226090 ddswouna@gmail.com

16. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक विश्राम गृह, बिलासपुर बस स्टैंड के पास, बिलासपुर, निकटतम रेलवे स्टेशन - कीरतपुर, दूरी - 60 किमी निकटतम हवाई अड्डा - शिमला/चंडीगढ़ दूरी - 80/150 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (6 बिस्तर)			01978-222343 8219605096 9318782732
(ब)	सैनिक विश्राम गृह घुमारवीं जिला बिलासपुर निकटतम रेलवे स्टेशन-किरतपुर, दूरी -80 किमी निकटतम हवाई अड्डा - शिमला/चंडीगढ़ दूरी -100/170 किमी	2 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (6 बिस्तर)			01978-222343 8219605096 9816115262
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस चंबा नियर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप, चंबा निकटतम रेलवे स्टेशन-पठानकोट दूरी -120 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पठानकोट दूरी -120 किमी	4 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (6 बिस्तर)			01899-222357 8628928045

(द)	सैनिक रेस्ट हाउस चौवारी, जिला चंबा निकटतम रेलवे स्टेशन-पठानकोट दूरी -40 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पठानकोट दूरी - 45 किमी	2 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (6 बिस्तर)	01899-222357 8628928045
(य)	सैनिक रेस्ट हाउस हमीरपुर, नाल्टी रोड पेट्रोल पंप के पास हमीरपुर निकटतम रेलवे स्टेशन- ऊना, दूरी -70 किमी निकटतम हवाई अड्डा-गगल दूरी -68 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (7 बिस्तर)	01972-222334 8279272275
(र)	सैनिक रेस्ट हाउस सुजानपुर, टिहरा जिला-हमीरपुर निकटतम रेलवे स्टेशन-ऊना, दूरी -95 किमी निकटतम हवाई अड्डा-गगल दूरी -93 किमी	5 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (5 बिस्तर)	01972-222334 9418529429
(ल)	सैनिक विश्राम गृह धर्मशाला, चुंगी पोस्ट के पास - धर्मशाला, कांगड़ा, निकटतम रेलवे स्टेशन-कांगड़ा दूरी - 25 किमी निकटतम हवाई अड्डा - गगल दूरी - 12 किमी	4 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (10 बिस्तर)	01892-223279 9779253336
(व)	सैनिक विश्राम गृह, देहरा बस स्टैंड के पास - देहरा निकटतम रेलवे स्टेशन -ज्वालामुखी रोड दूरी - 18 किमी निकटतम हवाई अड्डा - गगल दूरी - 25 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर)	01892-223279
(स)	सैनिक विश्राम गृह ज्वालामुखी नादौन रोड निकटतम रेलवे स्टेशन -ज्वालामुखी रोड दूरी - 19 किमी निकटतम हवाई अड्डा - गगल दूरी किमी- 42 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 2 शयनगृह (10 बिस्तर)	01892-223279

(ष)	सैनिक विश्राम गृह कांगड़ा, थाने के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-कांगड़ा, दूरी किमी- 4 निकटतम हवाई अड्डा - गगल दूरी - 7 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 2 शयनगृह (10 बिस्तर, 06 बिस्तर)	01892-223279
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस नूरपुर, बस स्टैंड के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-नूरपुर रोड, दूरी - 3 किमी निकटतम हवाई अड्डा - पठानकोट दूरी - 30 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 2 शयनगृह (08 बिस्तर, 04 बिस्तर)	01892-223279 7833881424
(ह)	सैनिक रेस्ट हाउस पालमपुर, पुराने बस स्टैंड के पास NRS - पालमपुर दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - गगल दूरी - 48 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (06 बिस्तर)	01892-223279 9805656603
(क्ष)	सैनिक विश्राम गृह कुल्लू डीसी कार्यालय ढालपुर के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-कीरतपुर, दूरी - 200 किमी निकटतम हवाई अड्डा - भुंतर दूरी- 10 किमी	4 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (04 बिस्तर)	01902-222272 9459016720
(त्र)	सैनिक रेस्ट हाउस केलांग, बस स्टैंड के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-कीरतपुर दूरी - 300 किमी निकटतम हवाई अड्डा - भुंतर दूरी - 110 किमी	2 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर)	01902-222272 9418466773
(ज्ञ)	सैनिक विश्राम गृह मंडी, विजय पैलेस, हॉस्पिटल मंडी के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-जोगिंदर नगर दूरी - 65 किमी निकटतम हवाई अड्डा - भुंतर दूरी - 45 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (06 बिस्तर)	01905-222120 8894628305

(अअ)	सैनिक रेस्ट हाउस सरकाघाट, बस स्टैंड शिमला रोड के पास, निकटतम रेलवे स्टेशन-जोगिंदर नगर दूरी - 70 किमी निकटतम हवाई अड्डा - गगल दूरी - 90 किमी	2 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (10 बिस्तर)	01905-222120 8894628305
(अब)	सैनिक रेस्ट हाउस नाहन, पक्का टैंक के पास, निकटतम रेलवे स्टेशन-अंबाला कैंट, दूरी - 70 किमी, निकटतम हवाई अड्डा - चंडीगढ़, दूरी - 80 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 2 शयनगृह (08 बिस्तर)	01702-222551 9459486054
(अस)	सैनिक विश्राम गृह, पांवटा साहिब, जिला-सिरमौर निकटतम रेलवे स्टेशन-देहरादून, दूरी - 50 किमी निकटतम हवाई अड्डा - देहरादून दूरी- 77 किमी	2 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 2 शयनगृह (10 बिस्तर)	01702-222551 9459027015
(अद)	सैनिक रेस्ट हाउस शिमला, लॉन्गवुड, शिमला निकटतम रेलवे स्टेशन-शिमला, दूरी - 3 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जुबेरहट्टी दूरी- 25 किमी	11 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 2 शयनगृह (07 बिस्तर) 2 शयनगृह (05 बिस्तर)	0177-2653211 9805160101
(अय)	सैनिक विश्राम गृह रिकांगपिओ, जिला- किन्नौर निकटतम रेलवे स्टेशन-शिमला, दूरी - 230 किमी निकटतम हवाई अड्डा - शिमला दूरी - 255 किमी	2 शयनगृह (04 बिस्तर)	0177-2658586 (Not Functional)
(अर)	सैनिक विश्राम गृह, मटियाना निकटतम रेलवे स्टेशन-शिमला, दूरी - 45 किमी निकटतम हवाई अड्डा- जुबेर हट्टी दूरी - 70 किमी	3 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 2 शयनगृह (04 बिस्तर)	0177-2658586 (Not Functional)
(अल)	सैनिक विश्राम गृह सोलन सोलन बाजार, निकटतम रेलवे स्टेशन-सोलन दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - चंडीगढ़ दूरी - 70 किमी	6 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 2 शयनगृह (06 बिस्तर)	01792-223764 (Not Functional)

(अव)	सैनिक विश्राम गृह परवाणू जिला सोलन निकटतम रेलवे स्टेशन-कालका, दूरी -4 किमी निकटतम हवाई अड्डा - चंडीगढ़ दूरी - 46 किमी	5 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर)	01792-223764 9465878787
(अश)	सैनिक रेस्ट हाउस, ऊना बस स्टैंड के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-ऊना, दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा - चंडीगढ़ दूरी - 95 किमी	6 कमरे (प्रति कमरा 2 बिस्तर) 1 शयनगृह (07 बिस्तर)	01975-226090 8894849398

झारखंड**परिचय**

1. झारखंड राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 32,559 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : झारखंड		
कार्यालय/ जनपद	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष संख्या
सैनिक कल्याण विभाग	ब्रिगेडियर निरंजन कुमार, (सेवानिवृत्त) निदेशक सैनिक कल्याण निर्देशालय, रांची (झारखंड)	0651-2330178 (O) 870059315 (M) jharkhand_skn@yahoo.in

2. **जिला सैनिक कल्याण कार्यालय** झारखंड राज्य में 05 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हैं। मेदिनीनगर में छठा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है।

3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर विश्राम गृह/ पारिवारिक आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए झारखंड में 05 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	30 लाख	20 लाख	10 लाख	20 लाख	10 लाख	7.50 लाख	12 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	07 लाख	05 लाख	03 लाख	1.5 लाख	08 लाख	04 लाख	02 लाख

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान; (ब) जमीन के बदले नकद; (स) वार्षिकी; (द) एकमुश्त अनुदान

5. पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सैनिकों के वेतन निर्धारण के उद्देश्य से, समूह 'बी', 'सी', 'डी' पदों पर नियुक्त पी बी ओ आर के मामले में पूर्ण पेंशन अनदेखी योग्य है, सभी पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सैनिकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया गया है।
6. विशेष सहायक पुलिस (एसएपी)/जेल वार्डन/अन्य विभाग में सेवानिवृत्त सैनिकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाती है।
7. जे सी ओ तक के सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को बेटी की शादी और विधवा पुनर्विवाह के लिए रु. 50,000/- की राशि का अनुदान
8. टी बी सेनेटोरियम, रांची में 2 बिस्तरों का आरक्षण।
9. द्वितीय विश्व युद्ध के गैर पेंशनभोगियों और उनकी विधवाओं को रु. 10,000/- प्रतिमाह वृद्धावस्था वित्तीय सहायता।
10. भूमिहीन सेवारत सैनिक/ सेवानिवृत्त सैनिकों को खेती हेतु 2 एकड़ भूमि एवं आवास हेतु 12.5 डेसिमल भूमि का आवंटन।
11. सी एस डी के माध्यम से एएफडी वस्तुओं अर्थात कार, मोटर साइकिल और रेफ्रिजरेटर की सुविधाएं।
12. उन रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए रु. 2,00,000/- की अनुग्रह राशि, जिनकी सेवा में मृत्यु हो गई और मेडिकली बोर्ड आउट सैनिकों के लिए रु. 1,00,000/- की अनुग्रह राशि।
13. गैर-पेंशनभोगी, सेवानिवृत्त सैनिकों /विधवाओं को वर्ष में एक बार अनुकंपा/दरिद्रता अनुदान निम्नानुसार है।
 - (अ) रु. 3,000/- जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा
 - (ब) रु. 5,000/- सैनिक कल्याण संस्थान द्वारा

14. अनाथ पुत्रों/पुत्रियों (एक संतान) को पेंशन के दावे को अंतिम रूप देने तक रु. 2,500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।

15. जीवन में एक बार अतिरिक्त कमरा/बाथरूम/रसोई के निर्माण के लिए हवलदार रैंक और नीचे के उपयुक्त पात्रों को रु. 30,000/- प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी भी पाठ्यक्रम पर सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को प्रदान की जाने वाली कुल फीस की 90 प्रतिशत सहायता: -

(अ) एरिना एनिमेशन इंटरनेशनल प्रोग्राम (AAIP)

(ब) वेब डिजाइनिंग के ग्राफिक्स

(स) डी ओ ई ए सी सी 'ओ' स्तर के पाठ्यक्रम

(द) एन आई आई टी में सर्टिफिकेट कोर्स

16. शालीन अंतिम संस्कार के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के निकट संबंधियों/आश्रितों को 10,000/- रुपये।

17. सेवानिवृत्त सैनिकों / हवलदार रैंक तक के सभी सेवानिवृत्त सैनिकों और जे सी ओ की विधवाओं के प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दो वार्डों को शिक्षा अनुदान नीचे दिया गया है।

(अ) 1 से 5वीं - रु. 6,000 / - प्रतिवर्ष

(ब) कक्षा छठी से मैट्रिक - रु. 8,000 / - प्रतिवर्ष

(स) मैट्रिक से ऊपर - रु. 12,000/- वार्षिक

18. राज्य सरकार द्वारा युद्ध/युद्ध हताहतों के निकटतम संबंधियों को रु. 10,00,000/-, जो संशोधन के अधीन है।

19. नेत्रहीन/मानसिक रूप से विकलांग/दिव्यांग सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवा/आश्रित (अधिकतम दो) रु. 1,000/- प्रतिमाह वित्तीय सहायता। ऐसी सहायता प्रदान करने की पात्रता कम से कम 70% विकलांगता और सिविल/सैन्य प्राधिकारियों से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र होगी।

20. टीबी/कुष्ठ रोगियों के इलाज तक पॉकेट भत्ता @ रु. 2,000/- प्रति माह। पूर्वोक्त अनुदान प्रदान करने के लिए सक्षम सिविल/सैन्य चिकित्सा प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। इस अनुदान से न केवल पीड़ित को पौष्टिक भोजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि व्यवस्था में उनका विश्वास भी बढ़ेगा।

21. कैंसर/डायलिसिस रोगियों को एकमुश्त चिकित्सा देखभाल अनुदान। कैंसर/मधुमेह रोगियों (डायलिसिस पर) को 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) की एकमुश्त सहायता।

22. सैनिक/सैन्य स्कूल/राष्ट्रीय भारत सैन्य महाविद्यालय (RIMC) में नामांकित सेवानिवृत्त सैनिकों /वीर नारियों/विधवाओं के बच्चों को वित्तीय सहायता। बच्चों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सैनिक/सैन्य/आरआईएमसी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को 15,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान देने का प्रस्ताव है।

23. वीर नारियों/विधवाओं को स्वयं सहायता उद्यम हेतु अनुदान। वीर नारियों/विधवाओं को 1,00,000/- रुपये का एकमुश्त वित्तीय अनुदान जो किसी प्रकार का स्वयं सहायता उद्यम शुरू करना चाहते हैं।

24. समामेलित निधि के लिए उपनियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और निम्नलिखित कल्याणकारी उपायों को शामिल किया गया है और कार्यान्वित किया जा रहा है:-

(अ) सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्रों की स्थापना संघ / राज्य सरकार द्वारा किए गए कौशल विकास पहलों के परामर्श से की जाती है।

(ब) सिविल/प्रशासनिक राजस्व के परामर्श से सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं की भूमि के बड़े और निरंतर ट्रैक्ट के विकास के लिए सहायता प्रदान करना।

(स) सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं के लाभ के लिए किसी अन्य आर्थिक गतिविधि का विकास।

(द) सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं के बच्चों के लिए उच्च विशिष्ट शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(य) युद्ध के शोकग्रस्त, युद्ध में विकलांग या विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को आवर्ती या गैर आवर्ती अनुदान का भुगतान, जिनकी चोट सैन्य सेवा के समय (Attributable to Mil Service) और उनके आश्रितों को उनकी शिक्षा/ प्रशिक्षण/ पुनर्वास/ राहत के संबंध में वर्गीकृत की गई है।

(र) पात्र सेवानिवृत्त सैनिकों के अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहने पर आंशिक या पूर्ण रूप से चिकित्सा व्यय पूरा करना।

(ल) सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को आवासीय प्लॉट/घर खरीदने या घर के निर्माण या मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो किसी अन्य स्रोत से वित्तपोषित नहीं है या केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत।

(व) सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को घर के निर्माण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकार के मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर ब्याज की राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर ब्याज के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(श) स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक/मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए सब्सिडी के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता, देय कुल ब्याज के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं।

(ष) सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को किराए के घर के किराए के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता, स्वरोजगार के उद्देश्य से किराए पर लिया गया या ऐसी अन्य राहत जो आवश्यक प्रतीत हो।

(स) वृद्ध और निराश्रित सेवानिवृत्त सैनिकों या उनकी विधवाओं को समान स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए विशेष उपायों के रूप में व्यय करना।

(ह) विधवा गृह से जुड़े प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

25. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	अंतिम आहरित वेतन और पेंशन घटाकर राज्य सरकार द्वारा
सहायक निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	अधिकारियों को भुगतान किया जा रहा है

26. पिछली एसएमसी बैठक 27 अगस्त 2020 को हुई थी।

27. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
(अ)	चाईबासा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोर्ट कंपाउंड, पश्चिम सिंह-भूम, चाईबासा - 833201	06582-296008 zilasainikchaibasa@gmail.com
(ब)	दुमका	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोर्ट परिसर, दुमका-814101	06434-237027 zskkdumka@yahoo.in
(स)	हजारीबाग	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बहुउद्देशीय भवन, निजी बस स्टैंड के पास, हजारीबाग-825301	06546-267767 zskkhazaribagh@yahoo.in

(द)	रांची	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक बाजार, मेन रोड रांची, पिन - 834001	0651-2330159 zskkranchi@yahoo.in
(य)	गुमला	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, गुमला एट-करौंदी, पोस्ट-करौंदी-वाया-नवागढ़, जिला-गुमला (झारखंड) -835232	06524-299940 zskkgumla@yahoo.in
(र)	मेदिनी नगर	सी/ओ डिप्टी कमिश्नर कोलेक्ट्रेट बिल्डिंग मेदिनीनगर पलामू-822101(झारखंड)	8207771428(M) zskkmedininagar@yahoo.com

28. सैनिक विश्राम गृह का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र. सं	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			सम्पर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, कोर्ट परिसर पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा - 833201 निकटतम रेलवे स्टेशन- चाईबासा दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा-रांची दूरी -145 किमी	1	1	1	0658-2259545
(ब)	सैनिक रेस्ट हाउस कोर्ट परिसर दुमका - 814101 निकटतम रेलवे स्टेशन - दुमका दूरी -5 किमी निकटतम हवाई अड्डा- देवघर दूरी -80 किमी	1	2	3	06434-237027
(स)	सैनिक विश्राम गृह जवान भवन-सह-सैनिक बाजार, मेन रोड रांची- 834001 निकटतम रेलवे स्टेशन -रांची जंक्शन दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - रांची दूरी - 5 किमी	2	3 कमरे (10 बिस्तरों वाला शयनगृह)		0651-2330148
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस डी वी सी रोड		3 कमरे (10 बिस्तरों वाला शयनगृह)		06546-267767

कर्नाटक**परिचय**

1. कर्नाटक राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 1,17,467 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : कर्नाटक		
कार्यालय का नाम	पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
सैनिक कल्याण विभाग	ब्रिगेडियर एमबी शशिधर, (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग फील्ड मार्शल केएम करियप्पा भवन नंबर 58, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा रोड, बैंगलोर-560025	080-25589459 (O) 9445176356 (M) dirdswrblr@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** कर्नाटक राज्य में 13 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** नाममात्र के शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को विश्राम गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए कर्नाटक में 10 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	1.50 करोड	01 करोड	50 लाख	1.50 करोड	01 करोड	50 लाख	02 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)							
(ब)							
(स)							
(द)	1.5 लाख	0.75 लाख	15 लाख	15 लाख	1.70 लाख	1 लाख	0.34 लाख

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान; (ब) जमीन के बदले नकद; (स) वार्षिकी; (द) एकमुश्त अनुदान

5. समूह ए, बी, सी और डी में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 10% आरक्षण और आयु सीमा में सैन्य सेवा 3+ वर्ष तक छूट है।
6. संपत्ति कर में 50% की छूट।
7. सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक लाभ जो कर्नाटक के मूल निवासी हैं। बीई, एमबीबीएस, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं।
8. शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय स्थलों के आवंटन में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 10% आरक्षण।
9. आश्रय गृहों के आवंटन में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बिना आय सीमा के 1% आरक्षण।
10. वेतन निर्धारण/संरक्षण के लाभ, सैन्य सेवा की गिनती, जहां सेवानिवृत्तसैनिक कर्नाटक सिविल सेवा नियमों और केंद्र सरकार के नियमों के प्रावधानों के अधीन राज्य सिविल सेवा में कार्यरत हैं।
11. बेलगावी, अथानी, कारवार, विजयपुरा और मैसूरु में सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क सैन्य (लड़कों के लिए) छात्रावास।
12. धारवाड़ में निशुल्क सैन्य बालिका छात्रावास।
13. **राज्य सरकार के 10% आरक्षण की निगरानी** सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी नौकरी की अधिसूचना www.karnatak.gov.in पर अपलोड करें। मेन्यू बार पर 'Recruitment' नाम का आइकन दिया गया है।
14. कर्नाटक राजस्व अधिनियम 1969 की सरकार के अनुसार, रक्षा सेवा कर्मियों और पूर्व सैनिकों/आश्रितों को सरकारी बंजर भूमि देने के लिए आवेदन इस विभाग को सिफारिश के लिए प्राप्त होते हैं और बाद में जिला कलेक्टर (राजस्व विभाग) कार्यालय में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। आवंटन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, भूमि के आवंटन के लिए वार्षिक आय सीमा रु. 8,00,000/- है।

15. **सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को लाभ**

(अ) वित्तीय सहायता

- (i) WW-II में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों /विधवाओं के लिए मानदेय @ 6,000/- रुपये प्रति माह, जो किसी अन्य पेंशन/मानदेय की प्राप्ति में नहीं हैं।
- (ii) गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों और निर्धन विधवाओं को 4,000/- रुपये का वार्षिक राहत अनुदान।
- (iii) मृतक सेवानिवृत्त सैनिकों के निकटतम संबंधी को 4,000/- रुपये का मृत्यु राहत अनुदान।
- (iv) एक बेटी को 5,000/- रुपये विवाह अनुदान।
- (v) चश्मे के लिए वित्तीय सहायता - 600/- रुपये, श्रवण यंत्र- 3,000/- रुपये, कृत्रिम डेंचर-1,000/- रुपये, कॉन्टैक्ट लेंस- 3,000/- रुपये, हार्निया बेल्ट- 1,500/- रुपये और स्पॉन्डिलाइटिस कॉलर- 1,500/- रुपये आदि, ईएसएम और एनओके के लिए वार्षिक आय 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होने पर -।
- (vi) वित्तीय संकट में फंसे सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देना।
- (vii) गैर-पेंशनभोगियों को गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता (10,000/- रुपये तक सीमित)।
- (viii) किरकी में पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर के सैनिकों के लिए 1,00,000/- रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता।
- (ix) 1978 से पहले युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को 3,000/- रुपये का मासिक मानदेय।

(ब) छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान

- (i) कर्नाटक मूल के सैनिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से लेकर डिग्री तक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	क्लास	सेवानिवृत्त सैनिक	युद्ध में घायल हुए	युद्ध में हताहत हुए
(अ)	पहली से चौथी कक्षा	304.00	434.00	664.00
(ब)	5वीं से 7वीं कक्षा	342.00	472.00	702.00
(स)	8वीं से 9वीं कक्षा	470.00	710.00	900.00

(द)	10 वीं कक्षा	602.00	742.00	1,032
(य)	प्री यूनिवर्सिटी 1ST (विज्ञान)	1,400.00	1,600.00	1,900.00
(र)	प्री यूनिवर्सिटी 2ND (विज्ञान)	1,180.00	1,380.00	1,680.00
(ल)	प्री यूनिवर्सिटी 1 st (आर्ट्स/कॉमर्स)	1,280.00	1,480.00	1,780.00
(व)	प्री यूनिवर्सिटी 2 nd (आर्ट्स/कॉमर्स)	1,060.00	1,260.00	1,560.00
(श)	बीएससी प्रथम	1,580.00	1,780.00	2,080.00
(ष)	बीएससी द्वितीय	1,380.00	1,580.00	1,880.00
(स)	बीएससी तृतीय	1,420.00	1,620.00	1,920.00
(ह)	बीए / बीकॉम / बीबीएम प्रथम	1,390.00	1,590.00	1,890.00
(क्ष)	बीए/बीकॉम/बीबीएम द्वितीय	1,190.00	1,390.00	1,690.00
(त्र)	बीए/बीकॉम/बीबीएम तृतीय	1,220.00	1,420.00	1,720.00
(ज्ञ)	पोल्टेच प्रथम	1,022.00	1,222.00	1,522.00
(अअ)	पोल्टेच द्वितीय	1,032.00	1,232.00	1,523.00
(अब)	पोल्टेच तृतीय	1,052.00	1,252.00	1,552.00
(अस)	बीई - प्रथम	9,300.00	9,500.00	9,860.00
(अद)	बीई - दूसरी से चौथी	5,300.00	5,500.00	5,860.00
(अय)	एमबीबीएस / बीडीएस / बीएएमएस / बीएचएमएस प्रथम	9,700.00	9,950.00	10,410.00
(अर)	एमबीबीएस / बीडीएस / बीएएमएस / बीएच एमएस द्वितीय	5,700.00	5,950.00	6,410.00
(अल)	एमबीबीएस / बीडीएस / बीएएमएस / बीएच एमएस तृतीय	5,800.00	6,050.00	6,510.00
(अव)	कृषि/बीवीएससी प्रथम से चौथी	2,100.00	2,300.00	2,660.00
(अश)	सीईआरटी कोर्स/ डीआईपी/ सीपीईडी	1,080.00	1,250.00	1,540.00
(अष)	डी 'फार्मा	1,022.00	1,222.00	1,522.00
(अस)	बी 'फार्मा	1,540.00	1,740.00	2,040.00
(अह)	बीएससी नर्सिंग प्रथम	2,200.00	2,400.00	2,700.00
(अक्ष)	बीएससी नर्सिंग द्वितीय और तृतीय	2,000.00	2,200.00	2,500.00
(अत्र)	बीएससी मेड टेक प्रथम	1,800.00	2,000.00	2,300.00
(अज्ञ)	बीएससी मेड टेक द्वितीय और तृतीय	1,600.00	1,800.00	2,100.00
(अअअ)	बीएचएम प्रथम	1,490.00	1,690.00	1,990.00
(अअब)	बीएचएम द्वितीय और तृतीय	1,290.00	1,490.00	1,790.00
(अअस)	बीएफए प्रथम	1,640.00	1,840.00	2,140.00
(अअद)	बीएफए द्वितीय और तृतीय	1,440.00	1,640.00	1,940.00

(ii) कर्नाटक के गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों और कर्नाटक में रहने वाले अन्य राज्यों के पेंशनभोगी के बच्चों को पुस्तक अनुदान विवरण इस प्रकार है:-

क्रम	वर्ग	राशि
(अअ)	पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक	125 रुपये प्रति वर्ष
(अब)	8वीं से 10वीं तक	150 रुपये प्रति वर्ष
(अस)	प्री यूनिवर्सिटी	200 रुपये प्रति वर्ष
(अद)	स्नातक/डिप्लोमा रुपये	600 रुपये प्रति वर्ष
(अय)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2,500 रुपये प्रति वर्ष

(iii) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC), देहरादून में पढ़ने वाले कर्नाटक के छात्रों के लिए प्रति वर्ष 22,500/- रुपये की छात्रवृत्ति।

(iv) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) में पाठ्यक्रम लेने वाले कर्नाटक कैडेटों को 22,500/- रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति।

16. युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/युद्ध में घायल हुए लोगों को मिलने वाले लाभ

(अ) युद्ध/युद्ध जैसे ऑपरेशन के दौरान 50% से अधिक विकलांगता के साथ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों या युद्ध में घायल हुए लोगों को दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं: -

(i) कार्रवाई में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों को रु. 5,00,000/- का अनुग्रह अनुदान और 50% से अधिक विकलांगता वाले युद्ध हताहतों को रु. 1,00,000/-। युद्ध विधवाओं को 16 फरवरी से मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है।

(ब) 2 एकड़ सिंचित या 4 एकड़ वर्षा सिंचित या 8 एकड़ शुष्क भूमि दी जाती है। यदि आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, तो रु. 10,00,000/- का नकद अनुदान स्वीकार्य है।

(स) अधिकारियों/जेसीओ के लिए आवास निर्माण के लिए नकद अनुदान 6 लाख रुपये और अन्य रैंक के अधिकारियों के लिए 4.5 लाख रुपये।

(द) अधिकारियों और जेसीओ के लिए 40 x 60 फीट और अन्य रैंकों के लिए 30 x 40 फीट की मुफ्त साइट। युद्ध विधवाओं/आश्रितों को स्थल के बदले नकद अनुदान निम्नानुसार है:-

रैंक	बेंगलुरु	अन्य जिले
अधिकारी/जेसीओ आश्रित	रु.25,00,000/-	रु. 20,00,000/-
एनसीओ/अन्य रैंक	रु. 20,00,000/-	रु. 15,00,000/-

(य) युद्ध में शहीद हुए आश्रितों के लिए रोजगार में आरक्षण भूतपूर्व सेवानिवृत्त सैनिक कोटा 10% है।

- (र) युद्ध विधवाओं/युद्ध में घायल सैनिकों की प्रत्येक बेटी के लिए 1,00,000/- रुपये का विवाह अनुदान।
- (ल) 15 साल में एक बार 3,00,000/- रुपये का घर मरम्मत अनुदान।
- (व) हाउस टैक्स प्रतिपूर्ति।
- (श) आश्रितों को कर्नाटक के भीतर यात्रा करने के लिए के एस आर टी सी से मुफ्त बस पास।
- (ष) युद्ध विधवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र माना जाता है (सरकारी आदेश प्रतीक्षित)।

17. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	82,000-1,17,700
संयुक्त निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	67,550-1,04,600
उप निदेशक	52,650-97,100

18. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड बैठक 06 जनवरी 2010 को और राज्यपाल रक्षा कोष की बैठक 19 जनवरी 2019 को हुई थी।
19. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता-पता	टेलीफ़ोन नंबर
(अ)	बेंगलुरु (शहरी)	संयुक्त निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा भवन, नंबर 58, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा रोड, बेंगलुरु (शहरी जिला) पिन - 560025	080-25585119 sainikblr@rediffmail.com
(ब)	बैंगलोर (ग्रामीण) + चिक्का बल्लापुर, कोलार, रामनगर तुमकुर	उप निदेशक, सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा भवन, नंबर 58, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा रोड, बंगलौर (ग्रामीण) पिन -560025	080-25588718 sainikrural@rediffmail.com

(स)	कलबुर्गी, रायचूर, बीदर, यादगौर	उप निदेशक, सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग, विकास भवन परिसर, (मिनी विधान सौधा) स्टेशन रोड, कलबुर्गी,पिन - 585102	08472-225003 sainikwelfareglb@yahoo.com
(द)	विजयपुरा	उप निदेशक, सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग, जिला कार्यालय भवन विजयपुरा, पिन - 586101	08352-250913 sainikwelfare_bijapur@yahoo.co.in
(य)	बागलकोट और कोप-पाल	उप निदेशक, सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग, जिला प्रशासन भवन, भूतल (डाकघर के पास) बागलकोट पिन-587101	08354-235434 bagalkot.dswr4@gmail.com
(र)	बेलगावी	संयुक्त निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, कोर्ट कंपाउंड, बेलगावी 590001 -	0831-2469341 sainikwelfarebelgaum@yahoo.in
(ल)	धारवाड़ हावरी बेल्लारी गडग	उप सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, डीसी कार्यालय परिसर, धारवाड़-580001	0836-2440176 sainikwelfarewd@yahoo.com
(व)	उत्तर कन्नड़ ज़िला	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, एम जी रोड, कारवार, उत्तरकान- नाडा, जिला- 581301	08382-226538 sainik.kwr@gmail.com
(श)	दक्षिण कन्नड़ और उडुपी	संयुक्त निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, सैनिक रेस्ट हाउस बिल्डिंग, उर्वा स्टोर अशोक नगर पोस्ट मैंगलोर - 575006	0824-2450933 dydirdswrmlre@yahoo.com
(ष)	कोडागू	संयुक्त निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, केनरा बैंक बिल्डिंग, मेन रोड, मदिकेरी पिन-571201	08272-229866 jtdirectordswrmdk@yahoo.com
(स)	शिवमोगा चित्रा दुर्गा दावणगेरे	उप निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, के बलराज उर्स रोड, डीसी के निवास के पास, शिवमोगा - 577201	08182-220925 soldiersshimoga@rediffmail.com

(ह)	हसन और चिकमंगलूर	उप निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, 'श्रीवासवी निलय' शंकरपुर, 1 st क्रॉस, बीएमरोड, हसन-573201	08172-250465 sainikwelfarehassan@in.com
(क्ष)	मैसूर मांड्या चामराजा नगर	उप निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, 'श्रीवासवी निलय' शंकरपुर, इस्टक्रॉस, बीएम रोड, हसन- 573201	0821-2425240 sainikwelfaremysore05@gmail. com

20. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रम सं.	स्थान का पता	निवास स्थान उपलब्ध (कक्ष)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक विश्राम गृह फील्ड मार्शल केएम करियप्पा भवन, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा रोड, बैंगलोर - 560 025 निकटतम रेलवे स्टेशन - बैंगलोर शहर दूरी -8 किमी निकटतम हवाई अड्डा - बैंगलोर दूरी - 35 किमी	4 कक्ष (02 बेड)	12 कमरे (03 बिस्तर)	24 बिस्तर	080-25598544 srhmanagerd-swrblr@ gmail.com
(ब)	सैनिक विश्राम गृह रेलवे स्टेशन बेलागवी के सामने - 590 002 निकटतम रेलवे स्टेशन - बेलगाम दूरी -100 मीटर निकटतम हवाई अड्डा - बेलगाम दूरी - 14 किमी	3	4	6 शयनगृह में 16 बिस्तर	0831-2469341 sainikwelfare_belgaum @yahoo.in

(स)	सैनिक विश्राम गृह मिलिट्री बॉयज हॉस्टल अथानी के पास - 591304 निकटतम रेलवे स्टेशन - अथानी (बस स्टैंड) दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा - बेलगाम दूरी - 160 किमी	-	2	-	0831-2469341 sainikwelfare_belgaum @yahoo.in
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस उदय छात्रावास सर्किल सप्तपुर रोड धारवाड़ - 580001 निकटतम रेलवे स्टेशन - धारवाड़ दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - धारवाड़ दूरी- 12 किमी	4	5	1	0836-2440176 0836-2748749 sainikwelfarewd@ gmail.com
(य)	सैनिक विश्राम गृह तहसीलदार कार्यालय के सामने बीजापुर -586 101 निकटतम रेलवे स्टेशन - बीजापुर दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा - बेलगाम दूरी किमी- 225	1	1	3 बिस्तर	08352-250913 Sainikwelfare_bijapur @yahoo.co.in
(र)	सैनिक रेस्ट हाउस, एमजी रोड, करवार- 581301 निकटतम रेलवे स्टेशन- करवार दूरी -8 किमी निकटतम हवाई अड्डा- मंगलौर दूरी - 100 किमी	2	2	4 बिस्तर	08382-226538 Sainik.kwr@gmail.com

(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस सीनियर कॉलेज रोड मडिकेरी - 571 201 निकटतम रेलवे स्टेशन - मडिकेरी दूरी - किमी निकटतम हवाई अड्डा - बैंगलोर दूरी - 180 किमी	3	7	13 बिस्तर	08272-229866 jtdirectordswrmdk@yahoo.com
(व)	सैनिक विश्राम गृह उप निदेशक का कार्यालय, सैनिक कल्याण विभाग मैसूर - 570 005 निकटतम रेलवे स्टेशन - मैसूर दूरी - 2.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा-मैसूर दूरी - 10 किमी	1	10	25 बिस्तर	0821-2425240 Sainikwelfaremysore05@gmail.com
(श)	सैनिक विश्राम गृह जिला कलेक्टर निवास के पास, बलराज अरास रोड, शिवमोगगा- 577201 निकटतम रेलवे स्टेशन - शिवमोगगा दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी - - किमी	1	2 x 2 (4 बिस्तर)	4 बिस्तर	08182-220925 soldiers_shimoga@rediffmail.com
(ष)	सैनिक विश्राम गृह उर्वा स्टोर्स, अशोक नगर पोस्ट मैंगलोर- 575006 निकटतम रेलवे स्टेशन - मैंगलोर दूरी - 6 किमी निकटतम हवाई अड्डा - मैंगलोर, दूरी - 20 किमी	1	1	6 बिस्तर	0824- 2450933 dydirdswrmllore@gmail.com

केरलपरिचय

1. केरल राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 2,47,951 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : केरल		
कार्यालय/ जनपद	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष संख्या
सैनिक कल्याण विभाग	कैप्टन विनोद मैथ्यू (सेवानिवृत्त) कार्यवाहक निदेशक सैनिक कल्याण विभाग विकास भवन, तिरुवनंतपुरम - 695033	0471-2304980 (F) dswkerala@yahoo.com

2. जिला सैनिक बोर्ड केरल राज्य में 14 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. सैनिक विश्राम गृह मामूली शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को विश्राम गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए केरल में 07 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	50 लाख	40 लाख	24 लाख	50 लाख	36 लाख	20 लाख	40 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	32 लाख	04 लाख	04 लाख(G) 25,000 (D)	02 लाख	01 लाख	0.50 लाख	0.25 लाख

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान; (ब) जमीन के बदले नकद; (स) वार्षिकी; (द) एकमुश्त अनुदान (जी) वीरता सेवा (डी) विशिष्ट सेवा

5. सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को 6,000/- रुपये से लेकर रु. 10,000/- एस एम बी एफ से वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से कम हो।
6. पात्र उम्मीदवारों को 50,000/- रुपये तक की तत्काल वित्तीय सहायता।
7. सेवानिवृत्त सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार (विधवा/आश्रितों) को 10,000/- रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
8. गरीब सेवानिवृत्त सैनिकों को उनकी दो बेटियों की शादी के लिए 25,000/- रुपये की राशि दी जाती है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 5,00,000/- रुपये से कम हो।
9. नेत्रहीन सेवानिवृत्त सैनिकों/अंध विधवाओं/सेवानिवृत्त सैनिकों की अंधी पत्नियों (दोनों आंखों से पूरी तरह से नेत्रहीन हैं) को 1,000/- रुपये की राशि प्रति माह (गैर-पेंशनभोगियों के लिए रु. 3,000/-) दी जाती है, जो आय सीमा निर्धारित किए बिना और SMBF के अधीन नियम।
10. सेवानिवृत्त सैनिकों के मानसिक रूप से विकसित बच्चों को 3000 रूपये रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। वार्षिक आय सीमा 5,00,000/- रुपये है। आईक्यू 40 से नीचे होना चाहिए।
11. 2,000/- रुपये प्रति माहकी राशि राज्य में टीबी / कुष्ठ रोग अस्पताल के प्रत्येक सेवानिवृत्त सैनिक को उनकी आय के बावजूद दिया जाता है। उन्हें मच्छरदानी भी मुफ्त दी जाती है।
12. राज्य के टीबी / कुष्ठ चिकित्सालय के सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को ओणम त्योहार मनाने के लिए विशेष अनुदान के रूप में 2,000/- रुपये की राशि दी जाती है।
13. जिनका टीबी/कुष्ठ रोग के कारण बाह्य रोगी के रूप में उपचार चल रहा है । 1,500/-रुपये की सहायता प्रति माह प्रत्येक सेवानिवृत्त सैनिक को दी जाती है (रेड क्रॉस सोसाइटी से भुगतान की समाप्ति के बाद अधिकतम तीन वर्ष के लिए) ।
14. सेवानिवृत्त सैनिकों के शारीरिक रूप से अक्षम पुत्र/पुत्री को 3,000/- रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाती है। विकलांगता 40% से ऊपर और वार्षिक आय सीमा 5,00,000/- रुपये तक होनी चाहिए। ।

15. सेवानिवृत्त सैनिक, जो व्यापार से दर्जी हैं, और विधवा जो सिलाई करना जानती हैं, को स्वरोजगार के लिए एक-एक सिलाई मशीन निः शुल्क प्रदान की जाती है। वार्षिक आय सीमा 1,50,000/- रुपये है।
16. प्रत्येक सेवानिवृत्त सैनिक/विधवा/पूर्व सैनिक कैंसर रोगियों की पत्नियों को एक वर्ष की अवधि के लिए 1,500/- रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। 3,000/- रुपये (गैर-पेंशनरों के लिए - 2 वर्ष) आय सीमा निर्धारित किए बिना।
17. सभी विषयों में ए+/ए1 ग्रेडिंग प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को नकद पुरस्कार दिया जाता है: -
- (अ) 10 वीं स्तर की राशि रुपये 3,000/- (एस एस एल सी/ सी बी एस ई/आई सी एस ई) ।
- (ब) 12 वीं स्तर / + 2 स्तर रुपये 5,000/- (राज्य / सी बी एस ई / आई सी एस ई) ।
18. सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को आवासीय झोपड़ियों की मरम्मत के लिए 40,000/-रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। वार्षिक आय सीमा 4,00,000/-रुपये है।
19. प्रत्येक जिले से 25 सेवानिवृत्त सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो पुनर्वास की दिशा में एक उपाय के रूप में स्वरोजगार उद्यम शुरू करना चाहते हैं। अधिकतम रु. 10,000/- प्रत्येक संस्थान को पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा जहां बेरोजगार सेवानिवृत्त सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
20. प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों को कोचिंग हेतु रु. 10,000/-।
21. राज्य के सेवानिवृत्त सैनिकों में कम्प्यूटर जागरूकता पैदा करने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
22. पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, पुणे के उन लोगों को 1,000/- रुपये प्रति माह की मासिक वित्तीय सहायता, जो केरल राज्य से संबंधित हैं।
23. एस ई टी, नेट, जे आर एफ, आई सी डब्ल्यू ए, सी ए, सिविल सेवा परीक्षा आदि के लिए कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों की सहायता के लिए रु. 20,000/- का भुगतान किया जाएगा। वार्षिक आय सीमा 4,00,000/-रुपये है।
24. SMBF बेरोजगार सेवानिवृत्त सैनिकों, विधवाओं और बेरोजगार सेवानिवृत्त सैनिकों की पत्नियों को एक कढ़ाई मशीन प्रदान करेगा, वार्षिक आय 1,50,000/-रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
25. 30,000/- रुपये तक की डायलिसिस कराने वाले सेवानिवृत्त सैनिक रोगियों को प्रत्येक डायलिसिस के लिए अधिकतम रु. 1,000/- प्रदान किया जाता है।
26. सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं को अंग प्रत्यारोपण (हृदय, किडनी, लीवर, कूल्हे और घुटने आदि) के लिए 3,000/- रुपये प्रति माह बिना किसी अन्य शर्त के एक वर्ष के लिए देखभाल अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

27. सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाएं जो गैर-पेंशनभोगी हैं और अपक्षयी या असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जिनकी वार्षिक आय 75,000/- रुपये से कम है को 10,000/- रुपये चिकित्सा राहत अनुदान के रूप में दिया जाता है।
28. सेवानिवृत्त सैनिकों की बेरोजगार पत्नियों/विधवाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000/- से 25,000/- रुपये तक की एक बार वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। लाभार्थियों की आयु 50 वर्ष से कम और वार्षिक आय 1,50,000/- रुपये से कम होनी चाहिए।
29. स्वरोजगार परियोजना के लिए कम से कम 5 या अधिक बेरोजगार सेवानिवृत्त सैनिकों / पत्नियों / सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं की टीम वाली इकाई को 3 सिलाई मशीन और 2 कढ़ाई मशीन एक बार दी जाती है।
30. विभिन्न व्यावसायिक/व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे समामेलित निधि से कुछ शर्तों के अधीन 3,000/- रुपये से लेकर 10,000/- रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।
31. चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर सेवानिवृत्त सैनिकों /आश्रितों/विधवाओं/पत्नियों जो एडस रोग से पीड़ित हैं, को प्रति माह 1,500/- रुपये का चिकित्सा अनुदान।
32. सेवानिवृत्त सैनिकों के अनाथ बच्चों को 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से कुछ शर्तों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है।
33. सैनिक स्कूल, कझाकुट्टम, तिरुवनंतपुरम, केरल में दसवीं कक्षा में पढ़ रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को बिना किसी अन्य शर्त के 10,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है।
34. जो छात्र मेडिकल/इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे 9,000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।
35. वृद्ध सेवानिवृत्त सैनिकों को उनके चिकित्सा उपचार के लिए दवाओं की खरीद के लिए कुछ शर्तों (एकमुश्त अनुदान) के अधीन 1,000/- रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
36. 2,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान उन मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों को किया जाएगा जहां गरीब और वृद्ध सेवानिवृत्त सैनिक/विधवा भर्ती हैं।
37. सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों को स्वरोजगार खोजने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पुनर्वास पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
38. राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वरोजगार के लिए रु0 3,00,000/- तक के ऋण पर ब्याज अनुदान।
39. सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों के स्वयं सहायता समूह इकाइयों को 25,000/- रुपये का अनुदान।

40. केन्द्र/राज्य सरकार/सैनिक कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं स्वरोजगार के अवसरों एवं उपक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु जिला स्तर पर जागरूकता अभियान जिला स्तरीय जागरूकता शिविर आयोजित किये जाते हैं।
41. विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक जिन्हे शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया हो तथा शहीद जवानों की विधवाओं एवं आश्रितों को गृह निर्माण अनुदान, रु.2,00,000/- । वार्षिक आय सीमा रु.3,00,000/- है।
42. कार्रवाई/आतंकवादी कार्रवाई में मारे गए सैन्य/अर्द्धसैनिक कर्मियों के आश्रितों को 5,00,000/- रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है और सैन्य/पैरा मिलिट्री के विकलांग/कार्रवाई में घायल/घायल कर्मियों को अनुदान दिया जाता है जो 25,000/- से 50,000 / रु. विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार है। 29 जून 1999 से पहले केरल में सेवारत अन्य राज्यों से संबंधित कार्मिक भी इस अनुदान के लिए पात्र हैं।
43. कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए सैन्य/अर्द्धसैनिक/जीआरईएफ कर्मियों को मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण कोष से अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि मृतक की पत्नी और माता-पिता के बीच 3:1 के अनुपात में बांटी जाएगी।
44. टीए अलंकरण/टीए मेडल प्राप्त करने वाले प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को रु. 5,000/- नकद पुरस्कार ।
45. पोस्ट-मैट्रिक कक्षा से स्नातकोत्तर और अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों में मेधावी छात्र रु. 2,000/- से 3,500/ रुपये अलग-अलग छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। वार्षिक आय सीमा 2,00,000/- रुपये है।
46. छात्रवृत्ति के रूप में 2 लाख उन कैडेटों को भुगतान किया जा रहा है जो केरल के निवासी हैं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज. ओटीए, ए एफ टी एम सी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 1 लाख सैन्य नर्सिंग सेवा के छात्रों को दिए जा रहे हैं।
47. द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की विधवाओं को 6,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक आय सीमा 50,000/-रुपये है।
48. सैनिक कल्याण विभाग में रिक्तियां, एनसीसी में सिविलियन पद और विभिन्न विभागों में 'सार्जेंट' पद सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।
49. सिविल पुलिस अधिकारी (चालक) को 10% आरक्षण, होमगार्ड एवं वन रक्षक ग्रेड-II की नियुक्ति में वरीयता तथा जय जवान स्टॉल के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है।
50. पशुधन निरीक्षक ग्रेड-II की 10% रिक्तियां सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों /सेवारत सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित हैं।
51. प्री-यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके बच्चों, विधवाओं, सेवारत सैनिकों के बच्चों को वेटेज मार्क दिया जाता है। बी.एससी (कृषि/बागवानी) बीवीएससी और पशुपालन पाठ्यक्रम केरल विश्वविद्यालय के पत्र संख्या एसडी (1)/161121/76 दिनांक 02 मई 1977 के अनुसार। बीवीएससी के लिए प्रत्येक एक सीट।

52. सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित सभी जिला और तालुक अस्पतालों के सामान्य वार्ड में एक-एक बिस्तर।

53. सेवानिवृत्त सैनिकों को समनुदेशन के दौरान 10% अधिशेष भूमि और 9% कृषि योग्य वन भूमि का आरक्षण।

54. **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण**

क्रम सं	पाठ्यक्रम	आरक्षण		
		सेवानिवृत्त सैनिक	कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मी	सेवारत रक्षा कार्मिक
(अ)	एमबीबीएस	06	05	02
(ब)	बीडीएस	01	01	01
(स)	अभियांत्रिकी (सरकार/सरकार नियंत्रित स्वयं वित्त पोषण)	09	07	17
(द)	बी.एच.एम. एस	01	-	01
(य)	बीएएमएस	01	-	01
(र)	बीएससी (ऑनर्स) एग्री	-	01	01
(ल)	बीटेक (एग्री इंजीनियरिंग)	-	-	01
(व)	बीवीएससी और एएच	-	01	01
(श)	बीएफएससी	-	01	-
(ष)	इंजीनियरिंग (प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज)	30	30	30
संपूर्ण		48	46	55

55. सेवानिवृत्त सैनिकों के वार्डों और विधवाओं को आईटीआई पाठ्यक्रमों में 15% सीटों का आरक्षण।

56. सेवानिवृत्त सैनिकों/ सेवानिवृत्त सैनिकों की पत्नियों/विधवाओं को उनके स्वामित्व वाले और निवास करने वाले 2,000 वर्ग फीट तक के प्लिंथ क्षेत्र के एक घर के लिए हाउस टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है। छूट को सालाना नवीनीकृत किया जाना है।

57. सेवारत सैनिक / कार्रवाई में मारा गये सैनिक के राजकीय सेवा में कार्यरत एक निकट संबंधी के स्थानान्तरण हेतु वरीयता ।

58. ऑपरेशनल/फील्ड क्षेत्र में युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मारे गए या स्थायी रूप से विकलांग या लापता होने वाले सैनिकों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में रोजगार सहायता दी जाती है।

59. सेवानिवृत्त सैनिकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई । जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

60. युद्ध में मृत/ मृत्यु होने वाले सेवारत सैनिकों एवं सेवारत कार्मिकों के आश्रितों को बिजली कनेक्शन देने में विशेष (बिना बारी के) प्राथमिकता।

61. सिविल ट्रेडों के साथ सेवा ट्रेडों का समीकरण: राज्य सरकार द्वारा सिविल ट्रेडों के साथ सेवा ट्रेडों के केंद्र सरकार के समीकरण की स्वीकृति, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री और डिप्लोमा की योग्यता-राज्य सरकार में स्वचालित मान्यता।

62. सभी जिलों में ई सी एच एस पॉली क्लीनिक।

63. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	40,640-57,440
उप निदेशक/जेड एस डब्ल्यू ओ	22,360-37,940
सहायक निदेशक/जेड एस डब्ल्यू ओ	18,740-33,680

64. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड बैठक 07 अक्टूबर 2021 को और एसएमसी बैठक 30 अप्रैल 2019 को हुई थी।

65. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार हैं।

क्रम सं	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नंबर
(अ)	अलपुझा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अरातुवाझी रोड, अलाप्पुझा - 688007	0477-2245673(O) zswoalp@gmail.com
(ब)	एर्नाकुलम	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सिविल स्टेशन, कक्कनाड, एर्नाकुलम - 682030	0484-2422239(O) zswokm@yahoo.com
(स)	इडुक्की	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय थेरुवन टावर्स थोडुपुझा, इडुक्की-685584	0486-2222904(O) zswoidukki@yahoo.com
(द)	कन्नूर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सिविल स्टेशन, कन्नूर-670002	0497-2700069(O) zswokannur@gmail.com
(य)	कासरगोड	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल स्टेशन पीओ, विद्यानगर, कासरगोड -671123	0499-4256860(O) zswoksgd2@gmail.com
(र)	कोल्लम	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल स्टेशन, कोल्लम-691013	0474-2792987(O) zswokollam@yahoo.co.in
(ल)	कोट्टायम	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मनारकाड (पीओ), कोट्टायम -686109	0481-2371187(O) zswoktym@gmail.com

(व)	कोझिकोड	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बालन के नायर रोड, कोझिकोड -673001	0495-2771881(O) kkdzswo@bsnl.in
(श)	मलप्पुरम	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल स्टेशन, मलप्पुरम- 676505	0483-2734932(O) zswompm@gmail.com
(ष)	पलक्कड़	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जैनी मेदू वडक्कनथारा पोस्ट पलक्कड़- 678013	0491-2971633(O) zswopalakkad@gmail.com
(स)	पथानामथिट्टा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सह-निर्वाचक मंडल, पठानमथिट्टा - 689645	0468-2222104(O) zswopta@gmail.com
(ह)	तिरुवनंतपुरम	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, वंचियूर तिरुवनंतपुरम, पिन -695035	0471-2472748(O) zswotvpm@gmail.com
(क्ष)	त्रिशूर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक केंद्र, पूथोले त्रिशूर -680004	0487-2384037(O) zswotrissur@gmail.com
(त्र)	वायनाड	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कलपेट्टा उत्तर पोस्ट- वायनाड -673001	04936-202668(O) zswowyd@gmail.com

66. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रम. सं.	स्थान का पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, अरत तुवाज़ी रोड अलाप्पुझा - 688007 निकटतम रेलवे स्टेशन - अलाप्पुझा दूरी - 7 किमी निकटतम हवाई अड्डा - कोच्चि, नेदुम्बस्सेरी दूरी - 100 किमी		07		02245673
(ब)	सैनिक विश्राम गृह काक-कनडू, समाहरणालय, पोस्ट, अर्नाकूलम - 682030 निकटतम रेलवे स्टेशन- अर्नाकूलम दूरी -16 किमी निकटतम हवाई अड्डा -कोच्चि, नेदुंबसेरी, दूरी -35 किमी	14 (2 एसी कमरा और 10 बिस्तर शयनगृह)			944613091(M) 0484-2422239

(स)	सैनिक रेस्ट हाउस थलप्पा डाई, मनारकाँड पुथुपल्ली रोड, मनारकाँड, पोस्ट - कोट्टायम - 686019 निकटतम रेलवे स्टेशन - कोट्टायम दूरी -7 किमी निकटतम हवाई अड्डा - कोच्चि, नेदुम्बस्सेरी दूरी -90 किमी	10 (2 एसी कमरा और 12 बिस्तर शयनगृह)	0481-2371187
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस बालन के नायर रोड कोझीकोड-673001, मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज के पास) निकटतम रेलवे स्टेशन- कोझीकोड दूरी-3 किमी निकटतम हवाई अड्डा -करीपुर दूरी- 25 किमी	16 (1 एसी कमरा)	0495-2771881
(य)	सैनिक विश्राम गृह केंद्रीय विद्यालय सिविल स्टेशन के पीछे, मलप्पुरम - 676505 निकटतम रेलवे स्टेशन - मलप्पुरम दूरी -35 किमी निकटतम हवाई अड्डा -करीपुर दूरी - 40 किमी	11 (2 एसी कमरा 12 बिस्तर शयनगृह)	0483-2734932
(र)	सैनिक रेस्ट हाउस पूथोल, त्रिशूर 680004 - निकटतम रेलवे स्टेशन - त्रिशूर दूरी 1- किमी निकटतम हवाई अड्डा -कोच्चि, नेदुम्बस्सेरी दूरी 45- किमी	6 (3 एसी कमरा और 04 बिस्तर शयनगृह)	0487-2384037
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस वंचियूर, थंथापुरम - 695035 निकटतम रेलवे स्टेशन - थंथापुरम दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा -थंथापुरम दूरी -7 किमी	12 (3 एसी कमरा और 09 बिस्तर शयनगृह)	0471-2471853

मध्य प्रदेश**परिचय**

1. मध्य प्रदेश राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 66,456 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : मध्य प्रदेश		
कार्यालय/ जनपद	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष संख्या
सैनिक कल्याण विभाग	रिक्त निदेशक सैनिक कल्याण विभाग दक्षिणी शॉपिंग सेंटर, गुरु तेग बहादुर परिसर, टीटी नगर, न्यू मार्केट, भोपाल -462003	0755-2553992 (O) 0755-2577209 (F) dirrsb@mp.gov.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** मध्य प्रदेश राज्य में 24 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर विश्राम की सुविधा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में 17 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	20 लाख	12 लाख	8 लाख	20 लाख	12 लाख	8 लाख	1.45 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	5,000 प्रति माह	4,000 प्रति माह	2,500 प्रति माह	4,000 प्रति माह	2,500 प्रति माह	1,500 प्रति माह	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वार्ड एस एम	वार्डएसएम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएस एम
(अ)	1.40 लाख	0.80 लाख	0.25 लाख (D) 0.50 लाख (G)	0.12 लाख	1 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान (जी) वीरता सेवा (डी) विशिष्ट सेवा

कल्याणकारी योजनाएँ

5. चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों में आरक्षण एमबीबीएस / बीडीएस / बीएएमएस / बीयूएमएस / बीएनवार्डएस / बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 3% सीटों का आरक्षण।
6. गृह विज्ञान महाविद्यालयों में आरक्षण उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए 3% सीटों का आरक्षण।
7. तकनीकी पाठ्यक्रमों में आरक्षण बीई/बीटेक, पॉलिटैक्निक और आईटीआई संस्थानों में सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 5% सीटों का आरक्षण।
8. कृषि पाठ्यक्रमों में आरक्षण कृषि महाविद्यालयों में 2% सीटों का आरक्षण।
9. गन लाइसेंस गन लाइसेंस 3 महीने के भीतर और फीस में रियायत।
10. अनुग्रह अनुदान युद्ध/कार्रवाई/आतंकवादी हमले/नक्सली हमले/आईएस ड्यूटी में मारे गए रक्षा/ सीएपीएफ कर्मियों के निकटतम संबंधियों को 10,00,000/- रुपये की अनुग्रह राशि।
11. द्वितीय विश्व युद्ध के गैर-पेंशनभोगी सैनिकों को वित्तीय सहायता द्वितीय विश्व युद्ध के गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह।
12. शिकायत निवारण तंत्र जिलों, गृह विभाग और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत निवारण तंत्र।
13. मानदेय अनुदान माता-पिता को रु. 10,000/- प्रति वर्ष वित्तीय सहायता, जिनकी बेटी को भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन किया गया है।
14. आवासीय प्रमाण पत्र जारी करना शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के वार्डों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र का कोई प्रतिबंध नहीं है।

15. **भूमि आवंटन नीति** 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) असिंचित कृषि भूमि या 2.5 एकड़ (1 हेक्टेयर) सिंचित भूमि के आवंटन में प्राथमिकता।
16. **आवास स्थलों/भूखंडों के आवंटन में आरक्षण** आवास बोर्डों द्वारा विकसित आवास स्थलों/भूखंडों के आवंटन में 2% आरक्षण।
17. **निशुल्क चिकित्सा सहायता** सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सहायता।
18. **किराया नियंत्रण अधिनियम** सेवानिवृत्त सैनिकों/आश्रितों के अनुकूल किराया नियंत्रण अधिनियम और भूमि किरायेदारी अधिनियम।
19. **संपत्ति कर में छूट** सेवानिवृत्त सैनिक आयकर का भुगतान नहीं कर रहा है तो 50 प्रतिशत छूट।
20. **विवाह उपहार अनुदान** युद्ध/कार्रवाई/आतंकी हमले/नक्सली हमले/आईएसड्यूटी में शहीद हुए रक्षा कर्मियों की बहन/बेटी की शादी पर विवाह उपहार अनुदान रु. 10,000/-।
21. **युद्ध विकलांग रक्षा/सीएपीएफ कर्मियों को वित्तीय सहायता** युद्ध विकलांग रक्षा/ सीएपीएफ कर्मियों को विकलांगता प्रतिशत के अनुसार 10,00,000/- रुपये वित्तीय सहायता।
22. **रक्षा बलों के शहीदों के माता-पिता को 5,000/- रुपये प्रतिमाह पेंशन** 26 मार्च 2017 से/ युद्ध/ कार्रवाई/ आतंकवादी हमले/नक्सल हमले/आईएस ड्यूटी के दौरान मारे गए रक्षा बलों के कार्मिकों के माता-पिता को 5,000/- रुपये प्रतिमाह।

रोजगार

23. **सरकारी नौकरियों में आरक्षण** ग्रुप 'सी' पदों में 10% और ग्रुप 'डी' पदों में 20% आरक्षण।
24. स्वरोजगार औद्योगिक प्लॉट/शेड एवं उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकता।
25. **एमपी पीएससी शुल्क के भुगतान से छूट** एस एस सी ओ/ई सी ओ सहित एम पी पी एस सी शुल्क के भुगतान से छूट।
26. **शारीरिक मानक में छूट** राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा में छूट।
27. **युद्ध हताहतों के निकटतम संबंधियों को अनुकंपा रोजगार** युद्ध/कार्रवाई/ आतंकवादी हमले/ नक्सली हमले/आईएस ड्यूटी में मारे गए रक्षा / सीएपीएफ कर्मियों के परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार श्रेणी- II, III और IV पद पर अनुकंपा रोजगार।

ए एस एफ से शिक्षा वजीफा अनुदान

क्रम सं.	सेवा वर्ग/शिक्षा का प्रकार/पाठ्यक्रम	पात्रता	सेवानिवृत्त सैनिक के बेटे के लिए दर	सेवानिवृत्त सैनिक की बेटी और विधवाओं के बच्चों के लिए दर
1.	कक्षा 6वीं-10वीं कक्षा	6 से 8 - 75% 9 से 10 - 70%	3,500	3,500
	कक्षा 11वीं-12वीं कक्षा	11 से 12 th - 65%	4,500	4,500
2.	स्नातक पाठ्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी टी आई, बी पी एड, बेसिक टीचर प्रशिक्षण	60%	7,500/-	7,500/-
3.	पोस्ट ग्रेजुएट सभी स्ट्रीम एम ए, एम कॉम, एम एस सी, म्यूजिक और एम पी ई आदि	60%	15,000/-	15,000/-
4.	बुनियादी शिक्षक	उत्तीर्ण	7,500/-	7,500/-
5.	बी एड	उत्तीर्ण	7,500/-	7,500/-
6.	आई टी आई	उत्तीर्ण	6,500/-	6,500/-
7.	व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम पॉली-टेक्निक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, फार्मसी /होटल प्रबंधन अध्ययन	उत्तीर्ण	8,000/-	8,000/-
8.	व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम एम बी बी एस, बी डी एस, बीबीएससी, बीई, बीटेक बी ए एम एस, बी एच एम, .फार्मा, बी एस सी कृषि, बी एस सी नर्सिंग, एल एल बी, होटल प्रबंधन आदि	उत्तीर्ण	15,000/-	15,000/-
9.	प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम एम बी ए, एल एल एम, एमफिल, एम.टेक, एम सी ए, एम एड, एम एस सी, कृषि, एम एस सी नर्सिंग आदि	उत्तीर्ण	20,000/-	20,000/-
10.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान)	उत्तीर्ण	13,000/-	13,000/-
11.	एस एस बी कोचिंग	-	10,000/-	10,000/-
12.	पॉकेट मनी टू एन डी ए कैडेट	-	1,000/-	-
13.	पीएचडी	उत्तीर्ण	बंद	बंद
14.	सैन्य/सैनिक स्कूल के छात्रावास में रहने वाले ईएसएम के बच्चों को वित्तीय सहायता	उत्तीर्ण	25,000/-	25,000/-

ए एस एफ से वित्तीय सहायता अनुदान

क्रम सं	वित्तीय शीर्ष	दर
1.	सेवानिवृत्त सैनिकों को बेटी की शादी का अनुदान	20,000/-
2.	विधवा/अनाथ पुत्री को पुत्री विवाह अनुदान	25,000/-
3.	विधवा को सेवानिवृत्त सैनिक की मृत्यु पर अनुग्रह अनुदान	12,000/-
4.	गैर-पेंशनभोगी की निःसंतान विधवा का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को अनुदान	12,000/-
5.	विधवा माता की मृत्यु पर आश्रित अवयस्क पुत्र/पुत्री को अनुग्रह अनुदान	12,000/-
6.	चिकित्सा अनुदान गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक / विधवाएं	10,000/-
7.	गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक जो गरीबी में जी रहे हैं, उनके संकट का निवारण	10,000/-
8.	सेवानिवृत्त सैनिक का एक अनाथ बच्चा सेवानिवृत्त / विधवाओं के दो या अधिक बच्चे	1,000/- प्रति माह 2,000/- प्रति माह
9.	कैंसर से पीड़ित विधवा/कुष्ठ रोग/100% अंधापन/ पक्षाघात और अपाहिज सेवानिवृत्त सैनिकों को वित्तीय सहायता	50,000/- गैर पेंशनभोगी 30,000/-पेंशनभोगी
10.	सेवानिवृत्त सैनिक /विधवा के शारीरिक विकलांग/ मानसिक रूप से मंद बच्चे के लिए वित्तीय सहायता	3,000/-pm (गैर पेंशनभोगी) 40-49%-Rs.1,500/- प्रति माह 50-74%-Rs.2,250/- प्रति माह 75-100%-Rs.3,000/- प्रति माह Rs.2,000/- प्रति माह (पेंशनभोगी) 40-49%-Rs.1,000/- प्रति माह 50-74%-Rs.1,500/- प्रति माह 75-100%-Rs.2,000/- प्रति माह
11.	कृत्रिम अंगों की मरम्मत और खरीद	वास्तविक राशि 20,000/-रुपये से अधिक नहीं
12.	सेवानिवृत्ति के बाद विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक को वित्तीय अनुदान	22,000/- प्रति वर्ष (100% अक्षम) 18,000/- प्रति वर्ष (50%-99%अक्षम)
13.	पैराप्लेजिक सेंट्रों किर्की और मोहाली को वार्षिक अनुदान	इन केंद्रों में भर्ती प्रति व्यक्ति 3.0 लाख रुपये।

क्रम सं	वित्तीय शीर्ष	दर
1.	सेवानिवृत्ति के बाद जन्मी बेटी के जन्म के लिए सेवानिवृत्ति सैनिक को एकमुश्त अनुदान (एफ डी के माध्यम से)	20,000/-
2.	सेवानिवृत्ति सैनिक और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता, जो टीबी/ कुष्ठ रोग सेनेटोरियम में हैं।	1,000/-pm
3.	राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले सेवानिवृत्ति सैनिकों / विधवा के बच्चों को एकमुश्त अनुदान	राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल -27,000/-, सिल्वर मेडल 18,000/-, कांस्य मेडल 14,000/- रुपये राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल 18,000/-, सिल्वर मेडल 13,000/-, कांस्य मेडल 9,000/-रुपये
4.	गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति सैनिक /विधवा को एफए जो सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया था और ई सी एच एस का सदस्य नहीं था	मोटियाबिंद ऑपरेशन रु. 5,000/- डेन्चर सेट रु. 4,000/- हियरिंग एड रु. 4,000/- चश्मा बनाना रु.1,000/-

28. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	सेना से लिया हुआ अंतिम वेतन (-) पेंशन
सहायक निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	सेना से लिया हुआ अंतिम वेतन (-) पेंशन + 15,000 रुपये
प्लेसमेंट अधिकारी, अन्य राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	सेना से लिया हुआ अंतिम वेतन (-) पेंशन + 15,000 रुपये

29. पिछली आरएसबी बैठक 22 मार्च 2018 को और एसएमसी बैठक 06 जनवरी 2022 को हुई थी ।

30. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्रम सं	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
(अ)	बैतूल	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, शाहनी सुपर मार्केट गैंग के पास, टेगोर वार्ड, बैतूल - 460001	07141-230790(ओ) dswobet@mp.gov.in
(ब)	भिंड	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कलेक्ट्रेट, बाईपास रोड, मेला मैदान के पास, भिंड पिन- 477001	07534-236379(ओ) dswobhi@mp.gov.in

(स)	भोपाल	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक रेस्ट हाउस, बाणगंगा, भोपाल पिन-462003	0755-2556198(O) 08308823195(M) dswopho@mp.gov.in
(द)	छतरपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मकान नंबर 527, वार्ड नंबर 35, गली नंबर 4, शांतिनगर कॉलोनी, सागर रोड छत्तापुर-471001	07682-245460(O) 9007698804(M) dswocha@mp.gov.in
(य)	छिंदवाड़ा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एकता पार्क के पास, नागपुर रोड छिंदवाड़ा-480001	07162-242119(O) 09981920255(M) dsowchi@mp.gov.in
(र)	कटनी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय दून कालेनी, जवाहर लाल नेहरू वार्ड, मकान नंबर 16-बी, बरगवां, कटनी, - 483501	07812-224108(O) 9797425577 dswodam@mp.gov.in
(ल)	ग्वालियर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रेसकोर्स रोड, सैनिक पेट्रोल पंप के पास, ग्वालियर-474002	0751-2340878(O) 8527682277(M) dswogwa@mp.gov.in
(व)	खंडवा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पूर्व जिला पंचायत भवन के पास, जेल रोड, सिविल लाइंस, खंडवा -450001	0733-2228311(O) 9425608605(M) dswokhd@mp.gov.in
(श)	इंदौर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जयरामपुर कॉलोनी, इंदौर-4502004	0731-2367319(O) 09109726500(M) dswind@mp.gov.in
(ष)	गुना	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जेल रोड, आकाशवाणी भवन के सामने, गुना -473001	07542-251010(O) 9969858863(M) dswogun@mp.gov.in
(स)	होशंगाबाद	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक रेस्ट हाउस, होम गार्ड कार्यालय के पीछे, होशंगाबाद-461001	07574-254465(O) 9957396842(M) dswohos@mp.gov.in
(ह)	जबलपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कटंगा कॉलोनी नर्मदा रोड, शहीद रमन बख्शी मार्ग, जबलपुर, पिन - 482001	0761-2667336(O) 09655884049(M) dswojab@mp.gov.in
(क्ष)	मन्दसौर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एच डी एक्स-33, स्ट्रीट नंबर 2, किटियानी, मंदसौर-458001	07422-299117(O) 9869429406(M) dswomas@mp.gov.in
(त्र)	मुरैना	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रेलवे ओवर ब्रिज चौराहा के पास, एम एस रोड, मुरैना- 476001	07532-226003(O) 9425704974(M) dswomor-mp@nic.in
(ज्ञ)	नरसिंहपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मकान नंबर 268, वार्ड नंबर 14, गयादत्त वार्ड स्टेशन गंज, नरसिंह पुर-487001	07792-299082(O) 8476890268(M) dswonar@mp.gov.in

(अअ)	रतलाम	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, होमगार्ड कॉलोनी के सामने, प्रताप नगर, रतलाम-457001	07412-267111(O) 9423164608(M) dsworat@mp.gov.in
(अब)	रीवा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक स्कूल के सामने, सिविल लाइंस, रीवा -486001	07662-254118(O) 07415249145(M) dsworewa@yahoo.in
(अस)	सतना	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक रेस्ट हाउस, जवाहर नगर के पास, स्टेडियम / वाटर टैंक, सतना- 485001	07672-222389(O) 07440742053(M) dswosat@mp.gov.in
(अद)	सागर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टरेट कंपाउंड, सागर-470001	07582-225589(O) 9910310395(M) dswosag@mp.gov.in
(अय)	सिवनी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय वाटिका रेस्तरां के सामने, बेन गंगा के पास, हाइट्स, बड़ा पत्थर, सिवनी -80661	07692-222730(O) 7507812805(M) dswoseo@mp.gov.in
(अर)	शाहडोल	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मकान नंबर 21, मावर अस्पताल के पीछे, शुखी मोहल्ला, शहडोल-484774	07652-231946(O) 7729804735(M) dswoshd@mp.gov.in
(अल)	सीधी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गोपाल दास रोड वार्ड नंबर- 9 सौत करौंदिया, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के पास , सीधी -486661	07822-250852(O) 9906961186(M) dswosid@mp.gov.in
(अव)	टीकमगढ़	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कमरा नं.75, समाहरणालय, टीकमगढ़ -472001	07683-240709(O) 98690229008(M) dswotik@mp.gov.in
(अश)	उज्जैन	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक रेस्ट हाउस, कोठी पैलेस, न्यू कोर्ट बिल्डिंग के पास, विक्रमनगर रोड, उज्जैन-456010	0734-2511355(O) 9757282735(M) dswoujj@mp.gov.in

31. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रम सं	स्थान का पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, 45 बंगलों के पास, बन गंगा चौक, टीटी नगर, भोपाल - 462003 निकटतम रेलवे स्टेशन - भोपाल जं दूरी -5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -भोपाल दूरी -10 किमी		38 बेड		0755-2556198

(ब)	सैनिक रेस्ट हाउस, इंदौर जयरामपुर कॉलोनी समाहरणालय कार्यालय इंदौर के पास- 452004 निकटतम रेलवे स्टेशन - इंदौर दूरी 5- किमी निकटतम हवाई अड्डा- इंदौर दूरी 10- किमी	12 बेड	0732-2367319
(स)	सैनिक विश्राम गृह, ग्वालियर रेस कोर्स रोड, सैनिक पेट्रोल पंप ग्वालियर के पास - 474002 निकटतम रेलवे स्टेशन - ग्वालियर दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - ग्वालियर दूरी -10 किमी	14बेड	0751-2340878
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस, जबलपुर नर्बदा रोड, कटंगा, जबलपुर - 482001 निकटतम रेलवे स्टेशन -जबलपुर दूरी -4 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जबलपुर दूरी -15 किमी	12बेड	0761-2667336
(य)	सैनिक विश्राम गृह, सागर कलेक्टर के पास, सागर - 470001 निकटतम रेलवे स्टेशन - सागर दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जबलपुर दूरी - किमी	12 बेड	07582-225589
(र)	सैनिक विश्राम गृह, भिण्ड पासु मेला मैदान के पास, भिंड - 476007 निकटतम रेलवे स्टेशन - भिंड दूरी - किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - किमी	10 बिस्तर (मरम्मत के तहत)	07534-236379
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस, मुरैना के पास समाहरणालय मुरैना - 476001 निकटतम रेलवे स्टेशन- मुरैना दूरी 1- किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - किमी	10 बेड (सैनिक रेस्ट हाउस में ई सी एच एस काम कर रहा है)	07532-226003

(व)	सैनिक रेस्ट हाउस, छिंदवाड़ा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कंपाउंड के पास, छिंदवाड़ा - 480001 निकटतम रेलवे स्टेशन- छिंदवाड़ा दूरी 1- किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - किमी	11 बेड	07162-242119
(श)	सैनिक विश्राम गृह, होशंगाबाद हाउस ऑफ गार्ड ऑफिस के सामने, होशंगाबाद - 461001 निकटतम रेलवे स्टेशन- होशंगाबाद दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा -भोपाल दूरी - किमी	9 बेड	07574-254465
(ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, रीवा सैनिक स्कूल गेट नंबर-2 के सामने सिविल लाइंस रीवा- 486001 निकटतम रेलवे स्टेशन- रीवा दूरी 8- किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - - किमी	17 बेड	07662-254118
(स)	सैनिक विश्राम गृह, रतलाम, होम गार्ड कॉलोनी नगरा रोड के सामने, वार्ड नंबर 28, प्रताप नगर रतलाम - 457001 निकटतम रेलवे स्टेशन- रतलाम दूरी 3- किमी निकटतम हवाई अड्डा- इंदौर दूरी 250 - किमी	13 बेड	07412-201124
(ह)	सैनिक विश्राम गृह, सतना पानी टंकी के सामने जवाहर नगर स्टेडियम के पास, सतना -485001 निकटतम रेलवे स्टेशन- सतना दूरी 1- किमी निकटतम हवाई अड्डा -सतना दूरी 7 - किमी	15 बेड	07672-222389
(क्ष)	सैनिक विश्राम गृह, जनपथ कल्याण के पीछे, सिविल लाइंस, खंडवा - 450001 निकटतम रेलवे स्टेशन - खंडवा दूरी - - किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - - किमी	17 बेड	0733-2228311

(त्र)	सैनिक विश्राम गृह भवन, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोठी पैलेस, न्यू कोर्ट बिल्डिंग, विक्रम नगर रोड, उज्जैन- 456010 निकटतम रेलवे स्टेशन - उज्जैन, दूरी - - किमी निकटतम हवाई अड्डा -इंदौर दूरी - 53 किमी	20 बेड	07342511355
(ज्ञ)	सैनिक विश्राम गृह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टैगोर वार्ड, सहनी सुपर बाजार के पास, गंज, बैतूल (मप्र) - 460001 निकटतम रेलवे स्टेशन ---- दूरी - - किमी निकटतम हवाई अड्डा - नागपुर (महाराष्ट्र) दूरी - 120/199 किमी	17 बेड	07662-254118
(अअ)	सैनिक विश्राम गृह न्यू बस स्टैंड के पास, स्टेशन रोड नरसिंहपुर- 487001 निकटतम रेलवे स्टेशन - - दूरी - - किमी निकटतम हवाई अड्डा- दुम्मा एयरपोर्ट जबलपुर दूरी 120 - किमी	अधिकारी कक्ष - 02 जेसीओ / ओआर कक्ष- 02 शयनगृह - 08 व्यक्तियों के लिए	07792-236328 09402267918 06265061595
(अब)	सैनिक विश्राम गृह गोपाल दास रोड, दक्षिण करोंदिया नाग मंदिर के पास, सीधी- 486661 निकटतम रेलवे स्टेशन - - दूरी - - किमी निकटतम हवाई अड्डा- रीवा दूरी 90 - किमी	अधिकारी कक्ष - 01 जेसीओ कक्ष - 01 ओआर - 01 आवास 06 पुरुष, 04 महिलाएं	07974-127750 07974127750

महाराष्ट्र**प्रस्तावना**

1. महाराष्ट्र राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 2,59,405 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : महाराष्ट्र		
कार्यालय/ जनपद	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष संख्या
सैनिक कल्याण विभाग	लेफ्टिनेंट कर्नल आर आर जाधव (सेवानिवृत्त), उप निर्देशक सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 'रायगढ़' बिल्डिंग, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने, सोलापुर रोड घोरपाडी, पुणे - 411001	020-26302601(O) 020-26302600(O) dir.dsw@maharashtra.gov.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** महाराष्ट्र राज्य में 30 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक विश्रामगृह** महाराष्ट्र राज्य में 30 सैनिक विश्रामगृह हैं जहां सेवानिवृत्त सैनिकों को नाममात्र शुल्क देकर ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती है।

राज्य स्तरीय लाभों का विवरण

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	ए सी	के सी	एस सी	एस वाई एस एम्
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	0.33लाख	0.25 लाख	14,500	26,500	0.20 लाख	0.09 लाख	0.25 लाख
(द)	60 लाख	36 लाख	24 लाख	60 लाख	36 लाख	24 लाख	36 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाई एस एम्	सेना/नौ सेना / वायू सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पी वी एस एम्	ए वी एस एम्	वी एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	0.17लाख	0.08 लाख	5,500	2,500	-	-	-
(द)	24 लाख	24 लाख	12 लाख (जी) 1.50 लाख(डी)	6 लाख (जी) 0.50लाख (डी)	4 लाख	2 लाख	1 लाख

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान; (ब) जमीन के बदले नकद; (स) वार्षिकी; (द) एकमुश्त अनुदान (जी) वीरता सेवा (डी) विशिष्ट सेवा

5. समूह 'सी' और 'डी' पदों में 15% क्षैतिज आरक्षण। (प्राधिकार: महाराष्ट्र सरकार का संकल्प NoRTS/1079/0/482/XVI-A दिनांक 03 जुलाई 80)।

6. समूह 'सी' और 'डी' पदों के लिए आयु में छूट, कुल वर्षों की सेवा के साथ 3 वर्ष (कुल सेवा (+) 03 वर्ष (-) वर्तमान आयु = सभी रोजगार के लिए आयु मानी जाएगी। (प्राधिकार: सरकार) महाराष्ट्र संकल्प NoRTA/ 1079/ 0/ 482/XVI-A दिनांक 16 अप्रैल 81)।

7. सेवानिवृत्त सैनिकों को महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण में रियायत दी गई है (प्राधिकार: महाराष्ट्र सरकार जीआर नंबर आरसीटी-0309/प्रा-क्रा.692/पोल-5 दिनांक 09 सितंबर 2011)।

8. महाराष्ट्र सरकार संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत सैनिक को सगाई की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले समूह "सी" और "डी" पदों के लिए आवेदन करने और ई एस एम के लिए उपलब्ध सभी पुनर्नियोजन रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी है। हालांकि, वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने तक उन्हें छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (प्राधिकार: महाराष्ट्र सरकार जी आर एन ओ मसाइका-1012/पी आर ए. क्र।198/16-ए दिनांक 30 अप्रैल 2013)

9. कार्रवाई/किसी भी ऑपरेशन में शहीद हुए शहीदों के परिजनों/आश्रितों को 01 जनवरी 2019 से 1 करोड़ रुपये का अनुग्रह अनुदान। (प्राधिकार: महाराष्ट्र सरकार का संकल्प संख्या MASEM- 2019/ (Pra.Kra68)/2019/28 दिनांक 02 अगस्त 2019) ।

10. युद्ध/युद्ध जैसे अभियानों में विकलांग सैनिकों को 20 लाख रुपये (1% से 25% विकलांगता), 34 लाख रुपये (26% से 50%) और 60 लाख रुपये (51% से 100% विकलांगता) की वित्तीय सहायता w.e.f. 01 जनवरी 2019. (प्राधिकार: महाराष्ट्र सरकार का संकल्प संख्या MASEM-2019/(Pra.Kra68)/2019/28 दिनांक 02 अगस्त 2019)।

11. द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन्स जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें 01 अप्रैल 2018 से प्रतिमाह 6,000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। (प्राधिकार: महाराष्ट्र सरकार संकल्प No MASEM-2015/मुमास-15/ (प्र. क्र.128/15)/28dt18Sep2018) ।
12. दिवंगत सैनिकों की पत्नियों या मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं के माता-पिता को उनके वीरता पुरस्कार के अनुसार राज्य से 01 अप्रैल 2018 तक वित्तीय सहायता। विवरण परिशिष्ट ए में रखे गए हैं। (प्राधिकार: महाराष्ट्र सरकार जीआरएनओ MAGAUPU -2017/prakra360/28 dated 31 Jan 2019)।
13. कार्रवाई में मारे गए/घायल हुए सैनिकों के आश्रितों, शौर्य पुरस्कार से सम्मानित तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों को मेजर के पद तक स्नातक तक निशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। (प्राधिकार: सरकारी संकल्प संख्या एचडीएफ-1070/ 222 920(537)/एस.एस.5 दिनांक 14.01.1985) ।
14. महाराष्ट्र में प्रत्येक तकनीकी/पॉलिटेक्निक कॉलेजों, सरकार/नगर निगम/सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा, दंत चिकित्सा/आयुर्वेद, यूनानी कॉलेजों और कुछ संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों में अधिकतम 5 सीटों के अधीन, प्रवेश क्षमता का 5% रक्षा सेवा कर्मियों और पूर्व रक्षा कर्मियों के बच्चों, स्थायी रूप से विकलांग या कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के लिए आरक्षित है। सरकारी संकल्प संख्या MED-1084/1665/MED-4 dated 05 Jul 1984 ।
15. सरकार के संकल्प संख्या एमएसएम-2001/2531/पी के/231/2001/28 दिनांक 21 मार्च 2002 द्वारा प्रत्येक तकनीकी/पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अधिकतम प्रवेश क्षमता का 5%, 5 सीटें आरक्षित है।
16. सरकारी संकल्प संख्या MAKUUSHI -2010/पी.सी.155/7ए दिनांक 20.10.2011 द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में 2% आरक्षण ।
17. सरकारी संकल्प संख्या टीसीएच-1204/(167/85)/एम.एस. दिनांक 13 जून 1985 द्वारा विश्वविद्यालयों की सभी धाराओं में सभी सरकारी/अनुदान योग्य कॉलेजों में 10% आरक्षण।
18. सरकारी संकल्प No SSN-1997 (259/97) M.S-3 दिनांक 05 जनवरी 1998 द्वारा सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 5% सीटों का आरक्षण।
19. महाराष्ट्र के डी.एड/बी.एड कॉलेजों में 5% सीटों का आरक्षण और एम. एड कॉलेजों में 2% सीटों का आरक्षण सरकारी संकल्प संख्या टीसीएस-1884/(185/84)/एम.एस-4 दिनांक 28 जून 1984 द्वारा। (प्राधिकार: महाराष्ट्र सरकार का संकल्प संख्या TCS-1884/(185/84)/मसी-4 दिनांक 28 जून 1984)।
20. सरकारी संकल्प No RTS/1079/0/482/XVI दिनांक 03 जुलाई 1980 के माध्यम से MPSC के लिए परीक्षा/आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट।
21. वीरता पुरस्कार विजेताओं और दिवंगत सेवानिवृत्त सैनिकों की पत्नियों के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए संपत्ति कर में सरकार द्वारा छूट दी गई है। संकल्प संख्या-2016/पी.के.59/एन.वी-20 दिनांक 05.04.2016 को समसंख्यक जीआर दिनांक 07.04.2016 द्वारा संशोधित किया गया है।

22. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संपत्ति कर में वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं के लिए सरकार द्वारा छूट दी गई है। महाराष्ट्र अधिसूचना संख्या 283 दिनांक 31 दिसंबर 2015।
23. वीरता पुरस्कार विजेता और सेवा के दौरान दिवंगत सैनिकों के आश्रित कुछ योजनाओं के तहत 2 से 5% कोटे के तहत फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र हैं। (सरकारी संकल्प NoAGN/1184/(2388)/KA-9 दिनांक 14.07.1986)।
24. ऐसे सैनिक या सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, जो राज्य में अधिवासित थे और किसी भी युद्ध जैसी स्थिति या किसी भी कार्रवाई के दौरान शहादत प्राप्त कर चुके हैं, के कानूनी उत्तराधिकारी की विधवा सरकार की अधिसूचना संख्या JAMIN-2018 के तहत 5 एकड़ कृषि भूमि के आवंटन के लिए पात्र हैं। /सी.आर.03/जे-1 दिनांक 28 जून 2018. भूमि का ऐसा आवंटन करते समय ऐसे सैनिक या अर्धसैनिक बलों के सशस्त्र बल के अधिकारी की विधवा या कानूनी सुनवाई के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी।
25. सरकारी संकल्प संख्या LVE/1482/C.R.1422/SER-09 दिनांक 24 मई 1983 के अनुसार चिकित्सा समीक्षा बोर्डों के लिए 7 दिनों तक का विशेष अवकाश।
26. सरकार के संकल्प संख्या डीएफएस-1469/17056-जे दिनांक 21 जुलाई 1970 के तहत विवादों के निपटारे के लिए कम आय वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता।

कल्याणकारी निधि

27. इस फंड के तहत निगरानी राज्य सैनिक बोर्ड की ओर से राज्य सैनिक बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। माननीय सैनिक कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं। इस कोष का उपयोग सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ सेवानिवृत्त सैनिकों को उनके पुनर्रोजगार उद्यमों की सहायता के लिए अनुदान के रूप में पुनर्वास के लिए किया जाता है। सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा स्वरोजगार उपक्रमों के लिए गए ऋण पर 50% या अधिकतम रु. 3,00,000/- की ब्याज सब्सिडी।
28. वृद्धावस्था वित्तीय अनुदान रु. 3,000 प्रति माह या रु. 30,000/- एक बार। ESM के लिए 65 वर्ष/विधवाओं के लिए आय का कोई स्रोत नहीं होने पर और परिवार पेंशन प्राप्त होने तक एक वर्ष के लिए रु. 3,000/- प्रति माह।
29. कार्रवाई/अन्य अभियानों में मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को 40,000/- रुपये की एक बार सहायता।
30. स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रु. 3000/-.
31. सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं को डेंटल डेंचर और हियरिंग एड के लिए 5,000/- रुपये दिए जाते हैं।

32. सेवानिवृत्ति के बाद युद्ध/ऑपरेशन (शारीरिक दुर्घटना) के अलावा अन्य कारणों से विकलांगता क्रमशः 20% से 49% और 50% से अधिक वाले विकलांग सैनिकों को 40,000/- रुपये और 75,000/- रुपये की वित्तीय सहायता ।
33. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए 10,000/- अंतिम संस्कार अनुदान।
34. घर के निर्माण के लिए युद्ध की विधवाओं और शारीरिक हताहतों की विधवाओं को 1.5 लाख रुपये अनुदान।
35. ग्यारहवीं कक्षा से स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर तक सेवानिवृत्त सैनिकों के अध्ययन करने वाले बच्चों को 1,500/-रुपये से 12,000/- रुपये शिक्षा छात्रवृत्ति।
36. पेशेवर मान्यता प्राप्त सरकारी कालेजों/ संस्थानों में पढ़ रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए 20,000/- और एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी मेडिकल स्टडीज के लिए 40,000/- रुपये तक शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति।
37. मान्यता प्राप्त संस्थानों में सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को अध्ययन करने के लिए 20,000/- रुपये। अन्य राज्य में पढ़ रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी मेडिकल की पढ़ाई के लिए 40,000/- रुपये के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति ।
38. सेवानिवृत्त सैनिकों के गैर-अनुदान योग्य निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वर्दी और पुस्तक भत्ते और ट्यूशन फीस के लिए रु. 2,000/- दिए जाते हैं।
39. सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों जो तीन साल से विदेश में पढ़ रहे हैं को 50,000/- रुपये दिए जाते हैं ।
40. यूपीएससी, बैंक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक/पूर्व-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिक के बच्चों को प्रशिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो अधिकतम 5,000/- रुपये है।
41. राज्य सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को 15,000/- रुपये की वित्तीय सहायता, सैनिक स्कूल सतारा / RIMC में पढ़ने वाले बच्चों को 32,000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
42. सेवानिवृत्त सैनिक के जिन बच्चों ने ड्राइविंग प्रशिक्षण लिया है, उन्हें 50 प्रतिशत प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो अधिकतम 1,000/- रुपये तक है।

43. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल, संगीत, साहित्य और नृत्य आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों का प्रदर्शन करने वाले, एस एस सी और एच एस सी बोर्ड परीक्षा में 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए सेवानिवृत्त सैनिकों / पत्नी / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों / सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को 10,000/- और 25,000/- रुपये दिए जाते हैं। यह पुरस्कार पहले पांच छात्रों को दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र राज्य के दस डिवीजनल बोर्ड और सेवानिवृत्त सैनिक के वार्डों में प्रत्येक एसएससी और एचएससी की मेरिट सूची में आते हैं, जो स्नातक या पीजी में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहे।

44. मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों में कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त सैनिक के बच्चों को 8,000/- रुपये प्रोत्साहन राशि।

45. सरकार अस्पतालों में 1,25,000/- रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सहायता और प्रमुख रोगों जैसे हृदय, कैंसर, गुर्दे, पक्षाघात के पोस्ट ऑपरेटिव उपचार के लिए रु. 1,000/- प्रतिमाह एक वर्ष के लिए या रु. 10,000/- एक बार। (ईसीएचएस के संचालन के बाद केवल गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक/विधवाओं के लिए)।

46. सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए 10 प्रतिशत या अधिकतम रु. 50,000/- की सीमा तक जो कम हो आवास ऋण सब्सिडी।

47. पुत्री के विवाह हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता: -

(अ)	सेवानिवृत्त सैनिक की एक बेटी	- 10,000/- रुपये
(ब)	विकलांग सैनिकों की दो बेटियां 50% से अधिक विकलांगता वाले	- प्रत्येक के लिए 12,000/- रुपये
(स)	सेवानिवृत्त सैनिक की विधवाओं की दो बेटियां	- 16,000/- रुपये
(द)	युद्ध विधवाओं की सभी पुत्रियां	- रु. 30,000/- प्रत्येक
(य)	ईएसएम/विधवाओं की सभी अनाथ बेटियां	- रु. 30,000/- प्रत्येक

48. सेवानिवृत्त सैनिक के मानसिक रूप से विकसित बच्चों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता: -

(अ)	चिकित्सा उपचार	- 300 / -प्रतिमाह
(ब)	स्कूल जाने वाले बच्चे	- 200 रुपये प्रति माह
(स)	स्व-रोजगार के लिए कुशल शिक्षा/ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है	- 600/- प्रति माह
(द)	स्वरोजगार के लिए	- ऋण का 50% या रु. 3,00,000/- जो भी कम हो

49. एस पीआई औरंगाबाद में पढ़ने वाले सेवानिवृत्त सैनिक के बच्चों (अधिकारी वार्ड- 50%, जेसीओ के वार्ड - 75% और ओआर 100% के वार्ड) के बोर्डिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति 32,000 / - रुपये की प्रतिपूर्ति की जाती है।
50. एन डी ए में पढ़ने वाले अधिकारी, जे सी ओज और अन्य पद के लोगों बच्चों के लिए क्रमशः 50%, 75% और 100% की सीमा तक पॉकेट मनी।
51. युद्ध विधवाओं को 11/04/2018 से राज्य सरकार परिवहन की सभी प्रकार की बसों में मुफ्त बस यात्रा और चक्र श्रृंखला (पी वी सी) के वीरता पुरस्कार विजेताओं को 2500 किमी तक की मुफ्त बस यात्रा (4,210/- रुपये प्रति वर्ष की अंतिम सहायता), एम वी सी, वी आर सी, ए सी, के सी, एस सी) वर्ष 2019-20 के लिए।
52. स्वरोजगार के लिए बैंक से लिए गए ऋण का 50% या अधिकतम रु 3.00 लाख और ई एस एम पत्नी और विधवाओं के स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रुपये।
53. सेवानिवृत्त सैनिक और उनके आश्रितों को आंखों के ऑपरेशन (मोतियाबिंद) के लिए 5,000/- रुपये (एक आंख के लिए) की वित्तीय सहायता।
54. विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक की कुबडी क्रय हेतु वित्तीय सहायता (वास्तविक व्यय)
55. एम एस सी आई टी कोर्स पास करने वाली सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी को 2,500/- रुपये की वित्तीय सहायता।
56. एन डी ए/ओटीए/आई एम ए आदि में प्रवेश पाने वाले सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी के बच्चों को 50,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि।
57. विकलांग व्यक्ति के लिए ट्राइसाइकिल की खरीद के लिए एक बार 8,000/- रुपये से 15,000/- रुपये की वित्तीय सहायता ।
58. प्राकृतिक आपदा के लिए 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता ।
59. पक्षाघात केंद्र किरकी पुणे में रहने वाले सेवानिवृत्त सैनिक को 2,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता ।
60. दिवंगत सेवानिवृत्त सैनिक की पत्नियों के स्वयं समूहों की स्थापना के लिए मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रायोजित और नाबार्ड और डी आर डी ए द्वारा अनुशंसित एन जी ओ को तीन किशतों में 8,000/- रुपये की वित्तीय सहायता।

61. सेवानिवृत्त सैनिक जिन्होंने ग्राम सेवक और शिक्षा सेवक के पद के लिए शैक्षिक योग्यता पूरी कर ली है, 5,000/- रुपये की वित्तीय सहायता ।
62. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों / सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को सरकारी अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता। मान्यता प्राप्त निजी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे नर्सिंग/केटरिंग/टेलरिंग आदि रु. 6,000/- प्रति वर्ष।
63. पी आर टी सी सतारा / एम एस टी सी कोल्हापुर/बुलडाणा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को शुल्क का 50% या रु. 2,000/- जो भी कम हो वित्तीय सहायता ।

विशेष कोष से लाभ

64. **क्वीन मैरी टेक्निकल स्कूल** क्वीन मैरी टेक्निकल स्कूल में प्रशिक्षण लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों को 1,800/- रुपये प्रति वर्ष तक की पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है।
65. **छात्रावास शुल्क** सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रित जिन्हें सैन्य छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिलता है या विशेष स्टेशन में छात्रावासों की अनुपलब्धता के कारण कॉलेज/स्कूल छात्रावासों में रहने वाले आश्रितों को छात्रावास शुल्क के रूप में प्रति वर्ष रु. 8000/-।
66. **सैन्य लड़के/लड़कियों के छात्रावास** महाराष्ट्र में 48 सैन्य लड़के/लड़कियों के छात्रावास हैं जहां सेवानिवृत्त सैनिकों के वार्डों को मुफ्त आवास प्रदान किया जाता है। सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं के रैंक और वार्ड के आधार पर भोजन शुल्क सब्सिडी पर दिया जाता है।
67. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक,राज्य सैनिक बोर्ड	78800-209200 ग्रेड वेतन -7600(कर्नल रैंक)
	118500-214100 ग्रेड वेतन -8700(ब्रिगेडियर रैंक)
उप निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	49100-155800 ग्रेड वेतन -5000
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	49100-155800 ग्रेड वेतन -5000

68. पिछली आरएसबी की बैठक 21 जून 2004 को और एसएमसी की बैठक 29 अप्रैल 2022 को हुई थी।

69. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कार्यालय / ज़िला	पदनाम और पता	टेलीफोन नं
(अ)	अहमदनगर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, पूर्व सैनिक विश्रामगृह चांदनी चौक अहमदनगर - 414001	0241-2323160(O) zsw_ahmednagar@maharashtra.gov.in
(ब)	अकोला	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कलेक्टर कार्यालय परिसर, अकोला - 444001	0724-24333377(O) zsw_akola@maharashtra.gov.in
(स)	अमरावती	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अमरावती कैंप, अमरावती - 444602	0721-2661126(O) zsw_amravati@maharashtra.gov.in
(द)	औरंगाबाद	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नंदनवन कॉलोनी, भावसिंह पुरा रोड औरंगाबाद -431203	0240-2370313(O) zsw_aurangabad@maharashtra.gov.in
(य)	भांडारा - गोंदिया	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महासुल कर्माचारी परिसर भांडारा- 440001	07184-250619(O) zsw_bhandara@maharashtra.gov.in
(र)	बीड	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, निकट जिला न्यायालय बीड - 431122	02442-222105(O) zsw_beed@maharashtra.gov.in
(ल)	बुलढाना	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, "सैनिकी काम्प्लेक्स", निकट एस टी बस स्टैंड बुलढाना -443001	07262-242208(O) zsw_buldhana@maharashtra.gov.in
(व)	चंद्रपुर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चंद्रपुर पिन -442401	07172-257698(O) zsw_chandrapur@maharashtra.gov.in
(श)	धुले	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, पूर्व सैनिक विश्रामगृह ,कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, जिला धुले - 424001	02562-237264(O) zsw_dhule@maharashtra.gov.in

(ष)	गढ़चिरोली	कार्यालय जिला अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, गढ़चिरोली	07172-257698(O) zswc_chandrapur@maharashtra.gov.in
(स)	जलगाँव	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ,कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, जलगाँव-425001	02482-2241414(O) 99860142073(M) zswc_jalgaon@maharashtra.gov.in
(ह)	जालना	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ऑपोजिट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्ससंकुल बीड बाईपास रोड जालना -431203	02482-225201(O) zswc_jalna@maharashtra.gov.in
(क्ष)	कोल्हापुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, नगला पार्क कोल्हापुर -416003	0231-2665812(O) 0231-2654811 9970856438(M) zswc_kolhapur@maharashtra.gov.in
(त्र)	लातूर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक संकुल, अंबाजोगाई रोड, एमआईएमएसआर मेडिकल कॉलेज लातूर के सामने -413512	02382-228544(O) 9440483285 (M) zswc_latur@maharashtra.gov.in zswc_latur@Maha-sainik.com
(ज्ञ)	मुंबई नगर	सिटी सैनिक कल्याण कार्यालय पुराना कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई -400001	022-22662440(O) 022-23088011(O) zswc_mumbai@maharashtra.gov.in
(अअ)	मुंबई उपनगर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई उपनगर जिला प्रशासनिक भवन, नौवीं मंजिल, चेतना कॉलेज के पास, गवर्नमेंट कॉलोनी, बांद्रा(पूर्व), मुंबई -400051	022-265552172(O) zswc_mumbaiupnagar@maharashtra.gov.in
(अब)	नासिक	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, नासिक -422002	0253-2577255(O) 0253-2577253(O) 09869070211(M) zswc_nasik@maharashtra.gov.in
(अस)	नागपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जिला प्रशासनिक भवन, नंबर- 1, तीसरी मंजिल ,सिविल लाइन्स, नागपुर -440001	0712-2561133(O) zswc_nagpur@maharashtra.gov.in zswc_nagpur@mahasainik.com

(अद)	परभणी- नांदेड़	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, नांदेड़ -431602	02462-245510 9421323366 zsws_parbhani@maharashtra.gov.in zsws_parbhani@mahasainik.com
(अय)	नंदुरबार	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, नंदुरबार	02562-237264(O) 9422713756(M) zsws_dhule@maharashtra.gov.in
(अर)	ओस्मानाबाद	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, ओस्मानाबाद -413501	02472-222557(O) 8007791070(M) zsws_osmanabad@maharashtra.gov.i n zsws_osmanabad@mahasai-nik.com
(अल)	पुणे	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड,पुणे -411001	020-26122287(O) zsws_pune@maharashtra.gov.in
(अव)	हिंगोली	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, विपरीत बचत भवन स्टेडियम, रेलवे स्टेशन रोड, परभणी - 431401	07252-231088(O) 09404975099(M) 08605973381(R) zsws_parbhani@maharashtra.gov.in
(अश)	रायगढ़	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय निकट लेखा कोष कार्यालय, रायगढ़ -402201	02141-222208(O) 09822958901(M) zsws_raigad@maharashtra.gov.in
(अष)	रत्नागिरी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड शिवनगर रत्नागिरी- 415612	02352-222271(O) 02352-226250(R) zsws_ratnagiri@maharashtra.gov.in zsws_ratnagiri@mahasainik.com
(अस)	सतारा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अजिंक्यतारा भवन, पोवई नाका सतारा -415001	02162-239293(O) zsws_satara@maharashtra.gov.in
(अह)	सांगली	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय,सांगली मिराज रोड पुष्कर चौक सांगली - 416416	0233-2671711(O) 0233-2373003(R) zsws_sangli@maharashtra.gov.in zsws_sangli@mahasainik.com

(अक्ष)	सोलापुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, सोलापुर-413004	0217-2731035(O) zsws_solapur@maharashtra.gov.in
(अत्र)	सिंधुदुर्ग	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मुख्य प्रशासनिक भवन, सी ब्लाक, पहली मंजिल, पोस्ट- ओरास (बीके), दूरभाष कुडाल जिला सिंधुदुर्ग, पिन -416812	02362-228820(O) zsws_sindhudurg@maharashtra.gov.in
(अज्ञ)	ठाणे- पालघर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कमरा नंबर 402, चौथी मंजिल, तेंभी, नाका ठाणे - 400601	022-25344041(O) 09869074423(M) zsws_thane@maharashtra.gov.in
(अअअ)	यवतमाल (योतमल)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय परिसर, जिला यवतमाल -445001	07232-245273(O) zsws_yavatmal@maharashtra.gov.in
(अअब)	वर्धा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालय के सामने, वर्धा -442001	07152-248955(O) 07152-231088(O) 09850525353(M) 08826399033(R) zsws_wardha@maharashtra.gov.in zsws_wardha@mahasainik.com
(अअस)	वाशिम	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कमरा नं. 206, एडमिन बिल्डिंग, कलेक्टर कार्यालय कंपाउंड, वाशिम -444505	07252-230188(O) 9850525353(M) zsws_washim@maharashtra.gov.in

70. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं	स्थान का पता	निवास स्थान उपलब्ध (कक्ष)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, जगन्नाथ उद्यान के सामने, सावंतवाड़ी, जिला-सिंधुदुर्ग नजदीकी रेलवे स्टेशन - सावंतवाड़ी रोड/ मलवां, दूरी - 9 किमी निकटम हवाई अड्डा - दूरी ---किमी	1	1	1+1*	02363/272312 02363/2888820

(ब)	सैनिक विश्राम गृह, महड़, जिला- रायगढ़ नजदीकी रेलवे स्टेशन - वीर दूरी -16 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी ----किमी	1	1	1	02145/225451
(स)	सैनिक विश्राम हाउस, पोलादपुर जिला - रायगढ़ नजदीकी रेलवे स्टेशन -वीर दूरी -33 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी - किमी	-	-	2	02141/222208 ZSWO Raigad
(द)	सैनिक विश्रामगृह, मानगाँव जिला- रायगढ़, नजदीकी रेलवे स्टेशन -मानगाँव दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी - किमी	1	1	2	
(य)	सैनिक विश्रामगृह, गोंदलपाड़ा, अलीबाग, जिला-रायगढ़ नजदीकी रेलवे स्टेशन -पेन दूरी -35 किमी निकटतम हवाई अड्डा-सांताक्रूज मुंबई दूरी -125 किमी	2	-	1*	02141/282575 ZSWO Raigad
(र)	सैनिक विश्राम गृह, समाहरणालय परिसर, रत्नागिरी नजदीकी रेलवे स्टेशन - रत्नागिरी दूरी -6 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी --- किमी	1	2	2*	02352/222271 ZSWO Ratnagiri
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस, बुरुमटली, चिपलून जिला-रत्नागिरी नजदीकी रेलवे स्टेशन -चिपलून दूरी- 7 किमी निकट- निकटतम हवाई अड्डा --, दूरी ---किमी	3	1	1*	02355/250205

(व)	सैनिक रेस्ट हाउस, नौपाड़ा निकटम मेंटल हॉस्पिटल ठाणे (डब्लू) नजदीकी रेलवे स्टेशन - ठाणे दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा- सांताक्रूज मुंबई दूरी -20 किमी	VIP+ 6	-	3	022/25834830
(श)	सैनिक रेस्ट हाउस, सिंहगढ़ बिल्डिंग, ऑप राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, घोरपडी, पुणे -1 नजदीकी रेलवे स्टेशन -पुणे दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा- लोहागांव (पुणे) दूरी - 7 किमी	8	6	1+10*	020/26335484
(ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, अजंकितारा भवन, पवईनाका, सतारा नजदीकी रेलवे स्टेशन - सतरा रोड दूरी -7 किमी निकटतम हवाई अड्डा- लोहागांव (पुणे) दूरी -110 किमी	4	0	1*	02162/239293 ZSWO Satara
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस, करमीवर भौरव पटिल चौक, सांगली - 16 नजदीकी रेलवे स्टेशन-सांगली दूरी - 3 किमी निकटतम हवाई अड्डा -कोल्हापुर दूरी -70 किमी	1	1	1	0233/2671711, ZSWO Sangali
(ह)	सैनिक रेस्ट हाउस, भवानी मांडप, कोल्हापुर नजदीकी रेलवे स्टेशन -कोल्हापुर दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा-कोल्हापुर दूरी -6 किमी	1	1	1	0231/2665812 ZSWO Kolhapur

(क्ष)	सैनिक विश्राम गृह, समाहरणालय परिसर, सोलापुर नजदीकी रेलवे स्टेशन - सोलापुर दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा - पुणे दूरी -245 किमी	1	1	1	0217/2731035, ZSWO Solapur
(त्र)	सैनिक विश्राम गृह, भक्ति मार्ग, रेलवे स्टेशन पंढरपुर के पास, जिला सोलापुर नजदीकी रेलवे स्टेशन-पंढरपुर दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पुणे दूरी-180 किमी	2	2	2	0217/2731035
(ज्ञ)	सैनिक रेस्ट हाउस, समाहरणालय परिसर, नासिक नजदीकी रेलवे स्टेशन -नासिक दूरी -10 किमी निकटतम हवाई अड्डा - ओझर नासिक दूरी -30 किमी	2	2	2*	0253/2577255 ZSWO Nashik
(अअ)	सैनिक विश्राम गृह, कैंप रोड, छावनी पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव कैंप, मालेगांव, जिला नासिक नजदीकी रेलवे स्टेशन - मनमाड दूरी -40 किमी निकटतम हवाई अड्डा दूरी - - किमी	2	2	2*	02554/254702

(अब)	सैनिक विश्राम गृह, नासिक रोड, आयुक्त कार्यालय के पास, नजदीकी रेलवे स्टेशन -नासिक रोड, दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - ओझर नासिक दूरी -34 किमी	2	2	2	0253/2453485
(अस)	सैनिक विश्राम गृह, सामने अहमदनगर कॉलेज, औरंगाबाद रोड, अहमदनगर नजदीकी रेलवे स्टेशन - अहमदनगर दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पुणे दूरी -120 किमी	1	2	1*	0241/2323160 ZSWO Ahmednagar
(अद)	सैनिक रेस्ट हाउस, पंचायत समिति कार्यालय श्रीगोंडा के पास नजदीकी रेलवे स्टेशन - कस्ती (दौंड) दूरी -15 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पुणे दूरी -115 किमी	-	-	1	0241/2323160 ZSWO Ahmednagar
(अय)	सैनिक रेस्ट हाउस, कल्याण भवन के पास, एसटी कॉलोनी के सामने, गोलीबार टेकड़ी रोड, धुले नजदीकी रेलवे स्टेशन -धुले दूरी - 2 किमी निकटतम हवाईअड्डा-धुले दूरी -12 किमी	2	2	1	02562/237264, ZSWO Dhule
(अर)	सैनिक रेस्ट हाउस, हिजलैप कॉलेज रोड के सामने, सिविल लाइंस, नागपुर- 440001 नजदीकी रेलवे स्टेशन -नागपुर दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा-नागपुर दूरी -7 किमी	2	1	1	0712/2542228, ZSWO Nagpur

(अल)	सैनिक रेस्ट हाउस, मोर्शी रोड, सरकारी आईटीआई के सामने, अमरावती नजदीकी रेलवे स्टेशन - बडनेरा, दूरी -10 किमी निकटतम हवाई अड्डा - अमरावती दूरी -20 किमी	1	0	1	0721/26626621
(अव)	सैनिक रेस्ट हाउस, बिलाल भवन के पास, नारंग सोसाइटी, अकोला नजदीकी रेलवे स्टेशन-अकोला दूरी -3 किमी निकटतमहवाई अड्डा-अकोला दूरी -7 किमी	1	1	1	0724/2436070, ZSWO Akola
(अश)	सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक कॉम्प्लेक्स, एसटी बस स्टैंड के पास, बुलढाणा - 443 001 नजदीकी रेलवे स्टेशन - मलकापुर, दूरी- 45 किमी निकटतम हवाई अड्डा - औरंगाबाद दूरी -140 किमी	-	-	1*	07262/242208, ZSWO Buldhana
(अष)	सैनिक रेस्ट हाउस, तांगा चौक, यवतमाल नजदीकी रेलवे स्टेशन - धमंगात्र दूरी- 46 किमी निकटतम हवाई अड्डा -नागपुर दूरी -140 किमी	0	0	1	07232/245273, ZSWO Yavatmal
(अस)	सैनिक रेस्ट हाउस, समाहरणालय उस्मानाबाद नजदीकी रेलवे स्टेशन - उस्मानाबाद दूरी -5 किमी निकटतम हवाई अड्डा-सोलापुर दूरी -70 किमी				

(अक्ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, नंदनवन कॉलोनी, औरंगाबाद कैंट नजदीकी रेलवे स्टेशन - औरंगाबाद दूरी -10 किमी निकटतम हवाई अड्डा - औरंगाबाद दूरी -20 किमी	2	2	1*	0240/2370313
(अत्र)	सेवानिवृत्त सैनिक विश्राम गृह, जलगाँव नजदीकी रेलवे स्टेशन - जलगाँव दूरी -5 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जलगाँव दूरी -20 किमी	2	2	1*	0257-2241414
(अज्ञ)	सैनिक रेस्ट हाउस, नांदेड़ नजदीकी रेलवे स्टेशन -नांदेड़ दूरी किमी-12 निकटतम हवाई अड्डा- दूरी - - किमी	-	-	1	02462-245510
(अअअ)	भूतपूर्व सैनिक विश्राम गृह, जालना नजदीकी रेलवे स्टेशन - जालना दूरी -5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - औरंगाबाद दूरी -100 किमी	2	0	2*	02482-225201

मणिपुर

परिचय

1. मणिपुर राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 10,476 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड: मणिपुर		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
राज्य सैनिक बोर्ड	कर्नल सुशील कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त) सचिव राज्य सैनिक बोर्ड, सैनिक विश्राम गृह लम्फेल पुलिस स्टेशन के सामने पोलाम्फेल- 795004 (मणिपुर)	0385-36530170) rsb.manipur@rediffmail. com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** मणिपुर राज्य में 02 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक रेस्ट हाउस** मणिपुर में कोई रेस्ट हाउस नहीं है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	5 लाख	0.35 लाख	0.20 लाख	0.15 लाख	0.10लाख	0.05लाख	0.15 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल	मेशन इन डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	0.10 लाख	0.05 लाख	0.04 लाख	0.05 लाख	0.20 लाख	0.15 लाख	0.10 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) भूमि के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. ग्रुप बी के पदों पर 2 फीसदी, ग्रुप सी में 3 फीसदी और ग्रुप डी में 5 फीसदी आरक्षण है।
6. सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए स्वयं रोजगार योजना को प्राथमिकता।
7. सेवानिवृत्त सैनिक प्रशिक्षुओं को 250 रुपये प्रति माह वजीफा।
8. सेवानिवृत्त सैनिकों को मुफ्त कानूनी सहायता और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
9. युद्ध विधवाओं / युद्ध विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को 5,000 रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है।
10. सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण। एग्रीकल्चर कॉलेज - 01 सीट, आईटी है - 02 सीट, पॉलिटैक्निक - 01 सीट, मेडिकल कॉलेज - 02, इंजीनियरिंग कॉलेज - 01 सीट।
11. मकानों का आरक्षण 5 प्रतिशत।
12. ऑपरेशन विजय के शहीदों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई लेकिन छह कर्मियों के आश्रितों को केवल 1.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
13. कैंटीन की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में छूट।
14. द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए 1,200 / - रुपये प्रति माहपेंशन।

15. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले कैडेटों को 1 लाख रुपये नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जा रहा है।

नोट: सभी युद्ध शोक संतप्त परिवारों और स्थायी रूप से विकलांग कर्मियों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 5,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।

16. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक ,राज्य सैनिक बोर्ड	14,300-400-18,300
अधिकारी, राज्य सैनिक बोर्ड	10,000-325-15,200
सचिव, जिला सैनिक बोर्ड	12,000-375-16,500

17. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक 02 मई 2022 को और एसएमसी बैठक 23 फरवरी 2004 को हुई थी।

18. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण निम्नानुसार है: -

क्रमांक	कार्यालय /जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
(अ)	इंफाल	सचिव, पोस्ट आफिस -लाम्फेल जिला-इंफाल पश्चिम मणिपुर - 795004	0385--2416228 (O)
(ब)	छुरछंदपुर	सचिव छुरछंदपुर	09856666350 (M)

मेघालयपरिचय

1. मेघालय राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 4,244 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : मेघालय		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
सैनिक कल्याण निदेशालय	कर्नल गौतम कुमार राय (सेवानिवृत्त) निदेशक सैनिक कल्याण निदेशालय लोक सेवा आयोग भवन, डी सी भवन से परे शिलांग- 793001	0364 -2225613(ओ) 9436733959 (एम) rsbmegha@rediff.com

2. जिला सैनिक बोर्ड मेघालय राज्य में 02 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. सैनिक विश्राम गृह मणिपुर में कोई सैनिक विश्राम गृह नहीं है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार -

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	22,500	0.15 लाख	0.07 लाख	0.20 लाख	0.12 लाख	0.05 लाख	0.17 लाख
(ब)	1.50 लाख	1 लाख	0.50 लाख	1.25 लाख	0.75 लाख	0.40 लाख	1.10 लाख
(स)	1,000	400	300	800	350	250	600
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वार्ड एस एम	वार्डएसएम	सेना/ नौ सेना/ वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	0.10 लाख	0.04 लाख	0.03 लाख	0.02 लाख	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(ब)	0.65 लाख	0.30 लाख	0.20 लाख	0.10 लाख	1 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(स)	350	250	250	150	400	300	250
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) भूमि के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित रियायतें एवं लाभ: -

(अ) 60 और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला नागरिकों को 500/- रुपये प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान किया जाता है, जो मेघालय राज्य के लिए विकलांग, विधवा और विकलांग हैं।

(ब) राज्य सरकार द्वारा इस निदेशालय द्वारा बनाए गए विशेष फंड सेवानिवृत्त सैनिक के आश्रित को 5000/-रुपये का अंतिम संस्कार अनुदान दिया जाता है।

(स) द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन्स और उनकी विधवाओं के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन।

(द) मेघालय भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1971 के अधीन निम्न आय वर्ग के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए हाउस साइट्स/हाउस प्लॉट्स का 10% आरक्षण।

(य) सेवानिवृत्त सैनिकों/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को निशुल्क कानूनी सहायता।

(र) अपने इकलौते या सभी पुत्रों को सशस्त्र बलों में भेजने वाले माता-पिता को 1,000/- रुपये प्रति वर्ष का युद्ध जागीर भत्ता।

(ल) टैक्सी सेवा और अन्य परिवहन चलाने की अनुमति।

(व) प्राथमिकता के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों के लिए परमिट।

6. युद्ध विधवाओं और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा एकमुश्त भुगतान के रूप में प्रदान किए जा रहे लाभ और रियायतें निम्नानुसार हैं:

(अ) रु 20 .लाख- भारत की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करते हुए कार्रवाई में शहीद हुए सैनिक आश्रितों को, उन व्यक्तियों के आश्रितों को जो आतंकवादी/आतंकवादी संबंधित अभियानों में मारे गए।

(ब) रु 5 .लाख -उन सैनिकों के लिए जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय चोट लगने या परिणाम के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।

7. **लाभ** 5,000/- से 10,000/- रुपये की राशि एक मुश्त उपाय के रूप में निराश्रित और वृद्ध सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए निधि से बढ़ायी जाती है।

8. **शिकायत प्रकोष्ठ**

(अ) तदर्थ राज्य शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्य सचिव हैं। जिन मामलों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें यहां संबोधित किया जाता है।

(ब) सैनिक बोर्ड स्तर पर एक तदर्थ जिला शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत संचालन डिप्टी कमिश्नर द्वारा सैनिकों / सेवानिवृत्त सैनिकों दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है।

(स) सेवानिवृत्त सैनिकों, सेवारत सैनिकों और उनके परिवारों, युद्ध विधवाओं और रक्षा सेवाओं के इन कर्मियों के आश्रितों की दैनिक समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर कल्याण आयोजकों/जिला सैनिक बोर्ड कार्यालयों द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

9. **पेशेवर कॉलेजों आदि में सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण** कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि राज्य की अपनी आरक्षण नीति है।

10. **वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति:** -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	अंतिम वेतन आहरित माइनस पेंशन प्लस डीए और अन्य भत्ता जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है।
निदेशक और जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के कर्मचारी	राज्य के वेतन स्तर के अनुसार विभाग और जिला प्रमुख के लिए लागू

11. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड मीटिंग 24 अगस्त 2022 और एस एम सी मीटिंग 06 मार्च 2020।

12. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है: -

क्रमांक	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
(अ)	शिलांग + ईस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जयंतिया हिल्स, वेस्ट जयंतिया हिल्स, जिला-रिभोई	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पुराना एनईसी भवन, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग-793001	0364-2500459(O) zsbshillong@gmail.com

(ब)	तुरा + वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, उपायुक्त परिसर, वेस्ट गारो हिल्स, तुरा, पिन- 940002	3651-220022 zswtura@gmail.com
-----	--	---	----------------------------------

मिजोरमपरिचय

1. मिजोरम राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 6,943 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : मिजोरम		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
सैनिक कल्याण विभाग	सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर लालनुंतलुआंगी (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग , तुइकुअल 'ए', पीबी नंबर 119, आइजोल- 796001	0389-2322732(O) 0389-2322732(F) rsb_mzr@yahoo.in lal-nuntluanga@ymail.com

2. जिला सैनिक बोर्ड मिजोरम राज्य में 04 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. सैनिक रेस्ट हाउस मिजोरम में 02 सैनिक रेस्ट हाउस हैं जो नाममात्र के शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को आवास की सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	15 लाख	10 लाख	5 लाख	15 लाख	10 लाख	5 लाख	0.17 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/ नौ सेना/ वायु सेना पदक	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	0.10 लाख	0.04 लाख	3 लाख	1.50 लाख	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) भूमि के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. **नौकरी में आरक्षण** मिजोरम सरकार ने वर्ग III और IV के पदों में 10% और 20% रिक्तियों को आरक्षित किया है (प्राधिकार: मिजोरम सरकार, गृह विभाग ज्ञापन संख्या एचएम (एसबी) 5/80/75 (ए) दिनांक 28 जुलाई 1980)।

6. **विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए प्राथमिकता- I** विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में पूर्वोक्त आरक्षणों के साथ प्राथमिकता -I दी जाती है।

7. **कार्रवाई में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के सदस्यों के लिए प्राथमिकता- II** कार्रवाई में मारे गए रक्षा सेवा कर्मियों के परिवार में से प्रत्येक के अधिकतम दो सदस्यों को रोजगार कार्यालय में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बिना पंजीकरण के नियुक्त किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों में उनकी विधवा, पुत्र/पुत्री/निकट सम्बन्धी शामिल होंगे जो मृतक परिवार को सहारा देने के लिए सहमत हैं।

8. **प्राथमिकता III** आरक्षण के भीतर अन्य सेवानिवृत्त सैनिक।

9. **आयु में छूट** सेवानिवृत्त सैनिकों को उनकी वास्तविक आयु से सैन्य सेवा की अवधि घटाने की अनुमति है और यदि परिणामी आयु उस पद के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है जो वे 3 वर्ष से अधिक की नियुक्ति चाहते हैं।

10. **चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट** नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक से सेवानिवृत्त सैनिकों के पक्ष में चतुर्थ श्रेणी के पद के संबंध में निर्धारित न्यूनतम शिक्षा योग्यता, यदि कोई हो, में छूट दे सकता है, जो अन्यथा ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

11. **रिक्तियों को आगे ले जाना** तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वर्ष दर वर्ष होने वाली रिक्तियों का सतत लेखा रखा जाए। यदि रोजगार कार्यालय सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति के संबंध में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो रिक्तियों को अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले, डीजीआर, रक्षा मंत्रालय को एक संदर्भ दिया जा सकता है, जो उपयुक्त व्यक्ति नामांकित कर सकते हैं। उदाहरण: यदि एक वर्ष में तृतीय श्रेणी में 13 रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, तो एक रिक्ति सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए, लेकिन उस वर्ष 10 से अधिक रिक्तियों अर्थात् तीन को अगले वर्ष के लिए सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और रिक्तियों में जोड़ा जाएगा।

सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षण निकालने के लिए अगले वर्ष उत्पन्न होने वाली, यदि दूसरे वर्ष में 18 रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, तो पिछली तीन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा और दो रिक्तियां सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित होंगी और शेष यानी आरक्षित रिक्तियों को निर्धारित करने के लिए उस वर्ष उत्पन्न होने वाली रिक्तियों में जोड़ने के लिए एक बार फिर से एक रिक्ति को अगले वर्ष के लिए सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

12. **वर्ग I और II पद** इन पदों पर रोजगार के प्रयोजन के लिए, जिन सरकारी विकलांग कर्मियों द्वारा सामान्य रूप से भर्ती की जाती है, जिनके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है और जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं है (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित विकलांग रक्षा कर्मियों के मामले में 50 वर्ष) पर भी विचार किया जाए।

13. **विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक वर्ग- I और वर्ग- II पदों के लिए** विकलांग रक्षा कर्मी भी वर्ग- I और वर्ग-II पदों पर रोजगार के लिए पात्र हैं, जो MPSC द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं, बशर्ते कि वे शैक्षिक रूप से योग्य हों और आयु 45 वर्ष (एसटी / एससी से संबंधित विकलांग रक्षा कर्मियों के मामले में 50 वर्ष से अधिक न हो।

14. **विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए नियुक्ति से पहले चिकित्सा परीक्षा** विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को डीमोबिलाइजेशन डिफेंस सर्विसेज मेडिकल बोर्ड द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कक्षा I से IV के पदों पर भर्ती के लिए किसी अन्य चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि विमुद्रीकरण के बाद किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में गिरावट या सुधार होता है, तो नियोक्ता प्राधिकारी को उपयुक्त सिविल मेडिकल बोर्ड द्वारा एक नई चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता हो सकती है (प्राधिकार: मिजोरम सरकार, गृह विभाग का पत्र संख्या HM (WF)2/72/Pt I of 04 Dec 1972 read with HM (SB)11/74/Vol. II/32 of 13 Feb 1980).

15. **पूर्व सैनिकों के लिए मध्य विद्यालय के हिंदी शिक्षक** शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विशेष भर्ती नियमों में आवश्यक योग्यता में छूट दी गई है क्योंकि हिंदी में सेना प्रथम श्रेणी और सामान्य शिक्षा में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। (प्राधिकार: मिजोरम सरकार, शिक्षा निदेशालय डीई9/ ईएसएम/ विविध/ 14/79/42 (ए) 08 जून 1981)

16. **सिविल ट्रेड के साथ सेवा व्यापार के समीकरण की निर्देशिका की मान्यता** मिजोरम सरकार ने सिविल ट्रेड के साथ सेवा व्यापार के समीकरण की निर्देशिका को मान्यता दी (प्राधिकार: मिजोरम सरकार, गृह विभाग पत्र संख्या A.12027/2/90-HMP (SB) दिनांक 10 अक्टूबर 1991)।

17. **आवेदन/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट** सेवा के अपने सामान्य कार्यकाल के पूरा होने पर सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों को मिजोरम सरकार के तहत आयोजित परीक्षा के संबंध में आवेदन / परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है, जो मिजोरम में तृतीय श्रेणी सेवाओं और पद के लिए रिक्तियों को भरने के लिए उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं। (प्राधिकार: मिजोरम सरकार, गृह विभाग पत्र संख्या एचएम (एसबी) / 22/73/4 दिनांक 28 अगस्त 1973)।

18. **सीधी भर्ती द्वारा भरे गए ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर नियुक्ति के लिए ईसीओ/एसएससीओ सहित सेवानिवृत्त सैनिक कमीशन अधिकारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट** निम्नलिखित छूट दी गई है:

(अ) ऊपरी आयु सीमा में सैन्य सेवा की लंबाई में 3 वर्ष की वृद्धि करके छूट दी जाएगी।

(ब) यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर सीधी भर्ती द्वारा भरी गई ग्रुप ए और बी में किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए, पूर्व-सेवा अधिकारियों को ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाती है। (प्राधिकार: No.39016/15/79-Estt (C), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, P और A R विभाग दिनांक 07 सितंबर 1981 को मिजोरम नियुक्ति 'B' विभाग NoA.13018/3/ के साथ पढ़ा गया 80-एपी (बी) दिनांक 24 सितंबर 1981) ।

19. **प्रायोजन शक्ति** - आरएसबी और जेडएसबी को ग्रुप सी और डी के लिए सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के उम्मीदवारों के लिए प्रायोजन शक्ति दी जाती है (प्राधिकार: मिजोरम सरकार, नियुक्ति 'बी' विभाग संख्या A.12027/1/82-APT (B) दिनांक 23 मार्च 1982) ।

20. **आईटीआई, आइजोल में सेवानिवृत्तसैनिकों का प्रशिक्षण** पूर्व सैनिकों के लिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मोटर मैकेनिक, फिटर और वेल्डर के रूप में ट्रेडों के लिए आईटीआई, आइजोल में प्रत्येक में 1.5 सीटों का आरक्षण किया गया है (प्राधिकार: मिजोरम सरकार, शिक्षा निदेशालय संख्या DE.24/ITI/13/77 /22 दिनांक 27 मई 1981) ।

21. **उद्योग विभाग के अंतर्गत बुनाई/सिलाई में सीटों का आरक्षण** दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों के लिए जिला उद्योग केंद्र, आइजोल प्रति बैच में बुनाई/सिलाई के प्रशिक्षण में दो सीटें आरक्षित की गई हैं (प्राधिकार: मिजोरम सरकार, उद्योग निदेशालय, पत्र संख्या B.16015/13/81-निदेशालय- आईएनडी/4 दिनांक 08 जून 1981) ।

22. **कंप्यूटर प्रशिक्षण** सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की स्थापना की गई और 11 नवंबर 2002 से प्रशिक्षण शुरू हुआ, प्रशिक्षण केंद्र का नाम सैनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (एससीटीसी) रखा गया । सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों/आश्रितों को पूर्व सैनिकों और परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों के रूप में निः शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिली है।

23. **कार्रवाई/संचालन में मारे गए सेवा कार्मिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह अनुदान निम्नानुसार है:**

(अ) कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के परिजनों को अनुग्रह राशि - रु. 6,00,000/-

(ब) पूर्व अनुग्रह सैनिक अक्षम निष्क्रियता

(i) 75% और अधिक - 3,00,000/- रुपये

(ii) 50% से 75% विकलांगता - 2,00,000/- रुपये

(iii) 25% से 50% विकलांगता - 1,00,000/- रुपये

(प्राधिकार: मिजोरम सरकार, गृह विभाग का पत्र संख्या G.23011/1/89-HM (SB)/Pt दिनांक 21 नवंबर 2017) ।

24. **वित्तीय सहायता** युद्ध के दौरान मृत सैनिकों के परिवारों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता: मिजोरम सरकार ने भारत-पाक युद्ध 71 और ओपी पवन के परिणामस्वरूप मारे गए या विकलांग सैनिकों के परिवारों के लिए घरों के निर्माण की लागत पर सब्सिडी देने का फैसला किया है:

(अ)	ऑफिसर	-	15,400/- रुपये
(ब)	जेसीओ	-	12,460 / - रुपये
(स)	अन्य रैंक	-	10,000/- रुपये

25. **शिक्षा रियायत** यदि बच्चे शिक्षा विभाग के तहत स्कूल में पढ़ रहे हैं तो युद्ध में मारे गए सैनिकों के बच्चों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:

- (अ) नि: शुल्क प्रवेश।
- (ब) मुफ्त छात्रावास शुल्क।
- (स) मुफ्त किताबें और स्टेशनरी।
- (द) मुफ्त वर्दी

यह रियायत बच्चे को डिग्री कोर्स तक की पढ़ाई तक प्रदान की जाती है।

(प्राधिकार: भारत सरकार, F.14/2/80-स्कूल-1 दिनांक 20 मई 1988 मिजोरम सरकार, वित्त विभाग FE.30/78/164 दिनांक 22 जुलाई 1988 के साथ पठित).

26. **जय जवान स्टाल- तीन** जय जवान स्टॉल है, ये स्टाल योग्य युद्ध विधवाओं, विधवाओं और सेवानिवृत्त सैनिकों को आवंटित किए गए हैं।

27. **सेवानिवृत्त सैनिकों को सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट** सेवानिवृत्त सैनिकों को सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट का 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।

28. **सेवानिवृत्त सैनिकों को विशेष आकस्मिक अवकाश** विभागाध्यक्ष एक वर्ष से पूर्व नियोजित सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 15 दिनों तक का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान कर सकते हैं:

- (अ) विकलांगता पेंशन के आकलन के लिए मेडिकल री-सर्वेक्षण बोर्ड के समक्ष पेश होना।
- (ब) ऑपरेशन के दौरान लगी चोटों के उपचार के लिए कृत्रिम अंग (ओं) के प्रतिस्थापन या उपचार के लिए कृत्रिम अंग केंद्र में भाग लेना। (प्राधिकार एफआर एंड एसआर भाग III.51)

29. **मनोरंजन कर के भुगतान से छूट** मिजोरम में असम मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम 1939 की धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत पहचान पत्र के साथ वर्दी या सिविल कपड़ों में रक्षा सेवा के गैर-कमीशन सदस्यों को सभी सिनेमा हॉल में मनोरंजन कर के भुगतान से छूट दी गई है। (प्राधिकार: मिजोरम, राजस्व, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के पत्र संख्या TXT.7/77-78/68 दिनांक आइज़ोल 29 जुलाई 1978)।

30. द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध और विधवाओं को ग्रेच्युटी वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध के 64 सेवानिवृत्तसैनिक और 465 विधवाओं को @ 1,200 प्रति माह ग्रेच्युटी दी जाती है।

31. दूसरी असम रेजीमेंट के भंग कार्मिकों को ग्रेच्युटी @ 1,200 प्रतिमाह की ग्रेच्युटी, भंग की गई दूसरी असम रेजीमेंट के कार्मिकों को दी जाती है। वर्तमान में भंग दूसरी असम रेजीमेंट के 8 कर्मी हैं।

32. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति:

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	PB 4 37400-67000+8700 (GP)
डी एस डब्ल्यू ओ	PB3 15600- 39100 + 6600 (GP)

33. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड और एसएमसी बैठकें 24 मार्च 2022 को हुई थीं।

34. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है: -

क्रमांक	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नंबर
(अ)	आइजोल (ममित +सेरछिप)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह भवन, खटला आइजोल, मिजोरम पिन- 796001	0389-2333131(O)/(F) 09436140868(M) zsbizawl@gmail.com
(ब)	लुंगलेई (सियाहा +लाँगतलाई)	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला लुंगलेई, पिन - 796701	0372-2324737(O) 0372-2324737(F) zswllimiz@yahoo.in
(स)	कोलासिब	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला कोलासिब - 796081	03837-222265(O)/(F) zsbkolasib11@gmail.com
(द)	चम्फाई	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्स्थापन अधिकारी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्स्थापन- कार्यालय जिला चम्फाई पिन - 796321	03831-235517(O)/(F) zsb717@gmail.com

35. सैनिक विश्राम गृह का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जेसीओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस खतला, आइजोल - 796001 निकटतम रेलवे स्टेशन- सिलचर दूरी -180 किमी निकटतमहवाई अड्डा - लेंगपुई दूरी - 44 किमी	3		9	0389-2333129
(ब)	सैनिक विश्राम गृह, लूनगली- 796001 निकटतम रेलवे स्टेशन - सिलचर दूरी -415 किमी निकटतम हवाई अड्डा - लेंगपुई दूरी - 459 किमी	2	-	6	0372-2324737

नागालैंड**परिचय**

1. नागालैंड राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 3,863 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : नागालैंड		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
राज्य सैनिक बोर्ड	कैप्टन (भा. नौ.) लालसुओंग्लियन तोंसिंग (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण और पुनर्वास निदेशालय कोहिमा, गृह विभाग, सरकार। ऊपर नागालैंड की सेफुज़ौ कॉलोनी, एल्डर कॉलेज, हाई स्कूल रोड, डाकघर, कोहिमा - 797 001	0370-2260150(O) 0370-2260150(F) 8258023928(M) swr.directorngl@yahoo.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** नागालैंड राज्य में 05 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक रेस्ट हाउस** नागालैंड में 07 सैनिक रेस्ट हाउस हैं जो सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर आवास की सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम्
(अ)	0.50 लाख	0.30 लाख	0.15 लाख	0.40 लाख	0.25 लाख	0.10 लाख	0.30 लाख
(ब)	2 लाख	1.25 लाख	0.80 लाख	1.50 लाख	1 लाख	0.70 लाख	1.25 लाख
(स)	0.03 लाख	0.15 लाख	0.01 लाख	2,500	0.01 लाख	0.01 लाख	0.02 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेशन एन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	0.20लाख	0.10 लाख	0.06 लाख	0.05लाख	0.30लाख	0.15लाख	0.06लाख
(ब)	0.85लाख	0.70 लाख	0.50 लाख	0.25लाख	1.25लाख	0.80लाख	0.50लाख
(स)	0.01लाख	0.01 लाख	0.01 लाख	0.01लाख	1,500	0.01लाख	0.01लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) भूमि के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. ग्रुप 'सी' और 'डी' के पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण।
6. राज्य पुलिस बल में उपयुक्त स्तरों पर सेवानिवृत्त सैनिकों की नियुक्ति।
7. सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए इंडस्ट्रियल शेड और नेशनल परमिट में 2 प्रतिशत, जय जवान स्टॉल में 5 प्रतिशत और उचित मूल्य की दुकान में 3.5 प्रतिशत आरक्षण।
8. वृद्धावस्था पेंशन रु. 1,000/- प्रतिमाह।
9. द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को रु. 6,000/- प्रतिमाह पेंशन।
10. दिवंगत सेवानिवृत्त सैनिकों की पत्नियों को उनके पति की मृत्यु के समय रु.5,000/- वित्तीय सहायता।
11. विधवा पेंशनभोगी के लिए ईसीएचएस पंजीकरण शुल्क 1,800/- रुपये है, जिसका भुगतान राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
12. सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 15,000/- रुपये की वित्तीय सहायता और ईसीएचएस के लिए पात्र न होने वाले ऑन-पेंशनर्स तक सीमित।
13. सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की पुत्री को रू. 20,000/- का विवाह अनुदान।
14. सरकार में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों को रु. 4,000/- का एकमुश्त अनुदान। DGR, MoD द्वारा प्रायोजित मान्यता प्राप्त संस्थान।
15. सेवानिवृत्त सैनिक के बेटे को 500/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति का अनुदान, जो युद्ध स्मारक छात्रावास में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं और केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय से अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

16. मैट्रिक और उससे ऊपर के 55% अंकों वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को व्यावसायिक कॉलेज/उच्च अध्ययन में प्रवेश के लिए 20,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान, केवल दो बच्चों तक सीमित।
17. युद्ध जागीर भत्ता।
18. नागालैंड राज्य से संबंधित सेवानिवृत्त सैनिकों को स्व-व्यवसाय के तहत हाउस टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है।
19. राज्य सरकार के अधीन अधिकारियों के स्तर से नीचे पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सैनिकों का वेतन निर्धारित करते समय सशस्त्र सेना पेंशन और ग्रेच्युटी के समतुल्य पेंशन की उपेक्षा की जाती है।
20. आंतरिक क्षेत्रों में भुगतान राशन, कैंटीन सुविधा और मुफ्त चिकित्सा सुविधा शुरू की गई है।
22. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक/ राज्य सैनिक बोर्ड	37400-67000
सहायक निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	15600-39100
प्लेसमेंट अधिकारी, अन्य राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और लोग	15600-39100

23. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड और एसएमसी की बैठक 30 जनवरी 2020 को हुई थी।
23. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है: -

सेवा	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर।
(अ)	दीमापुर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय वालफोर्ड क्षेत्र, राजबारी के पास, न्यू सर्किट हाउस, दीमापुर (नागालैंड) पिन - 797112	9436275650 (M) tnksingh14@gmail.com

(ब)	कोहिमा	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोहिमा डीसी कार्यालय परिसर, कोहिमा-797001	9485239273 (M) zilasanikkma@gmail.com
(स)	मोकोकचुंग	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, संख्या 007, मजकोंग वार्ड मोकोकचुंग, पिन- 798601	09436893668 (M) 8132913470 (M) zsw0.mkg@gmail.com
(द)	वोखा	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर, वोखा डाकघर- वोखा - 797 111	8132863276 (M) 7005205152 (M) thomsong799@gmail.com
(य)	जुन्हेबोटो	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जुन्हेबोटो - 798620	7005162847(M) pika_achumi@yahoo.co.in

24. सैनिक विश्राम गृह का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जेसीओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक विश्राम गृह गवर्नमेंट सर्किट हाउस के पास, दीवार किला, कचहरी स्मारक के सामने, दीमापुर निकटतम रेलवे स्टेशन - दीमापुर दूरी - 1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दीमापुर दूरी - 3 किमी	03	02	01 (06 आवास परिवार के लिए)	03862-280002

(ब)	सैनिक विश्राम गृह नंबर 007, माजाकोंग वार्ड, मोकोपकचुंग निकटतम रेलवे स्टेशन - मारियानी दूरी -86 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जोरहाट दूरी- 121 किमी	01	01	01 आवास 06 पुरुषों के लिए	0369-2226374
(स)	सैनिक विश्राम गृह डीसी कार्यालय के पास, वोखा निकटतम रेलवे स्टेशन - दीमापुर दूरी -152 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दीमापुर दूरी - 149 किमी	-	-	01 आवास	03860-222648
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस, मेन टाउन, जुन्हेबोटो निकटतम रेलवे स्टेशन - मारियानी दूरी - 156 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जोरहाट दूरी - 190 किमी	01	05	06	03867-222545
(य)	सैनिक विश्राम गृह मुख्य कस्बा, फेक निकटतम रेलवे स्टेशन - दीमापुर दूरी -219 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दीमापुर दूरी -219 किमी	-	-	01 आवास (20 पुरुषों के लिए)	03865-2223037
(र)	सैनिक विश्राम गृह मुख्य कस्बा तुएनसांग निकटतम रेलवे स्टेशन - मारियानी दूरी -166 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जोरहाट दूरी -276 किमी	-	-	01 आवास (20 पुरुषों के लिए)	03861-2220333
(ल)	जलुकीय निर्माण के तहत पर	-	-	-	

ओडिशा

परिचय

1. ओडिशा राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 53,163 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड: ओडिशा		
कार्यालय/जिला	नाम , पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
राज्य सैनिक बोर्ड	कमोडोर घनश्याम ओझा (सेवानिवृत्त) सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, ओडिशा, सैनिक भवन, प्लॉट नंबर 880 (पीटी), वीआईपी कॉलोनी पोस्ट – आई आर सी विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा -751 002	0674-7965585(O) secyrsbbbsr@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** - ओडिशा राज्य में 08 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक रेस्ट हाउस** ओडिशा में 03 सैनिक रेस्ट हाउस हैं जो नाममात्र के शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को आवास की सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	09 लाख	7.50लाख	03 लाख	7.50 लाख	4.50 लाख	02.25 लाख	1,97,500/-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौ सेना/ वायु सेना मेडल	मेंशन एन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	1.45लाख	1.15 लाख	0.75 लाख	0.31लाख	0.65लाख	0.32 लाख	0.13 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) भूमि के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. जो युद्ध और उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं ऐसे रक्षा कर्मियों और राज्य के अर्धसैनिक बलों के निकटतम संबंधियों को 2,000/- रुपये प्रतिमाह का अनुग्रह अनुदान और 10.00 लाख समेकित पेंशन दी जाती है।
6. चीन युद्ध (गैर-कमीशन और कमीशन दोनों रैंकों के लिए) (नौसेना और वायु सेना में हवलदार और समकक्ष रैंक तक) के दौरान आगे के क्षेत्रों में सेवा करने वाले पात्र रक्षा कर्मियों और पात्र भूमिहीन सेवानिवृत्त सैनिकों को कृषि भूमि के बदले 50,000/- रुपये का मौद्रिक अनुदान। 26.10.1962 से 21.1.1964 के दौरान कार्रवाई में मारे गए कर्मियों की विधवाएं भी पात्र हैं।
7. गैर-पेंशनभोगी द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को जीवन भर के लिए 6,000 /- रुपये की मासिक पेंशन।
8. राज्य सरकार विभाग/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों में 3% रिक्तियों का आरक्षण।
9. ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों में किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता में छूट।
10. ग्रुप-ए से ग्रुप-डी के पदों पर किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों की आयु में छूट।
11. मेडिकल (एम बी बी एस/बी डी एस/बी एच एम एस/बी ए एम एस सहित पीजी कोर्स), इंजीनियरिंग (बी.टेक/बी.प्लान/बी.आर्क), बी.एड, बी.एससी, एग्री, बी एस सी, फॉरेस्ट्री, डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज में सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के बच्चों के लिए 3% सीटें आरक्षित हैं।
12. डिप्लोमा इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक और आईटीआई में सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के बच्चों के लिए 2% सीटें आरक्षित।
13. सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के वार्डों के लिए जनरल कॉलेजों (पीजी कोर्स सहित) में 1% सीट और कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के वार्डों के लिए 2% सीट आरक्षित है।

14. ओडिशा राज्य आवास बोर्ड योजनाओं में रक्षा/ सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए घरों/फ्लैटों के आवंटन में 8% आरक्षण।
15. सेवानिवृत्त सैनिकों और मृत सैनिकों के परिवारों के लिए नगरपालिका/एन ए सी और शहरी स्थानीय निकायों में होल्लिंग टैक्स में छूट।

एकीकृत निधि ओडिशा से वित्तीय सहायता

16. सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति (केवल पीबीओआर): -
- (अ) **पात्र पाठ्यक्रम** - 10 + 2, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मसी, डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ए एन एम, जी एन एम, एम बी बी एस, बी डी एस, बी ए एम एस, बी एच एम एस, बी वी एस सी और ए एच, बी.एस सी नर्सिंग, बी फार्मा, बी. आर्क, एम सी ए, एम बी ए, बी.एस सी। जैव-प्रौद्योगिकी, बी.एड, एल एल बी, बी.एस सी। कृषि, बी.एससी. बागवानी, बी.एस सी। वानिकी, बैचलर इन फैशन साइंस, बैचलर इन फैशन टेक और डिग्री इन होटल मैनेजमेंट।
- (ब) **छात्रवृत्ति की दर** 10 + 2 के लिए- लड़कों के लिए 6,000/- रुपये प्रति वर्ष और छात्राओं के लिए रु. 7,500 / -, डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 6,000/- रुपये प्रति वर्ष और एम सी ए/एम बी ए सहित डिग्री पाठ्यक्रम के 12,000/- रुपये प्रति वर्ष छात्र और छात्राओं दोनों के लिए।
17. कक्षा 1-से स्नातकोत्तर तक की सभी कक्षाओं में सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे की 40 प्रतिशत न्यूनतम विकलांगता लिए प्रति वर्ष 6,000/- रुपये की वित्तीय सहायता
18. पूरी तरह से नेत्रहीन सेवानिवृत्त सैनिकों (केवल पी बी ओ आर) के लिए 2,000/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता।
19. पैराप्लेजिक सेवानिवृत्त सैनिकों (केवल पी बी ओ आर) के लिए जीवन भर के लिए 1,000/-रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता।
20. आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं (केवल पी बी ओ आर) में घर/संपत्ति के नुकसान (फसल क्षति नहीं) के मामले में वित्तीय सहायता।
21. गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों (केवल पी बी ओ आर) जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और विधवा (कोई आयु प्रतिबंध नहीं) को जीवन भर के लिए 1,000/- रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता। वार्षिक आय 40,000/-रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
22. सेवानिवृत्त सैनिकों के अनाथ बच्चों को उनके बैंक खाते में पेंशन मिलने तक 1,000/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता।
23. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 6000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।

24. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड	रु. 42000/-प्रति माह समेकित पारिश्रमिक
सहायक सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड/ सचिव जिला सैनिक बोर्ड	रु. 30000/- प्रति माह समेकित पारिश्रमिक

25. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक 20 अगस्त 2007 को और एस एम सी बैठक 20 अक्टूबर 2016 को हुई थी।

26. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण निम्नानुसार है: -

क्रमांक	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
(अ)	कटक	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कटक एटी मिशन रोड, पीओ - बक्सी बाजार (समाज कार्यालय के पास), कटक - 753001	0671-2420159(O)/(F) zsbcuttack2016@gmail.com
(ब)	बालासोर	सचिव जिला सैनिक बोर्ड, बालासोर ब्रिट बिल्डिंग, सी एंड डी ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, सदर थाना, चाक, ओटी रोड, बालासोर- 756001	06782-261668(O) zsbbalasore@gmail.com
(स)	ढेंकनाल	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, ढेंकनाल एट कुंजा कांटा, पोस्ट/जिला-ढेंकनाल - 759001	06762-226484(O) zsbddenkanal2016@gmail.co m
(द)	गंजाम(बेरहामपुर)	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, बेरहामपुर, एटी/पोस्ट - बेरहामपुर, गंजाम 760004	0680-2292485(O) zsbganjam2016@gmail.com
(य)	कालाहांडी (भवानी पटना)	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, काला हांडी, महावीर पाड़ा, पीओ भवानी - पटना कालाहांडी 766001	06670-230110(O) zsbkalahandi2016@gmail.co m

(र)	संबलपुर	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, संबलपुर, समाहरणालय भवन, संबलपुर- 768001	0663-2410154(O) zsbsambalpur2016@gmail.com
(ल)	क्योंझर	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, क्योंझर, निजारत सेक्शन के पास, समाहरणालय भवन, क्योंझरगढ़ - 758001	06766-254652(O) zsbkeonjhar2016@gmail.com
(व)	कोरापुट	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कोरापुट, शहीद लक्ष्मण नायक भवन, कोरापुट - 764020	06852-250144 zsbkoraput2016@gmail.com

27. सैनिक विश्राम गृह का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जेसीओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक भवन वीआईपी कॉलोनी, आईआरसी गांव नयापल्ली, भुवनेश्वर, पिन - 751015 निकटतम रेलवे स्टेशन - भुवनेश्वर दूरी -10 किमी निकटतम हवाई अड्डा -बीजू पटनायक एयर पोर्ट भुवनेश्वर दूरी -10 किमी	03	कमरा-01 शयनगृह-03 (18 बिस्तर)	कमरा-01 (शयनगृह में 30 बिस्तर)	0674-7965585
(ब)	सैनिक विश्राम गृह गोपबंधु भवन के पास, मिशन रोड, बक्शी बाजार, कटक पिन - 753001 निकटतम रेलवे स्टेशन - कटक दूरी -5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर दूरी -35 किमी	-	02	10	0671-2420159

(स)	सैनिक विश्राम गृह आरडीसी निवास के पास, कामपल्ली, बेरहामपुर - 760004 निकटतम रेलवे स्टेशन - बेरहामपुर दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर दूरी -180 किमी	-	02	02	06802-292485
-----	---	---	----	----	--------------

पंजाबपरिचय

1. पंजाब राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 4,03,757 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड - पंजाब		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
सैनिक कल्याण विभाग	ब्रिगेडियर सतिंदर सिंह (सेवानिवृत्त) निर्देशक रक्षा सेवा कल्याण-सह-सचिव राज्य सैनिक बोर्ड, पंजाब सैनिक भवन, सेक्टर 21-डी, चंडीगढ़ -160 022	0172-2701845(O) 0172-2707345(F) 09797477099(M) superintendentdsw@gmail.com

2. जिला सैनिक बोर्ड पंजाब राज्य में 22 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. सैनिक रेस्ट हाउस पंजाब में 16 सैनिक रेस्ट हाउस हैं जो मामूली शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को आवास की सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	0.35 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	2.80 लाख
(स)	-	-	-	-	-	-	1,386
(द)	2 करोड़	1 करोड़	50 लाख	2 करोड़	1 करोड़	50 लाख	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेशन एन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	0.21 लाख	0.14 लाख	11,200	9,800	28,000	14,000	7,000
(ब)	1.40 लाख	0.70 लाख	42,000	21,000	2.80 लाख	1.05 लाख	42,000
(स)	1,116	846	720	588	1,260	972	720
(द)			14 लाख (जी)	10 लाख (जी)	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) नकद निधि (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त राशि अनुदान (जी) शौर्य सेवा (डी) प्रतिष्ठित सेवा

5. समूह 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' पदों में से प्रत्येक में 13% सीटों का आरक्षण, रिक्तियों को दो साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। राज्य ने सेवानिवृत्त सैनिकों की आयु और शैक्षिक योग्यता के संबंध में भर्ती नियमों में भी संशोधन किया है।
6. सेवानिवृत्त सैनिकों को राज्य पुलिस बल में उपयुक्त स्तरों पर प्रेरित किया जाता है।
7. औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में आरक्षण - 5%, गैस एजेंसी - 7.5%।
8. शिक्षा में प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र और 15 वर्ष की सेवा वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को मैट्रिक के समकक्ष माना जाएगा। मैट्रिक योग्यता और 15 साल की सेवा वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को स्नातक के बराबर माना जाएगा। भर्ती नियमों में आयु में छूट लागू।
9. विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए QMTI, किरकी में पैरा पेलजिक होम को 3 लाख रुपये प्रति वर्ष का रखरखाव अनुदान दिया जाता है।
10. पूर्ण दृष्टिहीन सेवानिवृत्त सैनिकों/ पूर्ण दृष्टिहीन विधवाओं को वित्तीय सहायता रू. 1,500/- प्रतिमाह ।
11. लकवाग्रस्त सेवानिवृत्त सैनिकों को शौचालय एवं स्नानागार के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता रु. 20,000/-।
12. विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास के लिए प्रति वर्ष पैरा पेलजिक होम मोहाली को 10 लाख रुपये का अनुदान ।
13. प्रादेशिक सेना अलंकरण/प्रादेशिक सेना पदक* के पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार। पुरस्कार की दरें - जे सी ओ और ओ आर को 1,500/- रुपये, अधिकारियों को 2,500/- रुपये हैं।
14. पंजाब रक्षा सुरक्षा और राहत कोष से सेवानिवृत्त सैनिकों / सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं और युद्ध विधवाओं को उनकी बेटी की शादी के लिए 25,000/- रुपये की वित्तीय सहायता ।
15. सेवारत/सेवानिवृत्त/विकलांग रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण। इंजीनियरिंग - 2%, मेडिकल कॉलेज - 1% और पॉलिटैक्निक - 2%।

16. श्री दशमेश अकादमी, आनंदपुर साहिब में छात्रवृत्ति के साथ सभी वर्गों में लड़कों के लिए सीटों का आरक्षण – ओ आर 20,000/- रुपये, जे सी ओ 15,000/- रुपये और रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कमीशन अधिकारियों के बच्चों के लिए और पुलिस बल के जवान 10,000/- रुपये ।
17. सरकारी अस्पताल में निः शुल्क इलाज, टीबी केंद्र पटियाला में 10 बिस्तर सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं और प्रत्येक जिला अस्पताल में 5 बिस्तर, जहां बिस्तर की उपलब्धता 100 या उससे अधिक है।
18. वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए भूखंडों के आवंटन में 2% आरक्षण ।
19. पीवीसी, एमवीसी, वीआरसी, एसी, केसी, एससी वीरता पुरस्कारों के विजेताओं को सैनिक विश्राम गृह में दो रातों के लिए एक कमरे का निः शुल्क आवंटन, जिसमें 100% विकलांग युद्ध हताहत मामले भी शामिल हैं।
20. सेवानिवृत्त सैनिकों /सेवारत सैनिकों द्वारा मकान/ जमीन को फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम और भूमि किरायेदारी अधिनियम (केवल सेवारत कर्मियों के लिए) में संशोधन किया जा रहा है।
21. द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं, जो गैर पेंशनभोगी हैं, को 4,500/- रुपये प्रति माह वृद्धावस्था वित्तीय सहायता ।
22. राष्ट्रीय आपात स्थिति में सेवा करने वाले सैनिकों के माता-पिता को प्रति वर्ष 10,000/- रुपये की युद्ध जागीर सहायता दी जाती है।
23. शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का अनुग्रह अनुदान और विकलांग सैनिकों के परिवारों को 76% से ऊपर विकलांगता होने पर 20 लाख रुपये, 51% से 75% तक विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये और 25% से 50% तक विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये का विकलांगता अनुदान।
24. 1948, 1962, 1965, 1971, ओपी पवन और मेघदूत की युद्ध विधवाओं को 500/- रुपये प्रति माह रुपये का यात्रा भत्ता।
25. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के विकलांग बच्चों को विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर 450/- रुपये से 750/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
26. पैराप्लेजिक सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों / आश्रितों के लिए चलने-फिरने के उपकरण और अन्य सहायता जैसे ट्राई-स्कूटर, इलेक्ट्रिक बेड आदि की वास्तविक लागत।
27. एन डी ए/आई एम ए/ओ टी ए/एन सी सी सीधे प्रवेश और पी एम टी/सी ई टी परीक्षा के लिए कोचिंग के लिए भुगतान किए गए शुल्क के भुगतान के लिए 'प्री-कोचिंग' योजना के लिए रु. 3,000/- और रु. 4,000/- क्रमशः शुल्क की प्रतिपूर्ति।
28. गैर-पेंशनभोगियों/गैर ई सी एच एस सदस्यों को चिकित्सा उपचार के लिए प्रति मामला 50,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता।

29. बैटल कैजुअल्टी के अलावा किसी अन्य घटना में दिवंगत होने वाले सैनिक के परिवार को 50,000/- रुपये प्रति मामले की वित्तीय सहायता।
30. दिवंगत सैनिक की पत्नी को 300/- रुपये प्रति माह की दर से उसकी पेंशन शुरू होने तक 2 से 6 माह तक, जो भी पहले हो, भरण-पोषण भत्ता।
31. जेसीओ/ओआर की विधवाओं को उनके बच्चों (अधिकतम दो बच्चे) के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय यानी एम बी बी एस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए @ 30,000/- रुपये प्रति केस की दर से एकमुश्त उच्च शिक्षा अनुदान।
32. पांच केंद्रों यानी अमृतसर, जालंधर, पटियाला, होशियारपुर और रोपड़ में आई ई एल टी एस के लिए 1,00,000/- रुपये प्रति केंद्र की दर से कोचिंग कक्षाएं।
33. स्वरोजगार में सहायता के लिए टूल किट के लिए अनुदान @ 20,000/- रुपये प्रति मामला।
34. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 6000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
35. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	रु.15,600 -39,100 + 8,400 (जीपी)
सहायक निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	रु. 47,600
पदस्थापन अधिकारी, अन्य राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं लोग	रु. 47,600

36. पिछली आरएसबी बैठक 30 मार्च 2017 को और एसएमसी बैठक 23 जून 2022 को हुई थी।
37. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण निम्नानुसार है: -

क्रमांक	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नंबर
(अ)	अमृतसर	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, 52, कोर्ट रोड, जीपीओ के सामने, अमृतसर-140001	0183-2563102 dswo_asr@rediffmail.com
(ब)	बठिंडा	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, सिविल लाइंस, सिटी सेंटर मॉल के सामने, बठिंडा	0164-2212612 sainikwelfarebti@rediffmail.com
(स)	फरीदकोट	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय तलवंडी रोड, फरीदकोट - 151203	01639-250788 dswofdk@rediffmail.com
(द)	फतेहगढ़ साहिब	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, शक्ति सदन, सैनिक विश्राम गृह, बचत भवन के पीछे, फतेहगढ़ साहिब - 140407	01763-232287 fgsdsw010@rediffmail.com

(य)	फिरोजपुर	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, सारागढ़ी गुरुद्वारा फिरोजपुर के पास	01632-246211 dswo_fzr@rediffmail.com
(र)	फाजिल्का	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, कमरा नंबर 205, पहली मंजिल, एसडीएम कार्यालय के पास, तहसील परिसर, फाजिल्का	01638-511205 ddswo_fzk@rediffmail.com
(ल)	गुरदासपुर	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, कोर्ट रोड के पास, गुरदासपुर	01874-247205 dswogsp.2011@rediffmail.com
(व)	होशियारपुर	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, ग्रीन व्यू पार्क के पास, कोर्ट रोड होशियारपुर - 146001	01882-295255 dswohpr@rediffmail.com
(श)	जालंधर	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, शास्त्री मार्केट जालंधर	0181-2455423 dswo_jal@rediffmail.com
(ष)	कपूरथला	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, फवारा चौक कपूरथला के पास	01822-232872 kapurthala.dswo@rediffmail.com
(स)	लुधियाना	जिला रक्षा सेवाएं कल्याण कार्यालय, क्लॉक टॉवर के पास, लुधियाना, पिन - 141001	0161-2741066 dswo.ludhiana@rediffmail.com
(ह)	मनसा	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय कमरा संख्या, 37 प्रथम तल, डीसी कॉम्प्लेक्स ,मनसा- 151505	01652-229181 dswo_mansa@rediffmail.com
(क्ष)	मोगा	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, कमरा नं. सी-214, सी- 217 & सी- 214, जिला प्रशासन परिसर, फिरोजपुर रोड, मोगा - 142001	01636-237488 dswo.moga@rediffmail.com
(त्र)	सासनगर	जिला रक्षा सेवाएं कल्याण कार्यालय, सैनिक सदन, फेज-10, सेक्टर-64 सिल्वी पार्क के पास, एसएसनगर - 160062	0172-4650016 ddswo_sas@rediffmail.com
(ज्ञ)	मुक्तसर साहिब	जिला रक्षा सेवाएं कल्याण कार्यालय, हरियाली पेट्रोल पंप के पास, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब पिन-152026	01633-240701 dswo_mkts@rediffmail.com
(अअ)	शहीद भगत सिंह नगर	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, 331, फ्रेंड्स कॉलोनी, नवांशहर, एस बी एस नगर	01823-225075 dswo_nsr@rediffmail.com
(अब)	पटियाला	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब रोड, रेलवे स्टेशन के पास, पटियाला - 147001	0175-2361188 dswo.patiala@rediffmail.com

(अस)	रोपड़	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, रूपनगर, निकट पुराना बस स्टैंड रूपनगर	01881-220324 dswo_rpr@rediffmail.com
(अद)	संगरूर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रणबीर क्लब के पास, क्लब रोड संगरूर - 148 001	01672-234021 dswosangrur@rediffmail.com
(अय)	तरनतारन	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, पुलिस लाइन के पास, अमृतसर रोड, तरनतारन	01832-563102 ddswott@rediffmail.com
(अर)	बरनाला	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, जिला प्रशासनिक परिसर, कमरा संख्या 87-89, द्वितीय तल हंडिया रोड बार नाला -148101	01679-230104 dswobarnala@rediffmail.com
(अल)	पठानकोट	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, पठानकोट डीएसी कॉम्प्लेक्स मलिकपुर, कमरा नंबर 345, पठानकोट	0186-2345789 ddswoptk@rediffmail.com

38. सैनिक विश्राम गृह का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान का पता	आवास उपलब्ध कमरे			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, 52, कोर्ट रोड, जीपीओ के सामने, अमृतसर निकटतम रेलवे स्टेशन - अमृतसर दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - अमृतसर दूरी -12 किमी	6	5	4	0183-2563102
(ब)	सैनिक रेस्ट हाउस, सिविल लाइंस बठिंडा निकटतम रेलवे स्टेशन - बठिंडा दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - बठिंडा दूरी -25 किमी	1	2	3	0164-2212612

(स)	पंजाब सैनिक भवन, सेक्टर-21डी, चंडीगढ़ निकटतम रेलवे स्टेशन - चंडीगढ़ दूरी -10 किमी निकटतम हवाई अड्डा - चंडीगढ़ दूरी -10 किमी	7	7	5	0172-5071128
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस, तलवंडी रोड फरीदकोट निकटतम रेलवे स्टेशन - फरीदकोट, दूरी -2.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - - किमी	2	5	3	01639-250788
(य)	सैनिक विश्राम गृह, सारागढ़ी गुरुद्वारे के पास, फिरोजपुर निकटतम रेलवे स्टेशन - फिरोजपुर, दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा -- दूरी किमी - -	1	2	3	01632-246211
(र)	सैनिक रेस्ट हाउस, सिविल अस्पताल के सामने फतेहगढ़ साहिब निकटतम रेलवे स्टेशन - फतेहगढ़ साहिब दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी किमी - -	2	-	-	01763-232287
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस, डी सी कोर्ट गुरदासपुर के पास निकटतम रेलवे स्टेशन - गुरदासपुर दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी किमी - -	1	1	1	01874-247205

(व)	सैनिक विश्राम गृह ग्रीन व्यू पार्क, कोर्ट रोड, होशियारपुर निकटतम रेलवे स्टेशन - होशियारपुर दूरी-1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी किमी - -	1	1	3	01882-222103
(श)	सैनिक रेस्ट हाउस लाडोवाली रोड, शास्त्री मार्केट जालंधर निकटतम रेलवे स्टेशन - जालंधर शहर, दूरी - 2.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी किमी - -	5	4	3	0181-2455423
(ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, बीडीपीओ ऑफिस कपूरथला के सामने निकटतम रेलवे स्टेशन - कपूरथला दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - - किमी	1	1	2	01822-232872
(स)	सैनिक विश्राम गृह, क्लॉक टावर के पास लुधियाना निकटतम रेलवे स्टेशन - लुधियाना दूरी - 0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -- दूरी - किमी	3	2	7	0161-2741066
(ह)	सैनिक रेस्ट हाउस, बठिंडा रोड मुक्तसर निकटतम रेलवे स्टेशन- मुक्तसर दूरी - 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - - किमी	2	2	1	01633-240701

(क्ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, पुराना बस स्टैंड रोपड़ के पास निकटतम रेलवे स्टेशन - रोपड़, दूरी - 0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - - किमी	2	1	1	01881-220324
(त्र)	सैनिक रेस्ट हाउस, बस स्टैंड के पास पटियाला निकटतम रेलवे स्टेशन - पटियाला दूरी -0.1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - पटियाला दूरी - 6 किमी	4	2	1	0175-236118
(ज्ञ)	सैनिक रेस्ट हाउस, रणवीर क्लब संगरूर के सामने निकटतम रेलवे स्टेशन - संगरूर दूरी - 0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी - - किमी	1	2	3	01672-34021
(अअ)	सैनिक रेस्ट हाउस, सेक्टर 64, चरण 10, सिल्वी पार्क एस ए एस नगर मोहाली के सामने निकटतम रेलवे स्टेशन - मोहाली दूरी - 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - मोहाली दूरी - 8 किमी	8	8	10	0172-4650016

राजस्थान

परिचय

1. राजस्थान राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 2,60,937 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : राजस्थान		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर
सैनिक कल्याण विभाग	ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौर (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग कमरा संख्या-7275, खाद्य भवन, द्वितीय तल, सचिवालय, जयपुर-302005	0141-2227897(O) rajasthansainik@yahoo.com

2. जिला सैनिक बोर्ड राजस्थान राज्य में 24 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. सैनिक विश्राम गृह राजस्थान में 32 सैनिक रेस्ट हाउस हैं, जो मामूली शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को आवास की सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	20 लाख	15 लाख	8 लाख	18 लाख	10 लाख	8.50 लाख	16 लाख
(ब)	25 बीघा	25 बीघा	25 बीघा	25 बीघा	25 बीघा	25 बीघा	25 बीघा
(स)	25 लाख	25 लाख	25 लाख	25 लाख	25 लाख	25 लाख	25 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वार्ड एस एम	वार्डएसएम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेंशन एन डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वी एस एम
(अ)	9.50 लाख	6.50 लाख	6.25 लाख	-	-	-	
(ब)	25 बीघा	25 बीघा	25 बीघा	-	-	-	
(स)	25 लाख	25 लाख	25 लाख	-	-	-	
(द)	-	-	50,000 (D)	25,000	2 लाख	1 लाख	75,000

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) नकद निधि (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त राशि अनुदान (D) - प्रतिष्ठित सेवा

- गुप 'अ' और 'ब' के पदों पर सीटों का आरक्षण- 5 प्रतिशत, गुप 'सी' के पदों पर - 12.5 प्रतिशत और गुप 'डी' के पदों पर - 15 प्रतिशत। आरक्षित रिक्तियों को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। सेवानिवृत्त सैनिकों की आयु और शैक्षिक योग्यता के संबंध में भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है।
- औद्योगिक भूखंड/ शेडों के आवंटन में आरक्षण 2 प्रतिशत, नमक भूखंड-9 प्रतिशत, खान एवं खनिज-10 प्रतिशत, राष्ट्रीय परमिट -10 प्रतिशत एवं हाउस साइट-10 प्रतिशत तथा मकान-2 प्रतिशत, मिल्क वेंडिंग बूथ-प्राथमिकता पर।
- पीआरसी, किरकी में 100% विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों (पैराप्लेजिक/टेट्राप्लेजिक) को सालाना 1,00,000/- रुपये का रखरखाव अनुदान।
- सेवानिवृत्त सैनिकों की 1,000 मेधावी लड़कियों को स्कूल स्तर तक 100/- रुपये प्रति माह और कॉलेज स्तर तक 500/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को 10,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता जो किसी भी पेंशन की प्राप्ति में नहीं हैं।
- मेडिकल कॉलेजों में 1%, इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3% सीटें, पॉलिटैक्निक और बी एड कोर्स में 5% सीटें और प्रत्येक आई टी आई में सेवानिवृत्त सैनिकों के वार्ड के लिए आरक्षित हैं।
- सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायतों में आवासीय भूखंडों का प्रावधान।
- गृह-स्थल एवं निर्मित आवासों के आवंटन में प्राथमिकता, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए भूखण्डों का 10 प्रतिशत एवं फ्लैटों का 2 प्रतिशत आरक्षण।
- सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा भूमि/मकानों की बहाली की सुविधा के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम और भूमि किरायेदारी अधिनियम में संशोधन किया गया है।
- सेवानिवृत्त सैनिकों, विधवाओं और उनके अवयस्क बच्चों, जो आयकर दाता नहीं हैं, के आवासों पर नगरपालिका कर के भुगतान से छूट।

15. सेवानिवृत्त सैनिकों/सेवारत सैनिकों को 10 एकड़ तक बरनी या शिवाचक भूमि का आवंटन।
16. दोहरी पारिवारिक पेंशन - राज्य सरकार ने व्यक्ति की द्वितीय सेवा में दोहरी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की है।
17. राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर सरकारी प्रतिष्ठानों में सेवानिवृत्त सैनिकों के नियोजन के लिए रेक्सको की स्थापना की है।
18. **टेटा पेलेजिक/पैराप्लेजिक सेवानिवृत्त सैनिक** 20,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया है।
19. **युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र** राज्य में जयपुर, झुंझुनू, सीकर में 03 युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र तथा कोटा में बालिका छात्रावास कार्यरत हैं। जोधपुर में नव युद्ध विधवा छात्रावास निर्माणाधीन है।
20. सेवारत सैनिकों की समस्याओं के समाधान हेतु जयपुर में कॉल सेंटर की स्थापना (टोल फ्री नं 18001806212)

(अ) 1-1-1999 से पहले युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और बच्चों तथा युद्ध में विकलांग सेवानिवृत्तसैनिकों के लिए सुविधाएं: -

- (i) नियमानुसार रू. 1,500 से रू. 10,000/- का नकद अनुदान।
- (ii) 25 बीघा सिंचित कृषि भूमि।
- (iii) विधवा या उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को रोजगार उपलब्ध कराया जाना।
- (iv) सभी स्तरों तक नि: शुल्क शिक्षा, स्कूल स्तर पर रू. 1,800/- और कॉलेज स्तर पर रू. 3,600/- तक का वार्षिक वजीफा।
- (v) एक कृषि विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।
- (vi) फ्री बस पास।
- (vii) सम्मान भत्ता रू. 1,500/- प्रति माह केवल युद्ध विधवाओं के लिए।
- (viii) सरकार में होने के संबंध में युद्ध विधवाओं को विशेष आई कार्ड जारी करें। कार्यालय।
- (ix) शहीद सैनिक के नाम पर एक स्कूल/डिस्पेंसरी/अस्पताल/पंचायत भवन/ सड़क/ पार्क/ सार्वजनिक स्थान का नामकरण किया जाएगा।

(ब) **युद्ध विधवाओं और 1-1-1999 के बाद बच्चों के लिए सुविधाएं**

- (i) विधवाओं को 25 लाख रुपये। (इस राशि में से 5 लाख रुपये तत्काल राहत) और आई जी एन पी में 25 बीघा जमीन दी जाएगी।

या

(ii) 25 लाख रुपये (इस राशि में से 5 लाख रुपये तत्काल राहत) और एम आई जी हाउसिंग बोर्ड हाउस।

या

(iii) 50 लाख रुपये। (इस राशि में से 5 लाख रुपये तत्काल राहत)।

(iv) मृतक के माता-पिता को मासिक आय योजनाओं में डाकघर में रु. 3 लाख सावधि जमा दिया जाए।

(v) स्कूल जाने वाले बच्चों को रु. 1,800/- प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में और रु. 3,600/- कॉलेज, तकनीकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए। यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएगी तथा सरकारी स्कूल, कॉलेज, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।

(vi) दिवंगत सैनिक की पत्नी या उसके बेटे या अविवाहित बेटी (स्तर 10 तक) को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए, जब तक कि बच्चा बड़ा नहीं हो जाता और सेवा के लिए योग्य नहीं हो जाता, तब तक दिवंगत सैनिक की पत्नी द्वारा रोजगार के अपने विकल्प को खुला रखने के अधिकार के साथ प्रयोग किया जाता है।

(vii) शहीद सैनिक के नाम पर स्कूल/डिस्पेंसरी/अस्पताल/पंचायत भवन/ सड़क/ पार्क/ सार्वजनिक स्थान का नामकरण किया जाएगा।

(viii) विधवा एवं आश्रित बच्चों के लिए निःशुल्क रोडवेज पास जारी किया जाएगा।

(ix) सरकारी कार्यालयों में होने के सम्मान में युद्ध विधवाओं को विशेष आई कार्ड जारी करें।

(स) **1-1-1999 के बाद युद्ध में विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए सुविधाएं**

(i) 5 लाख रुपये नकद और 25 बीघा जमीन

या

30 लाख नकद

(ii) स्थायी रूप से अक्षम युद्ध हताहतों के लिए स्वयं को या आश्रित को स्तर 10 तक रोजगार प्रदान किया जाएगा।

(द) **समामेलित निधि से सुविधाएं**

(i) छात्रवृत्ति- 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 3,000/- रुपये वार्षिक और उच्च शिक्षा के लिए 5,000/- रुपये वार्षिक और तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए 8,000/- रुपये वार्षिक।

(ii) विवाह अनुदान रु. 15,000/- प्रति बेटी।

(iii) तत्काल राहत 1,000/- रुपये एक बार।

(iv) एन डी ए/सी डी ए/ओ टी ए में पास होने वाले छात्रों को कोचिंग के लिए 5,000/- रुपये दिए जाते हैं।

(v) आई टी आई में सेवानिवृत्तसैनिक प्रशिक्षुओं को 3,000/- रुपये वार्षिक का वजीफा।

(vi) QMIT में स्थायी रूप से विकलांग पूर्व सैनिक प्रशिक्षुओं को 900/- रुपये प्रति माह का वजीफा।

21. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	वर्तमान वेतन में से पेंशन को घटाकर वेतन माना
उप निदेशक	जायेगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	

22. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड और एस एम सी बैठकें 04 मई 2022 को हुई थीं।

23. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण निम्नानुसार है: -

क्रमांक	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नंबर
(अ)	अजमेर	अधिकारी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह बिल्डिंग, राजस्व बोर्ड के सामने, अजमेर- 305001	0145-2627972(O) 9869221000(M) dsboardajmer@gmail.com
(ब)	अलवर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कंपनी गार्डन के पास, अलवर	0144-2338527(O) 9983992774(M) skolw22@gmail.com
(स)	बाड़मेर	अधिकारी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नया रेलवे स्टेशन, बाड़मेर - 344001	02982-221185(O) 9414110528(M) zska-bar-rj@nic.in
(द)	भरतपुर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गोरधनगेट के पास भरतपुर - 321001	05644-223707(O) 9897968855(M) skobtp@gmail.com
(य)	बीकानेर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक विश्राम गृह बिल्डिंग, पब्लिक पार्क के पास, बीकानेर - 334001	0151-2226671(O) 9414038854(M) zska_bikrj@yahoo.in

(र)	भीलवाड़ा	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सी- 221, सुभाष नगर, रिलायंस ऑफिस के सामने, भीलवाड़ा	01482-265133(O) 08442079444(M) bhitorsainik2013@gmail. com
(ल)	चुरू	अधिकारी, जिला सैनिक, कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह भवन, चुरू - 331001	01562-250948(O) 7023000318(M) zskachuru@yahoo.com
(व)	चिरावा	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चिरवा, डालमिया मैदान के पीछे, चिरवा, झुंझुनू	01596-222880(O) 9414431439(M) sainik.chirawaz@gmail.com
(श)	डीडवाना	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जीवन बीमा निगम के पीछे, सैनिक विश्राम गृह भवन, डीडवाना जिला नागौर - 341303	01580-223729(O) 9462080940(M) zska-nag-did-rj@nic.in
(ष)	जयपुर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक विश्राम गृह बिल्डिंग जय सिंह हाईवे बनी- पार्क, जयपुर- 302006	0141-2201487(O) 9461117195 zskajaipur@gmail.com
(स)	जैसलमेर	अधिकारी, सैनिक कल्याण कार्यालया, जैसलमेर, रेलवे स्टेशन के पास, जैसलमेर	02992-250029(O) 9413040796(M) zska-jai-rj@nic.in
(ह)	झुंझुनू	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जुहंझुनू रेलवे स्टेशन के पास झुंझुनू	01592-232653(O) 9441343976(M) ikrarjnn@gmail.com
(क्ष)	जोधपुर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह भवन, राय का बाग, जोधपुर- 342006	0291-2650372(O) 9352355450(M) zska-jod-rj@nic.in
(त्र)	कोटा	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह भवन के सामने भीमराव अस्पताल कोटा	0744-2323712(O) 9412051057(M) zska-kota@yahoo.com

(ज्ञ)	करौली	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय- करौली, सैनिक नगर, चुंगी नाका के पास, हिंडन रोड, करौली	07464-221734(O) 9869221000(M) zskakaroli2018@gmail.com
(अअ)	नागौर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रेलवे स्टेशन के पास, नागौर - 341001	01582-240776(O) 8554912324(M) sainik.nagaur@gmail.com
(अब)	नीम का थाना (सीकर)	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नीमकाथाना (सीकर)	01574-231920(O) 8223815259(M) zska-ntk@yahoo.com
(अस)	पाली	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जयपुर हाईवे रोड पाली, सोजत रोड, पाली- 301406	02932-225230(O) 7891426335(M) zska.pali@rajasthan.in zskk-pali@yahoo.com
(अद)	बहरोड़	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बहरोड़, अलवर) राजस्थान)	01494-222084(O) 9899638571(M) zskabehror@gmail.com
(अय)	शेरगढ़	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, शेरगढ़ जोधपुर (राजस्थान)	02929-243694(O) 7042106047(M) zskashergarh@rajasthan.gov.in
(अर)	सीकर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक विश्राम गृह भवन, कलेक्ट्रेट के पास, सीकर - 332001	01572-254437(O) 9446365900(M) zskasikrj@gmail.com
(अल)	श्रीगंगानगर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय लक्कड़ बाजार, श्री गंगानगर (राजस्थान)	0154-2442547(O) 9914438552(M) zskksgnr@gmail.com
(अय)	टोंक	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, 1/17, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टोंक	01432-245862(O) 9783832223(M) zskatonk04@gmail.com
(अर)	उदयपुर	अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक विश्राम गृह बिल्डिंग 21, रेजीडेंसी रोड, उदयपुर - 313 001	0294-2411724(O) 9462992198(M) zska-uda-rj@nic.in

24. सैनिक विश्राम गृह का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट गृह राजस्व बोर्ड, टोडरमल रोड के पास, अजमेर निकटतम रेलवे स्टेशन-अजमेर दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जयपुर दूरी - 132 किमी	03	03	03+08 आवास	145-2627972
(ब)	सैनिक रेस्ट हाउस छावनी रोड, ब्यावर जिला - अजमेर निकटतम रेलवे स्टेशन-ब्यावर दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जयपुर दूरी - 187 किमी	01	-	02	145-2627972
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस कंपनी गार्डन अलवर के सामने निकटतम रेलवे स्टेशन-अलवर दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जयपुर दूरी - 148 किमी	02	01	15	144-2338527
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस, दयानंद मार्ग, इलेक्ट्रिकल पावर हाउस के पीछे, बहरोड़, जिला - अलवर निकटतम रेलवे स्टेशन-अलवर दूरी -60 किमी निकटतम हवाई अड्डा -दिल्ली दूरी - 150 किमी	01	02	01+01 आवास	1494-222084
(य)	सैनिक रेस्ट हाउस, रामपुरा रोड, तह-बनासुर, जिला- अलवर निकटतम रेलवे स्टेशन-अलवर दूरी -40 किमी निकटतम हवाई अड्डा -दिल्ली दूरी - 140 किमी	01	02	01+01 आवास	0144- 22338527

(र)	सैनिक विश्राम गृह, मानसरोवर झील के सामने, पटेल नगर, जिला - भीलवाड़ा निकटतम रेलवे स्टेशन- भीलवाड़ा दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - किशनगढ़ दूरी - 125 किमी	01	01	01+01 आवास	1482-265133
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस इंद्रा कॉलोनी बाड़मेर निकटतम रेलवे स्टेशन- बाड़मेर दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा- जोधपुर दूरी - 222 किमी	02	01	06	2982-221185
(व)	सैनिक विश्राम गृह, गोरधन गेट भरतपुर के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-भरतपुर दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा-आगरा दूरी - 60 किमी	03	01	2+15	5644-223707
(श)	सैनिक विश्राम गृह सर्कित हाउस के सामने, गांधी सर्कल बीकानेर निकटतम रेलवे स्टेशन-बीकानेर दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जोधपुर दूरी - 256 किमी	02	02	04	151-2226671
(ष)	सैनिक विश्राम गृह, भालेरी रोड, पुलिस लाइन, रोडवेज बस स्टैंड चूरू के पास निकटतम रेलवे स्टेशन-चूरू दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जयपुर दूरी - 200 किमी	02	01	04	1562-250948

(स)	सैनिक रेस्ट हाउस कोर्ट रोड भारद्व चिरावा के पास निकटतम रेलवे स्टेशन- चिरावा दूरी -4 किमी निकटतम हवाई अड्डा- झुंझुनू दूरी - 35 किमी	03	शून्य	शून्य	1596-222880
(ह)	सैनिक रेस्ट हाउस, एलआईसी बिल्डिंग डीडवाना के पीछे (नागौर) निकटतम रेलवे स्टेशन-डीडवाना दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा- जोधपुर दूरी -180 किमी	01	01	01	1580-223729
(क्ष)	सैनिक रेस्ट हाउस सवाई जयसिंह हाईवे रोड बनी पार्क जयपुर निकटतम रेलवे स्टेशन-जयपुर दूरी -2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जयपुर दूरी -15 किमी	06	03	1+16	141-2201487 141-2206971
(त्र)	सैनिक विश्राम गृह, रेलवे स्टेशन जैसलमेर के पास निकटतम रेलवे स्टेशन- जैसलमेर दूरी -0.2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जोधपुर दूरी -305 किमी	02	01	1+12	2992-250029
(ज्ञ)	सैनिक विश्राम गृह, तहसील मुख्यालय के पास, पोकरण, निकटतम रेलवे स्टेशन - पोकरण (बस स्टैंड) दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - पोकरण (बस स्टैंड) दूरी -200 किमी	03	01	10	2992-250029

(अअ)	सैनिक रेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन के पास झुंझुनू-333001 निकटतम रेलवे स्टेशन-झुंझुनू दूरी -0 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जयपुर दूरी -177 किमी	02	-	06	1592-232653
(अब)	सैनिक रेस्ट हाउस, रायका बाग के पास, रेलवे स्टेशन जोधपुर निकटतम रेलवे स्टेशन-जोधपुर दूरी -0 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जोधपुर दूरी -5 किमी	03	03	30	291-2650372
(अस)	सैनिक रेस्ट हाउस तहसील मुख्यालय शेरगढ़ के पास - 342022 निकटतम रेलवे स्टेशन -शेरगढ़, दूरी -0 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जोधपुर दूरी -130 किमी	-	-	04	2929-243694
(अद)	सैनिक विश्राम गृह, जे के लोन अस्पताल, नयापुरा, कोटा निकटतम रेलवे स्टेशन-कोटा दूरी -3 किमी निकटतम एयर पोर्ट - कोटा दूरी -3 किमी	02	02	1+12	744-2323712
(अय)	सैनिक रेस्ट हाउस, नई कोतवाली के पीछे, पाटन रोड, झालावाड़ निकटतम रेलवे स्टेशन-कोटा दूरी -100 किमी निकटतम हवाई अड्डा - कोटा दूरी -100 किमी	02	03	01	744-2323712
(अर)	सैनिक रेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन के पास, संजय कॉलोनी, नागौर निकटतम रेलवे स्टेशन-नागौर दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जोधपुर दूरी -140 किमी	02	02	1+15	1582-240776

(अल)	सैनिक रेस्ट हाउस, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर, सोजत पाली निकटतम रेलवे स्टेशन - पाली दूरी -4 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जोधपुर दूरी -79 किमी	02	01	1+6	2932-225230
(अव)	सैनिक रेस्ट हाउस, गढ़का की चौकी, गंगापुर रोड, जिला- करौली निकटतम रेलवे स्टेशन - पाली दूरी -4 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जयपुर दूरी -165 किमी	02	02	01 आवास	7464-250734
(अश)	सैनिक रेस्ट हाउस, बजरिया चौक, पीडब्ल्यूडी डाक बंगला, रेलवे स्टेशन सवाई के पास, माधोपुर निकटतम रेलवे स्टेशन-सवाई माधोपुर, दूरी -3 किमी निकटतम हवाई अड्डा-कोटा दूरी -145 किमी	02	01	02 हॉल 01 आवास	74464-250734
(अष)	सैनिक रेस्ट हाउस, कोर्ट बिल्डिंग के पास, पी डब्ल्यू डी डाक बंगलो के सामने, सीकर निकटतम रेलवे स्टेशन- सीकर, दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जयपुर दूरी -115 किमी	02	01	12	1572-254437
(अस)	सैनिक रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी कैम्पस, छावनी रोड नीम का थाना, सीकर निकटतम रेलवे स्टेशन-नीम का थाना, दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जयपुर दूरी -130 किमी	01	01	01	1574-231920

(अह)	सैनिक रेस्ट हाउस, कलेक्टर कार्यालय के पास, रेलवे स्टेशन गंगानगर के पीछे निकटतम रेलवे स्टेशन-गंगानगर दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा- पोर्ट- जोधपुर/जयपुर दूरी - 529/484 किमी	02	01	06	154-2442547
(अक्ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, 30/70, चेतक सिनेमा मधुबन कॉलोनी के पीछे उदयपुर निकटतम रेलवे स्टेशन-उदयपुर दूरी -1 किमी निकटतम हवाई अड्डा -उदयपुर दूरी -7 किमी	02	02	05	294-2411724
(अत्र)	सैनिक रेस्ट हाउस, बदनौर रोड, भीम जिला-उदयपुर निकटतम रेलवे स्टेशन-भीम (बस स्टैंड), दूरी -0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - उदय पुर दूरी -250 किमी	-	-	02	294-2411724 2951-250151
(अज्ञ)	सैनिक रेस्ट हाउस, पुलिस लाइन के पास, मेन रोड राजसमंद निकटतम रेलवे स्टेशन- राजसमंद, दूरी -10 किमी निकटतम हवाई अड्डा -उदयपुर दूरी -100 किमी	02	02	02	2952-220496
(अअअ)	सैनिक रेस्ट हाउस, प्ले ग्राउंड के पास हनुमानगढ़ निकटतम रेलवे स्टेशन - हनुमानगढ़, दूरी -02 किमी निकटतम हवाई अड्डा -उदपुर दूरी -200 किमी	02	01	01	154-2442547
(अअ ब)	सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक कॉलोनी, राजगढ़, जिला-चूरू निकटतम रेलवे स्टेशन - राजगढ़, दूरी -02 किमी निकटतम हवाई अड्डा- जयपुर दूरी -225 किमी	02	01	01	156-2250948

सिक्किम**प्रस्तावना**

1. सिक्किम राज्य में अप्रैल, 2022 तक कुल 1,493 पूर्व सैनिक/वीर नारी/विधवा है। जिनकी शिकायतों एवं अन्य आवश्यकताओं को राज्य के सैनिक कल्याण विभाग एवं उसके अधीन जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से सुना जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड - सिक्किम		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं.
राज्य सैनिक बोर्ड	कर्नल विजय बासनेट (सेवानिवृत्त) सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, सिक्किम सरकार, पालीजोर स्टेडियम रोड, गैंगटोक-737101	03592-233564(O) rsbgangtok@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** सिक्किम राज्य में 03 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक विश्राम गृह** सिक्किम राज्य में 06 सैनिक विश्राम गृह है जो पूर्व सैनिकों को कम खर्च में शयनशाला की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	1 करोड़	50 लाख	20 लाख	50 लाख	15 लाख	10 लाख	2 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	1 लाख/ प्रतिवर्ष	0.70 लाख/ प्रतिवर्ष	-	2 लाख/ प्रतिवर्ष	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	1.50 लाख	1 लाख	5 लाख	1 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नगद अनुदान (ब) जमीन के बदले नगद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. **आरक्षण** सिक्किम सरकार की अधिसूचना संख्या: 87/Gen/DOP दिनांक 23 मार्च, 1998 के अनुसार ग्रुप 'सी' व 'डी' के पदों में 3 प्रतिशत आरक्षण।
6. **आयु में छूट** सरकारी सेवाओं में सेवानिवृत्त सैनिकों को पुर्ननियुक्ति हेतु आयु में छूट प्रदान की जाएगी।
7. **छात्रवृत्ति**
- (अ) रू. 1,500/- प्रतिवर्ष घर से स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को।
- (ब) रू. 3,000/- प्रतिवर्ष छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को।
- (स) रू. 3,000/- प्रतिवर्ष पेइंग गेस्ट के रूप में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को।
8. **वृद्धावस्था पेंशन** रू. 600/- प्रतिमाह 70 वर्ष से कम आयु के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं (पेंशन विहीन) को तथा रू. 1,000/- प्रतिमाह 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को।
9. **मृत्यु राहत अनुदान** सेवानिवृत्त सैनिक अथवा दिवंगत सैनिक की पत्नी की मृत्यु पर राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा कार्पस फण्ड से रू. 2,000/- (एक बार) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पास पूर्व सैनिक का पहचान-पत्र उपलब्ध है।
10. **आर्थिक सहायता** विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को नये कृत्रिम अंग खरीदने अथवा पुराने कृत्रिम अंग की मरम्मत हेतु रू. 900/- प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
11. **रेफरल अनुदान** रू. 10,000/- का अनुदान यदि सेवानिवृत्त सैनिक को सिक्किम प्रदेश के बाहर इलाज हेतु रेफर किया जाता है।
12. **प्रतिपूर्ति** - इलाज पर हुए व्यय की बिल प्रस्तुत करने पर राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा रू. 1,500/- की चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
13. **चश्मा भत्ता** - राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनकी विधवाओं (पेंशन विहीन) को रू. 1,500/- (दो वर्ष में एक बार) की आर्थिक सहायता चश्मा बनवाने हेतु प्रदान की जाती है।
14. **आर्थिक सहायता** - आर्थिक तंगी से जूझ रहें सेवानिवृत्त सैनिकों/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों को जांचोपरान्त रू. 2,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
15. **विवाह अनुदान** - राज्य सैनिक बोर्ड, सिक्किम सरकार द्वारा अधिकतम दो पुत्रियों हेतु रू. 2,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
16. **अनाथ सहायता** - राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा रू. 500/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता बच्चों को विवाह होने तक प्रदान की जाती है। यह सहायता मात्र दो बच्चों तक सीमित है।

17. द्वितीय विश्व युद्ध के वृद्धों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों (पेंशन विहीन) को रू. 10,000/- प्रतिमाह का अनुग्रह अनुदान ।
18. युद्ध में शहीद सभी रैंक के सैनिकों को रू. 25 लाख एवं घायल सैनिकों को रू. 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त वीर नारी एवं वीर माता को तत्काल रू. 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
19. सिक्किम सरकार दिनांक 01 जनवरी, 1999 से 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को एसएनटी बसों के मुफ्त पास उपलब्ध कराये जाते हैं।
20. सिक्किम में पूर्व सैनिकों और विधवाओं को केवल घरेलू उद्देश्यों के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त में उपभोग करने की अनुमति दी गई है।
21. कक्षा-5 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा/मुफ्त किताब/कापी/यूनीफार्म/स्कूल बैग एवं मिड डे मील प्रदान की जाती है।
22. सिक्किम सरकार के जिला कलेक्टर द्वारा जारी सिक्किम के स्वामित्व के प्रमाण-पत्र के धारकों को आयकर में छूट प्रदान की जाती है।
23. वेतनमान एवं अधिकारियों का स्तर: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	रू. 46,428/- प्रतिमाह (समेकित)
अन्य प्लेसमेंट अधिकारी राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला सैनिक कल्याण	पे बैंड रू. 5200/- - 20000/- + 3400 ग्रेड पे

24. राज्य सैनिक बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 04 मई, 2018 को तथा एसएमसी की बैठक दिनांक 05 मई, 2018 को हुई थी।
25. जिला सैनिक बोर्ड के सम्पर्क सूत्र निम्न है:-

क्रम सं.	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं०
(अ)	गैंगटोक पूर्व/उत्तर सिक्किम	जिला सैनिक बोर्ड, उत्तर/पूर्व, सिक्किम सरकार, पीएस रोड, गैंगटोक-737101	03592-201062(O) 8372834882(M)/Staff 8768946740(M)/Staff zsbgtk@gmail.com
(ब)	दक्षिण सिक्किम	जिला सैनिक बोर्ड, (दक्षिण) सिक्किम सरकार, नामची-737126	03595-263003(O) 7602081402(M)/Staff 7551846793(M)/Staff zsbnamchi12@gmail.com

(स)	पश्चिम सिक्किम	जिला सैनिक बोर्ड, ग्यालशिंग, सिक्किम सरकार	03595-263003(O) 8759137591(M)/Staff 7076719212(M) zsbgyz@gmail.com
-----	----------------	--	---

26. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण निम्नवत् है:

क्रम सं.	स्थान एवं पता	कमरों की उपलब्धता			सम्पर्क सूत्र
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक विश्राम गृह, पी. एस. रोड, गैंगटौक-737101 निकटतम रेलवे स्टेशन-एनजेपी दूरी-122 किमी निकटतम एयरपोर्ट-बागडोगरा दूरी-125 किमी	-	5	7	03592-201062 083728-34882
(ब)	सैनिक विश्राम गृह, नामची, (दक्षिण) सिक्किम - 737126 निकटतम रेलवे स्टेशन-एनजेपी दूरी-115 किमी निकटतम एयरपोर्ट-बागडोगरा दूरी-108 किमी	2	2	5	03595-263003 076020-19212
(स)	सैनिक विश्राम गृह, जोरेथांग, (दक्षिण) सिक्किम - 737121 निकटतम रेलवे स्टेशन-एनजेपी दूरी-110 किमी निकटतम एयरपोर्ट-बागडोगरा दूरी-101 किमी	1	2	5	076029-89833
(द)	सैनिक विश्राम गृह, ग्यालशिंग, पश्चिम सिक्किम निकटतम रेलवे स्टेशन-एनजेपी दूरी-140 किमी निकटतम एयरपोर्ट-बागडोगरा दूरी-135 किमी	2	2	4	03595-250067 087594-37591

(य)	सैनिक विश्राम गृह, हींगांव, पश्चिम सिक्किम- 737113 निकटतम रेलवे स्टेशन-एनजेपी दूरी-134 किमी निकटतम एयरपोर्ट-बागडोगरा दूरी-121 किमी	-	2	-	03595-250067 097350-37418
(र)	सैनिक विश्राम गृह, शिंगटोम, पूर्व सिक्किम- 737132 निकटतम रेलवे स्टेशन-एनजेपी दूरी-92 किमी निकटतम एयरपोर्ट-बागडोगरा दूरी-98 किमी	2	3	9	087689-46740

तमिलनाडु**प्रस्तावना**

1. तमिलनाडु राज्य में अप्रैल, 2022 तक कुल 1,90,317 सेवानिवृत्त सैनिक/वीर नारी/विधवाएं हैं। जिनकी शिकायतों एवं अन्य आवश्यकताओं को राज्य के सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) एवं उसके अधीन जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से सुना जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : तमिलनाडु		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं०
सैनिक कल्याण विभाग	मेजर वी एस जया कुमार (सेवानिवृत्त) अतिरिक्त निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय, 22, राजा मुथई सलाई, चोलाई, चेन्नई-600003	03592-233564(O) exweldte@tn.gov.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** तमिलनाडु राज्य में 30 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** तमिलनाडु राज्य में 08 सैनिक विश्राम गृह है जो सेवानिवृत्त सैनिकों को कम खर्च में शयनशाला की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	25 लाख	15 लाख	10 लाख	20 लाख	12 लाख	08 लाख	0.75लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/ नौसेना/ वायुसेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	0.40लाख	0.25लाख	1 लाख	0.15 लाख	0.75 लाख	0.40लाख	0.25लाख

लीजेंड: (अ) नगद अनुदान (ब) जमीन के बदले नगद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. ग्रुप 'सी' पद-5 प्रतिशत, ग्रुप 'डी' पद-10 प्रतिशत, वन रक्षक 10 प्रतिशत, वन चौकीदार-5 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत, एन सी सी (लश्कर, चालक, चौकीदार के पद पर), लाइव स्टॉक इन्स्पेक्टर-5 प्रतिशत एवं पुलिस कान्स्टेबल ग्रेड-II-5 प्रतिशत।
6. मूल सेवा: (10 प्रतिशत) नगर निगम, सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और बोर्डों में।
7. राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति के लिए आयु में छूट बी सी /एस सी/एस टी के लिए 53 वर्ष और अन्य जाति के लिए 48 वर्ष है।
8. मिलिट्री ट्रेड के समतुल्य सिविल ट्रेड की स्वतःस्वीकृति ।
9. ग्रुप 'सी' के पद पर आर्म्ड फोर्सिस द्वारा जारी स्नातक सर्टीफिकेट को मान्यता।
10. सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए मंदिर सुरक्षा बल में नौकरी के अवसर।
11. सेवानिवृत्त सैनिकों को होम गार्ड में पार्ट टाइम सेवा का लाभ।
12. सेवानिवृत्त सैनिक जिन्होंने आर्मी में 06 माह फिजीकल ट्रेनिंग एजुकेशन पूर्ण किया है उन्हें अलागप्पा विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्लासेस दी जाएंगी जिससे वह सरकारी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर आवेदन कर सकें।

आर्थिक सहायता

13. सेवानिवृत्त सैनिकों (जे सी ओ रैंक तक) को एक पुत्री के विवाह के लिये रू. 20,000/- का विवाह अनुदान।
14. राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय इंडियन मिलेट्री कालेज में अध्ययनरत छात्रों को रू. 40,000/- प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति।
15. सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को रू. 1 लाख की एकमुश्त अनुदान जिन्होंने आर्म्ड फोर्सिस में स्थायी कमीशंड आफिसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया हो, रू. 50,000/- का एकमुश्त अनुदान जिन्होंने शार्ट सिर्विस कमिशन आफिसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया हो तथा रू. 25,000/- का एकमुश्त अनुदान जिन्होंने जूनियर कमीशंड आफिसर या किसी अन्य रैंक पर कार्यभार ग्रहण किया हो।
16. सेवानिवृत्त सैनिकों जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र या पुत्री को आर्म्ड फोर्सिस में भेजा है उन्हें रू. 20,000/- (मात्र एक बार) व रू. 1,000/- के मूल्य का सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा तथा एक से अधिक पुत्र या पुत्रियों को आर्म्ड फोर्सिस में भेजा है उन्हें रू. 25,000/- (मात्र एक बार) व रू. 1,000/- के मूल्य का सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा।

17. गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों को किडनी प्रत्यारोपण या ओपन हार्ट सर्जरी जैसी बड़ी सर्जरी के लिए 50,000/- रुपये का अनुदान।
18. सभी रैंक के सेवानिवृत्त सैनिकों के अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 10,000/- रुपये और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए 5000/- रुपये की वित्तीय सहायता।
19. विश्वयुद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों को 6,000/- रुपये प्रति माह और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को 3,000/- रुपये प्रतिमाह का आजीवन अनुदान जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान सेवा की है और जिन्हें पेंशन/ग्रेच्युटी की प्राप्ति नहीं हो रही है।
20. जीवनपर्यंत 25,000/- रुपये का मासिक अनुदान गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक 60 वर्ष और उससे अधिक की दिवंगत सैनिकों की पत्नियां जो गरीबी में हैं (जे सी ओ स्तर तक) ।
21. पूरी तरह से दृष्टिहीन सेवानिवृत्त सैनिक/आश्रितों को रु. 3000/- का आजीवन अनुदान बशर्ते कि उन्हें अन्य स्रोतों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो (जे सी ओ स्तर तक) ।
22. कुष्ठ रोग से प्रभावित सेवानिवृत्त सैनिक/आश्रितों को रु. 3,000/- प्रति माह का आजीवन अनुदान (जे सी ओ स्तर तक) ।
23. मानसिक रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों के मंद बच्चों को 3000/- रुपये प्रति माह का आजीवन अनुदान (जे सी ओ स्तर तक) ।
24. कैंसर से प्रभावित पूर्व सैनिक/आश्रितों को रु. 3,000/- प्रतिमाह का आजीवन अनुदान (जे सीओ स्तर तक) ।
25. रुपये 2,500/- प्रतिमाह का आजीवन अनुदान उन सेवानिवृत्त सैनिकों/आश्रितों को जो पैराप्लेजिक हैं। (जे सी ओ स्तर तक) ।
26. विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों/उनके आश्रितों को 2,500/- रुपये प्रति माह का आजीवन अनुदान। (जे सी ओ स्तर तक)
27. मारे गए या 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग रक्षा कर्मियों की बेटियों को 1 लाख रुपये और थिरुमंगलम बनाने के लिए 8 ग्राम सोने का सिक्का विवाह अनुदान के रूप में एवं जिनकी विकलांगता 50 प्रतिशत के कम है उनको 50,000/- रुपये और थिरुमंगलम बनाने के लिए 8 ग्राम सोने का सिक्का विवाह अनुदान।
28. युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों/निकटस्थ परिजनों को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और समामेलित निधि से कार्रवाई में विकलांग रक्षा कर्मियों को 50,000/- रुपये अनुदान।

29. कारगिल रक्षा कार्मिक राहत कोष से सेवारत रक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान जो शत्रु सेना के विरुद्ध कार्रवाई/उग्रवाद विरोधी अभियानों/नागरिक शक्ति की सहायता में कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए/विकलांग हो गए -

(अ) शहीद - रू. 20 लाख रुपये

(ब) विकलांगता

(i) पूरी तरह से विकलांग/दोगुनी विकलांग/ पूर्णतया दृष्टिबाधित : रू. 15 लाख रुपये

(ii) एकल विकलांग/एक आँख से दृष्टिबाधित : रू. 10 लाख रुपये

30. मारे गए रक्षा कार्मिकों और युद्ध/युद्ध जैसे अभियानों में अपंग हुए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को जीवनपर्यंत रु 25,000/- का वार्षिक अनुरक्षण अनुदान।

31. स्वतंत्रता के बाद सभी संघर्षों में मारे गए रक्षा कर्मियों की पत्नियों और विकलांग कर्मियों को 50,000/- रुपये का आवास अनुदान।

32. सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों की साक्षरता में सुधार हेतु अनुदान की दरें निम्नानुसार हैं: -

(अ)	पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक	रू 500/- प्रति वर्ष
(ब)	छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक	रू 800/- प्रति वर्ष
(स)	9वीं से 10वीं कक्षा तक	रू 1000/- प्रति वर्ष
(द)	उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा	रू 1500/- प्रति वर्ष
(य)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	रू 10,000/- प्रति वर्ष
(र)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	रू 20,000/- प्रति वर्ष
(ल)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	रू 25,000/- प्रति वर्ष
(व)	यूजी एंड पीजी कोर्सेज (आर्ट्स एंड साइंस)	रू 10,000/- प्रति वर्ष

विविध सहायता

33. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों द्वारा लिए गए ऋणों पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी पर 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति और स्वयं सहायता समूहों से स्वरोजगार उद्यमों के लिए गए ऋणों पर 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति अधिकतम 15 लाख रुपये।

34. सेवानिवृत्त सैनिकों/आश्रितों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 लाख रुपये ऋण तक।

35. युद्ध में शहीद सैनिकों की वीर नारियों/युद्ध में विकलांग होने वाले और परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र और रक्षा परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं को हाउस टैक्स की प्रतिपूर्ति।

36. सेवानिवृत्त सैनिकों को औद्योगिक शेड के निर्माण/औद्योगिक भूखंडों की खरीद के लिए 50,000/- रुपये की सब्सिडी।
37. जिला सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित सिलाई इकाइयों में प्रशिक्षुओं को वास्तविक उपस्थिति के लिए रू. 50 प्रतिदिन व कच्चे माल के लिए रू. 1,000/- प्रति माह का वजीफा। टेलरिंग कोर्स पूरा करने वाले सभी प्रशिक्षुओं को मुफ्त सिलाई मशीन।
38. सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए वास्तविक शैक्षिक व्यय।
39. आग/बाढ़/नागरिक दंगे में आकस्मिक मृत्यु और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट के निवारण के लिए रू. 15,000/- तक का अनुदान नहीं।
40. विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित कृत्रिम डेन्चर, चश्मा और हियरिंग एड उपकरण, कृत्रिम अंग, सर्जिकल बूट/जैकेट/बैसाखी या अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 3,000/- रुपये तक का अनुदान।
41. दीपावली महोत्सव की पूर्व संध्या पर कुष्ठ रोगियों को रु. 2500/- के उपहार।
42. कुष्ठ एवं क्षय रोग के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती सेवानिवृत्त सैनिकों को साल में एक बार अपने घर जाने के लिए परिवहन शुल्क।
43. सेवानिवृत्त सैनिक को 50 रुपये प्रतिदिन की पॉकेट मनी जो टीबी/कुष्ठ/कैंसर से पीड़ित हैं और तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुमोदित टी बी सेनेटोरियम/लेप्रोसेरियम/कैंसर संस्थानों में तथा साथ ही सरकारी सामान्य अस्पताल/पुनर्वास गृहों में इलाज कराते हैं।
44. चेन्नई के निराश्रित सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाएं जो "निमाधिइलम" के रहवासी हैं, को रू. 1,000/- प्रति माह का भुगतान।

अन्य लाभ

45. सेवानिवृत्त सैनिकों को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की भर्ती में लिये जाने वाली परीक्षा शुल्क में छूट।
46. राज्य सरकार में नियुक्ति में चिकित्सा परीक्षण हेतु ली जाने वाली फीस में छूट।
47. रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार के मामले में सेवानिवृत्त सैनिकों के एक आश्रित को प्राथमिकता।
48. शत्रु/उग्रवाद विरोधी अभियानों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए/अक्षम हो गए सेवा कर्मियों तथा सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति।
49. सेवारत सैनिकों के पति/पत्नी को निकटतम स्टेशन पर स्थानांतरण और पोस्टिंग में प्राथमिकता।

50. तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम द्वारा निर्मित औद्योगिक शेड के आवंटन में 10 प्रतिशत का आरक्षण।
51. भूमि की बहाली के लिए भूमि काश्तकारी अधिनियम में संशोधन किया गया है।
52. स्टेट हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित आवास/फ्लैट/प्लॉट के आवंटन में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 7 प्रतिशत का आरक्षण।
53. मकानों के आवंटन में प्राथमिकता।
54. सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में बैठने वाले युवाओं के लिए निशुल्क प्रारंभिक प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।
55. तमिलनाडु के मूल निवासी सेवानिवृत्त सैनिकों/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और सेवारत सैनिकों को कृषि प्रयोजनों के लिए पंपसेटों के लिए बिजली कनेक्शन प्रदान करने में प्राथमिकता।
56. सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को अधिकारियों के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण तैयार करना। www.exweletutor.com के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग और परीक्षा से पहले 10 दिनों के लिए ऑफलाइन डायरेक्ट कोचिंग।
57. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निर्देशक	
संयुक्त निदेशक	61900-196700 (स्तर-26)
उपनिदेशक	59300-187700 (स्तर-25)
लेखा अधिकारी	56900-180500 (स्तर-23)
सहायक निदेशक	56100-177500 (स्तर-22)

58. राज्य सैनिक बोर्ड की पिछली बैठक 16 सितंबर 2015 को और 28 मई 2014 को एस एम सी की बैठक आयोजित की गई।
59. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं०
(अ)	चेन्नई	सहायक निदेशक, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, मेजर परमेश्वरन मेमोरियल बिल्डिंग, 2, वेस्ट माडा स्ट्रीट श्रीनगर कॉलोनी, सैदापेट, चेन्नई पिन-600015	044-22350780 exwelchn@tn.gov.in

(ब)	कोयंबटूर	सहायक निदेशक, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सेवा केंद्र, हुजूर रोड, कोयंबटूर-641018	0422-2974107 exwelcbe@tn.gov.in
(स)	कुडदलोर	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सेवा केंद्र, नंबर 33, 2 क्रॉस स्ट्रीट, सीताराम नगर, पुदुपलायम कुडदलोर- 607001	04142-220732 exwelcud@tn.gov.in
(द)	डिंडीगुल	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सेवा केंद्र, मास्टर प्लान कॉम्प्लेक्स, कलेक्ट्रेट डिंडीगुल-624305	0451-2460086 exweldgl@tn.gov.in
(य)	धर्मपुरी	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, नंबर एच-49, कल्लियप्पा निवास, टीएनएचबी, अववाई नगर, ओथापट्टी, धर्मपुरी-636705	04342-297844 exweldpi@tn.gov.in
(र)	इरोड	उप निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, जवान भवन, गांधीजी रोड, (मणिकम थिएटर के पास), इरोड-638001	0423-2263227 exwelerd@tn.gov.in
(ल)	कांचीपुरम् @ तामबरम, चेन्नई	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, नं. 2, जीएसटी रोड, जीवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तामबरम, चेन्नई- 600045	044-22262023 exwelkpm@tn.gov.in
(व)	कन्याकुमारी @ नागरकोइल	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सेवा केंद्र और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेलवे फीडर रोड, कोट्टार, नागरकोइल- 629002	04652-243515 exwelkkm@tn.gov.in

(श)	कृष्णागिरी	सहायक निदेशक, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक केंद्र, 433, बैंगलोर रोड, कृष्णागिरी- 635001	04343-236134 exwelkgi@tn.gov.in
(ष)	मदुरै	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सेवा केंद्र, मदुरै जंक्शन के पास, रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, मदुरै-625016	0452-2308216 exwelmdu@tn.gov.in
(स)	नागापट्टिनम	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, जीडी फ्लोर, कलक्टे कॉम्प्लेक्स, नागापट्टिनम- 611002	04365-253042 exwelngp@tn.gov.in
(ह)	नमक्कल	सहायक निदेशक, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, आर.डी.ओ. ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मोहनूर रोड, नमक्कल-637001	04286-233079 exwelnmk@tn.gov.in
(क्ष)	पुडुकोट्टई	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सेवा केंद्र, कल्याणरामपुरम, पहली गली, थिरुकोकर्णम पी.ओ. पुडुकोट्टई पिन-622002	04322-221593 exwelpdk@tn.gov.in
(त्र)	रामनाथपुरम	उपनिदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सेवा केंद्र, मास्टरप्लान कॉम्प्लेक्स, कलेक्टर कार्यालय, रामनाथपुरम पिन-623503	04567-230045 exwelrmd@tn.gov.in
(ज्ञ)	सलेम	सहायक निदेशक जिला भूतपूर्व सैनिक कल्याण, कक्ष संख्या 307, तीसरी मंजिल कलक्टे कॉम्प्लेक्स, सलेम, पिन-636001	0427-2410903 exwelslm@tn.gov.in
(अअ)	शिवगनागई	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिकसेवा केंद्र, मारुथुपंडियार नगर, शिवगनागई पिन-623 560	04575-240483 exwelsvg@tn.gov.in

(अब)	तंजावुर	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, पूर्व सैनिक केंद्र, मुथुकुमारा, मूपनार रोड, प्रधान डाकघर के सामने, तंजावुर-613001 (तमिलनाडु)	04362-230104 exweltnj@tn.gov.in
(अस)	नीलगिरी	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सेवा केंद्र, गुड्स शेड रोड, उधगमनदलम, पिन- 643001	0423-2444078 exwelnlg@tn.gov.in
(अद)	थेनी	उप निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, द्वितीय तल, कलेक्ट्रेट परिसर, थेनी- 625531	04546-252185 exwelthn@tn.gov.in
(अय)	टूथुकुडी	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक केंद्र, तूविपुरम, 9वीं स्ट्रीट, टूथुकुडी पिन-628003	0461-2321678 exweltut@tn.gov.in
(अर)	तिरुचिरापल्ली	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सेवा केंद्र, 19-1, वार्नर रोड कैंटोनमेंट, तिरुचिरापल्ली-620001	0431-2410579 exweltry@tn.gov.in
(अल)	तिरुनेलवेली	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर, एक्स सर्विसेज सेंटर, पलयमकोट्टई, तिरुनेलवेली- 627002	0462-2560440 exweltnv@tn.gov.in
(अव)	थीरुवल्लूर	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, संख्या 6/25, लालबहादुर शास्त्री रोड, पेरियाकुप्पम थीरुवल्लूर-602001	044-27663163 exweltr@tn.gov.in
(अश)	तिरुवननमलाई	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, पहली मंजिल, कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वेंगीक्कल, तिरुवननमलाई,पिन- 606604	04175-233047 exweltnm@tn.gov.in

(अष)	वेल्लोर	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, जवान भवन, नियर मेन टेलीफोन एक्सचेंज, वेल्लोर-632001	0416-2220432 exwelvel@tn.gov.in
(अस)	विल्लुपुरम	सहायक निदेशक नंबर 18/13, चेयरमैन चिदंबरम सेंट, वेस्ट शनमुगपुरम कॉलोनी, विल्लुपुरएम, पिन-605602	04146-220524 exwelvpm@tn.gov.in
(अह)	विरूधूनगर @ श्रीविलीपुथुर	सहायक निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सेवा केंद्र, 10, पेरियास्वामी, कोइल स्ट्रीट, श्रीविलीपुथुर-626125	04563-260382 exwelvnr@tn.gov.in

59. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण निम्नवत् है: -

क्रम सं.	स्थान एवं पता	कमरों की उपलब्धता			सम्पर्क सूत्र
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	निदेशालय, पूर्व सैनिक कल्याण 22, राजा मुथैया सलाई, चेन्नई-600003 निकटतम रेलवे स्टेशन - चेन्नई सेंट्रल दूरी - 2 किमी निकटतम हवाई अड्डा - चेन्नई दूरी - 18 किमी	हाँ	हाँ	हाँ	044-26691342 044-26691747
(ब)	भूतपूर्व सैनिक केंद्र 27, ट्रैवेलर्स बंगला रोड, उपपीलीपलायम, कोयंबटूर- 641 018 चेन्नई-600 003 निकटतम रेलवे स्टेशन - कोयंबटूर दूरी - 1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - कोयंबटूर दूरी - 5 किमी	हाँ	हाँ	हाँ	0422-2974107

(स)	भूतपूर्व सैनिक केंद्र, अन्ना ओवर ब्रिज कुड्डालोर के पास - 607 002 निकटतम रेलवे स्टेशन - तिरुप्पापालीयुर दूरी - 1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - चेन्नई दूरी - 200 किमी	हाँ	हाँ	हाँ	04142-220732
(द)	भूतपूर्व सैनिक केंद्र और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेलवे फीडर रोड, कोट्टार, नागरकोइल-629002 निकटतम रेलवे स्टेशन - नागरकोइल दूरी - 0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - तिरुवनंदपुरम दूरी - 75 किमी	हाँ	हाँ	हाँ	04652-243515
(य)	भूतपूर्व सैनिक केंद्र, थूविपुरम, 9वीं सेंट थूथुकुडी- 628 003 निकटतम रेलवे स्टेशन - थूथुकुडी दूरी - 5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - मदुरैवर्गईकुलम थूथुकुडी दूरी - 180/25 किमी	हाँ	हाँ	हाँ	0461-2321678
(र)	32/8-1, वेस्ट वेलि स्ट्रीट, मदुरै-625001 निकटतम रेलवे स्टेशन - मदुरै दूरी - 200 मीटर निकटतम हवाई अड्डा - मदुरै दूरी - 6 किमी	हाँ	हाँ	हाँ	0452-2340103
(ल)	106/3, गांधीजी रोड, जवान भवन, इरोड-638001 निकटतम रेलवे स्टेशन - इरोड - दूरी 1 किमी निकटतम हवाई अड्डा - कोयम्बटूर - दूरी 100 किमी	हाँ	हाँ	हाँ	0424-2263227

(व) मुथुकुमार मूपनार रोड, प्रधान डाकघर के सामने, तंजावुर-613 001 निकटतम रेलवे स्टेशन - तंजावुर दूरी 500 मीटर निकटतम हवाई अड्डा - तिरुचिरापल्ली दूरी - 45 किमी	हाँ	हाँ	हाँ	04362-230104
---	-----	-----	-----	--------------

तेलंगानाप्रस्तावना

1. तेलंगाना राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 38,097 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : तेलंगाना		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं०
सैनिक कल्याण विभाग	कर्नल पी. रमेश कुमार (सेवानिवृत्त) निदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण, द्वितीय तल, सैनिक आराम घर परिसर, सूर्यनगर कॉलोनी, सोमाजीगुड़ा हैदराबाद-082	040-23423211(O/F) directorrsb-ts@nic.in

2. जिला सैनिक बोर्ड तेलंगाना राज्य में 10 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. सैनिक रेस्ट हाउस तेलंगाना में 03 सैनिक रेस्ट हाउस हैं जो नाममात्र के शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को रेस्ट हाउस की सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	2.25 करोड़	1.25 करोड़	75 लाख	2.25 करोड़	1.25 करोड़	75 लाख	25 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेंशन एन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	1 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(ब)	-	-	-	-	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(स)	-	-	-	-	400	300	250
(द)	20लाख	5 लाख	30 लाख	25लाख	-	-	-

लीजेंड: (अ) नगद अनुदान (ब) जमीन के बदले नगद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. तेलंगाना सरकार ने किसी भी एक घर के लिए संपत्ति कर में छूट के आदेश जारी किए हैं, चाहे सेवानिवृत्त सैनिकों / सेवारत कर्मियों या उनकी पत्नी के नाम पर हो। इसमें मंजिल की कोई सीमा नहीं है। प्राधिकार: GO. Ms क्रमांक 301, एम ए एवं यू डी (2) विभाग, दिनांक 27-12-2016 के अनुसार।

6. विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त सैनिकों के मानदेय में वृद्धि। 10,000/- से 20,000/- प्रति माह। प्राधिकार: शासनादेश एम एस गृह विभाग (क्रमांक IV), क्रमांक 05 दिनांक 16-01-2017।

7. पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनरों के परिवारों के लिए दोहरी पारिवारिक पेंशन को तेलंगाना सरकार द्वारा जीओ के माध्यम से अनुमोदित किया गया है। एम एस वित्त (एचआरएम-वी) विभाग के क्रमांक 9, दिनांक 16-01-2017।

8. ग्रुप 2 और 4 के पदों पर 2 प्रतिशत का आरक्षण (रोस्टर पॉइंट्स के अनुसार)।

9. 19 मार्च 1994 से राज्य द्वारा युद्ध जागीर भत्ता रु. 150/- प्रति वर्ष एक बच्चे के लिए और रु. 50/- प्रति वर्ष अतिरिक्त बच्चे के लिये।

10. उन सभी रैंकों के लिए अनुग्रह अनुदान जो गंभीर रूप से अक्षम हैं और सेवा से बाहर हो गए हैं। प्राधिकार: G.O.Ms. जीए (पोल. बी) विभाग का नंबर 26 दिनांक 28-01-2014)।

(अ)	मारे गये सैनिक	- रु. 5,00,000/-
(ब)	कार्रवाई में विकलांग हुए सैनिक	
(i)	पूरी तरह से विकलांग, और पूरी तरह से नेत्रहीन	- रु. 3,00,000/-
(ii)	एकल विकलांगता एवं एक आँख से नेत्रहीन, बधिर, पैर की उंगलियों	- रु. 2,00,000/-
(iii)	जलने, बंदूक की गोली के घाव युद्ध दुर्घटनाएं, मल्टी कंपाउंड फ्रैक्चर	- रु. 1,00,000/-

11. पैरापेलजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, किरकी में विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए 1,00,000/- रुपये का अनुरक्षण अनुदान।
12. गैर. पेंशन भोगी द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की विधवाओं को 6,000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता 22.12.2015 से प्रभावी।
13. टी.बी. से पीड़ित सेवानिवृत्त सैनिकों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी टीबी चिकित्सा संस्थानों में भर्ती कराया जाता है। (प्राधिकार: G.O.Ms. No 2289, dt 11-10-1976 of Health Housing and Mun Admn Department)
14. राज्य सरकार ने एचआईजी/एमआईजी/एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के तहत टीएस हाउसिंग बोर्ड द्वारा सेवारत कर्मियों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 3 प्रतिशत मकानों को आरक्षित किया है।
15. आंध्र प्रदेश के औद्योगिक संपदा/औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों/शेडस हेतु 5 प्रतिशत लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है।
16. सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं/सेवारत कर्मियों को एक घर/संपत्ति के लिए संपत्ति कर से छूट दी जाती है जिसमें विधवा/ सेवानिवृत्त सैनिक और सेवारत कर्मियों के मामले में उनके परिवार द्वारा स्वयं के निवास के उद्देश्य से बनाया गया हो। (प्राधिकार: In Municipal Limits GO Ms. No. 83 MA, dt.15-03-1997 of MA and UD (TC) Deptt & In Gram Panchayat areas GO Ms No. 371, dt.20-11-2003 of PR and Rural Development (PTS-III) Deptt.
17. तेलंगाना में सैनिक विश्राम गृह:-
- | | | |
|---------------------|------|----------------------|
| हैदराबाद -एसी रूम्स | - 4 | रू. 500/- प्रति दिन। |
| नॉन एसी कमरे | - 4 | रू. 300/- प्रति दिन। |
| शयनगृह | - 16 | रू. 100/- प्रति दिन। |
18. राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा मार्ग/राष्ट्रीय परमिटों के आवंटन में सेवानिवृत्त सैनिकों को वरीयता दी जाती है।
19. तेलंगाना सरकार ने रक्षा सेवा ट्रेडों की बराबरी सिविल ट्रेडों के साथ की है। प्राधिकार: G.O. Ms. No.16, Dt 12 Apr 99 श्रम रोजगार और प्रशिक्षण और कारखानों (ईएमपी) विभाग)।
20. सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के लिए एक अनुकंपा नियुक्ति जो युद्ध में मारे गये अथवा विकलांग हुए हों।
21. सेवानिवृत्ति के 12 महीनों के भीतर सेवानिवृत्त सैनिक 5 एकड़ असिंचित भूमि या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि के लिए आवेदन करने का हकदार है।
22. आपरेशन विजय में मारे गए अथवा विकलांग हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चों को आवासीय विद्यालयों में प्रवेश।
23. युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों एवं आपरेशन विजय में विकलांग हुए सैनिकों को 300 वर्ग गज के मकानों का आवंटन। प्राधिकार: GOMS No 92 of Home (General. C) Department dated 30 May 2005.

24. सेवानिवृत्त सैनिकों को पुलिस में शामिल किए जाने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ छूट प्रदान की गई। प्राधिकार: G.O. Ms No 97 of Home (Legal-II) Department dt 01-05-2006.

25. **पावला वड्डी योजना:** स्व. रोजगार के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए पावला वड्डी योजना, जिसके लिए सरकार बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज दर में सब्सिडी 3 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदान करेगी। प्रत्येक आवेदक को अधिकतम रू 5 लाख के ऋण पर छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना वित्त वर्ष 2010-2011 में लागू की जाएगी। प्राधिकार: G.O.Ms. No.339 dated 25 July 2009, of Home (General-C) Department.

26. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को 175 वर्ग मीटर का प्लाट मकान बनाने हेतु भूमि के मूल मूल्य के भुगतान पर आवंटित किये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राधिकार Go. Ms. No 1242, dated 27-10-2008.

27. युद्ध विधवाओं को छूट और लाभ

क्रम सं.	छूट एवं लाभ	शासनादेश सं.	जारीकर्ता
(अ)	रू. 5 लाख की एक्स ग्रेशिया	G.O.Ms. No26 Dt 28-01-2014	जनरल एडमिन (पोल. बी) विभाग
(ब)	300 वर्गगज मकान हेतु	GO MS No 92, Dt 30 May 2005	गृह (सामान्य. सी) विभाग
(स)	अनुकम्पा नियुक्ति -परिवार के एक सदस्य को (पत्नी, अविवाहित भाई / बहन) अथवा पेट्रोलियम पदार्थों / गैस की डीलरशिप	GO. Ms. No138, dt. 06-06-2006	गृह (सामान्य. सी) विभाग
(द)	कैप-1 कैटेगरी- बच्चों के लिये	G.O Ms. No192, dt 26-08-1993	शिक्षा (ईसी-2) विभाग

इसके अलावा, तेलंगाना सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को दी जाने वाली अन्य रियायतें और लाभ युद्ध विधवाओं के लिए भी लागू हैं।

28. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	83100-154690
सहायक निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	54220-133630
क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी	51320-127310

29. एस एम सी की पिछली बैठक दिनांक 12 मार्च 2019 को हुई।

29. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं०
(अ)	आदिलाबाद	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, मिल्क चिलिंग सेंटर परिसर, दूरदर्शन के सामने, आदिलाबाद- 504001	08732-227063(O) 9133355840(M) zswoadb-ts@nic.in
(ब)	हैदराबाद	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक आरामघर कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, सूर्यनगर कॉलोनी, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500082	040-23423213(O) 08499004450(M) zswohyd-ts@nic.in
(स)	करीमनगर	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक भवन, राजस्व क्लब के सामने, करीमनगर-505001	0878-2240622(O) 09133355842(M) zswoknr-ts@nic.in
(द)	खम्मम	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, मकान नं०: 10-4-22 साईबाबा टेम्पल लेन, ममिलागुडेम, खम्मम - 507102	08742-234888(O) 09133355071(M) zswokmm-ts@nic.in
(य)	महबूबनगर	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, दूसरी मंजिल, जिला पराजा परिषद, महबूबनगर-509001	08542-223468(O) 09908056298 zswombnr-ts@nic.in
(र)	संगारेड्डी	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, नॉर्थविस्ट ब्लॉक, संगारेड्डी, पिन-502001	08455-276734(O) 08499004450(M) zswombnr-ts@nic.in
(ल)	नालगोंडा	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, मकान नं० 6-4- 165(न्यू), नागार्जुना कॉलेज के सामने, रामगिरी 'एक्स' रोड, नालगोंडा-508001	08682-224820(O) 09133355861(M) zswonlg-ts@nic.in

(व)	निजामाबाद	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, मकान नंबर 6-2-424, भूतल सुभाषनगर, निजामाबाद- 503002	08462-238509(O) 09133300240(M) zswonzb-ts@nic.in
(श)	रंगारेड्डी	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, दूसरी मंजिल, सूर्यनगर कॉलोनी, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500082	040-23392232(O) 09133355852(M) zsworr-ts@nic.in
(ष)	वारंगल	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक भवन, कनक दुर्गा कॉलोनी, वड्डेपल्ली वारंगल-506370	0870-2456018(O) 09133355848(M) zswowgl-ts@nic.in

31. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण निम्नवत् है: -

क्रम सं.	स्थान एवं पता	कमरों की उपलब्धता			सम्पर्क सूत्र
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक अरामघर कॉम्प्लेक्स, रत्नदीप सुपर मार्केट और यामाहा शोरूम के बीच की लेन, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद - 82 निकटतम रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद/हैदराबाद दूरी - 6/6 किमी निकटतम हवाई अड्डा बेगम्पेट/शमसाबाद दूरी 1.5/32 किमी	एसी-07 कमरे	नान एसी-04 कमरे		09133300238 040-23423211 040-23403288 directorrsb-ts@ nic.in sfundrsbts@nic.in

त्रिपुराप्रस्तावना

1. त्रिपुरा राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 2,998 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : त्रिपुरा		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं.
सैनिक कल्याण निदेशालय, त्रिपुरा	ब्रिगेड जे.पी. तिवारी (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, त्रिपुरा, नेहरू ऑफिस कॉम्प्लेक्स गोरखबस्ती, पी.ओ.-कुंजबन अगरतला-799006 पश्चिम त्रिपुरा	0381-2325607(O) 09402140066(M) rsb.tripura@gmail.com Dir.tripura@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** त्रिपुरा राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। राज्य के 08 जिलों में रह रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण हेतु निदेशालय सैनिक कल्याण के अधीन कल्याणकारी संस्था द्वारा किया जाता है।

3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए त्रिपुरा में 01 सैनिक विश्राम गृह है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	24,750	16,500	7,700	22,000	13,200	5,500	18,700
(ब)	1.50 लाख	1 लाख	0.50 लाख	1.25 लाख	0.75 लाख	0.40 लाख	1.25 लाख
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(अ)	18,700	4,400	3,300	2, 200	16,500	7,700	3,300
(ब)	0.85 लाख	0.70 लाख	0.25 लाख	-	1.25 लाख	0.80 लाख	0.50 लाख
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नगद अनुदान (ब) जमीन के बदले नगद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. सीधी भर्ती के लिए ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी', और 'डी' के पदों में 2 % आरक्षण।
6. सरकारी सेवाओं में सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए आयु में छूट।
7. राज्य सरकार के पुलिस और जेल विभाग में पुनर्नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट।
8. छोटे व्यवसाय के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को वित्तीय सहायता।
9. त्रिपुरा राज्य से संबंधित युद्ध/कार्यवाही में मारे गए/विकलांग हुए रक्षा बलों के कर्मियों को निम्नलिखित दरों पर एकमुश्त अनुग्रह अनुदान-
 - (अ) मारे गए - 5 लाख रुपये।
 - (ब) 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग - 3 लाख रुपये।
 - (स) 50 प्रतिशत से कम विकलांग - 2 लाख रुपये।
10. सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और उनके आश्रितों को रियायती दरों पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
11. सेवानिवृत्त सैनिक की मृत्यु पर 3.000/- रुपये की मृत्यु राहत अनुदान।
12. द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को 10,000/- रुपये प्रतिमाह का मासिक रख रखाव भत्ता जो राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
13. गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को 2,000/- रुपये प्रति माह का मासिक रखरखाव भत्ता जो समामेलित विशेष निधि से कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
14. राज्य में ऑपरेशन के वास्तविक संचालन में मारे गए सैन्य कर्मियों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता और राज्य में ऑपरेशन के अलावा चरमपंथी हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 1 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता।
15. युद्ध में मारे गये रक्षाकर्मी के आश्रित/ विधवाओं को विशेष निधि से 2,500/- रूपये का अनुदान।
16. युद्ध हताहतों को भूमि का आवंटन।

17. सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारी और रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए मकान/फ्लैट के आवंटन में 10 प्रतिशत आरक्षण।
18. सेवानिवृत्त सैनिकों को जमीन/मकान की सुविधा हेतु रेंट कंट्रोल एक्ट और लैंड टेनेंसी एक्ट में संशोधन।
19. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता।
20. पुनर्नियोजित विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को उनके कृत्रिम अंगों के प्रतिस्थापन/मरम्मत के लिए 15 दिनों तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करना।
21. सेवानिवृत्त सैनिकों के कक्षा एक से बारहवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को वार्षिक वजीफा/पुस्तक अनुदान और यूनीफार्म भत्ता प्रदान किया जाना।
22. सरकारी नौकरी में नौकरी के लिए युद्ध हताहत के परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता।
23. स्वरोजगार हेतु दिवंगत सेवानिवृत्त सैनिकों की पत्नियों को एक बार सिलाई मशीनें प्रदान करना।
24. विभिन्न महाविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों में सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों के लिए सीटों का निर्धारण:-
- | | |
|---|------------|
| (अ) त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (डिग्री कोर्स) | - 02 सीटें |
| (ब) त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (डिप्लोमा कोर्स) | - 08 सीटें |
| (स) महिला पॉलिटैक्निक (डिप्लोमा) | - 02 सीटें |
| (द) गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, अगरतला | - 01 सीट |
| (य) गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज, अगरतला | - 01 सीट |
| (र) गवर्नमेंट लॉ कॉलेज | - 01 सीट |
| (ल) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन (आईएसई) | - 02 सीटें |
| (व) अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज | - 02 सीटें |
| (श) राजकीय कृषि महाविद्यालय | - 01 सीट |
| (ष) त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस (टिप्स) | - 03 सीटें |

25. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	संविदा (अंतिम आहरित वेतन-मूल पेंशन)
सहायक निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	पे मेट्रिक्स लेवल-13(रुपये 41990-133310)

26. राज्य सैनिक बोर्ड एवं एस एम सी की पिछली बैठक दिनांक 21 जून 2019 को हुई थी।

27. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं.	स्थान एवं पता	कमरों की उपलब्धता			सम्पर्क सूत्र
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, श्यामली बाजार, पी.ओ. कुंजबन अगरतला त्रिपुरा-799006 निकटतम रेलवे स्टेशन- अगरतला दूरी - 10 किमी निकटतम हवाई अड्डा - महाराजा बीर बिक्रम मनिया किशोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - दूरी - 8 किमी	एसी केबिन -01	केबिन -02 (02 बेड प्रति)	केबिन -02 (03 बेड प्रति)	0381-2356032

उत्तराखंड

प्रस्तावना

1. उत्तराखंड राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 1,83,795 सेवानिवृत्त सैनिक /वीर नारी/दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य में सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : उत्तराखंड		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं०
निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	ब्रिगेडियर अमृत लाल (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखंड, 15 सी कालिदास मार्ग पीओ-हाथीबड़कला, देहरादून-248001	0135-2744208(O) 0135-2743773(F) dskddn@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** उत्तराखंड राज्य में 14 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** उत्तराखंड में 36 सैनिक विश्राम गृह हैं सेवानिवृत्त सैनिकों को विश्राम गृह की सुविधा न्यूनतम शुल्क पर प्रदान की जाती है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	3 लाख	2.25 लाख	1.50 लाख	2.5 लाख	2 लाख	1 लाख	0.60 लाख
(द)	30 लाख	20 लाख	15 लाख	30 लाख	20 लाख	15 लाख	7 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएसएम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेंशन एन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	50,000	40,000	50,000	25,000	400	300	200
(द)	5 लाख	4 लाख	7 लाख	3.50 लाख	0.15 लाख	0.70 लाख	0.03 लाख

लीजेंड: (अ) नगद अनुदान (ब) जमीन के बदले नगद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. **ब्लॉक प्रतिनिधि** जिला सैनिक बोर्ड और सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के बीच मौजूदा अंतर को समाप्त करने के लिए, राज्य के सभी 95 ब्लॉकों में एक ब्लॉक प्रतिनिधि को चुना गया है, जिन्हें 5,000/- रुपये का मानदेय और 1,000/- रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जा रहा है। उन्हें ब्लॉक कार्यालय में बैठने की सुविधा के साथ-साथ मोबाइल फोन प्रदान किए गए हैं, जिससे वे अधिक सुलभ और प्रभावी बन गए हैं। चूंकि सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की अधिकांश समस्याओं का समाधान तहसील/ब्लॉक स्तर पर किया जाना है, इसलिए सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु ब्लॉक प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
6. **टोल फ्री टेलीफोन** निदेशालय और सभी 14 जिला सैनिक बोर्डों में टोल फ्री टेलीफोन काम कर रहे हैं। सेवानिवृत्त सैनिक/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियां जब भी आवश्यकता हो, जिला सैनिक बोर्डों से संपर्क कर सकते हैं। मुफ्त टेलीफोन की स्थापना की पूरी लागत और उसके बाद बिलों के भुगतान पर आने वाला व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
7. **आवास अनुदान** लड़ाई में हताहत/ बोर्ड आउट विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों को दो लाख रुपये का आवास अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
8. **उत्तराखंड शहीद कोष अनुदान** शहीदों के निकटतम संबंधियों को रू. 10 लाख का उत्तराखंड शहीद कोष अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
9. **द्वितीय विश्व युद्ध गैर पेंशनर** 14 दिसंबर 2017 से द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानियों और उनकी विधवाओं जो गैर-पेंशनभोगी हैं, को रू. 4,000/- से बढ़ाकर रू. 8,000/- प्रतिमाह का अनुदान दिया गया है।
10. **स्टाम्प ड्यूटी पर छूट** सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की खरीद के लिए स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट दी जा रही है।
11. **हाउस टैक्स में छूट** सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके अपने घरों के लिए हाउस टैक्सों में छूट दी जा रही है।
12. **मेडिकल, इंजीनियरिंग और पीएचडी के लिए छात्रवृत्ति अनुदान** उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कारगिल शहीद परिवार कोष की ओर से रू. 15,000/- मेडिकल, रू. 12,000/- इंजीनियरिंग और रू. 10,000/- पीएचडी के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
13. **आई आई टी, आई एम ए, एन आई टी, एन डी ए, मेडिकल और प्रतिष्ठित तकनीकी और पेशेवर संस्थानों के लिए प्रोत्साहन** आईआईटी, आईएमए, एनआईटी, एनडीए, मेडिकल और प्रतिष्ठित तकनीकी और पेशेवर संस्थानों में प्रवेश के लिए 50,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि सफल उम्मीदवारों को दी जा रही है।
14. **उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (यूपीएनएल)** यू पी एन एल एक नोडल संस्था है जो सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पुनर्नियोजन की सुविधा प्रदान करती है।
15. **भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण** सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को मिलिट्री/पैरा मिलिट्री/पुलिस फोर्स आदि में भर्ती के लिए देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर में निशुल्क भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर वर्ष 200 से 300 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस प्रशिक्षण के लिए 50 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।
16. **कंप्यूटर प्रशिक्षण** सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और उनके आश्रितों को हिल्ट्रान कैल्क द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान प्रशिक्षण वर्ष के लिए 50 लाख बजट का प्रावधान किया गया है।

17. **सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु री-ओरिएंटेशन ट्रेनिंग** सिविल प्रशासन के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए, सभी जिला सैनिक बोर्डों द्वारा री-ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकों के अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों को उनके संबंधित विभागों के कामकाज के बारे में शिक्षित करते हैं।
18. **सैनिक स्कूल** राज्य के अन्दर और बाहर के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
19. **रिक्तियों का आरक्षण** सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्रुप 'सी' और 'डी' की सरकारी नोकरियों में 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।
20. **शहीदों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार** शासनादेश दिनांक 20 नवंबर 2018 के तहत शहीद के परिवार के एक सदस्य को ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों पर रोजगार दिया जाएगा।
21. **शिक्षण संस्थानों में आरक्षण** सेवानिवृत्त सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों को निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है:-

(अ)	जी बी पंत कृषि विश्वविद्यालय	04 सीट
(ब)	राजकीय आईटीआई	08 प्रतिशत
(स)	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	02 प्रतिशत
(द)	राजकीय पालीटेक्नीक	03 प्रतिशत
(य)	एमबीए/एसीए	02 प्रतिशत
(र)	बीएड (प्रवेश परीक्षा में)	15 बोनस मार्क्स
(व)	बीटीसी	03 प्रतिशत
(श)	एलएलबी (प्रवेश परीक्षा में)	05 बोनस मार्क्स

22. **सैनिक विश्राम गृह (एसवीजी)** सरकार की नीति के अनुसार, 5000 या उससे अधिक सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिक की पत्नी की संख्याओं वाले प्रत्येक स्थान पर एसवीजी का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 32 एसवीजी कार्य कर रहे हैं और 05 निर्माणाधीन हैं।

उत्तराखंड पुलिस और सशस्त्र बल सहायता संस्थान

23. उत्तराखंड पुलिस और सशस्त्र बल सहायता संस्थान शहीदों के आश्रितों और युद्ध में विकलांग सैनिकों को निम्नानुसार सहायता प्रदान करता है:-

(अ) **वित्तीय सहायता**

- (i) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि अधिकारियों के लिए 1.60 लाख रुपये और जे सी ओ/ओ आर के लिए 1.00 लाख रुपये।
- (ii) युद्ध में हताहत (गैर-घातक) और चिकित्सकीय रूप से बाहर होने वालों के लिए अनुग्रह राशि, अधिकारियों के लिए रु. 75,000/- और जे सी ओ/ओ आर के लिए रु. 55,000/-
- (iii) हवलदार रैंक तक के शहीदों/युद्ध में विकलांग/विधवाओं/अनाथों की पुत्री के विवाह हेतु रु. 30,000/- की अनुदान राशि।

(iv) सरकारी अस्पतालों/सेना के अस्पतालों/एसजीपीजीआई/एम्स/आर्मी कमांड अस्पताल में कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी के विशेष उपचार के लिए गैर ई सी एच एस सदस्यों हेतु व्यय की गयी धनराशि का 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(v) हवलदार रैंक तक के जरूरतमंद सेवानिवृत्त सैनिकों को 11,000/- रुपये का वन टाइम सर्वाइवल ग्रांट।

(ब) **वार्षिक शिक्षा अनुदान** हवलदार रैंक तक के शहीदों और विकलांग सैनिकों के आश्रितों को निम्नलिखित शिक्षा अनुदान दिया जाता है:

- (i) 1,000/- - 1,800/- रुपये कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक।
- (ii) अनुसंधान के लिए 12,000/- रुपये।
- (iii) उच्च शिक्षा कोचिंग के लिए मेरिट में आए दो छात्रों के लिए 2,500/- रुपये।
- (iv) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए 1,800/- रुपये।
- (v) रु. 2,200/- प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए।
- (vi) स्नातक पाठ्यक्रम, बी एस सी/बी डी एस/बी बी ए आदि के लिए 3,200/- रुपये। एम बी बी एस, बी टेक, एम टेक आदि के लिए 5,200/- रुपये।
- (vii) केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए रु 12,000/-।

राज्य सरकार द्वारा कारगिल शहीदों/युद्ध में अक्षम सैनिकों को दिए जाने वाले अनुदान/छूट

24. **शहीदों के आश्रित**

- (अ) 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
- (ब) विधवाओं के लिए रू. 7,500/- प्रतिमाह और माता-पिता के लिए रू. 5,000/- प्रतिमाह की पेंशन।
- (स) स्नातक स्तर तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा।
- (द) कक्षा 8वीं तक 100 रुपये प्रति माह, 12वीं कक्षा तक 200 रुपये प्रति माह और स्नातक स्तर की पढ़ाई तक 300 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति।
- (य) दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और विकलांग सैनिकों के लिए ग्रीन कार्ड।

25. **युद्ध विकलांग सैनिक**

- (अ) यदि विकलांगता 50 प्रतिशत से कम है, तो 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
- (ब) यदि विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक है, तो 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
- (स) राज्य सरकार में रोजगार के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण।
- (द) दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और विकलांग सैनिकों के लिए ग्रीन कार्ड।

उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था

26. **छात्रवृत्ति** जे सी ओ रैंक तक के सेवानिवृत्त सैनिकों/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के बच्चों लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति दी जाती है-

(अ) **सामान्य शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (70 प्रतिशत अंक)**

(i) रु. 3,000/- प्रति वर्ष कक्षा 11 और 12 के लिए।

(ii) स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए रु. 4,000/- प्रति वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए रु. 5,000/- प्रतिवर्ष। पीएचडी, एलएलडी और एमफिल (अनुसंधान पाठ्यक्रम) के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष।

(ब) **मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति**

(i) इंटरमीडिएट के लिए - रुपये 12,000/- प्रति वर्ष (10वीं और 11वीं कक्षाओं में 80 प्रतिशत अंक होने पर)

(ii) स्नातक के लिए - रुपये 15,000/- प्रति वर्ष (12वीं कक्षा और स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत अंक होने पर)

(iii) पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 18,000/- रुपये प्रति वर्ष (ग्रेजुएशन में 70 प्रतिशत अंक और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में 80 प्रतिशत अंक होने पर)

(स) **तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम**

(i) रु. 4,000/- प्रति वर्ष प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए। (60 प्रतिशत अंक)

(ii) रु. 5,000/- प्रति वर्ष डिप्लोमा कोर्स के लिए। (65 प्रतिशत अंक)

(iii) बीएड/बीपीएड, एमएड/एमपीएड, बीएससी/एमएससी (कृषि/बागवानी, गृह विज्ञान), आतिथ्य उद्योग, वानिकी, फार्मसी (एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथी), नर्सिंग पाठ्यक्रम, पशु चिकित्सा, बीफार्मा/डी फार्मा/एम फार्मा, पत्रकारिता, जैव प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फिजियोथेरेपी, मत्स्य विज्ञान, एलएलबी/एलएलएम, बीएचएम/पर्यटन/ यात्रा, सीए, बीबीए/एमबीए, बीसीए/एमसीए और पीजीडीएम पाठ्यक्रम के लिए रु. 8,000/- प्रतिवर्ष (70 प्रतिशत अंक)

(iv) इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (70 प्रतिशत अंक) के लिए 12,000/- रुपये प्रति वर्ष। चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 15,000/- रुपये प्रति वर्ष (70 प्रतिशत अंक)

(द) **अनाथ बच्चों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति**

(i) कक्षा पहली से आठवीं - रु. 6,000/- प्रतिवर्ष।

(ii) कक्षा 9वीं से स्नातकोत्तर तक - रु. 10,000/- प्रतिवर्ष।

27. अन्य वित्तीय सहायता सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, और उनके बच्चों को जे सी ओ रैंक तक निम्नलिखित वित्तीय सहायता भी दी जाती है-

(अ) अनाथ बेटियों सहित विधवाओं की बेटियों को विवाह अनुदान (दो बेटियों तक) एक लाख रुपये प्रति पुत्री।

(ब) दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन सावधि जमा योजना एक लाख रूपये।

(स) 10 प्रतिशत की दर से रु. 1 लाख तक और रु. 5 लाख तक की शेष राशि के लिए 5 प्रतिशत की दर से लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी।

(द) दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए रु. 3,000/- और फार्कनिटिंग मशीन खरीदने के लिए रु. 3,500/- ।

(य) विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को व्हीलचेयर।

(र) सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त उनके घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए 30,000/- रुपये का अनुदान

(ल) पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर मोहाली में एडमिट उत्तराखंड के प्रति पूर्व सैनिक हेतु रु. 30,000/- प्रति वर्ष पीआरसी किर्की हेतु 1,00,000/- रुपये।

(व) सेंट डंस्टन आफ्टर केयर सोसाइटी, देहरादून में भर्ती पेंशनभोगी के लिए प्रति सेवानिवृत्त सैनिक 14,600/- रुपये प्रति वर्ष और उत्तराखंड के गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिक के लिए 30,000/- रुपये प्रति वर्ष।

(श) सैनिक स्कूलों/सैन्य स्कूलों/आर आई एम सी में प्रवेश पाने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में 10,000/- रुपये दिए जा रहे हैं।

(ष) 10,000/- रुपये की चिकित्सा सहायता सामान्य उपचार के लिए और 1 लाख रुपये या वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत जो भी कम हो विशेष उपचार के लिये जिन्हें ई सी एच एस सुविधाओं नहीं मिलती हों।

(स) रु. 2,500/- प्रति जिला सैनिक कल्याण परिषद बैठकें।

(ह) सेवानिवृत्त सैनिक रैलियां आयोजित करने के लिए-

(i) जिला स्तर पर रु. 15,000/- प्रति वर्ष।

(ii) राज्य स्तर पर रु. 1,00,000/- दो वर्ष में एक बार।

(क्ष) राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बल में भर्ती के लिए 20,000/- रुपये का प्रोत्साहन एक बार ।

(त्र) पुनर्वास पाठ्यक्रम के लिए विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को अग्रेषित करने के लिए एक बार प्रोत्साहन 20,000/- रुपये या वास्तविक व्यय जो भी कम हो।

(३) खेल प्रोत्साहन

- (i) राज्य की टीम में चयन के लिए - रु. 1,00,000.00
- (ii) राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए - रु. 2,00,000.00
- (iii) अंतर्राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए - रु. 4,00,000.00

(अअ) आईएमए, ओटीए, एनडीए, नेवल, एयरफोर्स और सिविल सर्विसेज आदि में चयन के लिए 20,000/- रुपये का एक बार प्रोत्साहन।

28. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	1,31,100 - 2,16,600
उप निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	67,700 - 2,08,700
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	67,700 - 2,08,700

29. राज्य सैनिक बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 10 फरवरी 2020 को आयोजित की गई और एसएमसी बैठक दिनांक 24 अगस्त 2019 को।

30. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं.	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं.
(अ)	अल्मोड़ा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, चौघनपाटा अल्मोड़ा-263601 (उत्तराखण्ड)	05962-230246 05962-232210(F) 09568344888(M) zskalmora-uk@gov.in zskalmora@yahoo.com
(ब)	बागेश्वर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कांडा रोड, बागेश्वर-263642 (उत्तराखण्ड)	05963-220961(O) 05963-221751(F) 08172033354(M) zskbageshwar-uk@gov.in zskbgr@yahoo.co.in
(स)	चमोली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, गोपेश्वर, चमोली-246401 (उत्तराखण्ड)	01372-252195(O) 01372-251481(F) 08979740114(M) zskchamoli-uk@gov.in zskchamoli@rediffmail.com
(द)	चम्पावत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला मुख्यालय, चम्पावत, (उत्तराखण्ड)	05965-230893(O) 09412277441(M) 05965-230883 (F)zskchampawat-uk@gov.in zskchampa@hotmail.com

(य)	देहरादून	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कोर्ट कंपाउंड, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)	0135-2626091(F) 09219696308(M) 08171240134(M) zskdehradun-uk@gov.in Zskddn01@gmail.com
(र)	हरिद्वार	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, तहसील परिसर, ज्वालापुर, हरिद्वार-249407 (उत्तराखण्ड)	01334-250916 01334-250082 8057566197(M) zskharidwar-uk@gov.in zskhdruk@gmail.com
(ल)	लैंसडाउन (पौड़ीगढ़वाल)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला मुख्यालय, लैंसडाउन-246155	01386-262365(O) 01386-263149(F) 09456533283(M) zsklansdwne-uk@gov.in zsklnsdn@yahoo.co.in
(व)	हल्द्वानी, नैनीताल	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल पिन-263139	05946-281410(O)/(F) 8755134224(M) zskhaldwani@rediffmail.com zsknanital-uk@gov.in
(श)	पौड़ी गढ़वाल	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला मुख्यालय, पौड़ी गढ़वाल पिन-246001	01368-222335(O) 09456533283(M) 01368-223399(F) zskpauri@gmail.com zsk-pauri-uk@gov.in
(ष)	पिथौरागढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला मुख्यालय, पिथौरागढ़-01	05964-224185(O) 05964-226771(F) 09412277441(M) zskpithoragarh-uk@gov.in zsk_pth@yahoo.com
(स)	रुद्रप्रयाग	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सच्चिदानंद नगर बट्टीनाथ मार्ग, रुद्रप्रयाग-246171	01364-233584(O)/(F) 08057566197(M) zskrudraprayag-uk@gov.in zskrudraprayag@gmail.com

(ह)	टिहरी (गढ़वाल)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, नई टिहरी, टिहरी (गढ़वाल)-249001	01376-232320(O) 01376-234145(F) 08126447790(M) zsktehri-uk@gov.in Zsk.ntt2009@gmail.com
(क्ष)	उधमसिंह नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर- 263153	05944-250331(T/F) 05944-244826 09968546393(M) zskusnagar-uk@gov.in zskausn@gmail.com
(त्र)	उत्तरकाशी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी- 249193	01374-222417(O/F) 08126447790(M) zskuttarkashi-uk@gov.in zskuttarkashi-uk@gov.in

31. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं.	स्थान एवं पता	कमरों की उपलब्धता			सम्पर्क सूत्र
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक विश्राम गृह, अलमोड़ा निकटतम रेलवे स्टेशन -काठगोदाम दूरी 83 किमी निकटतम हवाई अड्डा- पंतनगर दूरी - 116 किमी	02	03	01	05962-232210
(ब)	सैनिक विश्राम गृह, चखुटिया निकटतम रेलवे स्टेशन- काठगोदाम दूरी - 127 किमी निकटतम हवाई अड्डा -पंतनगर दूरी - 161 किमी	01	02	02	

(स)	सैनिक विश्राम गृह, बागेश्वर निकटतम रेलवे स्टेशन - काठगोदाम दूरी - 180 किमी निकटतम हवाई अड्डा- पंतनगर दूरी- 220 किमी	-	02	02	05963-221751
(द)	सैनिक विश्राम गृह, चमोली निकटतम रेलवे स्टेशन- ऋषिकेश दूरी -198 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट दूरी -222 किमी	01	02	01	01372-251481
(य)	सैनिक विश्राम गृह, गोपेश्वर निकटतम रेलवे स्टेशन- ऋषिकेश दूरी - 161 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट दूरी - 191 किमी	01	01	02	01372-251481
(र)	सैनिक विश्राम गृह, देहरादून कोर्ट परिसर, देहरादून निकटतम रेलवे स्टेशन -देहरादून दूरी - 01 किमी निकटतम हवाई -अड्डा जौली ग्रांट दूरी -30 किमी	02	02	01	0135-2626091
(ल)	राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, 15-सी, कालीदास मार्ग, देहरादून निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून दूरी - 06 किमी निकटतम हवाई अड्डा जौली ग्रांट दूरी - 25 किमी	09	10	04	09410768147

(व)	सैनिक विश्राम गृह, गौचर निकटतम रेलवे स्टेशन - ऋषिकेश दूरी - 161 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 191 किमी	01	02	01	01372-251481
(श)	सैनिक विश्राम गृह, लैन्सडाउन निकटतम रेलवे स्टेशन-कोटद्वार दूरी - 42 किमी निकटतम हवाई अड्डा- जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 143 किमी	02	04	01	01386-262365
(ष)	सैनिक विश्राम गृह, कोटद्वार निकटतम रेलवे स्टेशन-कोटद्वार दूरी - 0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 101 किमी	02	02	02	01386-262365
(स)	सैनिक विश्राम गृह, हलद्वानी निकटतम रेलवे स्टेशन-हलद्वानी दूरी - 01 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पंतनगर दूरी - 35 किमी	02	03	04	05946-281410
(ह)	सैनिक विश्राम गृह, पौड़ी गढ़वाल निकटतम रेलवे स्टेशन- कोटद्वार दूरी - 127 किमी निकटतम हवाई अड्डा- जौली ग्रांट देहरादून -दूरी - 130 किमी	02	02	01	01368-223399
(क्ष)	सैनिक विश्राम गृह, टनकपुर निकटतम रेलवे स्टेशन-टनकपुर दूरी - 01 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पंतनगर दूरी - 90 किमी	02	01	03	05965-230883

(त्र)	सैनिक विश्राम गृह, थालीसैं निकटतम रेलवे स्टेशन - कोटद्वार दूरी - 141 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 213 किमी	02	02	07	01368-223399
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस, धूमाकोट, निकटतम रेलवे स्टेशन - रामनगर दूरी - 70 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पंतनगर दूरी - 215 किमी	01	01	01	01386-262365
(अअ)	सैनिक विश्राम गृह, श्रीनगर निकटतम रेलवे स्टेशन-ऋषिकेश दूरी - 110 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 128 किमी	02	02	01	01368-223399
(अब)	सैनिक विश्राम गढ़ पिथौरागढ़ निकटतम रेलवे स्टेशन - टनकपुर दूरी - 150 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पंतनगर दूरी - 230 किमी	01	02	01	05964-226771
(अस)	सैनिक विश्राम गृह, मुनस्यारी निकटतम रेलवे स्टेशन - टनकपुर दूरी - 285 किमी निकटतम हवाई अड्डा- पंतनगर दूरी - 315 किमी	01	01	01	05964-226771
(अद)	सैनिक रेस्ट हाउस, बेरीनाग निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर दूरी - 280 किमी निकटतम हवाई अड्डा - पंतनगर दूरी - 310 किमी	01	01	01	05964-226771

(अय)	सैनिक विश्राम गृह, तहसील कार्यालय के पास, डीडीहाट निकटतम रेलवे स्टेशन - टनकपुर दूरी - 200 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पंतनगर दूरी - 280 किमी	01	01	01	05964-226771
(अर)	सैनिक रेस्ट हाउस, ट्रांजिट कैंप के पास, चंपावत निकटतम रेलवे स्टेशन-टनकपुर दूरी - 75 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पंतनगर दूरी - 78 किमी	01	03	01	05965-230883
(अल)	सैनिक रेस्ट हाउस, देवलथल निकटतम रेलवे स्टेशन- टनकपुर दूरी - 175 किमी निकटतम हवाई अड्डा-पंतनगर दूरी - 255 किमी	02	01	01	05964-226771
(अव)	सैनिक रेस्ट हाउस, नई टिहरी, गढ़वाल निकटतम रेलवे स्टेशन-ऋषिकेश दूरी - 85 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून दूरी -105 किमी	03	03	01	01376-234145
(अश)	सैनिक रेस्ट हाउस, उत्तरकाशी निकटतम रेलवे स्टेशन-ऋषिकेश दूरी - 169 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून दूरी -175 किमी	02	02	02	01374-222191

(अष)	सैनिक रेस्ट हाउस, रामनगर निकटतम रेलवे स्टेशन - रामनगर दूरी - 01 किमी निकटतम हवाई अड्डा- पंतनगर दूरी - 85 किमी	01	01	01	05946-281410
(अस)	सैनिक विश्राम गृह, ऋषिकेश निकटतम रेलवे स्टेशन- ऋषिकेश दूरी - 01 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 18 किमी	01	02	01	0135-2626091
(अह)	सैनिक रेस्ट हाउस, नरेंद्रनगर निकटतम रेलवे स्टेशन - ऋषिकेश दूरी - 15 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून, दूरी - 35 किमी	01	01	01	01376-234145
(अक्ष)	सैनिक रेस्ट हाउस, जिलाधिकारी कार्यालय के पास, रुद्रपुर निकटतम रेलवे स्टेशन -रुद्रपुर दूरी - 15 किमी निकटतम हवाई अड्डा- पंतनगर दूरी - 12 किमी	02	02	02	05944-250331
(अत्र)	सैनिक विश्राम गृह, खटीमा निकटतम रेलवे स्टेशन-खटीमा दूरी - 01 किमी निकटतम हवाई अड्डा- पंतनगर दूरी - 95 किमी	01	01	01	05944-250331

(अज्ञ)	सैनिक रेस्ट हाउस, हरिद्वार तहसील परिसर, ज्वालापुर हरिद्वार निकटतम रेलवे स्टेशन -ज्वालापुर दूरी - 04 किमी निकटतम हवाई अड्डा- जौली ग्रांट, देहरादून, दूरी - 35 किमी	07	06	02	01334-250082 01334-250916 8755549739
(अअअ)	सैनिक रेस्ट हाउस रुड़की, लिथोप्रेस परिसर, राजेंद्रनगर रुड़की, हरिद्वार निकटतम रेलवे स्टेशन - रुड़की दूरी - 03 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून, दूरी 75 किमी	02	04	01	01334-250082 01334-250916 8006749640
(अअब)	सैनिक रेस्ट हाउस रुद्रप्रयाग, निकटतम रेलवे स्टेशन - ऋषिकेश दूरी - 135 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून, दूरी -148 किमी	02	02	02	01364-233584
(अअस)	सैनिक रेस्ट हाउस, उखीमठ, निकटतम रेलवे स्टेशन- ऋषिकेश दूरी - 177 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 190 किमी	01	02	01	01364-233584
(अअद)	सैनिक रेस्ट हाउस, जमनइखल, निकटतम रेलवे स्टेशन- ऋषिकेश दूरी -120 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जौली ग्रांट, देहरादून, दूरी - 135 किमी	01	02	01	01364-234145

(अअय)	सैनिक रेस्ट हाउस, घनसाली * निकटतम रेलवे स्टेशन - ऋषिकेश दूरी - 121 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 131 किमी	01	02	01	01364-234145
(अअर)	सैनिक रेस्ट हाउस, जाखोली* निकटतम रेलवे स्टेशन - ऋषिकेश दूरी - 171 किमी निकटतम हवाई अड्डा - जौली ग्रांट, देहरादून दूरी - 186 किमी	02	03	01	01364-233584

* नोट: फर्निशिंग का कार्य प्रगति पर है ।

उत्तर प्रदेश**परिचय**

1. उत्तर प्रदेश राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 4,72,679 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएं/विधवाएं हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का समाधान राज्य के सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके अधीन जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) द्वारा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : उत्तर प्रदेश		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं.
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	ब्रिगेडियर रवि (सेवानिवृत्त) निदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, करियप्पा भवन, कैसरबाग, लखनऊ- 226001	0522-2623909(O) 0522-2625354(O) 07839553200(M) Dirskpnlu-up@nic.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिला सैनिक बोर्ड हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** उत्तर प्रदेश में 50 सैनिक विश्राम गृह हैं। सेवानिवृत्त सैनिकों को विश्राम गृह की सुविधा न्यूनतम शुल्क पर प्रदान की जाती है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	52 लाख	31 लाख	20.80 लाख	32.50 लाख	19.50 लाख	13 लाख	3.12 लाख
(स)	3.12 लाख	2.37 लाख	1.37 लाख	1.56 लाख	1.30 लाख	0.65 लाख	0.12 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वार्ड एस एम	वार्डएस एम	सेना/नौसेना / वायु सेना मेडल	मेंशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएस एम
(अ)	-	83,200	1 लाख (G) 90,000 (D)	-	-	-	-
(ब)	2.60 लाख	-	0.15 लाख(G) 9,000(D)	0.52 लाख	2.39 लाख	1.18 लाख	0.47लाख
(स)	0.11 लाख	0.10 लाख	-	0.13 लाख	0.11 लाख	0.10लाख	0.09लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नगद अनुदान (ब) जमीन के बदले नगद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को प्रति माह 6,000/- रुपये का भुगतान।
6. मेडिकल कॉलेजों में 2 प्रतिशत, बीटीसी में 3 प्रतिशत, पॉलिटेक्निक में 5 प्रतिशत और नौकरी में 5 प्रतिशत का आरक्षण।
7. सेवारत कर्मियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को यूपी आवास-विकास परिषद और विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखंडों और दुकानों के आवंटन में 03 प्रतिशत आरक्षण।
8. सेवानिवृत्त सैनिकों को मकान/जमीन पुर्नआरम्भ करने में सुविधा प्रदान करने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम और भूमि किरायेदारी अधिनियम में संशोधन किया गया है।
9. उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में युद्ध विधवाओं, कार्यवाही में विकलांग कार्मिकों तथा अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों को प्राथमिकता।
10. भूमि प्रबंधन समिति द्वारा ग्राम सभा भूमि के आवंटन में प्राथमिकता - सेवा के दौरान शहीद कार्मिकों को (प्रथम प्राथमिकता), युद्ध में विकलांग को (द्वितीय प्राथमिकता) एवं भूमिहीन सेवानिवृत्त सैनिकों को (छठी प्राथमिकता)
11. यूपी सरकार ने यूपी के सशस्त्र बल कर्मियों के लिए 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। 20 लाख का यह अनुदान उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाता है। यूपी में ड्यूटी पर शहीद हो रहे अन्य राज्यों से संबंधित सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी यह निम्न स्थितियों में स्वीकार्य है-
 - (अ) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध।
 - (ब) सीमा पर घटित घटनाएं जिसमें आतंकवादी गतिविधियां भी शामिल हैं।
 - (स) आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही।
 - (द) असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही जिसके परिणामस्वरूप हिंसा हुई।
12. कारगिल शहीदों की विधवाओं को रु. 7,500/- प्रतिमाह और माता-पिता को रु. 5,000/- प्रतिमाह।

13. यूपी सरकार ने पीआरसी किरकी और मोहाली में उपचाराधीन राज्य से संबंधित पैराप्लेजिक / क्राडिप्लेजिक सैनिकों के लिए सालाना 1 लाख रुपये की मंजूरी दी है।
14. उ० प्र० सरकार ने शहीद सैनिकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के कानूनी आश्रितों तथा अर्धसैनिक एवं केन्द्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों के कानूनी आश्रितों के पक्ष में परिवहन एवं पट्टे के लिखतों पर संपत्तियों के मूल्यांकन का 20 लाख प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की है। यदि मूल्यांकन 20 लाख रुपये से अधिक है, तो स्टाम्प शुल्क पहले 20 लाख रुपये के बाद के मूल्यांकन पर लगाया जाएगा।
15. केवल युद्ध विधवाओं के स्वामित्व वाले घर को हाउस टैक्स से छूट दी गई है।
16. सी ओ ए एस कमेंडेशन कार्ड तक के गैलेंट्री अवार्डी को मुफ्त बस पास की सुविधा।
17. यू पी सैनिक पुनर्वास निधि से शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए रू. 6,500/- से रू. 30,000/- प्रति वर्ष शैक्षिक वजीफा।
18. यूपी सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा दिवंगत सैनिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए 40,000/- रुपये का अनुदान।
19. यूपी सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा बैंकों से ऋण पर ब्याज सब्सिडी की सुविधा।
20. यूपी सशस्त्र बल पुलिस सहायता संस्थान विधवा को 10 लाख रुपये देता है। (विधवा के लिए 4.00 लाख रुपये, माता-पिता के लिए 3.00 लाख और विधवा के लिए तीन साल के लिए रू. 3 लाख का सावधि जमा।)
21. उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा सशस्त्र बलों के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक हेल्प लाइन स्थापित की गई है। संपर्क विवरण निम्नानुसार है-

- (अ) हेल्पलाइन नंबर – 7839877707
 (ब) ईमेल आईडी – defhelpline.uppolice@gmail.com
 (स) नोडल अधिकारी संख्या - 9454400691

22. वेतनमान और अधिकारियों की स्थिति-

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	37,400 - 67,000 पे बैंड
अतिरिक्त निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	15,600 - 39,100 पे बैंड
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	15,600 - 39,100 पे बैंड

23. राज्य सैनिक बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 06 मार्च 2020 और एस एम सी की बैठक दिनांक 16 सितंबर 2021 को हुई थी।

24. जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	कार्यालय/ जिला	नाम, पदनाम एवं पता	दूरभाष नं०
(अ)	आगरा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, आगरा-282001	0562-2260549 07839553205 zsaag-up@nic.in
(ब)	अलीगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अलीगढ़-202001	0571-2401763 7839553206 zsaal-up@nic.in
(स)	अम्बेडकर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, पुराना कलेक्ट्रेट, अम्बेडकर नगर-224122	05271-246818 7839553208 zsaan-up@nic.in
(द)	अमेठी	कार्यालय स्थापित किया जा रहा है	05368-244337 8765610974 zsaam-up@gov.in
(य)	अयोध्या	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सिविल लाइन, अयोध्या-224001	05278-222184 7839553229 zsafz-up@nic.in
(र)	अमरोहा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अमरोहा-244221	05922-252109 7839553245 zsajp-up@nic.in
(ल)	आजमगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, रेडौपुर, एसबीआई की मुख्य शाखा के सामने, आजमगढ़ -276001	05462-220820 7839553209 zsaaz-up@nic.in
(व)	औरैया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, औरैया-206246	7839553210 zsaau-up@nic.in
(श)	बदायूं	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सैनिक परिषद, जिला पंचायत गेट के पास, बदायूं-243601	05832-267122 7839553211 zsabd-up@nic.in
(ष)	भदोही	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, डीएम कलेक्ट्रेट, ग्राम-सर्पताहा, भदोही-221304	05414-251229 7839553212 zsasr-up@nic.in
(स)	बागपत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कोर्ट रोड, तहसील के पास, बागपत-262501	0121-2222843 07839553213(M) zsabg-up@nic.in
(ह)	बहराइच	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, मल कचहरी बहराइच-271801	05252-234775 7839553215 zsabh-up@nic.in

(क्ष)	बिजनौर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, बिजनौर-246701	01342-262994 7839553214 zsabl-up@nic.in
(त्र)	बलिया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, एनसीसी तिराहा, हरपुर बलिया-277001	05498-240202 7839553216 zsabl-up@nic.in
(ज्ञ)	बलरामपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, तहसील सदर, कमरा नं. 33 द्वितीय तल, बलरामपुर-271201	05263-235086 7839553217 zsablp-up@nic.in
(अअ)	बांदा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, बांदा-210001	05192-285392 7839553218 zsabn-up@nic.in
(अब)	बाराबांकी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, फैजाबाद रोड, जज रेजिडेंस के सामने, बाराबांकी-225001	05248-222565 7839553219 zsabb-up@nic.in
(अस)	बरेली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय कचेहरी परिसर बरेली-243001	0581-2421794 7839553220 zsambr-up@nic.in
(अद)	बस्ती	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बस्ती-272001	05542-246670(O) 7839553221 zsabs-up@nic.in
(अय)	बुलंदशहर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कचेहरी रोड, बुलंदशहर पिन-203001	05732-282562(O) 7839553223 zsabu-up@nic.in
(अर)	चंदौली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, चंदौली-232104	05412-260700(O) 07839553224 zsacd-up@nic.in
(अल)	चित्रकूट	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, जिला पंचायत परिसर चित्रकूट-210205	05198-236475 7839553225 zsact-up@nic.in
(अव)	देवरिया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, एसपी कार्यालय के पास, देवरिया, पिन-274001	05568-222450 7839553226 zsade-up@nic.in
(अश)	एटा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, एटा-207001	05742-297091(O) 7839553227 zsaet-up@nic.in
(अष)	इटावा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, रेलवे स्टेशन रोड इटावा-206001	05688-254167 7839553228 zsaew-up@nic.in

(अस)	फर्रुखाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, स्टेडियम के सामने, फतेहगढ़-209601	05692-234890 7839553230 zsafr-up@nic.in
(अह)	फतेहपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, एसपी कार्यालय के पास, फतेहपुर-212601	05180-224232 07839553231 zsaft-up@nic.in
(अक्ष)	फिरोजाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सुहाग नगर, सेक्शन-1, फिरोजाबाद-283203	05612-230944 07839553233 zsafi-up@nic.in
(अत्र)	गौतमबुद्ध नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, पुराना राजकीय डिग्री कॉलेज, सेक्टर-19 'सी' ब्लॉक, गौतमबुद्धनगर-201301	0120-2544814 7839553234 zsagb-up@nic.in
(अज्ञ)	गाजियाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, राज नगर गाजियाबाद-201001	0120-2822643 7839553235 zsaga-up@nic.in
(अअअ)	गाजीपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, प्रधान डाकघर, गाजीपुर-233001	0548-2226671 07839553236 zsagp-up@nic.in
(अअब)	गोंडा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, अम्बेडकर नगर चौराहा, जज बनगलो के सामने, गोंडा-271001	05262-230038 07839553237 zsagn-up@nic.in
(अअस)	गोरखपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सिविल लाइंस, गोरखपुर-273001	0551-2337643 07839553238 zsagr-up@nic.in
(अअद)	हमीरपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, पुलिस कार्यालय के सामने, हमीरपुर-210301	05282-222319 07839553239 zsahm-up@nic.in
(अअय)	हापुड़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट, हापुड़-245101	8765610970 zsa hap-up@nic.in
(अअर)	हरदोई	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सिनेमा चौराहा के पास, हरदोई-241001	05852-234733 07839553240 zsahr-up@nic.in
(अअल)	हाथरस	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, हाथरस-204121	05722-226245 07839553241 zsaht-up@nic.in

(अअव)	जालौन	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, चुरखी रोड, बघोरा, जालौन-285001	05162-252798 07839553242 zsajl-up@nic.in
(अअश)	जौनपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सिविल लाइंस, जौनपुर-222001	05452-261110 07839553243 zsaju-up@nic.in
(अअष)	झांसी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सिविल लाइंस, झांसी-284001	0510-2980791 07839553244 zsajh-up@nic.in
(अअस)	कन्नौज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय के पास, सराय मीरा रोड, कन्नौज-209721	05694-234071 07839553246 zsakj-up@nic.in
(अअह)	कानपुर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, कानपुर नगर-208001	0512-2306648 07839553247 zsakn-up@nic.in
(अअक्ष)	कानपुर देहात	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, विकास भवन के पीछे, कलेक्ट्रेट परिसर, कानपुर देहात-208001	05111-270465 07839553248 zsakd-up@nic.in
(अअत्र)	कासगंज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सोरोगेट, कासगंज-207173	05744-272002 07839553249 zsakr-up@nic.in
(अअज्ञ)	कौशाम्बी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, ओसा मंजनपुर, कौशाम्बी-212207	05331-235642 07839553250 zsaks-up@nic.in
(अबअ)	खीरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, लखीमपुर कलेक्ट्रेट परिसर, खीरी -262701	05872-252757 07839553251 zsalk-up@nic.in
(अबब)	कुशीनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, रविंदर नगर धुसे, कुशीनगर-274304	05564-246210 07839553262 zsaku-up@nic.in
(अबस)	ललितपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, पुरानी तहसील, ललितपुर-284403	0517-6277800 07839553252 zsala-up@nic.in
(अबद)	लखनऊ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सैनिक भवन, कैसरबाग लखनऊ-226001	0522-2622367 07839553254 zsalu-up@nic.in
(अबय)	महाराजगंज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, मुख्यालय कलेक्ट्रेट, महाराजगंज-273303	05523-223863 07839553255 zsamg-up@nic.in

(अबर)	महोबा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, पट्टाहा रोड, पावरहाउस के पास, महोबा-210427	05281-298073 07839553256 zsamh-up@nic.in
(अबल)	मैनपुरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, मैनपुरी-205001	05672-297756 07839553257 zsamp-up@nic.in
(अबव)	मथुरा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सिविल लाइंस के पास, तहसील के पास, मथुरा-281001	0565-2471749 07839553258 zsamt-up@nic.in
(अबश)	मऊ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट भवन, कक्ष संख्या 7, मऊ-275101	0547-2970022 07839553259 zsamb-up@nic.in
(अबष)	मेरठ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, मेरठ-250001	0121-2644551 07839553260 zsame-up@nic.in
(अबस)	मिर्जापुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सिविल लाइंस, पट्टाहा मिर्जापुर-231001	05442-256372 07839553261 zsami-up@nic.in zsk-mzp52@gmail.com
(अबह)	मुरादाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कचहरी रोड, कोर्ट कैम्पस, मुरादाबाद-244001	0591-2971988(O) 07839553253 zsamo-up@nic.in
(अबक्ष)	मुजफ्फर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, मालवीय चौक, मुजफ्फरनगर-251001	0131-2437623 07839553263 zsamu-up@nic.in
(अबत्र)	पीलीभीत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, नई तहसील, कमरा नंबर 6, पीलीभीत-262001	05882-258882 07839553294 zsapi-up@nic.in
(अबज्ञ)	प्रतापगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय, प्रतापगढ़-230001	05342-220891 07839553265 zsapr-up@nic.in
(असअ)	प्रयागराज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, लोक सेवा आयोग के सामने, थॉर्न हिल रोड, प्रयागराज-211001	0532-2548434 7839553207 zsaah-up@nic.in
(असब)	रामपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर रामपुर-244901	0595-2350022 07839553266 zsara-up@nic.in

(असस)	रायबरेली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सैनिक भवन, कलेक्ट्रेट भवन के पास, रायबरेली-229001	0535-2975208 07839553267 zsarb-up@nic.in
(असद)	संत कबीरनगर	जिला सैनिक एवं कल्याण कल्याण पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, संत कबीरनगर-272175	05547-226778 07839553268 zsask-up@nic.in
(असय)	सहारनपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, रेलवे रोड, सहारनपुर-247001	0132-2643629 07839553269 zsasa-up@nic.in
(असर)	सम्भल	कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पंवासा परिसर सम्भल बहजोई मार्ग सम्भल - 244302	8765610972 zsasam-up@nic.in
(असल)	शाहजहांपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर शाहजहांपुर-242001	05842-223005 07839553270 zsasj-up@nic.in
(असव)	शामली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज, करनाल रोड, शामली-247776	01398-251003 8765610973 zsasham-up@nic.in
(असश)	सिद्धार्थ नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, तहसील परिसर, सिद्धार्थनगर-272207	05544-220345 07839553271 zsasn-up@nic.in
(असष)	सीतापुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, लालबाग, सीतापुर-261001	05862-242055 07839553272 zsasi-up@nic.in
(असस)	सोनभद्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, विकास भवन, कमरा-66 सोनभद्र-231216	05444-223885 07839553273 zsaso-up@nic.in
(असह)	श्रावस्ती	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, राजा साहब की छोटी कोठी (आनंद भवन), पोस्ट-भिंगा, श्रावस्ती - 271831	05250-222654 07839553274 zsasv-up@nic.in
(असक्ष)	सुल्तानपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सिविल लाइंस, तिकुनिया पार्क, सुल्तानपुर-228001	0536-240416 07839553275 zsasu-up@nic.in
(असत्र)	उन्नाव	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, रेलवे स्टेशन के सामने, उन्नाव - 209801	0515-2820544 07839553276 zsaun-up@nic.in
(असज्ञ)	वाराणसी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, वाराणसी-221002	0542-2508254(O) 07839553277 zsava-up@nic.in

25. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं.	स्थान एवं पता	कमरों की उपलब्धता			सम्पर्क सूत्र
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, आगरा निकटतम रेलवे स्टेशन-आगरा कैंट दूरी-04 किमी निकटतम हवाई अड्डा -आगरा दूरी - 2.5 किमी	1	1	1	0562-2260549 07839553205
2	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, अलीगढ़ निकटतम रेलवे स्टेशन -अलीगढ़ दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा - --- दूरी- ---	1	1	1	0571-2401763 07839553206
3	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, सोनेपुर रोड, गानिवा, चित्रकूट निकटतम रेलवे स्टेशन- इलाहाबाद दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा -- --दूरी- -	1	1	2	05198-236475 07839553225
4	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, आजमगढ़ निकटतम रेलवे स्टेशन - आजमगढ़ दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा --दूरी--	1	1	1	05462-220820 07839553209
5	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट पुलिस स्टेशन, बहराइच निकटतम रेलवे स्टेशन -बहराइच दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा-- दूरी-	1	1	-	05252-234775 07839553215

6	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट एनसीसी चौराहा, जेल रोड, बलिया निकटतम रेलवे स्टेशन - बलिया दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा-- दूरी---	1	-	-	05498-240202 07839553216
7	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, बांदा निकटतम रेलवे स्टेशन -बांदा दूरी-01 किमी निकटतम हवाई अड्डा --दूरी---	1	1	-	05192-285392 07839553218
8	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट बस अड्डा, बाराबंकी निकटतम रेलवे स्टेशन- बाराबंकी दूरी-01 किमी निकटतम हवाई अड्डा -- दूरी---	1	1	-	05248-222565 07839553219
9	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, बरेली निकटतम रेलवे स्टेशन -बरेली दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	2	1	1	0581-2421794 07839553220
10	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, बी एस ओ आफिस के सामने, सोरांव रोड, कासगंज निकटतम रेलवे स्टेशन -कांसगंज दूरी-05 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	2	2	1 1 Hall	05744-272002 07839553249
11	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, बस्ती निकटतम रेलवे स्टेशन -बस्ती दूरी-07 किमी निकटतम हवाई अड्डा-- दूरी---	5	2	2	05542-246670 07839553221

12	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, बुलन्दशहर निकटतम रेलवे स्टेशन- बुलन्दशहर दूरी-01 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	2	1	1	05732-282562 07839553223
13	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट बस अड्डा, सिविल लाइंस, देवरिया निकटतम रेलवे स्टेशन -देवरिया दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	2	1	1	05568-222450 07839553226
14	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट रेलवे स्टेशन, इटावा निकटतम रेलवे स्टेशन- बस्ती दूरी-00 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	1	1	1	05688-254167 07839553228
15	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, अयोध्या (फैजाबाद) निकटतम रेलवे स्टेशन -फैजाबाद दूरी-01 किमी निकटतम हवाई अड्डा –, दूरी-	2	2	1	25278-222184 07839553229
16	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट बस अड्डा, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद निकटतम रेलवे स्टेशन- फर्रूखाबाद दूरी-1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	1	1	1	056192-234659 07839553230

17	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट एसपी आफिस, फतेहपुर निकटतम रेलवे स्टेशन -फतेहपुर दूरी-01 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	1	05180-224232 07839553231
18	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट चुनाव कार्यालय, बस्तीओं, गाजीपुर निकटतम रेलवे स्टेशन- गाजीपुर दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	1	0548-2226671 07839553236
19	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड, गोंडा निकटतम रेलवे स्टेशन -गोंडा दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	-	-	05262-223516 07839553237
20	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट बस अड्डा, गोरखपुर निकटतम रेलवे स्टेशन -गोरखपुर दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	1	0551-2337643 07839553238
21	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट बस अड्डा, हमीरपुर निकटतम रेलवे स्टेशन -हमीरपुर दूरी-12 किमी निकटतम हवाई अड्डा --दूरी---	1	1	-	05282-222319 07839553239
22	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट सिनेमा चौराहा, हरदोई निकटतम रेलवे स्टेशन - हरदोई दूरी-1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा --दूरी---	3	2	1	05852-234733 07839553240

23	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, जालौन निकटतम रेलवे स्टेशन -जालौन दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	-	05162-252798 07839553242
24	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, सिविल लाइंस, जौनपुर निकटतम रेलवे स्टेशन -जौनपुर दूरी-20 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	-	05452-261110 07839553243
25	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट नैआदिश कालोनी, झांसी निकटतम रेलवे स्टेशन -झांसी दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	1	0517-2470049 07839553244
26	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, निकट एसोसिएशन, कानपुर नगर निकटतम रेलवे स्टेशन -कानपुर दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	3	2	1	0512-2306648 07839553247
27	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, खीरी निकटतम रेलवे स्टेशन -खीरी दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	1	05872-252757 07839553251

28	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट चुनाव कार्यालय, कैसरबाग, लखनऊ निकटतम रेलवे स्टेशन- लखनऊ दूरी-04 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	6	5	5 आवास 30 बिस्तर	0522-2622367 07839553254
29	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, मैनपुरी निकटतम रेलवे स्टेशन -मैनपुरी दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	1	-	-	05672-234890 07839553257
30	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट जिला कारागार, मथुरा निकटतम रेलवे स्टेशन -मथुरा दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	1	1	-	0565-2505749 07839553258
31	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, रविन्द्र नगर, कुशीनगर निकटतम रेलवे स्टेशन -पडरौना दूरी-05 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	2	2	1 Hall	05564-240272 07839553262
32	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट आयुक्त कार्यालय, मिर्जापुर निकटतम रेलवे स्टेशन -मिर्जापुर दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	1	1	1	05442-20444 07839553261
33	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, मुजफ्फरनगर निकटतम रेलवे स्टेशन- मुजफ्फरनगर दूरी-1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा---दूरी--	2	2	2	0131-2405723 07839553263

34	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, पीडब्लूडी आफिस के सामने, जिलाधिकारी आवास रोड, प्रतापगढ़ निकटतम रेलवे स्टेशन -प्रतापगढ़ दूरी-1.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	1	1	1	05342-220891 07839553265
35	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, रायबरेली, निकटतम रेलवे स्टेशन -रायबरेली दूरी-03 किमी, निकटतम हवाई अड्डा -- दूरी---	2	2	2	0535-2203554 07839553267
36	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, रामपुर निकटतम रेलवे स्टेशन -रामपुर दूरी-0.3 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	1	-	-	0595-2350022 07839553266
37	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट रोडवेज बस अड्डा, सहारनपुर निकटतम रेलवे स्टेशन - सहारनपुर दूरी-0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	2	1	1	0132-2643629 07839553269
38	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, शाहजहांपुर निकटतम रेलवे स्टेशन - शाहजहांपुर दूरी-0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा – दूरी-	1	1	1	05842-23005 07839553270

39	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, निकट लालबाग चौराहा, सीतापुर निकटतम रेलवे स्टेशन -सीतापुर दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	2	2	1	05862-242055 07839553272
40	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट बस अड्डा, सुल्तानपुर निकटतम रेलवे स्टेशन - सुल्तानपुर दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	1	05362-22416 07839553275
41	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट रेलवे स्टैंड, उन्नाव निकटतम रेलवे स्टेशन -उन्नाव दूरी-0.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा---दूरी---	2	1	1	0515-2820544 07839553276
42	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कोर्ट कम्पाउन्ड, वाराणसी निकटतम रेलवे स्टेशन -वाराणसी दूरी-04 किमी निकटतम हवाई अड्डा --- दूरी---	1	1	1	0542-2508254 07839553277
43	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, ख-171, नया कवी नगर, गाजियाबाद निकटतम रेलवे स्टेशन - गाजियाबाद दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा---दूरी---	2	1	1	0120-2702643 07839553235
44	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, एटा निकटतम रेलवे स्टेशन -एटा दूरी-05 किमी निकटतम हवाई अड्डा--- दूरी---	2	2	1 1Hall	05742-233753 07839553227

45	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, महाराजगंज निकटतम रेलवे स्टेशन -घुघौली दूरी-11 किमी निकटतम हवाई अड्डा--दूरी---	2	2	1 1Hall	05523-223863 07839553255
46	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, मुरादाबाद निकटतम रेलवे स्टेशन - मुरादाबाद दूरी-04 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	-	-	1	0591-2412260 07839553253
47	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, बिजनौर निकटतम रेलवे स्टेशन -बिजनौर दूरी-03 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	1	1	2	01342-262994 07839553214
48	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, भदोही निकटतम रेलवे स्टेशन -भदोही दूरी-04 किमी निकटतम हवाई अड्डा--दूरी---	1	1	2	05414-251229 07839553212
49	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कानपुर देहात निकटतम रेलवे स्टेशन - भोगनीपुर दूरी-20 किमी निकटतम हवाई अड्डा---दूरी---	2	2	1 1 Hall	05111-270465 07839553248
50	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड, महोबा निकटतम रेलवे स्टेशन -महोबा दूरी-07 किमी निकटतम हवाई अड्डा ---दूरी---	2	2	1 1Hall	05281-244160 07839553256
51	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, सैनिक परिषद, निकट जिला पंचायत गेट, बदायूं निकटतम रेलवे स्टेशन -बदायूं दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा ---दूरी---	निर्माणाधीन			05832-267122 7839553211

52	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, थौर्नहिल रोड, निकट यूपीपीएससी, गेट नं0 5 के सामने, प्रयागराज निकटतम रेलवे स्टेशन - प्रयागराज दूरी-2.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा---दूरी---	2	2	10 आवास	0532-2548434 7839553207
53	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड, मेरठ निकटतम रेलवे स्टेशन -मेरठ कैण्ट दूरी-4.5 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	2	2	04 आवास	0121-2644551 7839553260
54	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, एआरटीओ आफिस के पीछे, मऊ निकटतम रेलवे स्टेशन - मऊ दूरी-02 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	2	2	1	0547-2225816 7839553259
55	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, ओसा चौराहा, मंजनपुर, कौशाम्बी निकटतम रेलवे स्टेशन -सिराथू दूरी-20 किमी निकटतम हवाई अड्डा - दूरी-	निर्माणाधीन			05331-232642 7839553250
56	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, विकास भवन के पीछे, बलरामपुर निकटतम रेलवे स्टेशन - बलरामपुर दूरी-06 किमी निकटतम हवाई अड्डा - , दूरी-	2	2	1 Hall	05263-235086 7839553217

पश्चिम बंगाल

परिचय

1. पश्चिम बंगाल राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 1,09,002 सेवानिवृत्त सैनिक / युद्ध विधवाओं / दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों को सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) द्वारा निराकरण किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड: पश्चिम बंगाल		
कार्यालय/जिला का नाम	पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
राज्य सैनिक बोर्ड	कर्नल पार्थ प्रतिम बारिक (सेवानिवृत्त) सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड ब्लॉक 'IV' (प्रथम तल) राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता - rsb-wb@gov.in	033-22144643 (O) rsb-wb@gov.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** पश्चिम बंगाल राज्य में 12 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर सैनिक विश्राम गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल में 08 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एम वी सी	वी आर सी	ए सी	के सी	ए स सी	एस वाई एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	25.75 लाख	20.60 लाख	14.40 लाख	20.60 लाख	14.40 लाख	9.30 लाख	2 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाईएस एम	सेना/नौसेना /वायु सेना मेडल	मेशन इन डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	1.25 लाख	1 लाख	25,375	25,000	1.188 लाख	59,850	25,375

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान; (ब) जमीन के बदले नकद; (स) वार्षिकी; (द) एकमुश्त अनुदान

5. राज्य सरकार (पश्चिम बंगाल) द्वारा प्रदान की गई सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विभिन्न योजनाएं

(अ) **राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण** पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्त सैनिक कोटा के अंतर्गत नौकरी में आरक्षण प्रदान करता है। मौजूदा नियमों के अनुसार ये क्रमशः ग्रुप-'सी' और ग्रुप-'डी' पद के पदों के लिए 5% और 10% आरक्षण उपलब्ध हैं।

(ब) **नगर निगम/नगर पालिकाओं और पंचायत क्षेत्र के मामले में संपत्ति कर की छूट** पश्चिम बंगाल सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को संपत्ति कर में 25% की छूट देती है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

(अ) **रक्षा कर्मियों को अनुग्रह अनुदान** पश्चिम बंगाल सरकार उन रक्षा कर्मियों (पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित) को अनुग्रह राशि प्रदान करती है, जो ऑपरेशन में 40% से अधिक घायल/मारे जाते हैं: -

क्रमांक	स्थिति	अधिकारी (रुपये में)	जेसीओ (रुपये में)	अन्य पद (रुपये में)
(i)	प्रत्येक मामले में, कार्रवाई में मारे गए या विकलांग कर्मियों (60% या उससे अधिक अक्षमता के साथ)	3,00,000/-	2,00,000/-	1,50,000/-
(ii)	प्रत्येक मामले में, व्यक्तिगत विकलांग (40% से 59% विकलांगता के साथ) या कार्रवाई में लापता होने या युद्ध बंदी (पी ओ डब्ल्यू)	1,50,000/-	1,00,000/-	75,000/-
(iii)	सैन्य अभियान के दौरान दुर्घटनाओं, सांप के काटने, बीमारी आदि के कारण मौत के प्रत्येक मामले में	60,000/-	40,000/-	30,000/-

नोट: सभी श्रेणियों के लिए अनुदान में संशोधन का मामला उठाया गया है।

विशेष निधि से वित्तीय सहायता

6. शिक्षा प्रशिक्षण अनुदान

(अ) विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि इस प्रशिक्षण से गुजर रहे एक विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 900 रुपये प्रति माह की दर से प्रशिक्षण खर्च दिया जा सके।

(ब) जिला सैनिक बोर्ड, बर्दवान में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए महिला प्रशिक्षक पर खर्च इस फंड से एक महिला ट्रेनर की नियुक्ति की गई है और उन्हें 2500 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है।

7. चिकित्सा सहायता जिनका चिकित्सा उपचार हो रहा है और जिन्हें सैन्य अस्पताल/ ई सी एच एस लाभ नहीं मिल रहे हैं ऐसे जरूरतमंद सेवानिवृत्त सैनिक /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को 20,000/- रुपये प्रति मामले की दर से एकमुश्त वित्तीय अनुदान दिया जाता है। इस कोष से ऐसे 5 प्रकरणों को यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

(पक्षाघात से पीड़ित विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक / सेवानिवृत्त सैनिक को उपयुक्त संलग्न शौचालयों, श्रवण यंत्रों, वॉकर, व्हील चेयर (बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार राशि) के संशोधन के लिए एक बार की वित्तीय सहायता।)

8. विवाह अनुदान जरूरतमंद सेवानिवृत्त सैनिकों की बेटियों को 15 मामलों में 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

9. स्वरोजगार के लिए वापसी योग्य ऋण

(अ) स्व-रोजगार के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों को प्रति मामले 30,000/- रुपये (वापसी योग्य) की राशि दी जाती है।

(ब) प्रशिक्षण के बाद व्यवसाय स्थापित करने के लिए मशीन/उपकरण के लिए प्रति मामला 50,000/- रुपये की दर से एकमुश्त अनुदान (समिति द्वारा अनुमोदित)।

10. सैनिक शिशु कल्याण सदन (एस एस के एस) - मिदनापुर। एस एस के एस रक्षा सेवा कर्मियों के अनाथों को मुफ्त छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड मिदनापुर के तहत चलाया जा रहा है। इस एस एस के बी में 25 अनाथ बच्चों को रखा जा सकता है। इस छात्रावास को चलाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा इस कोष से भवन के रख-रखाव, निः शुल्क भोजन एवं रहने तथा शिक्षण शुल्क आदि की व्यवस्था की जा रही है।

11. विविध इस कोष से निम्नलिखित कारणों से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-

(अ) सैनिक विश्राम गृह के लिए नैमित्तिक श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी।

(ब) सेवानिवृत्त सैनिकों की रैलियों के संचालन के लिए व्यय।

(स) ऑपरेशन में मारे गए रक्षा कर्मियों के लिए 10,000/- रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता।

12. **प्राकृतिक आपदाएँ** सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुए उनके घर की मरम्मत, रखरखाव के लिए 10,000/- रुपये की राशि दी जाती है।

13. **पश्चिम बंगाल धर्मार्थ राहत कोष** जरूरतमंद सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रत्येक पात्र को अधिकतम 12,000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि दी जाती है।

14. **अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति:** -

अधिकारी	वेतनमान	स्थिति
निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड	28,000-52,000	
सचिव, जिला सैनिक बोर्ड	समेकित वेतन। 7 सी पी सी घटा एम एस पी और पेंशन के अनुसार अंतिम वेतन। आगे के संशोधन पर विचार किया जा रहा है।	
प्रशासन अधिकारी	9000-40,500	

15. राज्य सैनिक बोर्ड पिछली 25 जून 2015 को और एस एम सी बैठक 09 जनवरी 2019 को हुई थी।

16. **जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण इस प्रकार है:** -

क्रमांक	कार्यालय / जिले का नाम,	पदनाम और पता	टेलीफोन नं
(अ)	मुर्शिदाबाद	सचिव जिला सैनिक बोर्ड, मुर्शिदाबाद 7/ए, बैरक स्कायर, पीओ - बेहरामपुर, मुर्शिदाबाद,-742 101	03582-277459 9485103183 zsb-murshidabad@bangla gov.in
(ब)	बर्दवान, बीरभूम	सचिव जिला सैनिक बोर्ड, बर्दवान "सैनिक भवन", बरोनिलपुर, पीओ-श्रीपल्ली, जिला - बर्दवान -713 103	0342-2644782 9051368574 secy.zsb- burdwan @bangla .gov.in
(स)	दक्षिण दिनाजपुर + उत्तर दिनाजपुर	सचिव जिला सैनिक बोर्ड, रघुनाथपुर पीओ: बेल्तलाला पार्क, दक्षिण दिनानपुर, पश्चिम बंगाल - 733 103	03522-258175 9433313068(M) secy.zsbdd-wb@gov.in
(द)	दार्जिलिंग	सचिव जिला सैनिक बोर्ड, दार्जिलिंग "सैनिक भवन", कचहरी कंपाउंड पी ओ और जिला: दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, पिन - 734 101	0354-2254056 zsbdd-wb@gov.in

(य)	हावड़ा और हुगली	सचिव जिला सैनिक बोर्ड, हावड़ा, न्यू ट्रेजरी बिल्डिंग (ऊपरी मंजिल), हावड़ा समाहरणालय, पीओ और जिला: हावड़ा, पिन: 711101	033-26414694 9433787981 secy.zsb- howrah@bangla .gov.in
(र)	जलपाईगुड़ी	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, समाहरणालय परिसर, पीओ और जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, पिन - 735101	03561-230848 9434042612(M) Zsb-jalpaiguri@bangla.gov.in
(ल)	कोलकाता	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कोलकाता "सैनिक भवन", 1/4, ए जे सी बोस रोड, कोलकाता, पिन - 700020	033-22233893 8509767411 Zsb-kolkata@bangla.gov.in
(व)	मालदा	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, मालदा समाहरणालय भवन, आई सी डी एस का कार्यालय, एस डब्ल्यू विभाग, जिला: मालदा पिन - 733 103	03512-223546 9013814250 secy.zsb-malda@bangla .gov.in
(श)	मिदनापुर मेदिनीपुर पूर्व और पश्चिम, पुरुला, बांकुरा	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, मिदनापुर "सैनिक भवन, पीओ: रवींद्रनगर, जिला : पश्चिम मिदनापुर, पिन : 721 101	03222-275874 7259244837 Secy.zsb-midnapore@ bangla .gov.in
(ष)	नादिया	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, नदिया प्रशासनिक भवन, पीओ- कृष्णानगर जिला- नादिया, पिन- 741 101	03472-252287 (O) 8985775684 zsb-nadiawb@bangla .gov.in
(स)	उत्तर 24 परगना	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, 24 परगना (उत्तर) ओ/ओ। अल्पसंख्यक कार्य भवन, पश्चिम बनमालीपुर, डाकघर- बारासात जिला- उत्तर 24 परगना, पिन-743 201	033-25628538 (O) 8848121327 zsb-barasat@ bangla.gov.in
(ह)	दक्षिण 24 परगना	सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, दक्षिण 24 परगना, नया प्रशासनिक भवन, पश्चिम लॉबी (तीसरी मंजिल), पीओ- अलीपुर, कोलकाता-27	033-24790542 8368018112 secy.zsb-wb@s 24pgs.gov.in

(क्ष)	कूच बिहार अलीपुर दुआर	सचिव जिला सैनिक बोर्ड, कूच बिहार, सागर दिघी चौराहा (पुराना चुनाव कार्यालय), एसबीआई के पास, कूच बिहार - 736101	03852-222196 secyzsb-wb.cbr@ coochbehar.gov.in
-------	--------------------------	--	--

17. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान और पता	आवास उपलब्ध है (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जेसीओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, 1/4, आचार्य जगदीश बोस रोड, कोलकाता-20 नजदीकी रेलवे स्टेशन - सियालदह/ हावड़ा दूरी - 5 किमी, निकटतम हवाई अड्डा- कोलकाता दूरी -15 किमी	01	-	2	डी एस डब्ल्यू कोलकाता 033- 22233893
(ब)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, बरोनिलपुर रोड, श्रीपल्ली बर्दवान नजदीकी रेलवे स्टेशन -बर्दवान दूरी- 4 किमी, निकटतम हवाई अड्डा - दूरी - 85 किमी	1	-	2	डी एस डब्ल्यू बर्दवान 0342-2544782
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस रवींद्रनगर, मिदनापुर, नजदीकी रेलवे स्टेशन - मिदनापुर दूरी - 5 किमी, निकटतम हवाई अड्डा - - दूरी -145 किमी	-	-	2	डी एस डब्ल्यू मिदनापुर 03222-262874
(द)	सैनिक रेस्ट हाउस, बालुरघाट जिला दक्षिण दिनाजपुर, नजदीकी रेलवे स्टेशन - बालुरघाट दूरी - 7 किमी, निकटतम हवाई अड्डा - बागडोगरा, दूरी -120 किमी	-	-	2	डी एस डब्ल्यू दक्षिण दिनाजपुर 03522-258175

(य)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, कचहरी परिसर दार्जिलिंग नजदीकी रेलवे स्टेशन – न्यू जलपाईगुड़ी दूरी - 68 किमी, निकटतम हवाई अड्डा - बागडोगरा, दूरी -98 किमी	1	-	2	डी एस डब्ल्यू दार्जिलिंग 0354- 2254056
(र)	सैनिक रेस्ट हाउस, कलिम्पोंग, जिला दार्जिलिंग नजदीकी रेलवे स्टेशन – न्यू जलपाईगुड़ी दूरी - 62 किमी निकटतम हवाई अड्डा- बागडोगरा, दूरी -70 किमी	-	-	1	डी एस डब्ल्यू दार्जिलिंग 0354- 2254056
(ल)	सैनिक रेस्ट हाउस, कारसेओंग, जिला दार्जिलिंग नजदीकी रेलवे स्टेशन – न्यू जलपाईगुड़ी दूरी - 40 किमी, निकटतम हवाई अड्डा- बागडोगरा दूरी -80 किमी	-	-	2	डी एस डब्ल्यू दार्जिलिंग 0354- 2254056
(व)	सैनिक रेस्ट हाउस, बागडोगरा नजदीकी रेलवे स्टेशन – न्यू जलपाईगुड़ी दूरी - 16 किमी निकटतम हवाई अड्डा- बागडोगरा दूरी - 6 किमी	01	04	11	0353-2551302

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केन्द्र शासित)

परिचय

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केन्द्र शासित) में अप्रैल 2022 तक कुल 1,154 सेवानिवृत्त सैनिक / युद्ध विधवाएं हैं। जिनकी आवश्यकताओं / शिकायतों को सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) द्वारा पूरा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केन्द्र शासित)		
कार्यालय/जिला	नाम. पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
राज्य सैनिक बोर्ड	कर्नल धर्म सिंह गोदरा (सेवानिवृत्त) {मानद सचिव} सचिव राज्य सैनिक बोर्ड, अंडमान और निकोबार प्रशासन वीर सेनानी भवन, जे.एन. रोड, हड्डो पोर्ट ब्लेयर - 744101	03192-235621(O) 03192-235621(F) rsbsecretaryandnic@ gmail.com

2. जिला सैनिक बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केन्द्र शासित) राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं हैं।

3. सैनिक विश्राम गृह सेवानिवृत्त सैनिकों को मामूली शुल्क पर सैनिक विश्राम गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यू टी) में कोई सैनिक विश्राम गृह नहीं हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्रमांक	पी वी सी	एम वी सी	वी आर सी	ए सी	के सी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	0.20 लाख	0.15 लाख	0.07 लाख	0.17 लाख	0.12 लाख	0.05 लाख	0.15 लाख
(ब)	1 लाख	0.75 लाख	0.50 लाख	0.85 लाख	0.70 लाख	0.40 लाख	0.80 लाख
(स)	1,000	300	-	500	200	-	400
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाई एस एम	सेना/ नौ सेना/ वायु सेना पदक	मेंशन इन डिस्पैच	पी वी एस एम	ए वी एस एम	वी एस एम
(अ)	0.10 लाख	0.04 लाख	0.03 लाख	2,500	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(ब)	0.65 लाख	0.30 लाख	0.20 लाख	0.15 लाख	0.75 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान, (ब) जमीन के बदले नकद, (स) वार्षिकी, (द) एकमुश्त एकमुश्त अनुदान।

5. इन द्वीपों के सेवानिवृत्तसैनिकों को निम्नलिखित योजनाएं/लाभ प्रदान किए गए हैं: -

(अ) अंडमान और निकोबार प्रशासन में समूह 'सी' और 'डी' पदों में नौकरियों के लिए 1% आरक्षण।

(ब) प्रत्येक मुख्य भूमि जाने वाले जहाजों में सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए 10 (दस) सीटें आरक्षित।

(स) विश्व युद्ध के पेंशनर और और उनकी विधवाओं के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से @ 6,000/- रुपये प्रति माह पेंशन।

(द) पांडिचेरी विश्वविद्यालय / सरकार के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा संस्थानों में सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों के लिए सभी पाठ्यक्रमों (एक सीट से अधिक नहीं) में कुल सीट का 1% आरक्षित किया गया है। इन द्वीपों के निवासी सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों को स्कूली शिक्षा के संबंध में सभी उद्देश्यों के लिए एक द्वीपवासी के रूप में माना जाएगा।

6. बोर्ड द्वारा बनाई गई निम्नलिखित योजनाओं के अनुसार राज्य सैनिक बोर्ड के साथ आयोजित सशस्त्र सेना इंडा दिवस निधि से वित्तीय सहायता।

क्र.सं.	उद्देश्य जिसके लिए अनुदान प्रदान किया जाता है	सहायता का पैमाना
(अ)	स्पोर्ट सहायता के मामले में	1,000/- रुपये
(ब)	बेटी की शादी के खर्च को पूरा करने के लिए	5,001/- रुपये
(स)	मुख्य भूमि के अस्पतालों में इलाज के लिए चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संदर्भित यात्रा व्यय के लिए और यदि नागरिक प्राधिकरण से ऐसी कोई सुविधा नहीं ली गई है और ई सी एच एस का सदस्य नहीं	ऊ्यूटी के दौरान पात्रता के अनुसार टिकट की कीमत

(द)	ई सी एच एस पॉलीक्लिनिक पोर्ट ब्लेयर में इलाज के लिए यात्रा व्यय के लिए आर एम ओ सी जी / सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, कैंपबेल खाड़ी द्वारा संदर्भित किया जा रहा है	ऊ्यूटी के दौरान पात्रता के अनुसार टिकट की कीमत
(य)	सेवानिवृत्त सैनिकों के जरूरतमंद बच्चों को किताबें खरीदने के लिए	रु. 500/- प्रति वर्ष
(र)	कोई अन्य अनुदान	माननीय उपराज्यपाल के विवेक पर

7. **अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति: -**

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक, आरएसबी	निल (मानद)

8. पिछली राज्य सैनिक बोर्ड और एस एम सी बैठकें अप्रैल 2010 को हुई थीं।

चंडीगढ़ (केन्द्र शासित)**परिचय**

1. चंडीगढ़ (केन्द्र शासित) राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 12,150 सेवानिवृत्त सैनिक / युद्ध विधवाएं/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों को सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा पूरा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : चंडीगढ़ (केन्द्र शासित)		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय	कर्नल अनिल कुमार कुंद्रा (सेवानिवृत्त) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय (यूटी), ऑपोजिट अरोमा होटल सेक्टर 21-डी चंडीगढ़ पिन - 160022	0172-2701947 (O) 0172-2726325 (F) zswochd@gmail.com

2. **जिला सैनिक बोर्ड** चंडीगढ़ (केन्द्र शासित) राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** मामूली शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को विश्राम गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ (केन्द्र शासित) में 01 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एम वी सी	वी आर सी	ए सी	के सी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	-	-	-	-	-
(द)	30 लाख	20 लाख	15 लाख	30 लाख	20 लाख	15 लाख	5 लाख

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाई एस एम	सेना/ नौ सेना/ वायु सेना पदक	मेंशन एन डिस्पैचे ज	पी वी एस एम	ए वी एस एम	वी एस एम
(अ)	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	-	-	-	-	-	-	-
(स)	-	-	7 लाख (G)	5 लाख (G)		-	-
(द)	4 लाख	3 लाख	2 लाख (G)	2.5 लाख (D)	3 लाख	2.5 लाख	2 लाख

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान (य) शौर्य सेवा (र) विशिष्ट सेवा

5. दृष्टिबाधित सेवानिवृत्त सैनिकों या उनके आश्रितों को 1,200/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
6. सेवानिवृत्त सैनिकों के मानसिक रूप से विकलांग वार्डों को 1,200 / - रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
7. उन सेवानिवृत्त सैनिकों को जिनका विभिन्न अनुमोदित पक्षाघात केंद्रों में उपचार चल रहा है, रु. 1,000/- वित्तीय सहायता दी जाती है।
8. उन सेवानिवृत्त सैनिकों को 1,200/- रुपये प्रति माह रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है जो 100% विकलांगता के साथ सेवा से बाहर/ मुक्त हो गए हैं।
9. जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग और विकलांग सैनिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
10. सेवानिवृत्ति के बाद 100% विकलांगता का सामना करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को 1,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
11. निर्धनता में रहने सेवानिवृत्त सैनिकों / विधवाओं के लिए 15,000/- रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
12. सेवानिवृत्त अधिकारियों और जे सी ओ के एन ओ के को 5,000/- रुपये का अंतिम संस्कार भत्ता दिया जाता है।
13. उन विधवाओं को 500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनके पति (सूबेदार के पद तक) की सेवा में मृत्यु हो गई है।

14. द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को 7,500/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रति माह दिया जाता है।
15. चंडीगढ़ के निवासी और आर आई एम सी, देहरादून में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को 33,000/- रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है।
16. केन्द्र शासित, चंडीगढ़ के सेवानिवृत्त सैनिकों /दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के 50 आश्रितों को 10,000/- रुपये की एक बार छात्रवृत्ति दी जाती है जिन्होंने न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैट्रिक और 10 + 2 (25 प्रत्येक) परीक्षा उत्तीर्ण की है और अगली उच्च कक्षा में पढ़ रहे हैं।
17. 25 सेवानिवृत्त सैनिकों या उनके आश्रितों के लिए 6 माह की अवधि का निः शुल्क कम्प्यूटर कोर्स।
18. भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने पर चंडीगढ़ के कैडेटों को 1 लाख रुपये का एक बार का प्रोत्साहन दिया जाता है।
19. देश की रक्षा में युद्ध या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में शहीद हुए रक्षा कर्मियों और पैरा मिलिट्री कर्मियों को अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। विवरण इस प्रकार हैं: -
- (अ) ड्यूटी के दौरान होने वाली घटनाओं में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है।
- (ब) आतंकवादियों द्वारा हिंसा के कृत्यों आदि के कारण कर्तव्यों के दौरान मृत्यु होने पर 10.00 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है।
- (स) युद्ध या सीमा झड़पों में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत या आतंकवादियों आदि के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मौत पर 15.00 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है।
- (द) अंतरराष्ट्रीय युद्ध या युद्ध जैसे विशेष रूप से अधिसूचित दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत पर 20.00 लाख रु की अनुग्रह राशि दी जाती है।
- (य) आरक्षित मूल्य पर फ्लैट।
- (र) देश की रक्षा में लगे हुए 75% से 100% विकलांगता से पीड़ित लोगों को रु. 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है।
- (ल) देश की रक्षा में लगे रहने के दौरान 50% से 75% तक विकलांग होने वालों को रु. 1 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है।
- (व) देश की रक्षा में लगे हुए 25% से 50% विकलांगता से पीड़ित लोगों को रु. 50 हजार की अनुग्रह राशि दी जाती है।

आरक्षण

- (अ) ग्रुप 'ए' से 'डी' तक सभी पदों के लिए सीधी भर्ती में 13% आरक्षण दिया जाता है।

- (ब) इंजीनियरिंग, पॉलिटैक्निक, नर्सिंग प्रशिक्षण में 5% सीटें और एल एल बी में 2 सीटें सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित हैं।
- (स) चंडीगढ़ के शिक्षा संस्थानों में कारगिल शहीदों के 'प्रत्यक्ष वंशजों' के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक सीट के साथ 1% सीटें आरक्षित हैं।
- (द) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित 5% आवासीय इकाइयां रक्षा / पूर्व सैनिकों को आवंटन के लिए आरक्षित हैं।
- (य) नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 1% अतिरिक्त आवासों का आरक्षण।
- (र) सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए औद्योगिक शेड का 5% आरक्षण।
- (ल) शहर में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए रक्षा कर्मियों / सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रितों के लिए वहां का निवासी होने जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (व) युद्ध विधवाओं के लिए सी टी यू बसों में मुफ्त बस यात्रा।

20. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	10300 - 34800 + 5400 ग्रेड पे

21. पिछली आर एस बी बैठक 09 अक्टूबर 2019 को और एस एम सी बैठक 28 दिसंबर 2021 को हुई थी।

22. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान और पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जेसीओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक रेस्ट हाउस, अरोमा के पास होटल, सेक्टर- 21डी, चंडीगढ़ नजदीकी रेलवे स्टेशन - चंडीगढ़ दूरी - 10 किमी निकटतम हवाई अड्डा - चंडीगढ़ दूरी - 15 किमी	13	04	01	9646879861 0172-2701947

जम्मू और कश्मीर**परिचय**

1. जम्मू और कश्मीर राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 94,184 सेवानिवृत्त सैनिक / युद्ध विधवाएं/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों को सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा पूरा किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : जम्मू और कश्मीर		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
सैनिक कल्याण विभाग	ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, अम्बफला, जम्मू - 180 005 (जम्मू और कश्मीर)	0191-2561547 (O) 0191-2575362 (F) 09419180672(M) directorsw-11@jk.gov.in

2. **जिला सैनिक कल्याण कार्यालय** जम्मू और कश्मीर राज्य में 14 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हैं।
3. **सैनिक विश्राम गृह** मामूली शुल्क पर सेवानिवृत्त सैनिकों को शयनगृह/पारिवारिक आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर में 14 सैनिक विश्राम गृह हैं।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एम वी सी	वी आर सी	ए सी	के सी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	22,500	0.15लाख	0.07 लाख	0.20 लाख	0.12 लाख	0.05लाख	0.17 लाख
(ब)	1.50 लाख	1 लाख	0.50 लाख	1.25 लाख	0.75 लाख	0.40 लाख	1.10 लाख
(स)	1.25 लाख	1 लाख	0.50 लाख	1 लाख	1 लाख	0.50 लाख	0.03 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाई एस एम	सेना/ नौ सेना/ वायु सेना पदक	मेंशन इन डिस्पैचेज	पी वी एस एम	ए वी एस एम	वी एस एम
(अ)	0.10 लाख	0.04 लाख	0.03 लाख	0.02 लाख	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(ब)	0.65 लाख	0.30 लाख	0.20 लाख	0.10 लाख	1 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(स)	0.03 लाख	0.03 लाख	0.03 लाख	0.03 लाख	5,400	4,800	0.3 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त राशि

5. जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा विस्तारित रियायतें

क्र.सं	छूट	राशि	पात्रता की शर्तें
(अ)	गरीबी अनुदान (एक साल में एक बार)	48000.00	65 वर्ष से कम उम्र के गैर पेंशनभोगी विधवा
(ब)	गरीबी अनुदान (एक साल में एक बार)	12000.00	65 वर्ष से कम उम्र के नान पेंशन सेवानिवृत्त सैनिक
(स)	एस एस बी कोचिंग	2500.00	सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित

6. पूर्व मिलिशिया कर्मियों को वित्तीय राहत जम्मू-कश्मीर मिलिशिया में सेवा करने वाले और जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी सेवानिवृत्त सैनिकों को 5000 रुपये प्रति माह दिया जाता है।

7. द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिक / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को वित्तीय राहत जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी सेवानिवृत्त सैनिकों को 5000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया हैं।

8. सिलाई मशीनें जिन दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को पेंशन नहीं मिल रही है और 60 वर्ष से कम उम्र की है उन्हें और दिवंगत सैनिकों की बेटियों को सिलाई मशीन दी जाती है।

9. व्हील चेयर/बैसाखी सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए जो बिना सहारे के चल नहीं सकता।

10. विधवाओं/ निकट संबंधियों/सरकारी नौकरियों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान सीमा पर युद्ध के दौरान उग्रवाद का मुकाबला करते हुए शहीद हुए जवान: -

(अ)	जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों के लिए	25 लाख	जम्मू और कश्मीर राज्य। (प्राधिकार:- 823 जे के (जी ए डी) ऑफ 2022 दिनांक 12.7.2022)।
(ब)	जम्मू और कश्मीर राज्य के अनिवासियों के	5 लाख	जम्मू और कश्मीर राज्य। (प्राधिकार:- 823 जे के (जी ए डी) ऑफ 2022 दिनांक 12.7.2022)।
(स)	आश्रितों को सरकारी नौकरी या 5 लाख का अनुदान	-	(प्राधिकार : एस आर ओ-43 दिनांक 22.2.1994 और 893 जी ए डी का 2008 दिनांक 04.7.2008)।

11. विकलांग सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि सैनिक जो कानून और व्यवस्था के उल्लंघन या नागरिक हंगामे के किसी अन्य रूप के कारण विकलांग हैं (प्राधिकार -125- जी ए डी of 1997 दिनांक 27.1.1997)।

(अ)	स्थायी विकलांगता	75000.00
(ब)	आंशिक विकलांगता	25000.00

12. राज्य सरकार की नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कनिष्ठ सहायक/लिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक और प्रयोगशाला सहायक पद के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।

13. वीरता पुरस्कारों के लिए नकद प्रोत्साहन: -

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	नकद पुरस्कार (एकमुश्त)	वार्षिकी (वार्षिक)	एक बार नकद जमीन के बदले
(अ)	पी वी सी	22,500/-	1,25,000/-	1,50,000/-
(ब)	एसी	20,000/-	1,00,000/-	1,25,000/-
(स)	एम वी सी	15,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
(द)	के सी	12,000/-	1,00,000/-	75,000/-
(य)	वी आर सी	7,000/-	50,000/-	50,000/-
(र)	एस सी	5,000/-	50,000/-	40,000/-
(ल)	एस वाई एस एम	17,000/-	3,000/-	1,10,000/-
(व)	यू वाई एस एम	10,000/-	3,000/-	65,000/-
(श)	वाई एस एम	4,000/-	3,000/-	30,000/-
(ष)	एस एम	3,000/-	3,000/-	20,000/-
(स)	मेंशन इन डिस्पैचेज	2,000/-	3,000/-	10,000/-

नोट: मरणोपरांत शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित कर्मियों के पक्ष में एकमुश्त अनुदान का भुगतान मौजूदा लाभों के स्थान पर निम्नानुसार किया जाएगा: -

- (i) पी वी सी/ए सी - रु. 25.00 लाख
- (ii) एम वी सी/के सी - रु. 15.00 लाख
- (iii) वी आर सी/एस सी - रु. 10.00 लाख

14. **गैर वीरता पुरस्कारों के लिए नकद प्रोत्साहन**

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	नकद पुरस्कार (एक बार नकद)	वार्षिक (वार्षिकी)	एक बार नकद (भूमि के बदले)
(अ)	पी वी एस एम	15,000/-	5,400/-	1,00,000/-
(ब)	ए वी एस एम	7,000/-	4,800/-	50,000/-
(स)	वी एस एम	3,000/-	3,000/-	20,000/-

15. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के बच्चों को 6 महीने की अवधि के कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर साइंस एप्लीकेशन और कोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में बेसिक कोर्स के लिए 50% रियायत।

16. **युद्ध/युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति** पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को 3000 रुपये प्रति वर्ष।

17. समूह सी और डी पदों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 6% क्षैतिज आरक्षण। (प्राधिकरण: 2005 का एसआरओ 294)।

18. औद्योगिक भूखंडों में 5% आरक्षण। (प्राधिकरण: 1986 का 255 जीआर (इंडस्ट्रीज़) दिनांक 7.12.1986)।

19. व्यावसायिक संस्थानों में सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षित सीटें निम्नानुसार हैं: -

(अ)	एम बी बी एस/बी डी एस/ फिजियोथेरेपी/ नर्सिंग	3%
(ब)	इंजीनियरिंग / पॉलिटैक्निक / आईटीआई	3%
(स)	बी.एड.	3%
(द)	पोस्ट ग्रेजुएशन	2% CPMF और J&K पुलिस सहित

20. राज्य सरकार की नौकरी में सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए शैक्षिक योग्यता में छूट:

(अ) एक सेवानिवृत्त सैनिक जो मैट्रिक है या सेना/नौसेना/वायुसेना शिक्षा का विशेष प्रमाण पत्र पास कर चुका है और सशस्त्र बलों में 15 साल की सेवा कर चुका है, उसे स्नातक माना जाएगा।

(ब) एक सेवानिवृत्त सैनिक जिसने मैट्रिक पास नहीं किया है, लेकिन सेना प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र पास किया है और सशस्त्र बलों में 15 साल की सेवा की है, उसे मैट्रिकुलेट माना जाएगा।

(स) समूह 'घ' रिक्तियों के लिए सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने की शर्तों पर जोर नहीं दिया जाएगा। (प्राधिकार: सरकारी आदेश संख्या 66-जीएडी 1991 दिनांक 22.1.1991, एसओ 361 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 द्वारा संशोधित)।

21. सरकार द्वारा निर्मित हाउसिंग कॉलोनियों में हाउस साइट्स/हाउस प्लॉट्स में 5% आरक्षण (सेवारत कर्मियों के लिए 2%, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 2% और युद्ध विधवाओं के लिए 1%)।

22. **राज्य सरकार की नौकरियों में पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सैनिकों को विशेष अवकाश** राज्य सेवाओं में पुनर्नियुक्त विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक पुनः सर्वेक्षण मेडिकल बोर्ड या कृत्रिम अंग लगाने के लिए 15 दिनों के विशेष अवकाश के हकदार हैं। (जम्मू और कश्मीर सी एस आर का अनुच्छेद 150(एम)।

23. **बस यात्रा रियायत** जम्मू-कश्मीर राज्य के भीतर एस आर टी सी बसों द्वारा युद्ध विधवाओं की यात्रा में 50% रियायत है। (प्राधिकार: जम्मू-कश्मीर परिवहन आयुक्त, अधिसूचना संख्या 4/एम वी सी दिनांक 19.12.1990)।

24. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
डायरेक्टर, आरएसबी	लेवल-11 (67,700 – 2,08,700)
सहायक निदेशक, आरएसबी	स्तर -6 एफ (40,800 – 1,29,200)
प्लेसमेंट अधिकारी, अन्य आरएसबी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और अन्य	स्तर -6 एफ (40,800 – 1,29,200)

25. पिछली आर एस बी/एस एम सी बैठकें 11 अप्रैल 2018 को हुई थीं।

26. जिला सैनिक बोर्डों का संपर्क विवरण निम्नानुसार है: -

(अ)	बारामूला	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, कार्टर नंबर 3, पीडब्ल्यूडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बारामूला- 193101 (जम्मू और कश्मीर)	01952-238539 (O) 8527013529(M) zswobla-11@jk.gov.in
(ब)	कुपवाड़ा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कुपवाड़ा, टूरिस्ट सेंटर के पास, कुपवाड़ा - 193222 (जम्मू और कश्मीर)	01955-252116 (O) zswokupwa29-11@jk.gov.in
(स)	डोडा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के पास, डोडा - 182 202 (जम्मू और कश्मीर)	01996-233553 09650801638 zswododa-11@jk.gov.in
(द)	जम्मू	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अंबफला, जम्मू पिन - 180 005 (जम्मू और कश्मीर)	0191-2546273 8874745461 zswoswd@jk.gov.in
(य)	कठुआ	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल (बाँयज) के पास, कठुआ - 184101 (जम्मू और कश्मीर)	01922-234785 9596945828 zswokathua-11@jk.gov.in
(र)	पुंछ	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बस स्टैंड के पास, पुंछ, पिन - 185101 (जम्मू और कश्मीर)	01965-220161 (O) zswopoonch-11@jk.gov.in
(ल)	राजौरी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, राजौरी (फ़िरगंजू) पिन -185132 (जम्मू और कश्मीर)	01962-263350(O) 9797668372(M) zsworajouri-11@jk.gov.in
(व)	सांबा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, वार्ड नंबर 8, सांबा-184 121 (जम्मू और कश्मीर)	01923-246868 (O) 9906390808 (M) zswosamba-11@jk.gov.in

(श)	श्रीनगर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बटमालू रोड, श्रीनगर पिन - 190010 (जम्मू और कश्मीर)	0194-2474728 (O) 916776381 (M) zswosgr.11@jk.gov.in
(ष)	उधमपुर	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, आदर्श कॉलोनी, उधमपुर पिन - 182 101 (जम्मू और कश्मीर)	01992-271338 (O) 8802020308(M) zswoudhampur-11@jk.gov.in
(स)	रियासी	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रियासी, C/o ZSWO उधमपुर, रियासी (जम्मू और कश्मीर)	zsworeasi-11@jk.gov.in
(ह)	आर एस पुरा	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय C/o ZSWO जम्मू, जम्मू और कश्मीर - 180005	0191-2957533 7006893400 zsworspura-11@jk.gov.in
(क्ष)	अखनूर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी चंद्र बाघा स्कूल के पास, सुंगल मोड़ जम्मू-कश्मीर - 181201	01924295363 9584446068 zswokhnoor-11@jk.gov.in

27. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं.	स्थान और पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	सैनिक विश्राम गृह, जम्मू निकटतम रेलवे स्टेशन-जम्मू तवी दूरी - 8 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जम्मू दूरी- 10 किमी	03 (03 दोहरा बिस्तर)	02 (02 दोहरा बिस्तर)	02(शयनगृह) /02 (कक्ष) / 02 डबल, 02 सिंगल कमरे और 12 सिंगल (शयनगृह)	0191-2546273
(ब)	सैनिक विश्राम गृह, सांबा निकटतम रेलवे स्टेशन- सांबा दूरी - 10 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जम्मू दूरी- 32 किमी	01 (दोहरा बिस्तर)	-	-	951923-243212
(स)	सैनिक रेस्ट हाउस, कठुआ निकटतम रेलवे स्टेशन -कठुआ दूरी - 7 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जम्मू दूरी- 88 किमी	01 (दोहरा बिस्तर)	-	-	951923-243212
(द)	सैनिक सराय, बशोली, निकटतम रेलवे स्टेशन -कठुआ दूरी - 7 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जम्मू दूरी- 170 किमी	01 (01 दोहरा बिस्तर)	01 (01 दोहरा बिस्तर)	01 (06 सिंगल बेड)	-

(य)	सैनिक सराय, उधमपुर निकटतम रेलवे स्टेशन - उधमपुर, दूरी - 4 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जम्मू दूरी- 75 किमी	02 (02 दोहरा बिस्तर)	01 (06 सिंगल बेड)	01 (12 सिंगलबेड)	951992-271338
(र)	सैनिक सराय, राम नगर निकटतम रेलवे स्टेशन- उधमपुर दूरी - 40 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जम्मू दूरी - 115 किमी	01 (02 दोहरा बिस्तर)	01 (02 दोहरा बिस्तर)	01 (10 सिंगलबेड)	-
(ल)	सैनिक सराय, रियासी निकटतम रेलवे स्टेशन-जम्मू तवी दूरी - 85 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जम्मू दूरी - 85 किमी	01 (01 दोहरा बिस्तर)	-	01 (06 सिंगलबेड)	-
(व)	सैनिक रेस्ट हाउस, डोडा, निकटतम रेलवे स्टेशन - उधमपुर दूरी - 115 किमी निकटतम हवाई अड्डा -जम्मू दूरी - 230 किमी	01 (02 सिंगल बेड)	01 (02 सिंगल बेड)	01 (04 सिंगलबेड)	951996-233553
(श)	सैनिक सराय, किशतवाड़ निकटतम रेलवे स्टेशन - उधमपुर दूरी - 160 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जम्मू दूरी - 230 किमी	-	1 (02 सिंगल बेड)	1 (04 सिंगलबेड)	-
(ष)	सैनिक सराय, पुंछ निकटतम रेलवे स्टेशन -जम्मू तवी दूरी - 4 किमी निकटतम हवाई अड्डा-जम्मू दूरी - 75 किमी	1 (01 दोहरा बिस्तर)	2 (04 सिंगल बेड)	2 शयनगृह (16 सिंगलबेड)	01965-220161
(स)	सैनिक भवन, श्रीनगर निकटतम रेलवे स्टेशन - उधमपुर दूरी - 230 किमी निकटतम हवाई अड्डा -श्रीनगर दूरी - 10 किमी	06 (06 दोहरा बिस्तर)	2 (02दोहरा बिस्तर)	02 कक्ष/ 01 शयनगृह (02 डबल 06 सिंगल बेड)	0194-2474728

(ह)	सैनिक सराय, कुपवाड़ा निकटतम रेलवे स्टेशन - उधमपुर दूरी - 300 किमी निकटतम हवाई अड्डा -श्रीनगर दूरी - 90 किमी	5 (05दोहरा बिस्तर)	3 (01दोहरा बिस्तर) (02सिंगल बेड)	1 (04 सिंगलबेड)	-
(क्ष)	सैनिक विश्राम गृह, राजौरी निकटतम रेलवे स्टेशन -जम्मू तवी दूरी (किमी) - निकटतम हवाई अड्डा -जम्मू दूरी- 75 किमी	3 (03दोहरा बिस्तर)	3 (06 सिंगल बेड)	1 (10 सिंगलबेड)	
(त्र)	सैनिक विश्राम गृह, अखनूर निकटतम रेलवे स्टेशन -जम्मू तवी दूरी (किमी) - निकटतम हवाई अड्डा -जम्मू दूरी - 75 किमी			03 (12 सिंगलबेड)	

लद्दाख (केन्द्र शासित)**परिचय**

1. लद्दाख राज्य (केन्द्र शासित) में अप्रैल 2022 तक कुल 6,477 सेवानिवृत्त सैनिक /युद्ध विधवाएं/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का निवारण सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा संबोधित किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : लद्दाख (केन्द्र शासित)		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
राज्य सैनिक बोर्ड	कर्नल सोनम वांगचू, एमवीसी (सेवानिवृत्त) सचिव, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, लेह, एसपी ऑफिस के पास, लेह (लद्दाख) - 194 101	01982-252270 (O) 9419543578 (M) 8492859977 (M) zswoleh-11@jk.gov.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** लद्दाख राज्य (केन्द्र शासित) में 02 सैनिक बोर्ड हैं।

3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों/सेवारत कर्मियों के लिए मामूली शुल्क पर रात्रि विश्राम के लिए लद्दाख (केन्द्र शासित) में 01 सैनिक विश्राम गृह स्थापित किया गया है। यह सुविधा सिविल सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एम वी सी	वी आर सी	ए सी	के सी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	22,500	0.15लाख	0.07 लाख	0.20 लाख	0.12 लाख	0.05 लाख	0.17 लाख
(ब)	1.50 लाख	1 लाख	0.50 लाख	1.25 लाख	0.75 लाख	0.40 लाख	1.10 लाख
(स)	1.25 लाख	1 लाख	0.50 लाख	1 लाख	1 लाख	0.50 लाख	0.03 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाई एस एम	सेना/ नौ सेना/ वायु सेना पदक	मेशन एन डिस्पैचेज	पी वी एस एम	ए वी एस एम	वी एस एम
(अ)	0.10 लाख	0.04 लाख	0.03 लाख	0.02 लाख	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(ब)	0.65 लाख	0.30 लाख	0.20 लाख	0.10 लाख	1 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(स)	0.03 लाख	0.03 लाख	0.03 लाख	0.03 लाख	5,400	4,800	0.3 लाख
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त एकमुश्त अनुदान

5. राज्य सरकार की नौकरी में सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए शैक्षिक योग्यता में छूट:
 - (अ) एक सेवानिवृत्त सैनिक जो मैट्रिक है या सेना/नौसेना/वायुसेना शिक्षा का विशेष प्रमाण पत्र पास कर चुका है और सशस्त्र बलों में 15 साल की सेवा कर चुका है, उसे स्नातक माना जाएगा।
 - (ब) एक सेवानिवृत्त सैनिक जिसने मैट्रिक पास नहीं किया है, लेकिन सेना प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र पास किया है और सशस्त्र बलों में 15 साल की सेवा की है, उसे मैट्रिकुलेट माना जाएगा।
 - (स) चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के लिए सेवानिवृत्त सैनिक द्वारा आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की शर्तों पर जोर नहीं दिया जाएगा।
6. सरकार द्वारा निर्मित हाउसिंग कॉलोनियों में हाउस साइट्स / हाउस प्लॉट्स में 5% आरक्षण (सेवारत कर्मियों के लिए 2%, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 2% और युद्ध विधवाओं के लिए 1%)।
7. **राज्य सरकार की नौकरियों में पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सैनिकों को विशेष अवकाश** राज्य सेवाओं में पुनर्नियोजित विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक पुनः सर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड या कृत्रिम अंग लगाने के लिए 15 दिनों के विशेष अवकाश के हकदार हैं।
8. **बस यात्रा रियायत** राज्य के भीतर एस आर टी सी बसों द्वारा युद्ध विधवाओं की यात्रा में 50% रियायत है।
9. **विधवाओं को दो पारिवारिक पेंशन** एक निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ फिर से नियोजित एक रक्षा कर्मी दोनों संगठनों से पेंशन पाने का हकदार है। 28 अगस्त 2001 से दिवंगत सैनिक की पत्नी भी दोनों पेंशन की हकदार है। यह नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जो निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं।
10. **स्वरोजगार** 45 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त सैनिक इस योजना के तहत आय सृजन इकाइयां स्थापित कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

11. राज्य सरकार द्वारा निम्न अनुदान भी दिये जाते हैं: -

अनुदान राशि का प्रकार	राशि	वर्ग
दरिद्रता अनुदान (वर्ष में एक बार)	रुपये 6,000.00	गैर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त / 65 वर्ष से कम आयु की विधवाएं।
निधन अनुदान	रुपये 2,000.00	हवलदार के पद तक मृतक की विधवा / आश्रित।
चिकित्सा अनुदान - कैंसर/हृदय/किडनी	रुपये 5,000.00	सेवानिवृत्त / दिवंगत सैनिक की पत्नी, जो ई सी एच एस के सदस्य नहीं हैं और मासिक आय 2,000.00 रुपये से अधिक नहीं है।
चिकित्सा अनुदान- विविध/ साधारण चिकित्सा उपचार।	रुपये 3,000.00	
कन्या विवाह अनुदान	रुपये 16,000.00	केवल जे सी ओ की विधवाएं। (केवल दो बेटियों के लिए राहत लागू)।
वानिवृत्त सैनिक /विधवाओं के आश्रित बच्चों को एक बार का शैक्षिक प्रोत्साहन: -		
8 वीं कक्षा	रुपये 1,600.00	60% और अधिक अंक।
10 वीं कक्षा	रुपये 2,000.00	60% और अधिक अंक।
12 वीं कक्षा	रुपये 2,400.00	60% और अधिक अंक।
बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट I, II और III	रुपये 3,000.00	70% और अधिक अंक।
स्नातकोत्तर	रुपये 5,000.00	65 % और अधिक अंक।
व्यवसायी कोर्स	रुपये 5,000.00	केवल पीएम छात्रवृत्ति योजना के तहत कवर नहीं किए गए पाठ्यक्रमों के लिए
एनडीए/आईएमए/ओटीए में शामिल होने पर।	रुपये 10,000.00	
पूर्व मिलिशिया कर्मियों को आर्थिक राहत: -		
15 से अधिक वर्षों की सेवा	रुपये 2,500.00 प्रति माह	सेवानिवृत्त सैनिक जिन्होंने J & K मिलिशिया में सेवा की और J & K और लद्दाख राज्य के स्थायी निवासी थे।
15 साल से कम की सेवा	रुपये 2,000.00 प्रति माह	
WW-II के सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को वित्तीय राहत	रुपये 3,000.00 प्रति माह	सेवानिवृत्त सैनिक जिन्होंने WW-II में भाग लिया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख राज्यके स्थायी निवासी हैं।
सिलाई मशीनें	सी एस डी कैंटीन दर के अनुसार	(i) सेवानिवृत्त सैनिक की विधवा पेंशन प्राप्त नहीं कर रही है और 60 वर्ष से कम आयु की है। (ii) विधवा की पुत्री, विधवा को सिलाई मशीन न मिलने की स्थिति में।
व्हील चेयर/बैसाखी	बाजार दर के अनुसार	सेवानिवृत्त सैनिक जो बिना सहारे के चल नहीं सकते।

दिवंगत सैनिकों की पत्नियों / आश्रितों / सरकारी नौकरियों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान: -		
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख राज्य में सीमाओं पर युद्ध के दौरान उग्रवाद का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (यू टी) राज्य के सैनिक	रुपये 5.0 लाख	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख राज्य के स्थायी निवासियों के लिए।
	रुपये 2.0 लाख	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गैर निवासियों के लिए राज्य।
	निकटतम रिश्तेदार को सरकारी नौकरी / बदले में 5 लाख रुपये	
विकलांग सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि: -		
स्थायी विकलांगता	रुपये 75,000.00	जो सैनिक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या नागरिक अशांति के कारण अक्षम हुए हैं।
आंशिक विकलांगता	रुपये 25,000.00	
मरणोपरान्त निम्नलिखित वीरता पुरस्कारों से सम्मानित कर्मियों के पक्ष में एकमुश्त अनुदान का भुगतान मौजूदा लाभों के स्थान पर निम्नानुसार किया जाएगा: -		
पी वी सी / ए सी	रुपये 25.00 लाख	
एम वी सी/ के सी	रुपये 15.00 लाख	
वी आर सी/एस सी	रुपये 10.00 लाख	
कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए रियायत: -		
कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में बेसिक कोर्स।	रुपये 2,500.00	(i) सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित (ii) केवल 3 महीने तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए।
कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग	रुपये 2,000.00	
एस एस बी कोचिंग	रुपये 2,500.00	सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 6% क्षैतिज आरक्षण।		
औद्योगिक भूखंडों में 5% आरक्षण।		

व्यावसायिक संस्थानों में सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षित सीटें:		
-		
एमबीबीएस / बीडीएस / फिजियोथेरेपी	3%	
अभियांत्रिकी	3%	
पालिटेकनिक	3%	
आईटीआई	3%	
नर्सिंग	3%	
बी एड	3%	
स्नातकोत्तर	अर्धसैनिक और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पुलिस सहित 2%	

12. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान और पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	ओ आर	
(अ)	सैनिक सराय, लेह निकटतम रेलवे स्टेशन - उधमपुर दूरी - 690 किमी निकटतम हवाई अड्डा -लेह दूरी - 5 किमी	1 (02सिंगल बेड)	03 (06 सिंगल बेड)	02 कमरा 01 वास/ (04 एकल/ 04 एकल वास)	01982-252270

पुडुचेरी (केन्द्र शासित)**परिचय**

1. पुडुचेरी (यूटी) राज्य में अप्रैल 2022 तक कुल 2,295 सेवानिवृत्त सैनिक /युद्ध विधवाएं/ दिवंगत सैनिकों की पत्नियां हैं, जिनकी आवश्यकताओं/शिकायतों का निवारण सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके रेखांकित जिला सैनिक बोर्ड (जेड एस बी) द्वारा संबोधित किया जाता है।

राज्य सैनिक बोर्ड : पुडुचेरी (केन्द्र शासित)		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफोन नं.
राज्य सैनिक बोर्ड	रिक्त, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, 261, लॉस्पेट मेन रोड, पाक-कमूदयनपेट, पुडुचेरी -605008	0413-2250575 (O) 0413-2253107 (O) sainik.pon@nic.in

2. **जिला सैनिक बोर्ड** पुडुचेरी (केन्द्र शासित) राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है।
3. **सैनिक विश्राम गृह** सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए मामूली शुल्क पर रात्रि विश्राम के लिए पुडुचेरी (केन्द्र शासित) में 01 सैनिक विश्राम गृह स्थापित किया गया है।

राज्य स्तरीय लाभ

4. **वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्रमांक	पी वी सी	एम वी सी	वी आर सी	ए सी	के सी	एस सी	एस वाई एस एम
(अ)	22,500	0.15 लाख	0.07 लाख	0.20 लाख	0.12 लाख	0.05 लाख	0.17 लाख
(ब)	1.50 लाख	1 लाख	0.50 लाख	1.25 लाख	0.75 लाख	0.40 लाख	1.10 लाख
(स)	1,000	400	300	800	350	250	600
(द)	-	-	-	-	-	-	-

क्रमांक	यू वाई एस एम	वाई एस एम	सेना/ नौ सेना/ वायु सेना पदक	मेशन इन डिस्पैचेज	पी वी एस एम	ए वी एस एम	वी एस एम
(अ)	0.10 लाख	0.04 लाख	0.03 लाख	0.02 लाख	0.15 लाख	0.07 लाख	0.03 लाख
(ब)	0.65 लाख	0.30 लाख	0.20 लाख	0.10 लाख	1 लाख	0.50 लाख	0.20 लाख
(स)	350	225	250	150	400	300	200
(द)	-	-	-	-	-	-	-

लीजेंड: (अ) नकद अनुदान (ब) जमीन के बदले नकद (स) वार्षिकी (द) एकमुश्त अनुदान

5. समूह 'सी' और 'डी' पदों में क्रमशः 10% और 20% की दर से आरक्षण।
6. रोजगार कार्यालय के माध्यम से रिक्तियों को भरने में प्राथमिकता-॥।
7. राज्य/केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति के लिए रक्षा सेवा में प्रदान की गई सेवा की अवधि के अतिरिक्त आयु में 3 वर्ष की और छूट।
8. सेवानिवृत्त सैनिकों निधन के बाद पुनर्वास के लिए दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को निः शुल्क सिलाई मशीन के बदले रु. 5,000/- का एकमुश्त नकद अनुदान।
9. किसी भी सरकार में आई टी आई पाठ्यक्रम टाइपराइटिंग, शॉर्ट-हैंड, अकाउंटेंसी, बुक-कीपिंग, सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण, आदि जैसे अल्पावधि तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों द्वारा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क सहित वास्तविक शुल्क की प्रतिपूर्ति। मान्यता प्राप्त संस्थान प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए रु. 5,000/- से अधिक देय नहीं होंगे।
10. द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों को 6,000/- रुपये प्रतिमाह और द्वितीय विश्व युद्ध की विधवाओं को रु. 5,000/- का निर्वाह भत्ता।
11. 60 वर्ष से ऊपर के सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियां जो किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं प्राप्त कर रही हैं और निराश्रित स्थिति में हैं वे रु. 5,000/- प्रति माह, निर्वाह भत्ता के लिए पात्र हैं।
12. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को जीवन में एक बार 1,000/- रुपये का स्पेक्टेल अनुदान।
13. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को जीवन में एक बार हियरिंग एड की कीमत रु. 5,000/- की प्रतिपूर्ति।
14. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को जीवन में एक बार डेन्चर के लिए 10,000/- रुपये की लागत की प्रतिपूर्ति।
15. वे सेवानिवृत्त सैनिक जो ई सी एच एस के तहत नहीं आते हैं, गंभीर चोट या आग दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने पर 10,000/- रुपये तत्काल राहत।

16. बी.एड., बी.पी.ई.डी., डी टी ई डी, पी एफ डी सी ए आदि करने वालों को एकमुश्त नकद प्रोत्साहन अधिकतम रु. 10,000/- या दी जाने वाली वास्तविक फीस केवल सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास के लिए।
17. बोर्ड / मैट्रिक / सीबीएसई के माध्यम से 10वीं एवं 12वीं कक्षा की मेरिट में प्रथम तीन विद्यार्थियों को रु. 10,000/-, रु. 8,000/-, रु. 6,000 / - और बोर्ड / सी बी एस ई के लिए क्रमशः रु. 12,000/-, रु. 10,000/-, रु. 8,000 / - नकद प्रोत्साहन।
18. किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर/पी एच डी में कॉलेज/विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के पुत्र/वार्ड के उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता के लिए 15,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन।
19. सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के वार्ड को खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए 20,000/- रुपये का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए रु. 25,000/- रुपये नकद प्रोत्साहन।
20. अधिकारी रैंक से नीचे के सेवानिवृत्त सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की एक बेटी के लिए (आय सीमा के बिना) 15,000 / - रुपये का विवाह अनुदान। यह केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने केंद्रीय सैनिक बोर्ड से विवाह अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
21. सेवानिवृत्त सैनिक की मृत्यु पर दिवंगत सैनिक की पत्नियों को 8,000/- रुपये का अंतिम संस्कार अनुदान दिया जाएगा। दिवंगत सैनिक की पत्नियों की मृत्यु होने पर, सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के आश्रित को 5,000/- रुपये का अंतिम संस्कार अनुदान दिया जाएगा।
नोट - ये वित्तीय सहायता/अनुदान उन सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए स्वीकार्य हैं जो ऊपर क्रम संख्या 13 से 18 के मामले को छोड़कर सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन और स्व-नियोजित आयकर निर्धारिती में नियमित माने जाने के रूप में पुनर्नियोजित नहीं हैं।
22. मेडिकल सीटों को छोड़कर जहां केवल 1% आरक्षण है, सभी शैक्षणिक संस्थानों में सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के बच्चों के लिए 3% सीटों का क्षैतिज आरक्षण।
23. निर्धारित दरों पर स्कूल ट्यूशन फीस/यूनिफॉर्म और किताबों की कीमत की प्रतिपूर्ति।
24. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थित कॉलेजों में इंजीनियरिंग, कृषि, दंत चिकित्सा और चिकित्सा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वास्तविक शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति।
25. सरकारी अस्पतालों द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और बिस्तर का आवंटन।
26. सेवानिवृत्त सैनिकों को आवास स्थलों /फ्लैटों के आवंटन में 3% आरक्षण। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और सभी विधवाओं को साल में एक बार मुफ्त कपड़ा।

27. द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों, 60 वर्ष से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की सभी विधवाओं को वर्ष में एक बार रु. 3,000/- मुफ्त कपड़े (उपहार कूपन) ।

28. किसी भी राज्य/केंद्रीय लाभ योजना के अंतर्गत कवर न होने वाली गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पात्र सेवानिवृत्त सैनिकों को वित्तीय सहायता।

29. निराश्रित वृद्ध सेवानिवृत्त सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को मौके पर सहायता।

30. अधिकारियों का वेतनमान और स्थिति: -

अधिकारी	वेतनमान
निदेशक	15,000 (समेकित)

31. पिछली आर एस बी और एसएमसी बैठकें 06 नवंबर 2019 को हुई थीं।

32. सैनिक विश्राम गृहों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	स्थान और पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क विवरण
		अफसर	जे सी ओ	अन्य रैंक	
(अ)	जवान भवन, 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्का मुदायनपेट पुडुचेरी - 605008 निकटतम रेलवे स्टेशन - पुडुचेरी, दूरी - 4 किमी निकटतम हवाई अड्डा -अन्ना अंतर राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई दूरी - 150 किमी	02	02	02	0413-2253107 sainik.pon@nic.in

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय

क्र सं	नाम	पदनाम	सम्पर्क नं ईमेल
1.	कमोडोर एच पी सिंह	सचिव	26192361 (O) 26192362 (F) secretaryksb@gmail.com secyksb-mod@nic.in
2.	कैप्टन (भारतीय नौसेना) शाश्वत पूर्णानंद	निदेशक (पालिसी)	26188098 Jdpolicyksb-mod@gov.in
3.	ग्रुप कैप्टन जिनेन्द्र सिंह	निदेशक (पी एम एस एस)	20862447 Jdpmssksb-mod@gov.in
4.	कैप्टन (भारतीय नौसेना) सतीश कुमार	निदेशक (शिकायतें)	26179109 Jdgrievancesksb-mod@gov.in
5.	कर्नल ए के सिंह	निदेशक (कल्याण)	20862446 Jdwelfare-ksb-@desw.gov.in
6.	लेफ्टीनेंट कर्नल कमल भट्ट	संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं समन्वय)	26192360 Jd.cksb-mod@gov.in
7.	लेफ्टीनेंट सौमित्र मिश्रा	संयुक्त निदेशक (स्वचालन)	20867132 Jdautomatiomksb-mod@gov.in
8.	श्री ए के धर	संयुक्त निदेशक (लेखा)	26192359 Jdaccounts-ksb@ desw.gov.in

रक्षा मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सम्पर्क नं ईमेल
1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव (सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण)	23792913 (O) 23792914 (F)
2.	श्री पुडी हरी प्रसाद	संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण)	23011804 23015933
3.	डॉ. पी पी शर्मा	ओ एस डी (डब्ल्यू ई एंड आई सी) पुर्ननियोजन -II	23015772
4.	श्री राज कुमार	उप सचिव (पुर्ननियोजन-II)	23015529
5.	श्री विनय प्रताप सिंह	अनु सचिव (पुर्ननियोजन-II)	23012675
6.	श्री वी गिरिधरन	अनु सचिव आई एंड सी/(पुर्ननियोजन-II)	23012593

डाक का पता

सचिव
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग-VII